राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या : 16

शुक्रवार;

12 अप्रैल, 2002

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-402

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्री प्रभुलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

डा. समरजीत सिंह।

तहसील बागोड़ा (भीनमाल) में प्राप्त आवेदन पत्र

403. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के तहसील बागोड़ा व सायला में ''प्रशासन गांवों के संग, 2001'' अभियान में कितने आवेदन पत्र बाडों के नियमन, हक तर्कनामा एल.आर. एक्ट की धारा 136 व बंटवारा के प्राप्त हुये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में कितने आवेदन पत्र प्रोग्रेस रिपोर्ट में बताये गये हैं और वास्तव में कितने आवेदन पत्रों पर विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी? शेष रहे आवेदनकर्ताओं की सूची नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट में बतायी गयी सूचना में व निपटाए गए आबंटन पत्रों की संख्या में अन्तर है? यदि हां, तो गलत सूचना देने के लिए कौन अधिकारी दोषी है?

(4) क्या सरकार गलत सूचना देने वाले गैर जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (डा. (श्रीमती) कमला): (1) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल की तहसील बागोड़ा व सायला में ''प्रशासन गांवों के संग'' अभियान में प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण इस प्रकार है :-

तहसील	बाड़ों का नियमन	हक तर्क-नामा	136 एल.आर. एक्ट	बंट-वारा
बागोड़ा	155	332	129	228
सायला	1	-	28	164
योग	156	332	157	392

(डा. (श्रीमती) कमला)

उपरोक्त प्रकरणों की सूची परिशिष्ट–1 से 5 सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) विस्तृत वांछित सूचना परिशिष्ट 1-6 सदन की मेज पर रख दी गयी है।

जिसके अनुसार यह आपको जो भेजा है उसमें नहीं है। लेकिन मैं आपको निवेदन कर रही हूं प्रोग्रेस रिपोर्ट में दर्ज कुल आवेदन पत्र 1037, आवेदनों पत्रों पर की गयी कार्यवाही 957, शेष आवदेन पत्र 80.

(3) प्रश्न के भाग संख्या 1 में अंकित चार बिन्दुओं में से तीन बिन्दुओं एक, दो और चार में प्रोग्रेस रिपोर्ट एवं बतायी गयी संख्या में अन्तर नहीं है। एक बिन्दु तीन पर लिपिकीय भूल के कारण बाड़ा नियमन के वन में है, 151 प्रकरणों के निस्तारण की सूचना दी गयी है, जबकि वास्तव में 155 आवेदन पत्रों का निस्तारण हुआ तथा प्रश्न के भाग एक में अंकित एल.आर. एक्ट की धारा 136 के प्रकरण में प्रोग्रेस रिपोर्ट में दिखायी गयी संख्या 126 बागोड़ा के वास्तविक निस्तारण में काफी अन्तर है क्योंकि निस्तारण सिर्फ 49 ही हुए हैं। सही सूचना देने का दायित्व प्रभारी अधिकारी का था।

(4) मैंने इसमें थोड़ा सा बदला है।

प्रभारी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है तथा तहसीलदार से जवाब तलब किया जा रहा है कि प्रभारी अधिकारी द्वारा समय पर प्रकरण की पत्रावलियां न लौटाने पर उसने मुख्यालय को सूचित क्यों नहीं किया।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

डा. समरजीत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का, माननीय मुख्य मंत्रीजी का ''प्रशासन गांवों के संग'' अभियान के तहत एक शानदार प्रयास था कि लोगों के काम निपटें, गांवों में राहत पहुंचे। उस अभियान को सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल बना कर रख दिया गया है। प्रोग्रेस रिपोर्ट में आंकड़े कुछ और हैं उसके बाद फालो अप कैम्प हुआ उसमें आंकड़े कुछ और दिये गये हैं और जो प्रश्न मैंने किया उसके पश्चात् आंकड़े कुछ और आए। इस तरह का जो डिफरेंस बताया गया। यह आंकड़ों में हमारा जालौर जिला पूरे सम्भाग में प्रथम आया और उसमें भी बागोड़ा तहसील जालौर जिले में प्रथम थी। इसमें शंकाएं उत्पन्न होना लाजिमी है। प्रश्न लगने के पश्चात् अभी आंकड़ों में तो बता दिया गया कि बाड़ों का नियमन कर दिया गया, हक तर्कनामे के हो गये, बंटवारे के हो गये, सिर्फ 136 में आपने डिफरेंस देखा है। परन्तु हकीकत यह है कि जो बाड़ों के नियमन या म्युटेशन के मामले हैं, उन सबमें सम्बन्धित तहसीलदार गुमराह कर रहा है ऊपर के अधिकारियों को। बल्कि जो रिपोर्टिंग गलत हो रही है, इस सन्दर्भ में आपको बताना चाहूंगा कि 6.4.2002

(डा. समरजीत सिंह)

को बागोड़ा तहसील के सभी पटवारी यूनियन के सदस्यों ने यह लिखित में कलक्टर को, ऊपर के अधिकारियों को सबको सूचित किया है कि सम्बन्धित तहसीलदार ने दबा कर पिछली डेट में म्युटेशन भरने के लिए, या जो भी कार्य निपटाने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर यह सही है, तो इस चीज को हल्का नहीं लिया जाना चाहिए और जब आपने जवाब में मान लियां है कि 136 के प्रकरणों में डिफरेंस है और बहुत बड़ा डिफरेंस है और जवाब में यह भी माना गया कि यह दायित्व प्रभारी अधिकारी का था और प्रभारी अधिकारी के साथ तहसीलदार भी उसमें उतना ही उत्तरदायी है। कैम्प आपके दिसम्बर में समाप्त हो गए थे और दिसम्बर के बाद सवाल लगा मार्च-अप्रैल में, तब तक उन प्रकरणों को नहीं निपटाया गया।

सवाल लगने के पश्चात् 136 के प्रकरण जब एस.डी.ओ. को भेजे गये। उस बीच में फरवरी में एस.डी.ओ. ने यह लिखा बी.डी.ओ. को कि यह जवाब, प्रकरण मेरे को अभी तक नहीं लौटाये गये। खाली जो आपने जवाब दिया था कि जिला कलक्टर से विस्तृत जांच प्रतिवेदन चाहा गया था, जिला कलक्टर ने तो पूरा मामला देखकर ही आपको रिपोर्ट किया है। अब ऐसे प्रकरण में आप सम्बन्धित अधिकारियों को सजा नहीं देंगे और वहीं बैठाकर रखेंगे, तो इससे बड़ी गलत कार्यवाही नहीं हो सकती। क्या आप उन्हें तत्काल प्रभाव से वहां से हटाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का मानस रखती हैं या नहीं?

डा. (श्रीमती) कमला : अध्यक्ष महोदय, मैंने आखिरी में जो पैरा है, बिन्दु है, उसमें दिया है कि दोनों ही अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किये गये हैं और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। इसमें जो प्रभारी अधिकारी था शिविर का, हमारे पंचायत समिति का बी.डी.ओ. उसकी गलती तो यह है कि अभियान खतम होने के बहुत समय बाद तक भी उसने रिपोर्ट मुख्यालय को नहीं भेजी और तहसीलदार की गलती यह थी कि जब शिविर प्रभारी ने इतने समय तक रिपोर्ट नहीं भेजी तो उसको मुख्यालय को अवगत कराना चाहिए था कि वहां से रिपोर्ट अभी तक भी नहीं आयी है। इसमें जो अन्तर दिया गया है वह अन्तर के लिए भी जो रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारी हैं, वह इसके जिम्मेवार हैं, उनके लिये भी हम बहुत गम्भीरता से कार्यवाही करने में हैं और दोनों को ही नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उनका स्पष्टीकरण आने के बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और जितनी बड़ी इसमें जिसकी गलती है उसके अनुसार उनको सजा दी जायेगी।

डा. समरजीत सिंह : अब इसमें भी जो यह आपके बाड़ों वगैरह के अन्तर दिया गया है, तो स्पष्ट जो आपने सूची दी है इसमें 101 के पश्चात् सारे खारिज बता दिये गये। इसमें स्पष्ट लग रहा है और उसके पश्चात् इतने समय तक लेकर बैठे रहना क्या इसमें भ्रष्टाचार की बू नहीं आती? ऐसे प्रकरण में जब आपको साफ दिख रहा है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है और कलक्टर ने भी जहां तक मुझे मालूम है, सूचना प्राप्त हुई है कि इसमें रिकमंड किया था कि 16 सी.सी. के इनको नोटिस दिया जाए, तो स्पष्ट कार्यवाही की घोषणा आप क्यों नहीं करती?

डा. (श्रीमती) कमला : जब भी किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रस्तावित होती है, तो पहले उसका एक्सप्लेनेशन काल किया जाता है, स्पष्टीकरण मांगा जाता है। उसके बाद उसको चार्जशीट जारी की जाती है, फिर कार्यवाही की जाती है, तो उस प्रोसेस में हैं हम। स्पष्टीकरण के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए चिट्ठियां जारी कर दी गयी हैं और जैसे ही उनका स्पष्टीकरण आ जायेगा उसके बाद चार्जशीट जारी करके उनके खिलाफ 16 या 17 की जो भी बनती है, वही की जायेगी। जहां तक आपने यह कहा है कि उसमें बहुत से केसेज खारिज किये हैं, यह अलग से जांच का विषय है कि जो खारिज किये गये हैं वह नियमन की या निस्तारण की पात्रता में थे, उसके बाद भी खारिज कर दिये गये, या वह इस पात्रता में आते नहीं थे इसलिये खारिज कर दिये। यह जांच का विषय है जिसके लिये मैं कलक्टर को रिपोर्ट मंगाने के लिये लिख रही हूं।

डा. समरजीत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ''प्रशासन गांवों के संग'' शिविर जब चल रहा था तब हमारे अधिकारियों ने मौके पर ही सम्बन्धित अधिकारियों को दण्डित किया था। इसमें तो आपको पूरा समय मिला है। दस दिन लगे हैं पूरे प्रश्न के जवाब आने में। उसकी पूरी छानबीन की गयी है, तो क्यों नहीं स्पष्ट कार्यवाही के संकेत दिये गये?

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा है इसका जो कागज पर ब्यौरा है और उसके बारे में जो पहले विवरण तैयार किया गया और अन्तिम विवरण पूरा थोरो इसकी जांच करके चर्चा करने के बाद मैंने आंकड़े अब तैयार किये हैं वह अन्तिम तौर पर सही आंकड़ें अब आकर पहुंचे हैं। इसलिए इस बाबत में रेवेन्यू बोर्ड से कोई कार्यवाही होनी है, या विभाग से कोई कार्यवाही होनी है उसको हम तत्परता से कर रहे हैं।

डा. समरजीत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित तहसीलदार अभी भी वहीं लगा है और अभी भी वह उन पटवारियों को, जो सभी पटवार मण्डल में थे, पूरे ने लिख कर दे दिया क्या उसको अभी वहीं रख कर आप जांच करेंगे?

डा. (श्रीमती) कमला : बी.डी.ओ. और तहसीलदार दोनों वहीं है, क्योंकि सवाल का सारा का सारा विवरण अभी आया है और हमने इसको...

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : सवाल का विवरण तो उन्हीं अधिकारियों ने दिया है।

डा. (श्रीमती) कमला : आने वाले 15 दिनों के अन्दर-अन्दर हम इसी के ऊपर कार्यवाही कर लेंगे।

डा. समरजीत सिंह : पर उस तहसीलदार को, जो सीधा सम्बन्धित है उन पटवारियों से क्या उसे हटायेंगे?

डा. (श्रीमती) कमला : सीधा सम्बन्धित तो बी.डी.ओ. है। क्योंकि उसने समय पर रिपोर्ट नहीं भेजी और तहसीलदार की यह गलती है कि उसने किसी भी कारण से मुख्यालय को रिपोर्ट नहीं भेजी कि इन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी है। पूरी बात तो यह है। अब उसमें आंकड़ों में कितनी गलती है और कार्य के निस्तारण में कितनी गलती है और क्यों गलती है, यह फिर बाद की बात है।

डा. समरजीत सिंह : पर उस तहसीलदार के खिलाफ...

डा. (श्रीमती) कमला : तहसीलदार ही क्यों बी.डी.ओ. और प्रभारी दोनों के खिलाफ ही कार्यवाही करेंगे हम।

डा. समरजीत सिंह : कर लीजिए पर तहसीलदार अभी भी वहीं लगा हुआ है। बी.डी.ओ. तो शिविर के लिए प्रभारी था लेकिन तहसीलदार तो अभी भी वहीं लगा हुआ है।

डा. (श्रीमती) कमला : है तो वहीं ना। तहसील में ही है वह भी।

डा. समरजीत सिंह : हां, हां।

डा. (श्रीमती) कमला : फिर क्या। दोनों पर कार्यवाही करेंगे हम।

डा. समरजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, उसमें अभी भी मंगलवार को एस.डी.ओ. के सामने जांच चली है और पटवारियों ने यह बयान दिया है कि हमको अभी भी दबाया जा रहा है और इस तरह की म्युटेशन बढ़ने...

डा. (श्रीमती) कमला : देखिए रिपोर्ट में भरने का तो सवाल पैदा नहीं होता। अगर कोई कैसेज पैंडिंग है तो सालभर निरन्तर उनके निस्तारण की कार्यवाही किए जाने का उनको सबको आदेश है। अगर कोई भी जिला कलक्टर या प्रभारी या तहसीलदार आज जो पैंडिंग कैसेज हैं जिनको कि रिकार्ड न होने के कारण या कोई और स्थिति स्पष्ट न होने के कारण से उस वक्त निस्तारित नहीं किया गया इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आगे वह अधिकारी अपना रूटीन में जो काम करते रहते हैं वह नहीं करेंगे, उनको करना है। चाहे वह शिविर में नहीं हुए तो बात में भी उनको करने की जरूरत है।

डा. समरजीत सिंह : जांच में जब आप लोगों ने मान लिया है कि वह दोषी है, तो कम से कम एक्शन तो लिया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आपने काफी सप्लीमैंटरी पूछ लिए हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : दोषी है, तो हमने कहा है कि उनको नोटिस दिये हैं वह जवाब देंगे, हम कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, जब यह शिविर लगने शुरू हुए थे और मुख्य मंत्रीजी के निर्देश थे कि मौके पर ही इन सभी शिविरों की बात को निपटाया जाए और इसी बी.डी.ओ. ने कई नीचे के कर्मचारियों को वहीं निलम्बित किया है, तो क्यों नहीं जब उसकी इतनी जानकारी होने के बावजूद भी मंत्री महोदय उसको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? या उनकी जो भी शिविर प्रभारी थे या जो तहसीलदार थे उनको अभी यहां सस्पैंड करने की घोषणा क्यों नहीं करते? जब यह अधिकार मुख्य मंत्रीजी ने जिला कलक्टर्स को वहां मौके पर दे रखे थे और एक महीने से यह प्रकरण बन्द है, तो अभी घोषणा मंत्री महोदय क्यों नहीं करते? दूसरी, हमारे सांचौर तहसील में भी इसी तरीके के जितने भी घोटाले शिविर प्रभारी और तहसीलदार के माध्यम से हुए थे उनकी भी जांच कराने के लिए मैंने मुख्य मंत्रीजी को लिख कर दिया है, जिला कलक्टर को लिख कर दिया है, आपको लिख कर दिया है। आज दिन तक विधान सभा में जब चर्चा आई है तब भी आप स्पष्ट नहीं कर रहे हो, तो उन जांचों के अन्दर क्या होना है। जांच तो हमेशा चलती रहती है। मैंने आपको सांचौर के बारे में लिख कर दिया है और जांच, वो ही अधिकारी वहीं बैठे हैं और वो ही जांच बना कर देंगे, तो क्या जांच से हमको फायदा मिलेगा। वही तहसीलदार लगा हुआ है। वही वह आर.ए.एस. अधिकारी लगा हुआ है। हमारे सांचौर के अन्दर तहसीलदार और एस.डी.ओ. के खिलाफ मैंने लिख कर दिया कि इस तरीके की अनियमितता की है, ऐसा घोटाला किया है, तो आज दिन तक एक महीना हो गया उसकी कोई इंक्वायरी हुई नहीं, कोई कार्यवाही हुई नहीं। अब विधान सभा के अन्दर तो स्पष्ट मंत्री महोदय कहे कि सांचौर वालों की जांच करवायेंगे और उनका प्रकरण आपके सामने है उनको अभी इसी तरह मौके पर सस्पैंड करेंगे।

डा. (श्रीमती) कमला : अध्यक्ष महोदय, सांचौर वाली जो आपने अभी कही है मैं इसको देखूंगी। बाकी जांच के दौरान इन दोनों अधिकारियों को वहां से हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अपने जवाब में जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उनमें भी आपके अधिकारियों ने आपको गुमराह किया है। चैनपुरा और नादिया जो दो गांव हैं उनके अन्दर आपने बाड़ा नियमन के आंकड़े पेश किये हैं। इन दोनों गांवों में आज तक कोई बाड़ा नियमन नहीं हुआ। दूसरा जब आप स्वयं यह स्वीकार कर रही हैं और गम्भीर अनियमितताएं हुई हैं। जिला कलक्टर ने 16 की कार्यवाही दो अधिकारियों के खिलाफ प्रस्तावित कर दी है, तो दोनों ही अधिकारियों को ए.पी.ओ. करके जांच करवाने में आपको क्या दिक्कत है?

डा. (श्रीमती) कमला : मैंने कहा है ना अभी कि जांच के दौरान में उनको वहां से हटा दिया जायेगा। बाद में तो हटाना ही है उनको, रखना ही नहीं है। जांच के दौरान भी उनको दोनों ही अधिकारियों को तुरन्त हटा देंगे। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, सांचौर के बारे में अनियमितताएं हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री नगराजजी आप बैठिए।

डा. (श्रीमती) कमला : अध्यक्ष महोदय, सांचौर के बारे में मैंने नोट कर लिया है। आपने अभी बताया है। इसकी भी जांच करवा लेंगे।

श्री हीरालाल विश्नोई : मैंने पहले भी आपको लिख कर दिया है।

डा. (श्रीमती) कमला : लिख कर दिया है, तो मैंने रिपोर्ट मांगी है। मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा है। आपने जो अभी-अभी उठाया है यह प्रश्न।

श्री हीरालाल विश्नोई : उनकी जांच करवायेंगे ना।

डा. (श्रीमती) कमला : अगर आप दे रहे हैं लिख कर और हमें भी अगर नोटिस में आ जाये, आपके बिना दिये भी, तो वह तो स्वाभाविक ही है कि जांच करवा कर कार्यवाही करना जरूरी होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री नगराजजी।

श्री नगराज (लसाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे वहां पर भी ''प्रशासन गांवों के संग'' अभियान में गांव आड में पटवारी की, नायब तहसीलदार की, लोगों ने लिखित में कलक्टर की मौजूदगी में शिकायत की। भारी अनियमितताओं की जो शिकायत कलक्टर को की पर वे ही पटवारी और नायब तहसीलदार अभी भी वहीं लगे हुए हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : कौनसी तहसील?

श्री नगराज : धरियावद तहसील। मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी अनियमितताएं करने वालों को भी आप वहीं रखेंगे?

डा. (श्रीमती) कमला : शिकायत के दौरान में अगर गम्भीर शिकायतें हैं तो किसी भी अधिकारी को वहां रखने का कोई औचित्य नहीं होता। इसलिए आप जो धरियावद की बात कर रहे हैं, सांचौर की बात कर रहे हैं इनके बाबत भी उसी प्रकार से कार्यवाही की जायेगी। दौराने जांच उनको किसी को वहां नहीं रखा जायेगा।

श्री नगराज : मेरा कहना यह है मंत्री महोदय कि उनकी शिकायत राइटिंग में दी है। कलक्टर मौजूद थे। गांव वालों ने सबने इकट्ठे हो करके वहीं उनकी शिकायत की, परन्तु वह पटवारी वहीं बैठे हुए हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : अध्यक्ष महोदय, अचानक से राजस्थान भर के अनेक स्थानों के आप जो यहां मुद्दे उठा रहे हैं उनको अभी मैं यहां जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं। इसलिए आपने जो नाम दर्ज करवाये हैं। धरियावद का, सांचौर का या और भी कहीं का उसको मैं निकलवा कर कार्यवाही तत्परता से करूंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ''प्रशासन गांवों के संग'' के दौरान राज्य सरकार ने 1994 तक जो यहां बसे हुए हैं, उनको नियमन करने का था। मेरी तहसील के गांव चांदगोठी, त्रिपाली बड़ी और त्रिपाली छोटी ने बादिया परिवार के कम से कम 70-80 परिवार 1977 के बसे हुए हैं। 1977 से उनके पास राशन कार्ड हैं। वह मय परिवार पक्के मकान बना कर बसे हुए हैं। मैंने तो तहसीलदार और एस.डी.एम. से निवेदन कर लिया पर वह तो टस से मस नहीं होते हैं वह तो कहते हैं हम तो उनको बेदखल करेंगे। राज्य सरकार की मंशानुसार जो बसा हुआ है उसको पट्टे देने की है, तो मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या जो 1977 से बसे हुए परिवार हैं उनको पट्टा देने की व्यवस्था करवा सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सागवाड़ा और सायना तहसील के सम्बन्ध में है। आप पूछ रहे हैं ''प्रशासन गांवों के संग।''

श्री नन्दलाल पूनिया : नियमन का मामला है। पट्टे देने का मामला है। पट्टे का सम्बन्ध है इसमें कितने पट्टे दिए। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय सदस्य पट्टे देने का मामला विधान सभा में यहां मैं नहीं बता सकती। जिसको आप पट्टे देना चाहते हैं, नियमन करवाना चाहते हैं वह पात्रता भी रखते हैं कि नहीं, कानून में आते है कि नहीं, यहां खड़े होकर मैं क्या बताऊंगी आपको अचानक।

श्री नन्दलाल पूनिया : 1977 से राशन कार्ड बने हुए हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : मैं नहीं बता सकती।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, जानकारी चाहता हूं कि ''प्रशासन गांवों के संग'' अभियान में बहुत पुराने प्रकरणों का इस अभियान के तहत निपटाया है। मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने इसमें सब विधायकों को, पर्सनली भी सबको टेलिग्राम दिया। हम लोग सब मौके पर गये। अध्यक्ष महोदय, हम एक-एक शिविर में गए। जो भी प्रस्तावित पंचायतों से जिला स्तर से, जिला कलक्टर लेवल पर तय होने थे, वह सब प्रस्ताव जिला कलक्टर स्तर पर आ गए। माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब 10 जनवरी को आपकी आखरी ग्राम सभा, ''प्रशासन गांवों के संग'' अभियान की रही और आज तक जिला कलक्टर्स के यहां वह मामले लम्बित चल रहे हैं। एक तरफ राज्य सरकार की मंशा है कि जो बहुत पुराने प्रकरण हैं यह निपटाये जाए, गरीबों को राहत दी जाए। गरीबों को नियमित किया जाए लेकिन यह अभी तक पैंडिंग चल रहे हैं, तो क्या मंत्री महोदय, जहां-जहां यह प्रकरण पैंडिंग चल रहे हैं ऐसे जिलाधीशों के खिलाफ और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करने की मंशा रखती हैं? हम यह भी जानना चाहते हैं कि कई प्रकरण जिलाधीश के स्तर पर वापस तहसीलदार और एस.डी.ओ. लेवल पर भेज दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : बाबूलालजी शार्ट में निवेदन करें।

श्री बाबूलाल नागर : शार्ट में निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने पैंडिंग कार्यवाही की जो जानकारी मांगी है वह अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है। तो क्या ऐसे तहसीलदार और एस.डी.ओ. के खिलाफ भी आप कार्यवाही करने की मंशा रखती हैं जिन्होंने अभी तक उसकी पूर्ति नहीं की है?

डा. (श्रीमती) कमला : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे मायने में यह बात सही है कि जो नीचे से मामले तैयार होकर आ रहे हैं उनमें कलक्टर कार्यालय के अन्दर काफी कुछ मामले लम्बित भी हैं और कुछ क्वेरी करके वापस भी लौटाए गए हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि पूरे राजस्थान भर से प्रतिदिन सैकड़ों फाइलें उन मामलों के निस्तारण के लिए हमारे कार्यालय में आ रही हैं उसको हम निपटा रहे हैं। साथ ही हमें यह जानकारी है कि कुछ गड़बड़ी भी है और कुछ वापस भेजने का, क्वेरी करने का भी एक बेतुकी समस्या भी कई जगह चल रही है। उसके लिए हमने सभी कलक्टर्स को परिपत्र भेजा है कि जो अभियान के दौरान में आपके सामने मुद्दे आए थे उनको तत्परता से निपटारा करने के लिए राज्य सरकार से वांछित जो कार्यवाही है उसको तत्परता से कराएं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या : 404

श्री मोहन लाल बारूपाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री मोहन लाल बारूपाल इधर बैठते हैं वहां क्या कर रहे हैं?

श्री रामस्वरूप : अब तो नम्बर आ जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : उससे क्या मतलब है? आप बैठिए। नैक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या : 405

श्री घनश्याम जैन।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या : 406

डा. कन्हैया लाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री अध्यक्ष : उनकी तो आपको पूरी जानकारी है। नैक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या : 407

श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री संजीव कुमार।

किसानों को प्रामाणिक बीज/खाद उपलब्ध कराने की प्रस्तावित योजना

408. **श्री संजीव कुमार (भादरा)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार किसानों को समय पर प्रामाणिक बीज/खाद व कीटनाशक उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती है? यदि हां, तो किस-किस प्रकार व किस-किस के माध्यम से?

(2) क्या इस वर्ष आने वाले खरीफ की बुआई हेतु उक्त प्रामाणिक बीज/खाद, कीटनाशक उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो किस प्रकार की? जिला हनुमानगढ़ में किस-किस क्षेत्र में कौन-कौन सा बीज/खाद/कीटनाशक कब, कहां-कहां, कितनी-कितनी की आवश्यकता है और उपलब्धता कब कहां-कहां कितनी रहेगी?

(3) किसानों को अप्रामाणिक बीज/खाद/कीटनाशक की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कोई प्रयास किए जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या व कैसे?

कृषि मंत्री (श्री तैय्यब हुसैन) : (1) जी हां। कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर समस्त जिलों से बीज, खाद व कीटनाशक दवाइयों की मांग का संकलन कर सार्वजनिक एवं निजी उत्पादकों से सम्भावित उपलब्धि के आधार पर राज्य की मांग तैयार की जाती है। तत्पश्चात् भारत सरकार के स्तर पर बैठकें आयोजित की

(श्री तैय्यब हुसैन)

जाती है जिसमें अन्य राज्यों के साथ मिल बैठकर आदानों की मांग की उपलब्धता सुनिश्चत की जाती है। राज्य में कृषि आदानों (खाद, बीज व कीटनाशक दवाइयां) की व्यवस्था राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, सहकारी संस्था एवं निजी विक्रेताओं के माध्यम से की जाती है।

(2) जी हां। इस वर्ष खरीफ 2002 हेतु 1.82 लाख क्विंटल प्रमाणित/उन्नत बीज 8.54 लाख मैट्रिक टन उर्वरक तथा 850 मैट्रिक टन (टी.जी.एम.) कीटनाशक रसायन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। जिला हनुमानगढ़ में 18820 क्विंटल बीज, 55400 मैट्रिक टन खाद एवं 338.65 मैट्रिक टन टी.जी.एम. कीटनाशक रसायन आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाएगा। जिसका विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। अमानक बीज, खाद एवं कीटनाशकों की बिक्री की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्रमशः 351, 352, 374 निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं जो गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए नमूना लेकर सम्बन्धित प्रयोगशालाओं में परीक्षण हेतु भेजते हैं। अमानक पाये गए नमूनों पर सम्बन्धित दोषी विक्रेता तथा निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रश्न संख्या–2 में पूछा था कि जिला हनुमानगढ़ में किस–किस क्षेत्र में कौन–कौनसा बीज/खाद/कीटनाशक कब, कहां–कहां कितनी–कितनी की आवश्यकता है और उपलब्धता कब कहां–कहां, कितनी रहेगी? माननीय मंत्रीजी ने अपने जवाब में हनुमानगढ़ जिले की सूची में फसल का नाम और बीज की मात्रा तो बता दी लेकिन मेरे खयाल से यह पूरे सवाल का जवाब नहीं आया। क्योंकि हनुमानगढ़ जिले में किस–किस क्षेत्र में कौन–कौनसा बीज/खाद/कीटनाशक कब, कहां–कहां और कितनी–कितनी आवश्यकता है, और इसकी उपलब्धता कब–कब, कहां–कहां और कितनी–कितनी रहेगी? माननीय मंत्रीजी इसका पूरा जवाब नहीं आया है।

दूसरा, किसानों को प्रमाणिक बीज/खाद/कीटनाशक के लिए माननीय मंत्रीजी ने बताया राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम और सहकारी संस्थान और निजी विक्रेताओं के माध्यम से हम इनको वितरित करवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी खरीफ की बीजाई का समय चल रहा है और आम तौर पर किसानों को प्रामाणिक बीज नहीं मिलने से जो निजी विक्रेता हैं वह समय पर लाते नहीं हैं, अप्रामाणिक बीज बेचते हैं, सही बीज किसानों को समय पर मिलता नहीं है, तो क्या सरकार किसानों को सही

(श्री संजीव कुमार)

प्रामाणिक बीज और वह भी बीजाई के सही समय पर मिले, इसके लिए ग्राम स्तर पर या पंचायत हैडक्वार्टर पर बिक्री के लिए स्पेशल केन्द्र खोल कर प्रामाणिक बीज उपलब्ध करवाने की कोई मंशा रखती है? यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा।

तीसरा, अमेरिकन सुंडी और हरी लट की वजह से बड़े पैमाने पर किसानों की कपास और नरमे की फसल का नुकसान हुआ, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में बी.टी. काटन सीड्स के नाम से किसानों को काफी भ्रमित किया जा रहा है कि यह ऐसा बीज है जिसकी बुवाई करने से अमेरिकन सुंडी वगैरह नहीं लगेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या इसको सरकार प्रमाणित कर रही है या बी.टी. काटन सीड उपलब्ध कराया जाएगा?

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, हमने यहां जो आंकड़े दिये हैं यह जिले के लिए हैं और बाकी जो हैं वह जिला लेवल पर कहां और कितनी जरूरत होगी उस हिसाब से वहां तकसीम होगा, उसकी जहां-जहां जिस तरह से उपलब्धता होगी वह जिला लेवल पर किया जायेगा।

दूसरा, जहां तक सही बीज का सवाल है हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छा बीज उपलब्ध कराएं और ठीक हो और जहां कहीं से उसकी कोई शिकायत आती है उसके खिलाफ हम तत्परता से कार्यवाही करते हैं। तीसरा, बी.टी. काटन के बारे में कहा, अभी तो हमारे पास केन्द्र सरकार से इस बारे में कोई सूची नहीं आई है और अखबारों में ही पढ़ा था कि माननीय केन्द्रीय मंत्री ने कहा है, ज्योंही उसकी गाइड लाइन आएगी, करेंगे। अभी तक हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। हम अभी से यह कहें कि यह बीज ठीक है, नहीं है। जितना भी हमसे होगा, हमारी यह कोशिश होगी कि हम बीज ढंग से उपलब्ध कराएं, लेकिन अभी तक चूंकि उसकी हमें गाइड लाइन वगैरह नहीं मिली है। इसका हमारे पास प्रबन्ध नहीं है।

श्री संजीव कुमार : माननीय मंत्रीजी, हनुमानगढ़ जिले में अलग-अलग तहसील वाइज, क्षेत्रवाइज मैंने पूछा है तो यह आप जानकारी पूरे जिले की दे रहे हैं, किस-किस क्षेत्र में कौन-कौनसे बीज/खाद/कीटनाशक की कब-कब, कहां-कहां और कितनी-कितनी आवश्यकता हैं और उपलब्धता कब-कब, कहां-कहां रहेगी। आपने पूरे जिले का तो विवरण दे दिया लेकिन क्षेत्र वाइज विवरण नहीं दिया। नम्बर, दो किसानों को यह जो निजी डीलर है यह थैली में पैक करके डुप्लीकेट बीज बेचते हैं और जो प्रामाणिक बीज होता है वह थोड़ा बहुत किसानों को सरकार उपलब्ध करती है वह बीजाई के समय पर नहीं आता है। आम तौर पर उसके बंटने में विलम्ब होता है। अभी जो खरीफ की बीजाई चल रही है, सही समय चल रहा

(श्री संजीव कुमार)

है। आप तो यह बताने की कृपा करें कि यह जो बीज देशी कपास, अमेरिकन कपास, धान, बाजरा, मूंग, मोठ इसके बीज को आप जिले की विभिन्न तहसील हैडक्वार्टर पर, विभिन्न पंचायत मुख्यालयों पर कब तक उपलब्ध करवा देंगे। शीघ्रातिशीघ्र इसको उपलब्ध कराया जाए। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस तरह के जो प्रामाणिक बीज जो हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा दिये जाते हैं इनको पंचायत मुख्यालयों पर बिक्री केन्द्र खुलवा कर वहीं किसानों को उपलब्ध कराये जायें।

बी.टी. काटन के बारे में जैसा आपने फरमाया कि केन्द्र सरकार से इस तरह की सूची प्राप्त नहीं हुई है लेकिन फिर भी जिले में बी.टी. काटन के नाम से प्राइवेट डीलर बीज के महंगी दरों पर, महंगे भावों पर इस तरह से बीज धड़ल्ले से बेच रहे हैं और मोटी रकम कमा रहे हैं। यदि यह बीज प्रामाणिक नहीं है, यदि यह बीज सही नहीं है बी.टी. काटन का तो इस तरह की जो नाजायज बिक्री हो रही है, इस तरह से लोगों और किसानों को लूटा जा रहा है, उनके खिलाफ आप क्या कोई कार्यवाही करेंगे? करेंगे तो कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी?

सवाल नम्बर तीन में मैंने निवेदन किया कि अप्रामाणिक बीज, खाद, कीटनाशकों की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कोई प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या और कैसे? इसके जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि जो अप्रामाणिक बीज बेचते हैं, घटिया कीटनाशक और दवाइयां बेचते हैं, उनके खिलाफ हमारे द्वारा निरीक्षक नियुक्त किये हुए हैं, वे नमूने लेते हैं और दोषी पाये जाने पर विक्रेता और निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि अभी मेरा पिछले दिनों एक तारांकित सवाल लगा हुआ था इसी सम्बन्ध में कि पिछले साल खरीफ के समय हनुमानगढ़ जिले में कई मामले ऐसे प्रकाश में आए जिनमें किसानों को घटिया दवाइयां और घटिया कीटनाशक दी गयीं और इसस बड़े पैमाने पर फसलें बरबाद हुईं। माननीय मंत्री महोदय ने उस तारांकित सवाल के जवाब में माना है कि ऐसे आठ मामले प्रकाश में आए। उसमें यह भी माना कि हमने दो के विरुद्ध कार्यवाही कर दी है, बाकी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि दो के विरुद्ध कार्यवाही क्यों की गयी और बाकी छह के विरुद्ध कब तक कर दी जावेगी, उसमें विलम्ब क्यों हो रहा है? पिछली खरीफ के फसल के समय ये मामले पकड़ में आये, उस समय यह जांच हुई तो आज तक कार्यवाही नहीं की गयी। (व्यवधान) सुनने दो, किसानों का मामला बोलने नहीं दे रहे हो, किसानों का महत्वपूर्ण मामला है और आप कहते हैं कि आठ पूछ लिये।

श्री अध्यक्ष : आपने इसमें चर्चा शुरू कर दी लम्बी, यह चर्चा का विषय नहीं है, प्रश्नकाल है।

श्री संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, उसमें किसानों को लूटा गया और नकली कीटनाशक के जो मामले पकड़े गये, आज तक उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी और कार्यवाही में जो विलम्ब हुआ, उन दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध आप कब कार्यवाही करेंगे, यह बताने की कृपा करें।

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले अर्ज कर चुका हूं, इस तरह के जो मामले हमारे सामने आयेंगे उस पर हम सख्त कार्यवाही करेंगे और उसमें अगर किसी का किसी भी तरह का विलम्ब पाया गया तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री संजीव कुमार : आठ मामले प्रकाश में आये हैं माननीय मंत्री महोदय, केवल दो डीलरों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है आठ में से, जो बाकी छह दोषी हैं, नकली कीटनाशक, बीज बेचे हैं, किसानों की फसल बरबाद हुई फिर भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी और आज तक जो विलम्ब हुआ है कार्यवाही में, अधिकारी निश्चित तौर पर दोषी हैं, मौके पर जाकर उन्होंने जांच की, फिर भी कार्यवाही नहीं की। ऐसे अधिकारियों और जो दोषी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही कब तक कर देंगे, यह बता दें।

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस सवाल के जवाब में भी मैं आपसे कह चुका हूं और आज फिर उसे दोहरा देता हूं कि वह मामला अण्डर इंवेस्टीगेशन है, उसकी जांच हो रही है और जांच होने के बाद किसी को बख्शा नहीं जायेगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। (व्यवधान) राज्य के अन्दर खाद-बीज के 10061 खुदरा एवं थोक विक्रेता हैं, जिनको बढ़ाने के प्रयासों के फलस्वरूप 251 विक्रय केन्द्रों की बढ़ोतरी होकर अब 10301 आदान केन्द्र हैं और जहां यह क्रय-विक्रय सेंटर्स हैं वहां भी बीज दिये जाते हैं और जहां भी प्राइवेट लोग हैं, वह भी इसको बेच रहे हैं, उसमें जो भी हैं, सारा इस वक्त, मैंने आपको पूरे जिलों के आकड़े दे दिये हैं और इसके साथ-साथ जैसा मैंने अर्ज किया, जहां जैसी जरूरत होगी वहां उसको उपलब्ध करवा दिया जायेगा और खरीफ के बीज की जहां भी कोई जरूरत होगी, हमारी तरफ से उसमें कोई विलम्ब नहीं है, हमने वक्त पर बीज सप्लाई किया है और माननीय सदस्य कोई बात नोटिस में लायेंगे तो उस पर भी हम तुरन्त कार्यवाही करेंगे और वहां बीज उपलब्ध करवायेंगे।

श्री संजीव कुमार : माननीय मंत्रीजी, मामला तो मैं बता रहा हूं। आपने माना

(श्री संजीव कुमार)

है कि आठ मामले प्रकाश में आये हैं उनमें से केवल दो के खिलाफ कार्यवाही हुई, छह के खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं हुई और जो दोषी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध आप कार्यवाही करो, यह साफ सी बात है।

श्री अध्यक्ष : संजीव कुमारजी, आप बहुत लम्बा चौड़ा क्वेश्चन पूछते हैं।

श्री संजीव कुमार : पूरा साफ है। दूसरी फसल का समय आ गया माननीय मंत्रीजी।

श्री तैय्यब हुसैन : मैं आपसे कह चुका हूं कि सारा मामला अण्डर इंवेस्टीगेशन है और ज्योंही उसकी जांच कम्पलीट हो जायेगी, उन पर कार्यवाही की जायेगी। आपको उस सवाल के जवाब में भी मैंने कह दिया, अब भी कह रहा हूं, आपसे।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल डांगा।

श्री संजीव कुमार : यह तो पिछली खरीफ के फसल का मामला है, अब तो दूसरी फसल खरीफ की जुताई बिजाई कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : मेरा नाम पुकारा है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने गेहूं, सरसों, जौ, चने का बीज समय पर उपलब्ध करवाया राजस्थान सीड कारपोरेशन के जरिये, अच्छा, उसके लिये तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से दो सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल तो यह कि जब काश्तकार को बीज की आवश्यकता होती है, चाहे वह रबी का हो या खरीफ का हो...

श्री अध्यक्ष : आजाद साहब, पहले मैंने काल किया है मांगीलाल डांगा को।

मोहम्मद माहिर आजाद : सर, पहले मेरा नाम आपने पुकारा, पहले मुझे अलाउ किया, मैं खड़ा हुआ, तब वापस वह बोलने लगे तो मैं बैठ गया।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ गये तब उनका नाम पुकारा।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले आपने मेरा नाम पुकारा। आप कहें तो मैं बैठ जाऊं? बाद में पूछ लूंगा।

श्री अध्यक्ष : अच्छा-अच्छा।

मोहम्मद माहिर आजाद : जी साहब। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि काश्तकारों को जब बीज की आवश्यकता होती है या कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, तो दुकानदार जो प्रामाणित बीज और कीटनाशक हैं, उनके लिये कहते हैं कि वह तो अभी आ

(मोहम्मद माहिर आजाद)

रहा नहीं है और यह दूसरा वही का वही है, उसी कम्पोनेंट का है, आप यह ले जाइये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी मानिटरिंग, इसकी जांच के लिये आपने कोई टोलियां बना रखी हैं क्या जो दुकानों पर जाकर यह देखें और जांच करे कि जिस चीज के लिये आपने दुकानदारों को अथोराइज कर रखा है, वह वही प्रामाणिक बीज और कीटनाशक बेच रहा है या दूसरा नकली भी बेच रहा है, पहला मेरा सवाल यह है। दूसरा सवाल है कि इसके लिये कितनी जगह आपने जांच की है और कितने मामले ऐसे आपने पकड़े हैं जो प्रामाणिक बीज और प्रामाणिक कीटनाशक के बजाय नकली और दूसरी कम्पनियों के बनाये हुये बेच रहे हैं। कृपया यह जानकारी दें।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर का भी बता दें, यही प्रश्न है, जैसलमेर का बता दें।

श्री अध्यक्ष : अभी ठहरिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : पूरे राजस्थान का है, वह भी टीम नहीं बनायी जांच की। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : (व्यवधान) बहुत लापरवाही हुई है। किसानों का मामला है, यह गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये आप रतनारामजी। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, हमने अपनी तरफ से इंसपेक्टर नियुक्त किये हैं, उनकी सूची मैंने जवाब में बता दी है, वह पूरी तरह कोशिश करते हैं कि कहीं पर भी कोई गलत बात न हो और उसकी जांच करके जहां-जहां भी हमारी कोशिश से पकड़ में आता हैं कोई बात, तो उस पर सख्त कार्यवाही करते हैं।

इसी तरह से जहां तक आपने कहा है, पूरी जिलेवार लिस्ट भी है। आप कहे तो पूरी लम्बी चौड़ी पढ़ देता हूं, आप कहे तो सदन की मेज पर रख देता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं। आप तो यह स्पेसिफिक बता दें कि आपने कोई जांच टोली बना रखी हैं जो सुओ-मोटो जांच करती हो और उसने कितने मामले पकड़े. बस।

श्री तैय्यब हुसैन : मैंने कहा कि पूरे स्टेट में है, एक-दो जांच टोली नहीं है, हर जिले में हमारे इंसपेक्टर मौजूद हैं और वह जाकर इनकी चैकिंग करते हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : वहां से खाली हफ्ता लेकर ही आते हैं या कोई कार्यवाही भी करते हैं? (व्यवधान) उनसे केवल हफ्ता लेकर आते हैं। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : कार्यवाही भी की गयी है। उसके लिये मेरे पास पूरी जानकारी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कितनी कार्यवाही हुई, आंकड़े तो बता दें।

श्री नगराज (लसाड़िया) : आपने कुल कितने मुकदमें दर्ज कराये, नकली दवाओं और बीज बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही की है? मंत्री महोदय, यह तो बताओ, अभी तक कितने मामले प्रकाश में आये, आपने कहा लम्बी-चौड़ी लिस्ट है, हमें गुमराह कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि सीड के सिलसिले में 2001 में 31 इस तरह के मामले आये और 2001-2002 में 64 इस तरह के मामले आये और उनके खिलाफ कार्यवाही हुई है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कार्यवाही क्या हुई है? उनके लाइसेंस निरस्त कर दिये क्या? क्या जो दोषी पाये गये उनके लाइसेंस निरस्त किये? क्या कार्यवाही की?

श्री हीरालाल विश्नोई : उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका नाम भी पुकार लूंगा, श्री मांगीलाल डांगा।

श्री संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही का टाइम तो बता दो। कब तक कार्यवाही की जायेगी?

श्री नगराज : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत तो उनकी दर्ज की जाती है जो हफ्ता नहीं देते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने उनको काल किया है।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि प्रश्न के खण्ड तीन में आपने बताया कि अप्रामाणिक बीजों की रोकथाम के लिये हमने निरीक्षक लगा रखे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान में प्राइवेट विक्रेताओं के लिए या अप्रामाणिक बीज की बिक्री पिछले वर्ष भी हुई और अभी भी हुई है, आपकी जानकारी में है या नहीं?

नम्बर दो, आपके यहां अरण्डी बीज का जो फाउण्डेशन बीज उत्पादन के लिए राज्य निगम से दिया गया था वह क्या अप्रामाणिक था या नहीं? यदि आपकी जानकारी में नहीं है, तो क्या इस मुद्दे की आप जांच कराने की मंशा रखते हैं? नम्बर दो, क्या...

श्री अध्यक्ष : नम्बर नहीं। आप एक सप्लीमेंटरी पूछ सकते हैं।

श्री मांगीलाल डांगा : एक ही प्रश्न है। एक ही प्रश्न के पार्ट हैं।

श्री अध्यक्ष : दो तो पूछ लिये आपने।

श्री मांगीलाल डांगा : बी.टी. काटन पर अनुमति भारत सरकार ने पिछले दिनों

(श्री मांगीलाल डांगा)

में दी है। गत तीन वर्षों में भी क्या बी.टी. काटन के नाम से राजस्थान में काटन की बिक्री हुई है? क्या इस प्रकार की अप्रामाणिक बी.टी. काटन बिक्री भविष्य में होगी? तो इसके लिए आपने क्या कार्य योजना बनायी है? मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को हमारी सरकार काफी यहां लागू कर रही है...

श्री अध्यक्ष : अब हो क्या रहा है, हनुमानगढ़ जिले का प्रश्न है।

श्री मांगीलाल डांगा : क्या मध्य प्रदेश की तरह आप सिर्फ सहकारी क्षेत्र में ही उर्वरक अथवा बीज की वितरण व्यवस्था की मंशा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री रामस्वरूप : ऐसे तो हमारा नम्बर आयेगा ही नहीं, साहब।

श्री अध्यक्ष : रतनारामजी चौधरी। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर अधिकारियों की शिकायत हर जिले में है। किसानों के लिए जो औजार आते हैं वह भी गरीबों के नाम से अलाट करके बाजारों में बेच देते हैं। सीड कभी समय पर नहीं दिया और किसानों को लूटा जा रहा है। व्यापारी या कोई साधारण व्यक्ति है, जो सीड रखते हैं उनसे हर हफ्ते, हर महीने हफ्ता लिया जाता है। इसलिए उनकी जांच, हर जिले की जांच एक कमेटी बनाकर कराने की कृपा करें, यह हमारी मांग है।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, श्री हीरालाल जी विश्नोई।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में मैंने विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न लगाया था। मंत्रीजी ने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं पूरी इंक्वायरी कराकर वहां पर जिला कृषि अधिकारी को नियुक्त कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, कोई कार्यवाही उस दिन के बाद आज दिन तक नहीं हुई है। गुजरात से हमारे वहां पर पूरा का पूरा खाद, बीज नकली आता है और नकली ही बिकता है। कम से कम जिस टाइम बारिश होती है उस टाइम पूरा का पूरा माल नकली बिक जाता है।

श्री संजीव कुमार : कोई जवाब ही नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, हमारा जवाब तो आया ही नहीं।

श्री हीरालाल विश्नोई : उसके बाद अधिकारी लोग वह माल लाकर, नकली माल लाकर बेचते हैं। किसानों के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। आज दिन तक मंत्री महोदय ने कोई कार्यवाही नहीं की। कृषि मंत्री हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा मंत्री महोदय आप तीन साल में कितने जिलों में आप स्वयं गये।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री हीरालाल विश्नोई : और वहां क्या कार्यवाही की, यह बताएं।

श्री संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब ही नहीं आया, कार्यवाही का टाइम तो निश्चित करा दो कब तक कार्यवाही कराएंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम धोद। श्री अमराराम। (व्यवधान) सबका साथ दे देना।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा...

श्री संजीव कुमार : अध्यक्षजी, कार्यवाही का समय तो निश्चित कराओ। कार्यवाही हो ही नहीं रही है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा हनुमानगढ़ और गंगानगर में कपास की खेती पिछली खरीफ की फसल में प्रामाणिक कीटनाशकों से पूर्ण नष्ट हो गई। आप तो यह बताएं कि इस साल जो नरमा व कपास की फसल बोयी जा रही है क्या आपके कीटनाशकों से इस बीमारी, जो अमेरिकन सुण्डी आयी है इसके कंट्रोल करने के कौनसे पेस्टीसाइड्स हैं और क्या यह बीमारी इस फसल में आने पर उनको कंट्रोल करने के लिए विभाग सतर्क है और क्या किसानों को यह विश्वास दिला सकते हैं, अभी कपास की और नरमा की फसल बोयी जाएगी उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, आज तक मंत्रीजी ने कुछ नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रीजी यह बताएं कि राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है...

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार।

श्री संजीव कुमार : दूसरी खरीफ की फसल आ गयी, कार्यवाही नहीं हुई उसमें।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार : यह कृषि प्रधान देश है। माननीय अध्यक्ष महोदय। यह कृषि प्रधान देश है इसमें फर्जी बीज बेचने वाले कितने लोगों के खिलाफ में पुलिस कार्यवाही की और कितने लोगों को सजा हुई आज तक, यह बताएं। कृषि प्रधान देश में फर्जी बीज बेचते हैं, दवाई फर्जी बेचते हैं...

श्री रामस्वरूप : 10 प्रश्न आने चाहिए, 10 तो कम से कम।

श्री श्रवण कुमार : सब लोग कह रहे हैं कि फर्जी है। उसके बाद में कार्यवाही कितने लोगों के खिलाफ हुई और पुलिस केस कितने लोगों के खिलाफ दर्ज करवाये गये? आज तक कितने लोगों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज हुआ इसकी कार्यवाही करके बताएं।

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ जिले में नोहर तहसील है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि अब फिर सावनी की फसल आने वाली है। पिछले दफा भी नोहर के अन्दर जो मोठ का बीज है वह बहुत ही खराब बीज था, अप्रामाणिक बीज था। अब की बार भी क्या वही रखा जाएगा? आपने कहा कि जो अधिकारी लगा रखे हैं वो भयंकर तरीके से उनका ब्लैक करते हैं और मेरे यहां सावनी की फसल में मोठ का बीज केवल 60 किलो ही मिल पाया जबकि मैंने बार-बार विभाग को लिखा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी लिखा कि हमको प्रामाणिक बीज उपलब्ध कराया जाए, उसके बावजूद भी बीज उपलब्ध नहीं करवाया। भयंकर अकाल था, बड़ी मुश्किल से थोड़ी-बहुत बरसात हुई, लेकिन पूरे इलाके में केवल 60 किलो ही मिल पाया। क्या अबकी बार भी 60 किलो ही देंगे, यह पूछना चाहती हूं।

एक माननीय सदस्य : यह पूरे किसानों की आवाज है, पूरे जनप्रतिनिधियों की आवाज है।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप पिछली दफा जब श्रीगंगानगर में पधारे थे। आपने बहुत बड़ी मीटिंग ली थी, हजारों की तादाद में किसान आपसे मिले और आपने किसानों को यह आश्वस्त किया कि आज के बाद बीज, खाद और जो नकली खल पंजाब से आते हैं उसके ऊपर बिलकुल प्रतिबन्ध लग जाएगा और इस तरह की कार्यवाही आगे के लिए नहीं होगी। निरन्तर किसानों को पीसा जा रहा है, किसान की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं है। यह मामला ऐसा है जिसमें आधा घंटे की चर्चा होनी चाहिए ताकि खुलकर बात कह सकें।

श्री अध्यक्ष : बैठिए राधेश्यामजी। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरा यह निवेदन है कि हमारे यहां जो नकली बीज की दुकान चल रही हैं क्या उनको बन्द कराने का सरकार विचार रखती है अथवा नहीं?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, सभी का उत्तर। (व्यवधान) अब आप रह गये। कल्लाजी आप।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरे जैसलमेर में उपनिवेशन का नया क्षेत्र खुला है, वहां फर्जी कीटनाशक दवाएं खुले आम बिक रही हैं। कोई इस पर चैकिंग है नहीं। वहां पर तीन-तीन बार किसान छिड़काव कर चुका है। किसान परेशान है। अब कोई इंस्पेक्टर है ही नहीं वहां पर।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इस पर आधा घंटे की चर्चा रखी जाए। हमारी मांग है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब सभी का उत्तर दे दीजिए। ठहरिये, श्री अशोक।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बात चाहे बीज प्रामाणीकरण की हो, चाहे कृषकों को उपकरण देने की बात हो, चाहे फव्वारा देने की बात हो, कृषि विभाग में टोटली एजेंटों या डीलरों का राज है। कृषि अधिकारी वही काम करते हैं जो डीलर उन्हें बताते हैं। वो बीज बिकता है जो डीलर उन्हें सप्लाई करते हैं। वो मुकदमें दर्ज होते हैं जो डीलरों के माध्यम से कृषि अधिकारी से सैट नहीं होते। यह पूरे राजस्थान में एक बहुत बड़ा मायाजाल है और उपकरण लाखों-करोड़ों रुपये के अनुदान में सप्लाई करते हैं उसमें डीलरों का राज है। कृषि अधिकारी वो ही मुकदमा दर्ज करते हैं जो उनसे सैट नहीं हैं। यह राजस्थान में अगर समीक्षा की जाए तो करोड़ों-करोड़ रुपए के घोटाले होंगे। सवाईमाधोपुर जिले में केवल एक महीने में करोड़ों रुपये के उपकरण अनुदान में जारी कर दिये। किसानों को बांट दिये। अब वो कब तो बांटे, कब वे वैरीफाई हुए, किसानों के पास में वास्तव में वे पहुंचे या नहीं पहुंचे, किसने सर्टिफाई किये।

श्री अध्यक्ष : अशोकजी, सम्भव नहीं है यह।

श्री अशोक बैरवा : बीज का मामला हो, चाहे उपकरण हो। अध्यक्ष महोदय, मसला पूरे राजस्थान का है। डीलर राज को अगर मंत्री महोदय समाप्त करना चाहते हैं, आप मंशा रखते हैं तो आप बता दें।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, श्री यशवन्त सिंह। सभी का उत्तर साथ ही दे देंगे वो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू)(नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी भरतपुर से आते हैं आप तो यह बता दें कि भरतपुर में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें आपने कितने पर कार्यवाही की? मेरा स्पष्ट आरोप है, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : भरतपुर का प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो हनुमानगढ़ का है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : पूरे राजस्थान का है।

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप।

श्री रामस्वरूप : ये तो टाइम नष्ट कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन रह जाएगा।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन साल से जांच लम्बित है उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर आधा घंटे की चर्चा करा लीजिए। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबका जवाब दे नहीं पाएंगे, उत्तर आ नहीं पाएगा, आधा घंटे की चर्चा कराकर नैक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : आधा घंटे का जो टाइम है...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अब आ नहीं पाएगा।

श्री संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही तो निश्चित करा दो। मामला खरीफ का हो, आज तक कार्यवाही नहीं हुई।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की भावना को देखते हुए आधा घंटे की चर्चा करा लें।

श्री रामस्वरूप : आज तो 10 क्वेश्चन का रिकार्ड बन सकता है।

श्री संजीव कुमार : आप कार्यवाही करा दो, महीने में हो जाएगी, 10 दिन में हो जाएगी।

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, 2000-2001 में अमानक नमूनों की जो संख्या पायी गयी उर्वरक 40, कारण बताओ नोटिस 40, चेतावनी 12 में, 22 में एफ. आई. आर. और 6 कार्यवाही प्रक्रिया में हैं। बीज में 31 में चेतावनी 13, 9 में एफ. आई. आर., 9 कार्यवाही प्रकिया में हैं। कीटनाशक 104, इसमें 63 में एफ. आइ. आर. और 15 कार्यवाही प्रक्रिया में हैं। 2001-2002 उर्वरक में 63 पाये गये, 17 में चेतावनी, 6 में एफ. आई. आर. 40 में कार्यवाही प्रक्रिया में है।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह चेतावनी और एफ. आई. आर. क्या है? (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : जरा सुन लीजिए आप।

श्री हीरालाल विश्नोई : चेतावनी चेतावनी बात कर रहे हैं, हमेशा चेतावनी देते हैं।

श्री तैय्यब हुसैन : आप सुन लीजिए।

श्री हीरालाल विश्नोई : कोई चेतावनी से मतलब नहीं है। एक भी काम का निपटारा नहीं हो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, समय नष्ट किया जा रहा है, नैक्स्ट क्वेश्चन लें। (व्यवधान) समय नष्ट किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : आधे घंटे की चर्चा कराइए। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : चेतावनी-चेतावनी बोलते हैं, यह तो इतना बड़ा काकस है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : आधे घंटे की चर्चा कराइये।

श्री अशोक बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों की...(व्यवधान) शिकायतें कृषि भवन में पता लगा लीजिए। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : 27 में एफ.आई.आर. 29 में कार्यवाही की जा रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अशोकजी, आप बैठिये। आप संक्षेप में एक मिनट में कह दीजिए।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय चेतावनी और एफ.आई.आर. की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलालजी, बैठिए।

श्री बाबूलाल नागर : अब इतना तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलालजी, बैठिए।

श्री बाबूलाल नागर : जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, जिनका कार्य क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलालजी बैठिए।

श्री बाबूलाल नागर : उन अधिकारियों के खिलाफ भी कोई एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है क्या?

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलालजी बैठिए।

श्री बाबूलाल नागर : उनकी लापरवाही और उनकी जवाबदेही भी कहीं फिक्स की है क्या मंत्री महोदय ने?

श्री तैय्यब हुसैन : और कीटनाशक में 48 एफ.आई.आर. कोर्ट केस और 41 कार्यवाही प्रक्रिया में है, मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं। यह तो मैं नहीं कहता कि कमी नहीं है लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन तीन सालों के अन्दर जितनी कार्यवाही हुई है उतनी पिछले 10 सालों में नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : हां, बैठिए। नैक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या : 409

श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट। श्री जसवन्त सिंह।

प्रश्न संख्या : 410

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री ललित भाटी।

अजमेर में स्टाम्प विक्रेताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

411. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला कलक्टर, अजमेर/कोषाधिकारी कार्यालय में कमीशन बेसिस पर कितने स्टाम्प विक्रेता पंजीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री ललित भाटी)

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1961 से कमीशन बेसिस पर यह व्यवस्था लागू की गयी तथा उस समय कितना प्रतिशत कमीशन दिया जाता था? स्टाम्प विक्रेताओं को दिया जाने वाला कमीशन कब-कब कितना बढ़ाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त स्टाम्प विक्रेताओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

वित्त मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) जिला कलक्टर, अजमेर/कोषाधिकारी कार्यालय में 35 स्टाम्प वैण्डर पंजीकृत हैं। वांछित सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 1961 से समय-समय पर स्टाम्प विक्रेताओं के बढ़ाये गये कमीशन का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त स्टाम्प विक्रेता के विरुद्ध कोई शिकायत विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल किया कि कब कब इनके कमीशन बढ़ाये गये हैं। मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, अध्यक्ष महोदय, 1961 के अन्दर समस्त जिला मुख्यालयों पर 3 रुपये 10 पैसे प्रति शापर थे, समस्त उप खण्ड मुख्यालयों पर 4 रुपये 70 पैसे और अन्य स्थानों के लिए 6 रुपये 25 पैसे। अब वह 1983 में घटकर 2 रुपये 75 पैसे हो गये 400 के, बाकी के इन्होंने समस्त उप खण्ड मुख्यालयों के किये 4 रुपये 75 पैसे, 5 रुपये 50 पैसे फिर घटकर यह हुए हैं। रुपये 20 पैसे। इस तरीके से घटते हुए आपने 2001 तक की मेरे को इसके अन्दर जानकारी दी है।

अध्यक्ष महोदय, आज जब रुपये का अवमूल्यन हो रहा है और हर जगह जहां भी कमीशन बेसिस के ऊपर काम होता है वहां कमीशन बढ़ाने की बात की जाती है और यहां वित्त मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि उसको घटाते हुए चले जा रहे हैं, तो राज्य सरकार की स्टाम्प वैण्डरों के प्रति यह कौन सी नीति है और इससे राज्य सरकार को कोई इजाफा हो रहा है, यह मेरी समझ में आ नहीं रहा है।

दूसरी शिकायतों की बात है, आम तौर पर, अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं शिकायतें आती हैं कि बैक डेट के अन्दर स्टाम्प्स की, जो नान जुडिशियल स्टाम्प्स हैं इनकी खूब बिक्री की जाती है और उसको रुपये से कई हजार गुना ज्यादा के ऊपर, जो एक रुपये का है वह सौ रुपये की कीमत के हिसाब से बिक्री की जाती है। ऐसी शिकायतें अजमेर के विषय में जिला

(श्री ललित भाटी)

कलक्टर के पास की गयी हैं। इन्होंने खण्ड तीन के अन्दर जवाब दिया कि विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, तो मैं नहीं समझ रहा कि यह जवाब सही दिया गया है। इसके अन्दर गुमराह करने की बात की गयी है। मंत्री महोदय स्पष्ट बतायें कि यह जो घटता हुआ कमीशन बताया इसको बढ़ाने की दिशा में क्या कोई काम करेंगे और शिकायतों के बारे में क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह अजमेर के बारे में सम्मानित सदस्य ने पूछा है। यह बात सही है कि प्रश्न की लैंग्वेज के हिसाब से कब-कब बढ़ाया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित है कि बढ़ाने के स्थान पर कमीशन की एज सच रेट तो निश्चित रूप से कम हुई है लेकिन यह बात भी सही है कि वाल्यूम और टर्न ओवर, वह एक बात से स्पष्ट है कि जो हमको राजस्व प्राप्त होता था रजिस्ट्रेशन के द्वारा उसमें कई गुना वृद्धि पिछले सन् 1960 से लेकर 2002 तक काफी बड़ी वृद्धि हुई है, तो टर्न ओवर के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनके कमीशन के अन्दर निश्चित रूप से वृद्धि हुई है, नम्बर एक।

दूसरी बात जो उन्होंने पूछी खास तौर से, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई। जहां तक अजमेर जिले का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको अजमेर के अन्दर जो हमारे स्टाम्प वैण्डर्स का जो रजिस्ट्रेशन है, जिनके पास लाइसेंस है, उनके विरुद्ध हमको एज सच कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यह बात सही है कि डी.आई.जी. ने जब इंसपेक्शन किया तो उस वक्त दो स्टाम्प वैण्डरों के खिलाफ जांच में कुछ अनियमितताएं पायी गयीं जिनकी जांच जारी है, श्रीमन्।

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, जो बात मैं कहना चाह रहा था, शिकायतें, यह आवश्यक नहीं है कि जनता की तरफ से की जाए। मंत्री महोदय ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि डी.आई.जी. स्टाम्प ने जब जांच की तो दो स्टाम्प वैण्डरों की शिकायतें उनको मिली हैं और कुछ इर्रेगुलरिटीज उनको देखने को मिली हैं। अध्यक्ष महोदय, टर्न ओवर के आधार पर उनको ज्यादा प्रोफिट हो रहा है, इसकी चिन्ता राज्य सरकार को है। टर्न ओवर ज्यादा है या नहीं है, हम तो इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि आपसे जो कमीशन बढ़ाने की बात मैंने पूछी है, क्या आप राजस्थान के स्टाम्प वैण्डरों की सेवाओं को देखते हुए, इसके पीछे मेरी जो मूल भावना है पूछने की, क्योंकि आपके कमीशन की रेट कम है इसलिए वह अपने रजिस्टरों में इस तरीके से खाली एंट्री छोड़ते हैं ताकि वह बैक डेट के अन्दर स्टाम्प को बेचकर अपना इजाफा

(श्री ललित भाटी)

कर सकें, इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या आप उचित नहीं समझते हैं कि उनका कमीशन बढ़ाया जाना चाहिए?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का अभी कमीशन बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही, आपका शिकायत के बारे में था, एक इंस्पेक्शन के दौरान अनियमितताएं पायी गयीं उनकी जांच चल रही है, शिकायत अलग चीज है, इंस्पेक्शन के दौरान अनियमितताएं पाया जाना एक अलग बात है। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री सुरेन्द्र गोयल।

प्रश्न संख्या : 412

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट। श्री ज्ञानदेव आहूजा।

प्रश्न संख्या : 413

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रामस्वरूप।

मन्दिरों की भोग-राशि में वृद्धि

414. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) देवस्थान विभाग में पुजारी/सेवकों की नियुक्तियों के क्या मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग अपने अधीन मन्दिरों में सेवा पूजा एवं भोग हेतु राशि का आबंटन करता है? यदि हां, तो कितनी राशि प्रति मन्दिर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि महंगाई ज्यादा होने के कारण उक्त राशि बहुत ही कम है? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2002-2003 में उक्त दरों में वृद्धि करने का विचार रखती है?

(4) क्या यह सही है कि राज्य के कई मन्दिरों में पुजारी/सेवकों के पद कई वर्षों से रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों तथा कब से? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को वर्ष 2002-2003 में भरने का विचार रखती है?

(5) क्या उक्त पदों की नियुक्ति के बाद सेवा पूजा का प्रशिक्षण दिया जाता है? यदि हां, तो कहां कहां पर?

(6) सरकार पुजारियों/सेवकों को प्रतिमाह कितना कितना वेतन एवं इसके अलावा और क्या क्या सुविधाएं देती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(12.00 बजे)

राज्य मंत्री, देवस्थान (श्रीमती इन्दिरा मायाराम) : (1) प्रत्यक्ष प्रभार के मन्दिरों में नियमित सेवा के पुजारी/सेवकों (सेवागीर) की नियुक्ति के लिए राजस्थान देवस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम,

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

2000 बने हुए हैं। उक्त नियमों के नियम 23-26 में इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया दी हुई है।

आत्मनिर्भर मन्दिरों में पुजारी/सेवकों (सेवागीर) की नियुक्ति हेतु सेल्फ सपोर्टिंग कोर्ट आफ वाईस टेम्पल रूल्स, 1959 के नियम 9 में नियुक्ति की प्रक्रिया दी हुई है। उक्त दोनों नियमों की उद्धरण प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी हां। देवस्थान विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ प्रत्यक्ष प्रभार व आत्मनिर्भर श्रेणी के जिन-जिन मन्दिरों को सेवा पूजा एवं भोगराग हेतु मासिक राशि का आबंटन किया जाता है उसका विवरण परिशिष्ट-2 के कालम 11, 12 में दर्शाया गया है।

(3) राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मन्दिरों के लिए वर्तमान में देय राशि का मूल्यांकन वर्ष 1997 में ही किया गया है जो कि समुचित है। प्रत्यक्ष प्रभार मन्दिरों में वर्ष 2002-2003 में वृद्धि के लिये फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। आत्मनिर्भर मन्दिरों के लिए वर्ष 2002-2003 में भोग राग राशि 55.00 लाख रखी गई है।

(4) जी हां। विभाग में पुजारी/सेवकों के 16 पद रिक्त हैं जो गत दो वर्षों से हैं। यह पद कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने से रिक्त हुए हैं। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.9 (1) वित्त/1/आय-व्यय/ 2001 दिनांक 13.6.2001 द्वारा किसी भी नई नियुक्ति से पूर्व वित्त विभाग की सहमति लेना आवश्यक है। विभाग द्वारा पदों को भरने की स्वीकृति हेतु प्रकरण नियमान्तर्गत वित्त/कार्मिक विभाग में विचाराधीन है।

(5) राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्मनिर्भर श्रेणी मन्दिरों के पुजारी की नियुक्ति के पश्चात् नियमित रूप से प्रशिक्षण दिये जाने का वैसे तो कोई प्रावधान नहीं है, परन्तु विभाग ने पुजारियों को हिन्दू शास्त्रों का आधारभूत ज्ञान कराने एवं सेवा पूजा पद्धति, धार्मिक उत्सवों आदि का पूर्ण प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से, जयपुर में पूजा प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से, जयपुर में पूजा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना वर्ष 1983 में की थी। उक्त प्रशिक्षण केन्द्र के मुख्य प्रशिक्षक को 800/- रुपये प्रतिमाह संवेदन पर पांच वर्ष के लिए अनुबन्धित किया गया था जिसकी अवधि 1.12.1988 को समाप्त हो गई। तत्पश्चात् पुजारियों के प्रशिक्षण का कोई नियमित कार्यक्रम संचालित नहीं किया गया।

हाल ही में दिनांक 28.11.2001 से 30.11.2001 तक वृन्दावन में पुजारियों के प्रशिक्षण की त्रिदिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

(6) प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मंदिरों में नियमित वेतन श्रृंखला के कर्मचारियों (पुजारी, सेवकों) को वेतन श्रृंखला 2550-3200 में वेतन व उस पर मिलने वाले अन्य भत्तों का नियमानुसार भुगतान किया जाता है।

इसी प्रकार आत्म निर्भर श्रेणी मंदिरों के पुजारियों को मिलने वाले वेतन व अन्य सुविधाओं का विवरण भी परिशिष्ट-2 में दर्शाया गया है।

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

वंशानुगत व अंशकालीन सेवकों को देय वेतन व अन्य सुविधा का विवरण परिशिष्ट–2 के कालम संख्या 7–9 में अंकित है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक ही सीधा सा प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय, यह बता दें...

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अभी उत्तर पूरा तो होने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : आपने भगवान की सेवा के लिए जो आदमी लगा रखे हैं उनको 300 रुपया महीना दे रहे हो, क्या उसको बढ़ायेंगे? और जो पद खाली पड़े हुए हैं, भगवान की सेवा पूजा नहीं हो रही है, आपने भगवान को माइनर माना है, उनको बच्चा माना है, उनको भूख लगती है बार-बार और 25-25, 30-30 पद खाली पड़े हैं पुजारियों के। वे भी एक-दो नहीं, 8-8 साल से खाली पड़े हैं। उनकी सेवा पूजा कौन कर रहा है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री रामस्वरूप : क्या आप उन पदों को भर देंगी? यह मेहरबानी करके आप बतायें।

तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि यह जो आपने बजट में 300 रुपये महीना और उनको 10 रुपए रोजाना सेवा पूजा के लिए दिया गया है, क्या इसको आप बढ़ायेंगे। एक तरफ सरकार मन्दिरों को ले रही है दूसरी तरफ जो मन्दिर हैं उनकी व्यवस्था खराब हो रही है। भगवान की सेवा पूजा नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये-बैठिये।

श्री रामस्वरूप : प्रश्न है सीधा मेरा।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री रामस्वरूप : इसलिए आप मेहरबानी करके बताएं कि कुछ बढ़ा रही हैं क्या भत्ता वगैरह उनका? खाली जगहों को भर रही हैं क्या? इसीलिए तो वर्षा नहीं हो रही है, भगवान भूखे सो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। आसन पैरों पर।

श्री रामस्वरूप : वर्षा नहीं हो रही है। भगवान भूखे सो रहे हैं। ये मंत्रीजी बैठी हुई हैं। भक्त बनती हैं और भगवान को भूखा सुला रही हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। बैठिये-बैठिये।

श्री रामस्वरूप : आप मेहरबानी करके कुछ तो कहो भगवान के बारे में।

श्री अध्यक्ष : बैठिए।

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, भगवान का मामला है। मन्दिरों में भगवान भूखे सो रहे हैं, पैसा उनको मिलता नहीं है और कोई सेवा पूजा नहीं करता, ताले लग रहे हैं मन्दिरों में। बड़ा भारी अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए रामस्वरूप जी मीणा।

श्री रामस्वरूप : इसीलिए देश में वर्षा नहीं हो रही है, अकाल पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रामस्वरूप : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

कोटा में पैराटीचर्स के चयन में अनियमितता की जांच

402. श्री प्रभुलाल (नैनवां) एवं श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के पैराटीचर्स के चयन में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर जिला कलक्टर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् तथा उप जिला प्रमुख, कोटा से जांच करवाई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला कलक्टर, कोटा ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के निदेशक को अर्द्धशासकीय पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि अनियमितताओं में प्रमुख भूमिका राज्य परियोजना कार्यालय से आये हुए एक अधिकारी की रही है अत: उसे दण्डित किया जाना चाहिए? उक्त कौन अधिकारी था और उसके विषय में क्या कार्यवाही की गई? जिला कलक्टर कोटा के उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जिस अधिकारी के बारे में जिला कलक्टर कोटा ने लिखा था उक्त पर निदेशक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ने क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या कार्यवाही अभी लम्बित है? यदि हां, तो कब तक पूरी होने की सम्भावना है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उक्त अधिकारी श्री उस्मान गनी है। जिला कलक्टर के अर्द्धशासकीय पत्र के आधार पर निदेशक डी.पी.ई.पी. द्वारा श्री गनी से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर व्यक्तिगत सुनवाई की गई जिसमें श्री गनी के निर्दोष पाए जाने पर प्रकरण समाप्त कर दिया गया।

कोटा जिला कलक्टर के पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) निदेशक, डी.पी.ई.पी. ने श्री गनी को उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण व व्यक्तिगत सुनवाई में निर्दोष पाया। अत: अग्रिम कार्यवाही आवश्यक न समझ कर प्रकरण समाप्त किया गया।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

आयुर्वेदिक औषधालय में चिकित्सकों का दोहरा पदस्थापन

404. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2001 से फरवरी, 2002 तक राज्य में वर्षवार कितने आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पदों पर दोहरा पदस्थापन रहा है? क्या एक चिकित्सक राज्य सरकार के आदेश से एवं दूसरा न्यायालय के स्थगन आदेश से एक ही औषधालय में रहा है? यदि हां, तो ऐसे चिकित्सकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समस्या के समाधान हेतु सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है? भविष्य में उक्त प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, के सम्बन्ध में क्या सरकार कोई नियम बनाने का विचार रखती है? उक्त में से कितने स्थगन आदेश निरस्त करवाए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2001 से फरवरी, 2002 तक आयुर्वेद विभागान्तर्गत संचालित 22 आयुर्वेद औषधालयों में, आयुर्वेद चिकित्सकों का दोहरा पदस्थापन रहा है।

जी हां। दोहरा पदस्थापन राज्यादेश व न्यायालय के स्थगन आदेश के फलस्वरूप रहा है। ऐसे चिकित्सकों की सूची परिशिष्ट ''क'' में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त समस्या दो प्रकार से उत्पन्न हुई है। अधिकांश दोहरा पदस्थापन सिविल सेवा अपील अधिकरण के क्रियान्विति स्थगन आदेश (Oparational stay) के फलस्वरूप है। सेवा अधिकरण के कार्यकलाप अधिनियम से संचालित होते हैं जिसका इस विभाग के पास नियंत्रण नहीं है। स्थगन आदेशों को अपास्त करवाने की कार्यवाही विभाग द्वारा जारी है। कुछ एक दोहरे पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से अथवा सम्बन्धित कार्मिकों की व्यक्तिगत समस्याओं से किये गये हैं। न्यायालय स्टे से उत्पन्न हुये दोहरे पदस्थापन की स्थिति का निराकरण, न्यायालय निर्णय के उपरान्त ही सम्भव हो सकेगा।

अब तक 6 प्रकरणों में अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण कर दिये जाने से स्थगन आदेश स्वत: ही निरस्त हो गए हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जावदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

405. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम जैन)

(2) क्या यह सही है कि रावत भाटा से जावदा की दूरी 60 किलोमीटर है और इस बीच किसी भी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं? क्या उक्त व्यवस्था उचित है?

(3) क्या सरकार ज्यादा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या डिस्पेंसरी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र की 30,000 तथा जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र की 20,000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाता है। प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। ग्राम जावदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

(3) वित्तीय वर्ष में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही ग्राम जावदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना सम्भव हो सकेगा।

(प्रति विधान सभा पुस्तकायल में रखी गयी)

चिन्हित बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास पर व्यय राशि

406. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1998 से फरवरी, 2002 तक राज्य में कुल कितने बन्धुआ मजदूरों को चिन्हित किया गया? वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 के दौरान राज्य के बजट में बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए कितनी कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान रखा गया? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त वर्षों में उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित राशि का उक्त वर्षों के अन्त तक उपयोग किया गया? यदि हां, तो कितना-कितना कब-कब और नहीं, तो क्यों एवं कितनी राशि अनुपयोगी रही? उक्त के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार ठहराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1998-99 से फरवरी, 2002 तक कुल 139 बंधुआ मजदूरों को चिन्हित किया गया। वर्षवार संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) वर्षवार राज्य बजट में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु प्रावधान की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

1. 1999-2000 रुपये 1.00 लाख
2. 2000-2001 रुपये 2.00 लाख

(3) वर्ष 2000-2001 में रुपए 5.30 लाख एवं वर्ष 2000-2001 में रुपए 1.63 लाख बंधक श्रमिक योजना मद एवं अन्य योजनाओं के मद अन्तर्गत पुनर्वास कार्यक्रम पर व्यय किये गये हैं। बंधक श्रमिक योजनान्तर्गत आबंटित राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के निजी निक्षेप खाते में जमा करा दी जाती है, यदि राशि अवशेष रहती है तो वह आगामी वर्षों में उपयोग में ले ली जाती है। अत: राशि अनुपयोगी रहने के लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति गढ़ी (बांसवाड़ा) के मन्दिरों का जीर्णोद्धार

407. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के अरथूना मन्दिर को पर्यटकीय दृष्टि से विकसित करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से 20 लाख की राशि स्वीकृत की है?

(2) उक्त राशि कब स्वीकृत हुई तथा स्वीकृति के लम्बे अन्तराल बाद भी मास्टर प्लान के मुताबिक कार्य शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं? अब उक्त कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

(3) उक्त जिले की पंचायत समिति गढ़ी के किन-किन मन्दिरों के जीर्णोद्धार व रख-रखाव के लिए जिला प्रशासन व जिला पर्यटन कार्यालय को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

(4) उक्त प्रस्तावों की स्वीकृति के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) लागू नहीं होता।

(3) जिला प्रशासन एवं जिला पर्यटन कार्यालय को निम्नांकित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

1. गढ़ी पंचायत समिति क्षेत्र में पाराहेड़ा मन्दिर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यकरण
2. मण्डलेश्वर शिवालय का संरक्षण हेतु, प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(4) उक्त प्रस्तावों की सीमित बजट प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिकता निर्धारित कर कार्यवाही पर विचार किया जाएगा।

छबड़ा (बारां) सब जेल के कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

409. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा), श्री मदन दिलावर (अटरू) एवं डा. रतन लाल जाट (बनेड़ा) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि छबड़ा (बारां) की सब जेल के कर्मचारियों की छबड़ा सब जेल में रह रहे कैदियों द्वारा शिकायतें की गई हैं? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारियों द्वारा कैदियों से मारपीट की जाती है?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2001 से मार्च, 2002 की अवधि में उप कारागृह, छबड़ा (बारां) के बन्दी रामकरण मीणा पुत्र लालजीराम मीणा द्वारा छबड़ा जेल के कर्मचारियों की शिकायत की थी।

1. बन्दी रामकरण द्वारा पोस्ट कार्ड दिनांक 18.11.2001 में बैल्ट नं. 8045 द्वारा उसे ग्वालियर भेजने, मार-पीट करने, पैसे सम्बन्धी शिकायत की गई थी।
2. बन्दी रामकरण द्वारा ए.सी.जे.एम. न्यायालय, छबड़ा में बाबूलाल यादव, प्रहरी नम्बर 1845 के विरुद्ध मारपीट करने, पैसा मांगने आदि की शिकायत की गई थी।

(2) जी नहीं। उप कारागृह, छबड़ा के कर्मचारियों द्वारा कैदियों से मारपीट किये जाने सम्बन्धी घटना की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

उपखण्ड बाड़ी (धौलपुर) में प्रस्तावित पशु चिकित्सालय

410. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला धौलपुर के उपखण्ड बाड़ी के डांग क्षेत्र में खेती योग्य भूमि नहीं होने से वहां के नागरिक पशुपालन पर निर्भर रहते हैं? उक्त के बावजूद डांग क्षेत्र में पशु औषधालय नहीं हैं? यदि हां, तो सरकार इस संदर्भ में क्या कदम उठा रही है?

(2) क्या सरकार उपखण्ड बाड़ी क्षेत्र में पशु औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) राज्य में कितने पशु चिकित्सालय/पशु उपकेन्द्र चिकित्सक व स्टाप पदस्थापित नहीं होने से बन्द हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में बाड़ी क्षेत्र में 7 पशु चिकित्सालय, 1 पशु औषधालय एवं 2 उपकेन्द्र कार्यरत हैं। जिनके माध्यम से पशु चिकित्सा टीकाकरण, जन चेतना शिविर, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण आदि का कार्य करवाया जा रहा है।

(2) जी नहीं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण पशु चिकित्सालय एवं पशु औषधालय खोलना सम्भव नहीं है।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

(3) राज्य में 25 पशु चिकित्सालय एवं 308 उपकेन्द्रों में पशु चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ का पदस्थापन नहीं होने के कारण कार्यशील नहीं है। कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति पश्चात् ही रिक्त पदों को भरा–जाना सम्भव होगा।

विधान सभा क्षेत्र जैतारण के विद्यालयों में रिक्त पद

412. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कितने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कितने-कितने पद कौनसी ग्रेड के स्वीकृत हैं? क्या उक्त सभी पदों पर अध्यापकगण कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो कितने-कितने पद रिक्त हैं और रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(3) राज्य में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/व्याख्याता के पदों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक किस वर्ष तक की हो चुकी है? क्या सरकार शेष वर्षों हेतु पदोन्नति समिति की बैठक कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में संचालित राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति इस प्रकार से है :-

विद्यालय का स्तर	विद्यालयों की संख्या		
	छात्र	छात्रा	योग
1. रा.मा.वि.	15	01	16
2. रा.उ.मा.वि.	04	02	06
कुल योग	19	03	22

विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट ''क'' में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) विद्यालयवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ''क'' में रख दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों हेतु आयोग को अर्थनाएं प्रस्तुत की जा चुकी हैं। सभी संवर्ग के पदों की डी.पी.सी. आयोजित करवाये जाने पर वर्तमान में रोक लगी हुई है। वरिष्ठ अध्यापक के सीधी भर्ती से नियुक्ति में कुछ आशार्थियों द्वारा माननीय न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है।

(3) प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक तथा व्याख्याताओं की डी.पी.सी. की स्थिति इस प्रकार से है :-

पदनाम	डी.पी.सी. वर्ष
प्रधानाचार्य	2000–2001
प्रधानाध्यापक	2000–2001
व्याख्याता	1999–2000

वर्तमान में सभी संवर्ग के पदों की डी.पी.सी पर रोक लगी हुई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

जिला कलक्टर अलवर द्वारा पटवारी/गिरदावरों के नियम विरुद्ध स्थानान्तरण

413. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर में कुल कितने पटवारी एवं गिरदावर हैं?

(2) क्या उक्त पटवारी एवं गिरदावरों के स्थानान्तरण के कोई नियम/कानून हैं? क्या उक्त नियमों के अन्तर्गत उक्त कर्मी स्थानान्तरित हो सकते हैं?

(3) क्या जिला कलक्टर अलवर द्वारा किये गये स्थानान्तरण नियमानुसार हैं? यदि नहीं, तो सरकार उक्त सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला अलवर में पटवारियों के 551 पद हैं, तथा गिरदावरों के 101 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 514 पटवारी एवं 88 गिरदावर वर्तमान में कार्यरत हैं।

(2) जी हां। साथ ही पटवारियों एवं गिरदावरों के स्थानान्तरणों हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश राज्य सरकार एवं राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा भी जारी किये जाते रहे हैं।

(3) जिला कलक्टर, अलवर द्वारा नियमानुसार स्थानान्तरण किये गये हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु जारी परिपत्र

729. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने परिपत्र क्रमांक प-15 (4) वित्त/नियम/2000 दिनांक 17-7-2000 पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना व समीक्षा न करने पर, अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए जारी किया था? उक्त परिपत्र जारी होने के बाद से अब तक किन-किन मामलों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा ब्याज की राशि देने के आदेश पारित किए गए तथा प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस मद से कब-कब किया गया और किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा पेंशन प्रकरणों के समय पर निस्तारण के लिए परिपत्र वित्त/कार्मिक/प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से जारी किए जाते हैं? क्या उक्त की अनुपालना सुनिश्चित करने की कोई प्रक्रिया भी निर्धारित है? क्या मुख्य सचिव स्तर पर कोई समीक्षा की जाती है? उक्त संबंध में जनवरी, 2000 से दिसम्बर, 2001 तक कब-कब समीक्षा की

(श्री संयम लोढ़ा)

गई तथा समीक्षा में क्या-क्या कमियां पाई गई? क्या दिनांक 14.8.2000 की बैठक में कोई निर्देश जारी किये गये? क्या उक्त निर्देशों की अब तक अनुपालना हुई? यदि नहीं, तो क्यों? निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के परिपत्र प. 1 (24) वित्त/जी एण्ड टी/98 दिनांक 25.9.1999 के तहत विभागाध्यक्ष स्तर पर पेंशन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी? क्या उक्त के तहत मासिक बैठक आयोजित किये जाने की व्यवस्था भी थी? उक्त परिपत्र की अनुपालना हेतु किस विभाग का उत्तरदायित्व है? वर्ष 2000-2001 में किन-किन विभागाध्यक्षों द्वारा समय-समय पर समीक्षा कर क्या कार्यवाही की गई तथा किन किन विभागाध्यक्षों ने समीक्षा ही नहीं की जिस पर सम्बन्धित शासन सचिवों द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त परिपत्र जारी होने के बाद विभिन्न न्यायालयों द्वारा ब्याज की राशि देने के आदेशों, राशि के भुगतान एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में विभागाध्यक्षों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा पेंशन प्रकरणों के समय पर निस्तारण के लिए परिपत्र वित्त/प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से जारी किए जाते हैं।

जी हां। मुख्य सचिव स्तर पर आवश्यकता होने पर समीक्षा की जाती है। दिनांक 14.8.2000 को मुख्य सचिव के द्वारा प्रमुख शासन सचिवों एवं सचिवों की एक बैठक ली गई जिसमें पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में भी समीक्षा की गई तथा समय पर भुगतान नहीं होने की समस्या पर विचार किया गया।

जी हां। मुख्य सचिव ने शासन सचिवों को पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु बैठक में निर्देश दिए थे। उक्त निर्देशों की पालना की जा रही है। निर्देशों की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के परिपत्र क्र.प1(24)वित्त/जीएण्डटी/98 दिनांक 25.8.1999 के तहत विभागाध्यक्ष स्तर पर पेंशन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी।

जी हां। उक्त परिपत्र की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित शासन सचिव/ विभागाध्यक्ष का है। उक्त परिपत्र के अनुसार पेंशन प्रकोष्ठ के सुचारू रूप से कार्य निस्तारण का रिव्यू समय-समय पर प्रशासनिक विभागों द्वारा अपने स्तर से ही सुनिश्चित किया जाना है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

कर वंचना रोकने के उपाय

730. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि अन्य प्रान्तों से आने वाली कर योग्य वस्तुओं पर रेल मर्तबे सैल टैक्स की भारी कर वंचना हो रही है? यदि हां, तो सरकार उक्त कर वंचना को रोकने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि व्यापारी इंटर स्टेट निजी ट्रेवल्स बसों से भी कर योग्य काफी वस्तुएं अन्य राज्य से लाकर कर वंचना करते हैं? क्या सरकार इसे रोकने हेतु कोई कदम उठा रही है?

(3) राज्य सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की हो रही उक्त कर वंचना को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा समय-समय पर चैकिंग कराई जाकर कर वंचना हेतु रोकने के प्रयास किए जाते हैं।

(2) इंटर स्टेट निजी ट्रेवल्स बसों की वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा समय-समय पर करापवंचन रोकने के लिए चैकिंग कराई जाती है। बिना दस्तावेजों के करापवंचन की नीयत से परिवहनित कर योग्य माल पर अभियोग बनाया जाकर नियमानुसार शास्ति वसूल की जाती है।

(3) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम और राजस्थान विक्रय कर नियम में करापवंचन रोकने के प्रावधान हैं। करापवंचन रोकने के लिए नियमित वृत्तों, प्रतिकरावंचन शाखा व उड़नदस्ता के अधिकारियों द्वारा चैकिंग की जाती है। राजस्थान विक्रय कर अधिनियम में 22.3.2002 को राज्य के बाहर से राज्य में आने वाले सामान एवं राज्य से राज्य के बाहर परिवहनित होने वाले सामान को राज्य में स्थापित चैक पोस्टों को छोड़कर करापवंचन की नीयत से परिवहनित करने पर माल की कीमत के 50 प्रतिशत शास्ति का प्रावधान किया गया है। साथ ही 1 मई, 2002 से राज्य के बाहर से राज्य के बाहर परिवहनित होने वाले माल के लिये ट्रांजिट पास की व्यवस्था की जा रही है। करवंचना को रोकने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग अपने स्तर पर विशेष अभियान चलाकर प्रयास करता रहता है।

गांधी नगर जयपुर स्थित राजकीय आवास

731. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में जयपुर शहर के गांधी नगर में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने राजकीय आवास हैं? उक्त आवासों में से कितने-कितने, किस-किस श्रेणी के आवास रिक्त हैं?

(श्री रामप्रताप)

(2) राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बनाये गये बहुमंजिले आवासों की वर्तमान में क्या स्थिति है? आबंटित आवास, रिक्त आवासों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त आवासों में प्राथमिकता के आधार पर विधान सभा सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय एवं लोकायुक्त के कर्मियों को आबंटित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार विधान सभा कर्मियों एवं अन्य सचिवालयों के कर्मियों की कार्य प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये प्राथमिकता के आधार पर वर्ष 2001 तक के लम्बित आशार्थियों को आवास आबंटित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में जयपुर शहर के गांधी नगर में राजकीय आवासों का विवरण श्रेणीवार निम्नानुसार है :-

श्रेणी	कुल आवास	सा.प्र.वि. पूल के आवास	सा.प्र.ति. पूल में रिक्त आवास	अन्य पूल के आवास	अन्य पूल के रिक्त आवास
प्रथम	62	45	–	17	–
द्वितीय	247	195	15	52	11
तृतीय	379	273	4	106	35
चतुर्थ	552	545	58	7	7
पंचम	416	406	6	10	10
एच टाइप	198	198	3	–	–
योग	**1854**	**1662**	**86**	**192**	**63**

(2) गांधी नगर स्थित नवनिर्मित बहुमंजिले आवासों में से तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी व पंचम श्रेणी के एक एक ब्लाक अगस्त, 2001 में प्राप्त हुये तथा शेष तीन-तीन ब्लाक दिसम्बर, 2001 में प्राप्त हुए। कुल निर्मित आवासों की संख्या आबंटित आवासों की संख्या व रिक्त आवासों की संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणी	कुल आवास	आबंटन	रिक्त आवास
तृतीय	80	75	5
चतुर्थ	88	30	58
पंचम	96	83	13
योग	**264**	**188**	**76**

(3) आबंटन नियमानुसार किए जाते हैं।

(4) जी नहीं। आबंटन नियमानुसार किए जाते हैं।

आबकारी अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित जांच

732. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) आबकारी विभाग के किन-किन अधिकारियों को सी.सी.ए. नियम 16/17 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिये गये जो अभी तक अनिर्णित/लम्बित हैं?

(2) उक्त आरोप पत्र किस-किस दिनांक को दिए गए तथा किस-किस दिनांक को किन-किन अधिकारियों को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया?

(3) उक्त में ऐसे कौन-कौन जांच अधिकारी हैं जिन्होंने निर्धारित समय अवधि में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है?

(4) उक्त आरोप पत्रों की जांच की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

(1) आबकारी विभाग के 12 अधिकारियों के विरुद्ध 12 जांच प्रकरण लम्बित हैं जिसकी सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) उक्त आरोप पत्रों को जारी करने की तिथियां तथा उसमें जांच अधिकारियों को तिथिवार नियुक्ति संलग्न परिशिष्ट ''क'' पर हैं।

(3) जांच पूर्ण होने की कोई समयावधि निर्धारित नहीं है। जब अभियोजन एवं बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत कर बहसपूर्ण कर ली जाएगी तो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है।

(4) 9 प्रकरणों में जांच अधिकारी के समक्ष जांच लम्बित है। शेष 3 प्रकरण में आरोपियों द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रत्यावेदन ''क'' पर प्रशासनिक विभाग की टिप्पणी ली जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति

733. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जून, 2000 में राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में चयन के लिए पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई थी? यदि हां, तो उक्त पदोन्नति के लिए क्या मानदण्ड एवं योग्यता रखी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों को वरिष्ठ होने के बाद भी पदोन्नति से वंचित कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति हेतु पुनरावलोकन चयन समिति की बैठक 25,26 जुलाई, 2000 को आयोजित की गई थी। उक्त चयन समिति द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियम, 1955 के नियम 5 (2) व 5 (3) के अनुसार राज्य पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी, जो 54 वर्ष से कम आयु के थे और जिन्होंने उप अधीक्षक पुलिस के स्तर की आठ वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर ली थीं, के नामों पर वरिष्ठता क्रमानुसार पदोन्नति हेतु विचार किया था।

(2) जी नहीं।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अन्य पिछड़े वर्ग के चयनित अभ्यर्थी

734. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राजकीय सेवाओं में कब से व कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है?

(2) राजस्थान प्रशासनिक सेवा में लोक सेवा आयोग द्वारा तहसीलदार सेवा में वर्ष 1993 से मार्च, 2002 तक वर्षवार किन-किन व्यक्तियों का चयन घोषित किया गया है? चयनित व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जाति, स्थाई व अस्थाई पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अधिसूचना दिनांक 28.9.1993 द्वारा राज्य सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के जरिए भरी जाने वाली रिक्तियों का 21 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित किया गया है।

(2) 1. राजस्थान प्रशासनिक सेवा में तहसीलदार सेवा से वर्ष 1993-94 से वर्ष 1998-99 तक की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, जाति एवं पते की सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

2. वर्ष 1996-97 में कोई रिक्तियां नहीं थी। वर्ष 1999-2000 एवं उससे आगे के वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध अभी तक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं हुई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बी.ई. डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा

735. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार एम.बी.बी.एस. डिग्रीधारी चिकित्सा अधिकारी की तरह बी.ई. डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं को भी राजपत्रित अधिकारी का दर्जा प्रदान करने

(श्री घासीलाल मेघवाल)

का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। चिकित्सा अधिकारी का पद राज्य सेवा का पद होने के कारण राजपत्रित है न कि पदधारी की योग्यता एम.बी.बी.एस. होने के कारण। समस्त विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता का पद राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा का है। अधीनस्थ सेवा के कतिपय पदों का उनके कार्य एवं जिम्मेदारी के मद्देनजर रखते हुए ही राजपत्रित घोषित किया जाता है। कनिष्ठ अभियन्ता के पद का कार्य व जिम्मेदारी ऐसी नहीं है कि उन्हें राजपत्रित अधिकारी घोषित किया जावे।

जिला अजमेर में सूखा दिवस को संचालित शराब की दुकानें

736. श्री कय्यूम खान (मसूदा) **:** क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अजमेर में वर्तमान में देशी व देश निर्मित विदेशी शराब का ठेका किस फर्म को दिया गया है? उक्त फर्म की कितनी वैध व अवैध शराब की दुकानें संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नियमानुसार सूखा दिवस पर दुकानें खुलती है? उक्त में से कौन-कौनसी दुकानें सूखा दिवस की पालना करती हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त के विरुद्ध उक्त सम्बन्ध में कोई कानूनी कार्यवाही होती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त सम्बन्ध में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला अजमेर में देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा का ठेका वर्ष 2001-2002 एवं 2002-2003 में निम्न व्यक्तियों के नाम स्वीकृत किया गया तथा संचालित दुकानों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार संलग्न है। विभाग की जानकारी में अवैध दुकानों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

वर्ष 2001-2002 के अनुज्ञाधारी

1. श्री देवेन्द्र मील पुत्र हजारीराम
2. श्री नीलेश कुमार पुत्र भीकम चन्द
3. श्री मनजीत सिंह पुत्र धर्मपाल चौधरी
4. श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र शिवराम सिंह
5. श्रीमती सुमन पत्नी पृथ्वीराज मील
6. श्रीमती कलावतीदेवी पत्नी राजाराम मील
7. श्रीमती मीरादेवी पत्नी दुलाराम मील
8. श्रीमती सुमित्रा पत्नी हेतराम मील

(आबकारी मंत्री)

9. श्रीमती मन्जू चौधरी पत्नी रामसिंह

10. श्रीमती झीमादेवी पत्नी शीशराम

11. श्री संजयसिंह पुत्र राजाराम मील

12. श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र जगनाथ भण्डारी

13. श्री विजयकुमार पुत्र रामनाथ

वर्ष 2002-2003 के अनुज्ञाधारी

1. श्री राजेश पारवानी पुत्र झांगीराम

2. श्री विजयकुमार टांक पुत्र सुरेन्द्र कुमार

3. श्री सुनीलकुमार जायसवाल पुत्र शिवचन्द

4. श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र जे.सी. भण्डारी

5. श्री देवेन्द्र मील पुत्र हजारीराम

(2) जी नहीं। वर्ष 2001-2002 में अजमेर जिले में ''सूखा दिवस'' को मदिरा दुकान खोलने सम्बन्धी कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है तथा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है।

(3) राज्य सरकार द्वारा घोषित ''सूखा दिवस'' पर मदिरा की दुकानें खोले जाने पर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(4) जी हां। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रमाणित शिकायत अथवा अभियोग प्रमाणित पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

737. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दांता ग्राम पंचायत गेगल पंचायत समिति श्रीनगर को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के और भी दूसरे ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों को? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील अजमेर के मूल राजस्व ग्राम ''आखरी'' के प्रस्तावित ग्राम ''दांता'' को नवीन राजस्व ग्राम बनाने का प्रस्ताव राजस्व मण्डल स्तर पर परीक्षणाधीन है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के 11 मजरे/ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव राजस्व मण्डल व जिला कलक्टर, अजमेर के स्तर पर परीक्षणाधीन है, जो निम्नप्रकार है :-

1. मोतीसर

2. गोयला

(राजस्व मंत्री)

3. कोठी

4. देदुला

5. बाडिया का बाला

6. खालसों का ढाणा

7. कोलियों का ढाणा

8. खापरी की डाग

9. ब्राह्मणों का बाडिया

10. देवली की डाग

11. डूंगाजी का बाडिया

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) के कुओं के पट्टे

738. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रशासन गांवों के संग अभियान में कुओं को काश्तकार के नाम पर लीज पर करने का अधिकार प्रभारी अधिकारियों को दिए जाने का विचार रखती है?

(2) क्या कुओं को नियमित करने का अलग-अलग प्रावधान था? तहसील मुख्यालय आसीन्द सहित उक्त क्षेत्र में कितने कुओं के पट्टे जारी हुए?

उत्तर

(1) जी, हां। प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान काश्तकारों द्वारा सरकारी भूमि पर निर्मित कुओं को उनके नाम नियमितीकरण करने के अधिकार सहायक कलक्टर (प्रभारी अधिकारियों) को दिए गये थे। इसके अन्तर्गत दिनांक 25.10.1979 के बाद निर्मित कुओं को अलाटमेंट आफ लैण्ड फार डिगिंग आफ वैल्स एण्ड इंस्टालेशन आफ पम्पिंग सैट्स फार इर्रिगेशन परपज रूल्स, 1979 के नियम 12 (क) के अन्तर्गत नियमन के अधिकार दिए गये थे।

(2) जी हां। राजस्व विभाग के पत्र संख्या प. 4 (10) राज–2/63 दिनांक 4.6.1965 के द्वारा दिनांक 4.6.1965 में पूर्व निर्मित कुओं को प्रति कुआं फीस के 25/- रुपये भुगतान के पश्चात् तहसीलदारों द्वारा सनद अथवा पट्टा जारी किये जाने के निर्देश दिए गये थे। 25.10.1979 से निर्मित कुओं को अलाटमेंट आफ लैण्ड फार डिगिंग आफ वैल्स एण्ड इंस्टालेशन आफ पम्पिंग सैट्स फार इर्रिगेशन परपज रूल्स, 1979 के नियम 12 (क) के अन्तर्गत नियमितीकरण उपखण्ड अधिकारी द्वारा करने का प्रावधान है। 4.6.1965 से 25.10.1979 की अवधि में सरकारी भूमि पर निर्मित कुओं के नियमन के आदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। आसीन्द तहसील में ग्रामीण क्षेत्र में कुल 86 कुओं के पट्टे जारी किए गए हैं।

ग्राम महसरा (अलवर) में आबंटित भूमि की शर्तों का उल्लंघन

739. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम महसरा तहसील तिजारा अलवर की आराजी खसरा नम्बर 446 में 13 बीघा भूमि का आबंटन श्रीमती अनारो देवी को शहीद सैनिक की आश्रिता होने के बतौर आबंटित की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि में से 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि का बेचान कर आबंटन की शर्तों का उल्लंघन किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त भूमि का आबंटन रद्द करने हेतु कोई वाद दायर किया है? यदि हां, तो वाद की नकल की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वाद कौनसी अदालत में कब दाखिल किया गया? उक्त वाद में क्या जवाब दावा पेश हो चुका है? यदि हां, तो जवाब दावे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त प्रकरण में राज्य सरकार शिथिलता बरत रही है? यदि हां, तो कौन अधिकारी जिम्मेदार है? क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम महसरा तहसील तिजारा की आ.ख.नं. 446 में रकबा 13 बीघा भूमि का आबंटन शहीद सैनिक की आश्रिता होने के नाते जिला कलक्टर अलवर द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व/भूआ/1202-6 दिनांक 6.4.1995 को श्रीमती अनारो देवी को किया गया।

(2) जी हां। आबंटी द्वारा आबंटित भूमि में से 5 बीघा 09 बिस्वा भूमि का बेचान किया गया है। जिसके विरुद्ध तहसीलदार तिजारा द्वारा रेफरेंस प्रकरण न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय), अलवर में दायर किया है। वाद की प्रति संलग्न है।

(3) रेफरेंस वाद न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय), अलवर के यहां दिनांक 17.11.2000 को दायर किया गया है। उक्त वाद में जवाब पेश नहीं हुआ है। श्रीमती अनारो देवी का फौत होना जाहिर किया गया है। वारिसान की तलबी की जा रही है।

(4) रेफरेंस प्रकरण न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) अलवर के यहां जैर तजबीज है। जिसमें नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में भूमिहीन कृषकों को भू-आबंटन

740. श्री अमीन खान (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रशासन गांवों के संग कार्यक्रम में जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कितने प्रस्ताव आबादी क्षेत्र बढ़ाने के प्राप्त हुए? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आबादी क्षेत्र के प्रस्ताव अनुसार कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रशासन गांवों के संग प्रोग्राम में कितने भूमिहीन अतिक्रमियों के कब्जे जिला बाड़मेर में नियमित किए गए और कितने आबंटियों को खातेदारी दी गई? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ''प्रशासन गांवों के संग'' कार्यक्रम में जिला बाड़मेर में 337 व जिला जैसलमेर में 178 प्रस्ताव आबादी बढ़ाने के प्राप्त हुए हैं। पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है :-

जिला	पंचायत समिति	प्राप्त प्रस्ताव
1	2	3
बाड़मेर	बालोतरा	61
	शिव	89
	सिवाना	46
	बाड़मेर	59
	चौहटन	6
	सिणधरी	15
	बायतू	38
	धोरीमन्ना	23
जैसलमेर	जैसलमेर	29
	सम	71
	सांकड़ा	78

(2) जिला बाड़मेर में 63 एवं जिला जैसलमेर में 73 प्रस्ताव आबादी विस्तार हेतु स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी पंचायत समितिवार सूचना निम्नानुसार है :-

जिला	पंचायत समिति	स्वीकृत मामले
बाड़मेर	बालोतरा	21
	शिव	7
	सिवाना	-
	बाड़मेर	12
	चौहटन	2
	सिणधरी	2
	बायतू	14
	धोरीमन्ना	5
जैसलमेर	जैसलमेर	8
	सम	16
	सांकड़ा	49

(राजस्व मंत्री)

(3) प्रशासन गांवों के संग प्रोग्राम में भूमिहीन अतिक्रमियों के कब्जे नियमित किए गये एवं आबंटियों को खातेदारी दी गई, का पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है :-

पंचायत समिति	अतिक्रमियों के कब्जे नियमित किये गये	आबंटियों को खातेदारी प्रदान की गई
बालोतरा	23	166
शिव	226	79
सिवाना	-	50
बाड़मेर	114	20
चौहटन	-	88
सिणधरी	24	-
बायतू	15	6
धोरीमन्ना	40	7
कुल योग	442	516

मन्दिर श्री सीताराम जी हरध्यानपुरा (जयपुर) के नाम दर्ज माफी भूमि का विक्रय

741. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मन्दिर श्री सीताराम जी हरध्यानपुरा (बगरू) जिला जयपुर के नाम दर्ज माफी भूमि का विक्रय कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विक्रय पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मन्दिर माफी की भूमि को विक्रय नहीं किया जा सकता? यदि हां, तो उक्त विक्रय पत्र का क्या औचित्य है?

(3) क्या यह सही है कि मन्दिर की महातमी जिसके नाम हुई है उसके स्थान पर अन्य का व्यवस्थापक के रूप में दर्ज नाम को दुरुस्त कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विक्रय पत्र अनुसार धरू खर्च वास्ते विक्रय किया गया। विक्रय पत्र की फोटो प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

(3) जी हां। दर्ज इन्द्राज को दुरुस्त किया जाकर मन्दिर श्री सीताराम जी के नाम दर्ज कर दिया गया है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील मलारना डूंगर (सवाईमाधोपुर) के ग्राम नीमोद करेल में श्मशान हेतु भू-आबंटन

742. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर की तहसील मलारना डूंगर के ग्राम नीमोद करेल के खसरा नम्बर 304 गैर मुमकिन सिवाय चक रकबा तीन बीघा भूमि श्मशान हेतु आबंटित की गई थी? यदि हां, तो आबंटन पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि क नामान्तरण खोले जाने हेतु जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1480 दिनांक 22.4.1999 को तहसीलदार मलारना डूंगर को निर्देश देते हुए अनुपालना रिपोर्ट मांगी थी? यदि हां, तो कलक्टर के पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त की पालना कब की गई?

उत्तर

(1) जी हां। सवाईमाधोपुर की तहसील मलारना डूंगर के ग्राम नीमोद (करेल) की ख.नं. 403 की किस्म गै.मु. तलाई में से 3 बीघा भूमि श्मशान हेतु सेट अपार्ट की गई थी। आबंटन/सेट अपार्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी हैं।

(2) जी हां। प्रति संलग्न है। सेट अपार्ट की गई भूमि का नामान्तरकरण संख्या 562 दिनांक 19.9.2000 खोला गया और मुताबिक नामान्तरकरण जमा बन्दी सम्वत् 2050-53 में अंकन किया गया। आरक्षित भूमि का उपयोग श्मशान हेतु किया जा रहा हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम तलाव एवं श्योसिंहपुरा (दौसा) में भूतपूर्व जागीरदार के नाम दर्ज भूमि का मुआवजा

743. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील लालसोट जिला दौसा के ग्राम तलाव एवं श्योसिंहपुरा में श्री नारायण पुरोहित भूतपूर्व जागीरदार के नाम जागीर की भूमि दर्ज थी? यदि हां, तो सूची ग्राम का नाम, रकबा व खसरा नं. सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जागीरदार के पौत्र श्री हरिनारायण पुरोहित को उक्त जागीर के विरुद्ध मुआवजा/मातमी राशि का भुगतान करने एवं खुद/काश्त भूमि आबंटन करने का प्रकरण विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से? उक्त प्रकरणों पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(3) क्या यह सही है कि उक्त गांवों के भूतपूर्व जागीरदार के असली वारिस के स्थान पर अन्य को नियमानुसार मिलने वाले लाभ दे दिए जाने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? क्या यह भी सही है कि असली वारिस द्वारा प्रस्तुत सबूतों की जांच नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों? अब उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही कर दी जाएगी?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि तहसील लालसोट जिला दौसा के ग्राम श्योसिंहपुरा में श्री नारायण पुरोहित भू.पू. जागीरदार के नाम खतौनी बन्दोबस्त संख्या 2009 से 2022 के अनुसार 108 बीघा 9 बिस्वा भूमि दर्ज है। ग्राम तलाव में कोई भूमि भूतपूर्व जागीरदार के नाम दर्ज नहीं है। ग्राम श्योसिंहपुरा की भूमि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। यह सही है कि भू.पू. तहसीलदार के असली वारिस के स्थान पर अन्य व्यक्ति को नियमानुसार मिलने वाले मुआवजे की राशि दिए जाने के सम्बन्ध में भू.पू. जागीरदार के वारिस श्री हरिनारायण पुरोहित द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्राप्त हुई। यह सही नहीं है कि भू.पू. जागीरदार के असली वारिस द्वारा प्रस्तुत सबूतों की जांच नहीं की गई। बल्कि प्रस्तुत सबूतों की जांच की जाकर प्रार्थी श्री हरिनारायण को नियमानुसार मिलने वाले मुआवजे की राशि मय ब्याज के भुगतान किया जा चुका है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

ग्राम तोलियासर तहसील सुजानगढ़ में आम रास्तों पर अतिक्रमण

744. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील सुजानगढ़ के ग्राम तोलियासर में ग्रामवासियों ने आम रास्तों पर बाड़ खिसका कर अवैध रूप से रास्तों को सकड़ा कर रखा है? क्या सरकार उक्त अवैध कब्जों को हटाकर चौड़ा रास्ता कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तोलियासर से राजियासर जाने वाले पुराने रास्ते पर श्री डालमचन्द पुत्र श्री मावाराम ने अपने बाड़े की बाड़ खिसका कर रास्ते को सकड़ा कर रखा है? क्या उक्त से आम व्यक्ति को आने-जाने में भारी परेशानी होती है तथा गांव की हरिजन बस्ती का भी यही रास्ता है? क्या सरकार उक्त अवैध बाड़ को हटाकर कब्जेधारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री यशवंत सिंह (रामू)

(3) क्या उक्त रास्ते की बाड़ खिसकाने पर हल्का पटवारी ने तहसीलदार सुजानगढ़ को अवैध कब्जे की रिपोर्ट दर्ज करवाई है? यदि हां, तो अब तक उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त पटवारी के विरुद्ध कोई नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या तथा कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गांव में हरिजन बस्ती में रामदेवजी के मन्दिर के पास रास्ते में पानी की टंकी श्री डालचन्द पुत्र श्री मावाराम ने हरिजनों को डराकर मुख्य रास्ते पर बनाई है? क्या उक्त टंकी बिना विभाग की अनुमति के बनाई गई? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम तोलियासर कर आबादी सीमा में किसी प्रकार का अवैध रूप से रास्ते सकड़े नहीं किए हुए हैं, आवागमन में सभी रास्ते निर्धारित सीमा तक खुले हैं, किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(2) ग्राम तोलियासर से राजियासर जाने वाले रास्ते पर श्री डालचन्द का किसी प्रकार का कब्जा नहीं है तथा न ही रास्ते को सकड़ा कर रखा है। उक्त रास्ते से आवागमन में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) चूंकि रास्ते पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध कब्जा नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में अवैध कब्जे की रिपोर्ट दर्ज कराने का औचित्य नहीं है।

(4) उक्त रास्ते में रास्ते से हटकर रामदेवजी का मन्दिर न होकर एक रामदेवजी का खेजड़ा (पेड़) है तथा उससे चिपती हुई पानी की टंकी है, जो जलदाय विभाग द्वारा बनवाई हुई है। दोनों ही रास्तों से हटकर चिपते हुए हैं। रास्ते में आवागमन में कोई बाधा नहीं है। टंकी में अभी तक जल सम्बन्ध नहीं हुआ है और न ही कहीं पाइप लाइन डाली हुई है।

उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ (प्रथम) के भूमिहीन कृषकों को भू-आबंटन

745. श्री रूपाराम (डीडवाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ (प्रथम) "ए" में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 3 (14) राज. उप/82 दिनांक 24.8.1984 को 5320 हैक्टेयर भूमि तथा पत्र क्र.प. 3

(श्री रूपाराम)

(11) 34/2001 दिनांक 9.4.2001 को 168 मुरब्बा (1020 हैक्टेयर) 26, 27 व 36 पी.डी. व अन्य चकों में चूरू, नागौर तथा जोधपुर के भूमिहीन किसानों के लिए आरक्षित भूमि को बार-बार डि-रिजर्व क्यों किया गया? उक्त में सक्षम पेंडिंग पत्रावलियों को आबंटन क्यों नहीं किया गया?

उत्तर

उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ़ (प्रथम) में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 3 (94) राज/उप/82 दिनांक 24.4.1984 से 12500 एकड़ तथा राज्यादेश क्रमांक प. 3 (11) उप/2001 दिनांक 9.4.2001 से 4017 बीघा भूमि चूरू, नागौर तथा जोधपुर जिले के आबंटियों को आबंटित भूमि के तबादले में अन्य सिंचित भूमि आबंटन हेतु आरक्षण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। राज्यादेश दिनांक 24.8.1984 से आरक्षित 12500 एकड़ (5060 हैक्टेयर) भूमि की पालना में 2024 हैक्टेयर भूमि का ही आरक्षण किया गया और इस आरक्षित भूमि में से वर्ष 1997 तक केवल 522 हैक्टेयर भूमि का ही आबंटन हो पाया था। वर्ष 1997-98 के पश्चात् इन जिलों के आबंटियों के भूमि विनिमय में देने के प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं होने से शेष 1502 हैक्टेयर भूमि को आरक्षण से मुक्त किया गया।

तत्पश्चात् राज्यादेश दिनांक 9.4.2001 से 4017 बीघा (1022 हैक्टेयर) भूमि और आरक्षित की गई। किन्तु उक्त भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य सक्षम व्यक्तियों को आबंटन करने हेतु आदेश 10.7.2001 द्वारा आरक्षित की गई। चूरू, नागौर, जोधपुर के आबंटियों को विनिमय में भूमि आबंटन करने के सम्बन्ध में जांच पूर्ण होने पर भूमि आरक्षण कर आबंटन की कार्यवाही की जा सकेगी।

उपनिवेशन तहसील पूगल व छत्तरगढ़ के भूमिहीन कृषकों के लम्बित आवेदन पत्र

746. **श्री हबीबुर्रहमान** (मूण्डवा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1975 व 1983 में जिला नागौर, चूरू व जोधपुर के भूमिहीनों को उपनिवेशन तहसील पूगल व छत्तरगढ़ में कमाण्ड भूमि आबंटन हेतु आवेदन मांगे थे?

(2) क्या उक्त भूमि उक्त आवेदन-कर्ताओं को आबंटित कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1975 में जिला नागौर, चूरू व जोधपुर के भूमिहीनों को पूगल व छत्तरगढ़ उपनिवेशन तहसील क्षेत्र में कमाण्ड भूमि आबंटन हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए गये थे।

(राजस्व मंत्री)

(2) उपरोक्त आवेदनकर्त्ताओं को उपनिवेशन तहसील पूगल व छत्तरगढ़ में भूमि आबंटित की गई है। तहसील छत्तरगढ़ के शेष आवेदकों को 1987 में भू-आबंटन पर रोक लग जाने से भू-आबंटन नहीं हो सका है।

भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि का आबंटन

747. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकतम कृषि भूमि पर सीमा सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत कब-कब कुल कितनी भूमि अधिगृहीत करने का लक्ष्य रखा गया था?

(2) राज्य में अब तक उक्त कानून के अन्तर्गत कुल कितनी भूमि सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अधिगृहीत भूमि कितने भूमिहीन व्यक्तियों को आबंटित की गई है?

(4) भूमि अधिग्रहण के निर्धारित लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त किये जा सके? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी (भूमि पर अधिकतम सीमा का नियमन) नियम, 1963 एवं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के तहत 607210.82 एकड़ अधिशेष घोषित भूमि को अधिग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया था।

(2) उक्त अधिशेष घोषित भूमि में से सरकार द्वारा 552076.76 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है जिसकी जिलेवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) उक्त अधिगृहीत भूमि में से 488961.57 एकड़ कृषि योग्य भूमि है जिसमें से 441451.77 एकड़ भूमि 77955 व्यक्तियों को आबंटित की गई है।

(4) कुल अधिशेष घोषित 607210.82 एकड़ भूमि में से 55134.06 एकड़ भूमि अधिग्रहण से शेष है क्योंकि 37966.61 एकड़ भूमि के प्रकरण विभिन्न राजस्व न्यायालयों में तथा 9599.77 एकड़ भूमि के प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एवं 1991.00 एकड़ भूमि के प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। शेष 5576.68 एकड़ भूमि विभिन्न कारणों से अधिग्रहण नहीं की जा सकी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में भू-प्रबन्ध कार्य

748. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कपा करेंगे :-

(श्री हीरालाल सहरिया)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में भू-प्रबन्ध सम्वत् 2016 में किया गया था जो सम्वत् 2020 में प्रभावशील हुआ?

(2) क्या विगत 38 वर्षों में यहां की तहसीलों का भू-प्रबन्ध कार्य नहीं होने से काश्तकारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो भू-प्रबन्ध कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार अब तहसील किशनगंज व शाहबाद में भू-प्रबन्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की तहसील किशनगंज में अवधि भू-प्रबन्ध सम्वत् 2016-2035 एवं तहसील शाहबाद में अवधि भू-प्रबन्ध 2020-2039 निश्चित की गई।

(2) तहसील किशनगंज की अवधि भू-प्रबन्ध संख्या 2016 से 2035 एवं शाहबाद की अवधि भू-प्रबन्ध सम्वत् 2020 से 2039 निर्धारित की गई थी। इस प्रकार तहसील किशनगंज को अवधिपार हुए 23 वर्ष एवं शाहबाद को अवधिपार हुए 19 वर्ष हुए हैं।

समय के अन्तराल में भूमि के उपयोग आदि में परिवर्तन आने के कारण मौके की स्थिति में परिवर्तन सम्भव है, जिससे काश्तकारों को समय पर सर्वे नहीं होने के कारण परेशानी होना स्वाभाविक है। उक्त तहसीलों की तरमीम आदि की समस्याओं के निराकरण बाबत समय-समय पर भू-प्रबन्ध विभाग का स्टाफ लगाया गया है तथा जिन 52 ग्रामों के नक्शे जीर्ण-शीर्ण हो गये थे, उन्हें भी भू-प्रबन्ध विभाग से तैयार करवा दिया गया है।

भू-प्रबन्ध विभाग के पास सीमित स्टाफ एवं सीमित संसाधन होने के कारण समय पर सर्वेक्षण कार्य सम्भव नहीं हो पाता है।

(3) राज्य में कई तहसील ऐसी हैं, जिन्हें तहसील किशनगंज एवं शाहबाद से भी अधिक का अवधिपार समय हो गया है। भू-प्रबन्ध-विभाग के पास उपलब्ध संसाधन एवं स्टाफ को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा।

जिला कोटा के विचाराधीन तहसील उप मुख्यालय

749. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1960-65 में तहसीलों की संख्या कम की गई थी? उक्त में जिला कोटा में कौन-कौन सी तहसील मुख्यालय को बदलकर दूसरी तहसील

(श्री हेमन्त कुमार)

में मिलाया गया। क्या तहसील मुख्यालय हटाया गया वहां पर उप तहसील कार्यालय खोले गये? यदि हां, तो कहां-कहां कार्यालय खोले गये तथा कहां पर अभी तक कोई कार्यालय नहीं खोले? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जहां उप मुख्यालय नहीं खोले गये वहां कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में मितव्ययता की दृष्टि से वर्ष 1960-65 में कुछ तहसीलों को समाप्त किया गया था। जिला कोटा में निम्न तहसीलों को समाप्त कर दूसरी तहसीलों में सम्मिलित किया गया:

1. बडौदा
2. चेचट
3. कनवास
4. इटावा
5. अन्ता
6. खैराबाद

कनवास एवं चेचट में उप तहसीलें तथा अन्ता में तहसील स्थापित की जाकर अधिसूचना दि. 10.1.1996 को जारी की गई है।

शेष स्थान बडौद, इटावा, एवं खैराबाद में उप तहसील अथवा तहसील स्थापित नहीं की गई है।

(2) राज्य में जब नई तहसील/उप तहसील बनाने पर विचार किया जावेगा, तब इस संबंध में भी विचार कर लिया जावेगा।

जिला धौलपुर के बाड़ी शहर में अल्पसंख्यकों की भूमि पर अतिक्रमण

750. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बाड़ी शहर जिला धौलपुर के अल्पसंख्यकों की जमीन पर असामाजिक व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

नगरपालिका क्षेत्र बाड़ी में अल्पसंख्यकों की जमीन पर असामाजिक व्यक्तियों का कोई कब्जा नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र भीनमाल (जालौर) तहसील बागोड़ा में कुओं के नियमितीकरण के लम्बित आवेदन पत्र

751. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल (जालौर) के तहसील बागोड़ा में ''प्रशासन

(डा. समरजीत सिंह)

गांवों के संग 2001'' अभियान में कितने आवेदन पत्रों पत्र बेरों (कुओं) के नियमितीकरण हेतु प्राप्त हुए? सूची मय आवेदनकर्ता के नाम व ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने कुओं का नियमितीकरण अभियान में किया गया व कितनों का नहीं किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन बेरों (कुओं) का नियमितीकरण नहीं किया गया उसके क्या कारण रहे? क्या सरकार निकट भविष्य में उक्त काश्तकारों की रही कमियों को पूरा करवा कर नियमितीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ''प्रशासन गांव के संग 2001'' अभियान के तहत विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के तहसील बागोड़ा में कुआं नियमितीकरण का कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) कुआं नियमितीकरण का कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने से सूचना शून्य है।

(3) सूचना शून्य है।

नगर परिषद् सीमा क्षेत्र अजमेर में पड़त भूमि की विचाराधीन योजना

752. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद्, अजमेर सीमा क्षेत्र में राजस्व विभाग के आधिपत्य की कुल कितनी भूमि खाली/पड़त है? नक्शा मय क्षेत्रफल के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पड़त भूमि के उपयोग की विभाग की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना शून्य समझी जावे।

(2) सूचना शून्य समझी जावे।

श्री भरतराम मोरदिया स्मारक न्यास का लम्बित आवेदन पत्र

753. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 4.11.2001 को ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा के लिये बाजार मूल्य की 25 प्रतिशत कीमत पर भूमि आबंटित करने सम्बन्धी विज्ञापन सरकार द्वारा प्रकाशित कराया गया है? यदि हां, तो उक्त के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(श्री मोहन लाल बारूपाल)

(2) वर्तमान में सरकार के पास उक्त प्रकार की भूमि आबंटन के लिये कितनी दरखास्तें लम्बित हैं? क्या उक्त में श्री भरतराम मोरदिया स्मारक न्यास (रजि.) का प्रार्थना पत्र भी लम्बित है?

(3) उक्त प्रार्थना पत्र के लम्बित रहने के क्या कारण हैं और तकनीकी शिक्षा के लिये 25 प्रतिशत भुगतान के आधार पर जो आबंटन योग्य भूमि है वह कब तक आबंटित कर दी जाएगी?

उत्तर

(1) राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 4.11.2001 को कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6 (13) राज/6/91/पार्ट–1/24 दिनांक 22.12.2001 से यह निर्णय लिया गया है कि अगर कोई संस्था नि:शक्तजनों के शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण के लिए भूमि आबंटन कराना चाहती है तो उससे कीमत की 25 प्रतिशत राशि प्रीमियम के रूप में ली जावें।

(2) जिला कार्यालय अलवर में उक्त प्रकार के तीन प्रकरण लम्बित हैं, जिसमें श्री भरतराम मोरदिया स्मारक न्यास का प्रकरण भी सम्मिलित हैं।

(3) उक्त प्रार्थना पत्रों में श्री भरतराम मोरदिया न्यास के विरुद्ध ग्रामीणों द्वारा आपत्ति किए जाने एवं ग्राम पंचायत हीराला, पंचायत समिति थानागाजी द्वारा समय पर अनापत्ति नहीं दिये जाने के कारण लम्बित रहा है तथा शेष दो प्रकरण आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण नहीं करने के कारण लम्बित हैं।

ग्राम खोखाला (जयपुर) की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

754. श्री आदराम मेघवाल (टीब्बी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील बस्सी (जयपुर) के ग्राम खोखाला की भूमि खसरा नं.–55 क्या चरागाह भूमि है? यदि हां, तो भूमि का क्षेत्रफल कितना है?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त चरागाह भूमि पर श्री कजोड़, श्री गणपत, श्री रामेश्वर, श्री सीताराम, श्रीरामराय, श्री बाबूलाल, श्री शंकर निवासी खोखाला ने अतिक्रमण कर रखा है?

(3) क्या सरकार ने उक्त अतिक्रमणियों को बेदखल करने के नोटिस जारी किये है? यदि हां, तो कब-कब और नहीं, तो क्यों? जारी नोटिस की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त चरागाह भूमि से अतिक्रमियों को बेदखल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री आदराम मेघवाल)

(5) क्या सरकार उक्त भूमि पर अतिक्रमण होने के सम्बन्ध में हल्का पटवारी एवं अमीन, द्वारा अब तक वस्तु स्थिति से राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 6(12) राज. 6/2001/6 दिनांक 13.8.2001 के तहत जारी निर्देश के तहत अवगत नहीं करने के सम्बन्ध में उक्त को दोषी मानती है? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो अब कब तक कार्यवाही करने का विचार हैं?

उत्तर

(1) तहसील बस्सी (जयपुर) के ग्राम खोखावाला की भूमि ख. नं.-55 मुताबिक राजस्व रेकार्ड के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। भूमि का क्षेत्रफल 61 बीघा 12 बिस्वा है।

(2) मुताबिक राजस्व रेकार्ड के अनुसार उक्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। अतिक्रमी श्री कजोड़, श्री गणपत, श्री रामेश्वर, श्री सीताराम, श्री रामनाथ, श्री बाबूलाल, श्री शंकर का मौके पर रेवड़ी (गोबर) एवं बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर रखा है तथा इनमें श्री कजोड़ ने पुख्ता मकान बनाकर आंशिक रूप से अतिक्रमण कर रखा है।

(3) चूंकि भूमि जे.डी.ए. के खाते में दर्ज है। जे.डी.ए. के नियमों के अन्तर्गत बेदखल कार्यवाही की जाती है। इस सम्बन्ध में जे.डी.ए. द्वारा ही बेदखल किया जाना अपेक्षित है।

(4) उक्त भूमि जे.डी.ए. के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अत: अतिक्रमियों को मौके से बेदखल जे.डी.ए. द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है।

(5) चूंकि भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से रेकार्ड में दर्ज है, जिसमें भूमि रूपान्तरण अथवा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार की जाती है।

वक्फ बोर्ड जयपुर में कनिष्ठ लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद

755. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम): क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वक्फ बोर्ड, जयपुर में वर्षो से कनिष्ठ लिपिकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि 5 वर्ष पूर्व उक्त पदों को भरा गया था? यदि हां, तो क्या उक्त में से कुछ लोगों को हटा दिया गया था? यदि हां, तो क्यों?

(श्री रामस्वरूप)

(4) क्या सरकार उन्हें पुनः सेवा में लेने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि वक्फ बोर्ड, जयपुर में कनिष्ठ लिपिकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं।

(2) कनिष्ठ लिपिकों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कोई पद रिक्त नहीं होने के कारण उन्हें भरने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(3) यह सही है कि 5 वर्ष पूर्व बिना पद सृजन किये 13 कार्मिकों को कनिष्ठ लिपिक तथा कार्मिक को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में रखा गया था।

उक्त 13 कनिष्ठ लिपिकों व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिनांक 13.9.2000 को हटा दिया गया।

(4) सरकार उन्हें पुनः सेवा में लेने का विचार नहीं रखती। क्योंकि कनिष्ठ लिपिकों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त नहीं है।

कृषि क्षेत्र के लिये आबंटित बजट राशि

756. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1996-97 से 2000-2001 तक सरकार ने कृषि के लिये प्रत्येक बर्ष कितनी-कितनी राशि बजट में रखी और उक्त में से कितनी-कितनी राशि विभाग को उपलब्ध कराई गई जिसमें से कितनी-कितनी राशि वास्तव में व्यय हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में कृषि क्षेत्र के बजट में कमी व वृद्धि की गई? यदि हां, तो कितनी-कितनी? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में राज्य के कुल बजट का कितने प्रतिशत हिस्सा रहा है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1996-97 से 2000-2001 तक कृषि क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराई आबंटित मूल एवं संशोधित राशि और उक्त में से व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में कृषि क्षेत्र हेतु बजेट मद में कमी व वृद्धि का विवरण उक्त परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) उक्त क्षेत्र में वर्ष 2001-2002 में कृषि क्षेत्र हेतु कुल बजट के मूल प्रावधान का 2.19 एवं संशोधित बजट प्रावधान का 2.64 प्रतिशत था। वर्षवार विवरण उक्त परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) चिड़ावा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत

757. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि श्री विरेन्द्र कुमार जैन, तत्कालीन सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) चिड़ावा के विरुद्ध कृषि निदेशालय, जयपुर द्वारा दिनांक 7.5.1999 व दिनांक 6.9.1999 तथा 29.9.1999 द्वारा संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड, जयपुर को उप शासन सचिव, कृषि विभाग के निर्देशों के अनुसार उक्त सहायक कृषि अधिकारी व अन्य के विरुद्ध शिकायत की जांच प्रकरण भिजवाया गया था? क्या जांच प्रतिवेदन अतिशीघ्र के निर्देश दिए गए थे? यदि हां, तो उक्त जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखने हेतु संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला नागौर के कृषकों द्वारा संकर अरण्डी के बीजों का रिग्रेडिंग प्रार्थना पत्र

758. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा संकर अरण्डी का बीज उत्पादन हेतु नर और मादा आधार पर बीज दिया गया था? यदि हां, तो क्या वे दोनों बीज जी.ओ.टी. में सब स्टैंडर्ड थे?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उत्पादित बीज की ग्रेडिंग होने पर सब स्टैंडर्ड घोषित किया गया? यदि हां, तो क्या जिला नागौर के उक्त अरण्डी उत्पादक किसानों द्वारा रिग्रेडिंग की प्रार्थना की गई? यदि हां, तो रिग्रेडिंग क्यों नहीं किया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1999-2000 के दौरान जिला नागौर में ग्वार का उत्पादन किया गया था? यदि हां, तो रिग्रेडिंग के आदेश होने के बावजूद भी अभी तक रिग्रेडिंग नहीं किया गया? अब कब तक रिग्रेडिंग कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा संकर अरण्डी बीज उत्पादन हेतु नर व मादा आधार बीज पंजीकृत बीज उत्पादकों को उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ष खरीफ 2000 में उपलब्ध करवाया गया नर आधार बीज जी.ओ.टी. में मानक था परन्तु मादा बीज अमानक पाया गया।

(2) जिला नागौर के कुल 17 किसानों द्वारा अरण्डी बीज का उत्पादन किया गया जिसके कुल 21 लॉट बनाये गये इनमें से 10 लॉट समस्त मापदण्डों पर मानक घोषित किये जाने पर स्वीकार किये गये। 7 लॉट जी.ओ.टी. में अमानक

(कृषि मंत्री)

पाये गये एवं नियमानुसार इनकी रिग्रेडिंग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। 2 लॉट अकुंरण प्रतिशत में अमानक पाये गये, जिनकी भी प्राप्त काफी कम अंकुरण क्षमता को देखते हुए रिग्रेडिंग करने का औचित्य नहीं था। शेष दो लॉट जी.ओ.टी. में मानक पाये गये एवं एस.टी.एल. रिपोर्ट के अनुसार भौतिक शुद्धता के कारण अवमानक पाये गये इनकी रिग्रेडिंग करवाई जाकर पुनः एस.टी.एल. दुर्गापुरा से जांच करवाई गई, जिसमें ये लॉट मानक पाये गये।

(3) जी हां। केवल एक लॉट का पुनः विधायन नहीं किया गया। बीज की मांग के कारण समस्त अवमानक पाये गये बीज को निगम द्वारा बीज उत्पादक से बतौर सत्य चिन्हित बीज क्रय किया गया एवं किसी भी बीज उत्पादक का बीज निगम द्वारा काश्तकारों को लौटाया नहीं गया।

पंचायत समितिवार कार्यरत चिकित्सक

759. **श्री रामलाल जाट** (बनेड़ा): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में राज्य में पंचायत समितिवार कुल चिकित्सा संस्थाओं की संख्या क्या है?

(2) राज्य में पंचायत समितिवार कुल कितने चिकित्सक कार्यरत हैं तथा अस्पतालों में मरीजों के कितने बैड उपलब्ध हैं?

उत्तर

(1) पंचायत समितिवार चिकित्सा संस्थाओं की कुल संख्या परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) राज्य में पंचायत समितिवार कार्यरत चिकित्सक एवं अस्पतालों में मरीजों के लिए स्वीकृत शैय्याओं की संख्या परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उप स्वास्थ्य केन्द्र बागडौली (सवाईमाधोपुर) के पुराने भवन का हस्तान्तरण

760. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर ने अपने पत्रांक प. 25 (5)/विकास/435 दिनांक 20.2.2001 के द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र, बागडौली, पंचायत समिति, बौंली के पुराने भवन को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बागडौली को हस्तान्तरण किए जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को एक पत्र लिखा था? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(डा. किरोड़ी लाल)

(2) क्या यह भी सही है कि विधायक बामनवास द्वारा दिनांक 7.4.2001 को एक पत्र शासन सचिव, स्वास्थ्य विभाग एवं निदेशक, स्वास्थ्य विभाग को कलक्टर सवाईमाधोपुर के उक्त प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में पत्र लिखे थे? यदि हां, तो उक्त पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त गांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र का अलग से नया भवन बन गया है तथा स्वास्थ्य कमी एवं विभागीय कर्मचारी वहीं पर मरीजों को देखते हैं? यदि हां, तो नया भवन कब बनकर तैयार हो गया तथा वह कब से उपयोग में आ रहा है?

उत्तर

(1) जी हां। पत्र की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। माननीय विधायक बामनवास द्वारा दिनांक 7.4.2001 को एक पत्र शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को लिखा गया है जिसकी प्रति परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

(3) उक्त प्राप्त पत्रों के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर से सूचना प्राप्त कर ली गई है जिस पर आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त ही उक्त प्रकरण में निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

(4) जी हां। ग्राम बागडौली में उप स्वास्थ्य केन्द्र का अलग से भवन वर्ष 1991 में बन गया था एवं उपयोग में आ रहा है तथा उसमें मरीजों को देखने की सुविधा उपलब्ध है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

जिला चूरू के डेडराज भरतिया चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद

761. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चूरू के जिला मुख्यालय स्थित डेडराज भरतिया चिकित्सालय में विभिन्न चिकित्सक संवर्गों व पैरामेडिकल स्टाफ के कितने पद कितने समय से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में चूरू के उक्त चिकित्सालय में प्रतिवर्ष औसत आउट डोर मरीज कितने आये व उक्त वर्षों में कितने बड़े व छोटे आपरेशन हुए तथा वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में प्रतिवर्ष औसत आउट डोर कितना रहा और कितने छोटे व बड़े आपरेशन हुए? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(3) उक्त जिले में कितने तदर्थ चिकित्सक वर्ष 1999 से कार्यरत हैं? क्या यह सही है कि वर्ष 1999 में नियुक्त तदर्थ चिकित्सा अधिकारियों में से 6 चिकित्सा अधिकारियों को मार्च, 2001 से फरवरी, 2002 तक वेतन भुगतान नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार वेतन भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में सांसद विकास कार्य सहित किन-किन मदों में कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु उक्त चिकित्सालय में निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत हुई? उक्त स्वीकृति कार्य कब पूरा हो जाना चाहिए था व कितने विलम्ब से पूरा हुआ?

उत्तर

(1) जिला मुख्यालय स्थित डेडराज भरतिया चिकित्सालय, चूरू में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

जी हां। वर्तमान में सीधी भर्ती के पदों पर कार्मिक एवं वित्त विभाग की रोक होने के कारण रिक्त पदों पर नियमित भर्ती नहीं की जा रही है। वित्त विभाग ने अत्यन्त आवश्यक कार्य हेतु सीमित संख्या में समेकित वेतन पर उक्त पदों पर भर्ती हेतु अनुमति दी थी जिन्हें ले लिया गया है। वित्त विभाग को खाली पदों के विरुद्ध भर्ती की अनुमति हेतु निवेदन किया गया है और अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव होगा इसी प्रकार राज्य सरकार कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4 (2) कार्मिक/क-2/अ.प्र./91 दिनांक 10.1.2002 के द्वारा किसी भी पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजन अग्रिम आदेशों तक स्थगित है इसमें शिथिलता मिलने पर पदोन्नति वाले रिक्त पदों का विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) वर्षवार सूचना का विवरण निम्नानुसार है :-

विवरण वर्ष	औसत आउट डोर प्रतिदिन	बड़े आपरेशन	छोटे आपरेशन
1996	245	513	708
1997	264	703	893
1998	220	1169	907
2000	239	1077	2117
2001	293	1451	1552
2002 (31 मार्च तक)	233	209	276

(3) जिला चूरू में वर्ष 1999 में तदर्थ रूप से नियुक्त किए गए 17

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

चिकित्सकों में से 6 चिकित्सक कार्यरत हैं। उक्त चिकित्सा अधिकारियों में से चार चिकित्सा अधिकारियों को मार्च, 2002 तक का वेतन भुगतान कर दिया गया है। शेष दो चिकित्सा अधिकारियों को वेतन (मार्च, 2001 से फरवरी, 2002 तक) का भुगतान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जबकि माह मार्च, 2002 का भुगतान उक्त दो चिकित्सकों को भी किया जा चुका है।

(4) विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के चिकित्सालयों में रिक्त पद

762. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में चिकित्सकों तथा नर्सिंग कर्मचारियों के कितने-कितने पद कहां-कहां पर कितने समय से रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में कोई नया उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर?

(3) वर्तमान में कार्यरत उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से किस-किस उप स्वास्थ्य केन्द्र को एडपोस्ट में क्रमोन्नत करने की क्या-क्या योजनाएं हैं? यदि हां, तो किस-किस उप स्वास्थ्य केन्द्र को कब तक एडपोस्ट में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थाओं में चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों के रिक्त पदों का विवरण मय रिक्ति अवधि सहित परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है। सीधी भर्ती वाले नर्स श्रेणी-द्वितीय एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों को भरने की समुचित स्वीकृति प्राप्त होने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी दन्त के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा। राज्य सरकार, कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 4 (2) कार्मिक/क-2/अ.प्र./91 दिनांक 10.1.2002 के द्वारा किसी भी पद के लिये विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन अग्रिम आदेशों तक स्थगित है। इसमें शिथिलता मिलने पर कनिष्ठ विशेषज्ञों, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों एवं नर्स श्रेणी-प्रथम के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(2) वित्तीय वर्ष में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने के उपरान्त ही विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में भी स्थानों का चयन कर उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) वित्तीय वर्ष में उप स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने के उपरान्त ही विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

राजकीय चिकित्सालय भादरा (हनुमानगढ़) में चिकित्सकों के रिक्त पद

763. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत तीन वर्षों में राजकीय चिकित्सालय, भादरा (हनुमानगढ़) में मरीजों की आउट डोर की संख्या क्या रही है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालय में कितने व कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं और कितने-कितने चिकित्सक यहां कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) राजकीय चिकित्सालय, प्रसवोत्तर केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, भादरा (हनुमानगढ़) में गत तीन वर्षों में आउट डोर में आए मरीजों की संख्या विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	आउट डोर में आए मरीजों की संख्या
1999	24681
2000	22768
2001	25245

(2) राजकीय चिकित्सालय प्रसवोत्तर केन्द्र एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, भादरा (हनुमानगढ़) में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की संख्या विवरण निम्न प्रकार से है :-

पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	–
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	1
कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1	1
कनिष्ठ विशेषज्ञ (बालरोग)	1	–
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1
चिकित्सा अधिकारी	1	1

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(3) उक्त चिकित्सालय में एक पद कनिष्ठ विशेषज्ञ सर्जरी व एक पद कनिष्ठ विशेषज्ञ बालरोग का रिक्त है। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान के परिपत्र आदेश क्रमांक प. 4 (2) कार्मिक/क-2/अ.प्र. 91 दिनांक 10.1.2002 के द्वारा किसी भी पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन अग्रिम आदेशों तक स्थगित/प्रतिबन्धित है इसमें शिथिलता मिलने पर अन्य रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

उप खण्ड बालोतरा के चिकित्सालयों में चयनित परिवार के रोगियों पर व्यय राशि

764. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप खण्ड, बालोतरा के विभिन्न चिकित्सालयों में गत एक वर्ष में कुल कितने चयनित परिवार के रोगी उपचार हेतु भर्ती किए गये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार उप खण्ड, बालोतरा के चिकित्सालयों में भर्ती चयनित परिवार में रोगियों का मुफ्त इलाज किया गया? यदि हां, तो गत एक वर्ष में उक्त रोगियों पर कुल कितनी राशि मेडिसन पर खर्च की गई? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) उप खण्ड, बालोतरा के विभिन्न चिकित्सालयों में गत वर्ष 2001 में कुल 280 बी.पी.एल. चयनित परिवार के रोगियों को उपचार हेतु भर्ती किया गया? संख्या सूची निम्नप्रकार है :-

चिकित्सा संस्थान का नाम	बी.पी.एल. चयनित भर्ती रोगियों की संख्या
1. राजकीय नाहटा चिकित्सालय, बालोतरा	244
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, समदड़ी	24
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिवाणा	12
कुल योग	280

(2) जी हां। गत एक वर्ष में बी.पी.एल. चयनित परिवारों के 280 रोगियों के मुफ्त उपचार पर 1,55,204 रुपए खर्च किये गये। जिनका विवरण निम्नप्रकार है :-

चिकित्सा संस्थान का नाम	रोगियों पर खर्च की गई राशि
1. राजकीय नाहटा चिकित्सालय, बालोतरा	1,43,658=00
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, समदड़ी	2,879=00
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिवाणा	8,667=00
कुल खर्च की गई राशि	1,55,204=00

संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कोटा के अधीन भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्र

765. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कोटा के अधीन आने वाले उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से कितने केन्द्र ऐसे हैं जहां पर स्वयं का भवन नहीं है या पूर्णतया क्षतिग्रस्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भवन रहित उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर भवन बनाने एवं क्षतिग्रस्त उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कोटा के अधीन आने वाले जिलों में भवन रहित एवं पूर्णतया क्षतिग्रस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष में भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण एवं आधुनिकीकरण, नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्यों हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर भवन रहित एवं क्षतिग्रस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानपुर (कोटा) में पदस्थापित चिकित्सक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत

766. **श्री नाथूलाल गुर्जर** (हिण्डौली) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानपुर (कोटा) में रोगी भर्ती रजिस्टर में दिनांक 8.6.2001 व 9.6.2001 को क्रमांक 320 पर दो रोगियों को भर्ती करने का क्या कारण है तथा उसके बाद क्रमांक 321 से 328 तक ओवर राइटिंग का क्या कारण है?

(2) क्या डा. आलोक शर्मा जो उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत है, के पास ममता को बेहोशी हालत में जहरीला पदार्थ खा लेने के कारण लाये थे? यदि हां, तो पुलिस को उक्त बात की सूचना लिखित में कब दी गई व पुलिस कितने बजे पहुंची तथा पुलिस ने बयान लिए या नहीं? क्या ममता को बेहोशी की हालत में नहीं लाए थे? यदि हां, तो कैसे लाए थे?

(3) क्या संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को ऐसी शिकायत प्राप्त हुई जिसमें डा. आलोक शर्मा द्वारा ममता को जहर देकर मारने वालों को बचाने हेतु उन्होंने कुछ दिन बाद 12.6.2001 को भर्ती दिखाया गया? यदि हां, तो उक्त

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

सम्बन्ध में किस अधिकारी द्वारा जांच की गई तथा जांच के निष्कर्ष क्या हैं? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त निष्कर्ष के आधार पर डा. आलोक शर्मा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानपुर (कोटा) के रोगी भर्ती रजिस्टर में दिनांक 8.6.2001 एवं 9.6.2001 की क्रमांक 320 पर दो रोगियों की भर्ती करना दर्शाया है यह भूलवश लिख दिया गया जिसके कारण 320 से 327 तक की एंट्री पर ओवर राइटिंग की गई।

(2) डा. अलोक शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत हैं। उक्त चिकित्सा अधिकार के पास दिनांक 12.6.2001 को प्रात: 9 बजे रोगी को पूर्ण होश में लाए थे, उसकी हिस्ट्री लेने पर बताया गया कि लाल मंजन करने से उसे उल्टियां होने लगी, तब रोगी को भर्ती कर उपचार प्रारम्भ किया गया। दिनांक 12.6.2001 को सायं 5 बजे पुन: उसकी जांच की गई, तब तक उसकी हालत में सुधार था तथा उसे उल्टियां नहीं हो रही थी एवं उसने भोजन भी कर लिया था। दिनांक 13.6.2001 को प्रात: 6.30 बजे उसे घबराहट की शिकायत हुई तब डा. आलोक शर्मा को रोगी ने बताया कि हो सकता है लाल मंजन की जगह दूसरा आइटम जो चूहे मारने की दवा हो सकती है उसके द्वारा उसने दांत रगड़े हैं, तो चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) को दिखाया गया। उन्होंने रोगी की स्थिति को देखते हुए उसे तुरन्त कोटा मेडिकल कालेज को रेफर करने हेतु एवं तुरन्त पुलिस को लिखित में सूचना देने हेतु निर्देश दिये। डा. आलोक शर्मा के द्वारा उक्त रोगी को एम.बी.एस. कोटा के लिए रेफर कर दिया गया एवं पुलिस को लिखित तहसील 7.00 ए.एम. पर श्री मनफूल स्वीपर के साथ भिजवाई गई। जिस पर एस.एच.ओ. सुल्तानपुर के पुलिस स्टेशन द्वारा 8.30 ए.एम. का समय दर्ज किया गया। जब पुलिस चिकित्सा संस्थान पर पहुंची तो उसके पहले ही रोगी के परिजन उसे कोटा ले जा चुके थे। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानपुर में बयान नहीं हो सके, रोगी को बेहोशी की हालत में नहीं लाए थे।

(3) प्रधान सम्पादक, देश की धरती का शिकायती पत्र जिसमें डा. आलोक शर्मा के आचरण की जांच के सम्बन्ध में प्राप्त होने पर संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कोटा द्वारा जांच की गयी जांच में डा. आलोक शर्मा एवं अन्य के द्वारा लापरवाही एवं

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

अनियमितता बरती गई है। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(4) जांच अधिकारी ने डा. आलोक शर्मा के विरुद्ध जांच में विभागीय जांच स्थापित किये जाने की अभिशंसा की है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ (झुंझुनूं) के राजकीय चिकित्सालयों के रिक्त पद

767. श्री हनुमान प्रसाद (सूरजगढ़): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ (झुंझुनूं) के राजकीय चिकित्सालयों में किन-किन स्थानों पर कितने चिकित्साकर्मी कार्यरत हैं? उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों तथा चिकित्साकर्मियों के किस-किस श्रेणी के पद कब से रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) उक्त क्षेत्र के राजकीय चिकित्सालय कुहाडवास, सोहली, पचेरी बडी, बुहाना तथा सूरजगढ़ में चिकित्सकों के रिक्त पद गत दो वर्ष में नहीं भरने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ (झुंझुनूं) के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा कर्मियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का पदवार रिक्ति अवधि सहित विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त चिकित्सा संस्थानों पर सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों को भरने की समुचित स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। राज्य सरकार कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 4(2)कार्मिक/क-2/अ.प्र./91 दिनांक 10.11.2002 के द्वारा किसी भी पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन अग्रिम आदेशों तक स्थगित है इसमें शिथिलता मिलने पर पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी नहीं। सोहली में चिकित्सक कार्यरत है तथा झुंझुनूं जिले में 20 चिकित्सा अधिकारियों को संविदा के आधार पर लगाने को राज्य स्वीकृति प्रदान की गई थी। परिणामस्वरूप पचेरी बड़ी एवं सूरजगढ़ में संविदा के आधार पर चिकित्सक कार्यरत है कुहाडवास में संविदा के आधार पर नियुक्त चिकित्सक

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

के सेवा छोड़ने के कारण सेवा समाप्त की गई। पुनः अन्य चिकित्सक की नियुक्ति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं के आदेश क्रमांक 2407-30 दिनांक 20.11.2001 द्वारा की गई किन्तु चिकित्सक द्वारा उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण माह 10/2001 से पद रिक्त है। बुहाना में दो चिकित्सक संविदा के आधार पर नियुक्त हैं किन्तु वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) के पद क्रमशः फरवरी, 2002 एवं मार्च, 2000 से रिक्त हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शुक्लविला का अपूर्ण भवन

768. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 में विभाग द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शुक्लविला भवन बनाए जाने हेतु 20.00 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि सात वर्ष बाद तीन लाख रुपए का ही कार्य निष्पादन हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त भवन निर्माण कार्य पूर्ण न हो पाने का क्या कारण है और अब भवन निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शुक्लावास के भवन निर्माण पर अब तक 4.10 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। वर्ष 1995-96 में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.1.1996 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शुक्लावास के भवन निर्माण की सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से 20.00 लाख रुपए की लागत से चरणबद्ध रूप से करवाए जाने की स्वीकृति जारी की गई थी, किन्तु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.2.1997 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शुक्लावास में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण इसके स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिटेडा (अलवर) में भवन निर्माण करवाए जाने की संशोधित स्वीकृति जारी कर दी गई। प्रशासनिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिटेडा (अलवर) में भी भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य सरकार के आदेश दिनांक 4.12.1998 के द्वारा पुनः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शुक्लावास में भवन निर्माण कराये जाने की स्वीकृति जारी की गई। अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड उत्तर जयपुर के आदेश दिनांक 9.4.1999 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शुक्लावास के भवन निर्माण कार्य करवाए जाने हेतु

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

संवेदक को कार्य आदेश दिए गये। संवेदक द्वारा कार्य बन्द कर किया गया। पुनः सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 3.4.2001 के द्वारा दूसरे संवेदक को कार्य आदेश दिए गये।

(3) प्रश्न का उत्तर भाग 2 के उत्तरानुसार है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्य हेतु पूर्ण दायित्व मद में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने के उपरान्त ही उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

स्वास्थ्य निरीक्षकों के पदों में वृद्धि

769. श्री नाथूराम (किशनगढ़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के दौरान प्रत्येक जिले के उपखण्ड स्तर पर कितने नमूने लिए गये? जिलेवार तथा उपखण्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान के दौरान कितने मामले मिलावट के पाए गये? उक्त मिलावटी पाए गये नमूनों के क्रम में मिलावटियों पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि राज्य के वर्ष 1985 से 285 स्वास्थ्य निरीक्षकों को पी.एफ.एस. एक्ट के तहत खाद्य शक्तियां प्राप्त थी? क्या अभियान शुरू होने पर इनकी संख्या मात्र 60 ही थी? क्या राज्य की जनसंख्या के लिए मात्र 60 खाद्य निरीक्षक पर्याप्त हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि विभाग के 280 स्वास्थ्य निरीक्षक ऐसे हैं, जिन्हें मात्र नियमों में शिथिलता प्राप्त करने के अभाव में वेतन के रूप में पेंशन दी जा रही है? क्या सरकार उक्त प्रशिक्षित स्वास्थ्य निरीक्षकों को शिथिलता प्राप्त कर ट्रेनिंग दिलाकर नोटिफाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के दौरान राज्य के सभी जिलों में 757 नमूने जांच हेतु लिये गये। लिये गये नमूनों की जिलेवाइज व उपखण्ड वाइज सूची संलग्न है। परिशिष्ट "अ"

(2) उक्त अभियान के दौरान लिये गये नमूनों में से जांच बाद 97 नमूने मिलावटी पाए गये। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार मिलावटियों के विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। वर्ष 1985 में विभाग में कार्यरत 285 स्वास्थ्य निरीक्षकों को अपने कार्य के साथ-साथ पी.एफ.ए. कार्य करने हेतु अधिकृत किया हुआ था।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

31 मार्च, 1985 तक पी.एफ.ए. एक्ट के नियम 8 सी. में वर्णित खाद्य निरीक्षकों की योग्यता जो स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर एक वर्ष का कार्य अनुभाग व दसवीं उत्तीर्ण थी, में 1 अप्रैल, 1985 में संशोधित कर बी.एस.सी. विद केमेस्ट्री कर दिए जाने के कारण विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षक को पी.एफ.ए. कार्य का प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका। वर्ष 1985 में पी.एफ.ए. कार्य के लिये अधिकृत स्वास्थ्य निरीक्षण सेवा निवृत्त होते–होते लगभग 62 रह गये हैं जिन्हें पी. एफ. ए. कार्य करने हेतु अधिकृत किया हुआ है। विभाग में वर्तमान में खाद्य निरीक्षक के 34 पद स्वीकृत हैं। जनसंख्या की दृष्टि से खाद्य निरीक्षक कम हैं।

(4) यह सही नहीं है कि विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षकों को शिथिलता प्राप्त करने के अभाव में वेतन के रूप में पेंशन दी जा रही है बल्कि स्वास्थ्य निरीक्षकों से उनके जॉब चार्ट के अनुसार मौसमी बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण, पेयजल, शुद्धिकरण शाला स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा व अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम सम्पादित करवाए जा रहे हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम केन्द्रीय अधिनियम है और उसमें वर्णित खाद्य निरीक्षकों की योग्यता में शिथिलता प्राप्त करने हेतु राज्य स्तर से प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाए जा चुके हैं। केन्द्र सरकार में शिथिलता प्राप्त होने पर विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षकों को खाद्य अपमिश्रण निवारण कार्यक्रम का निर्धारित प्रशिक्षण देकर खाद्य शक्तियां प्रदत्त कर दी जाएगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला के अध्यापकों को वेतन

770. **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में मजदूरी की न्यूनतम दर सरकार ने क्या निर्धारित कर रखी है?

(2) क्या राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों को न्यूनतम मजदूरी के बराबर वेतन दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देने का अधिकार है? यदि हां, तो ऐसे आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में मजदूरी की न्यूनतम दरें न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचित किए गये नियोजनों में निम्न प्रकार निर्धारित है :-

1. अकुशल कामगार 60/– रुपए प्रतिदिन

(श्रम मंत्री)

2. अर्द्धकुशल कामगार 64/- रुपए प्रतिदिन

3. कुशल कामगार 68/- रुपए प्रतिदिन

(2) राजीव गांधी पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षा सहयोगी न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की परिधि में नहीं आते हैं।

शिक्षा सहयोगियों को मानदेय के रूप में 1200/- रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जाता है न कि दैनिक मजदूरी के रूप में।

(3) जी नहीं। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचित (Notified) किये गये नियोजनों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देने का अधिकार सरकार को नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र दानपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पद

771. श्री भाणजी (दानपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में कितने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तथा उक्त में अध्यापक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और किस-किस विद्यालय में उक्त कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में 90 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट ''क'' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) नव नियुक्तियों पर से प्रतिबन्ध हटने के पश्चात् रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं के विद्यालयों में रिक्त पद

772. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में कितने-कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में किन-किन श्रेणियों के कितने-कितने पद सृजित हैं और उक्त में से कितने-कितने व कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में 10 माध्यमिक एवं 14 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। संचालित विद्यालयों की सूची परिशिष्ट ''क'' पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले व्याख्याता के पदों हेतु आयोग को अर्थनाएं प्रेषित की जा चुकी हैं। वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की नियुक्ति पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई थी, परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा लगी रोक के कारण पद रिक्त हैं। अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त व कार्मिक विभाग से प्रतिबन्ध में छूट लेकर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक पदों को भरने पर रोक लगी हुई है। रोक हटने पर भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

लाल बहादुर शास्त्री कालेज, जयपुर में छात्रों से दोहरी फीस वसूली

773. **श्री अशोक** (खण्डार) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) लाल बहादुर शास्त्री कालेज, जयपुर में ऐसे कितने छात्र हैं, जिन्होंने जुलाई, 2001 में बी.एससी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर कालेज की कालेज फण्ड, लोकल फण्ड, एनरोलमेंट, कम्प्यूटर, लेबोरेटरी आदि की फीस के पेटे राशि 5450/- जमा कराई है और उनका इसी एल.बी.एस. कालेज में डी.फार्मा में चयन होने पर पुनः उनसे उक्त प्रकार से इतनी ही राशि दुबारा जमा कराई गई है? यदि हां, तो उक्त रसीदों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एक ही कालेज प्रबन्धन द्वारा दो बार राशि जमा कराने का क्या कारण हैं? उक्त के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? उक्त में से कितने छात्रों की पूर्व में जमा कराई गई राशि लौटा दी गई है और कितनों की शेष है? अब उक्त पूर्व में जमा की गई राशि कब तक लौटा दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) लाल बहादुर शास्त्री कालेज, जयपुर में मात्र एक छात्र है जिसने जुलाई, 2001 में बी.एससी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर कालेज में फीस की विभिन्न मदों में कुल 5450/- रुपए जमा कराये। उक्त छात्र का एम.आर.ई.जी. कालेज, जयपुर द्वारा डी. फार्मा में चयन होने पर राज्य सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय प्रवेश समिति

(शिक्षा मंत्री)

में प्रवेश शुल्क स्वैच्छा से महाविद्यालय में जमा कराया। शुल्क की रसीद की छाया प्रति परिशिष्ट ''क'' सदन की मेज पर उपलब्ध है।

(2) एक ही कालेज में दो बार राशि जमा कराने का कारण दो पाठ्यक्रमों में अलग-अलग प्रवेश होना है। इसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। उक्त छात्र की बी.एससी. पार्ट प्रथम में ली गई फीस रुपए 4950/- (500/- रुपए पंजीयन शुल्क को छोड़कर) चैक द्वारा दिनांक 8.4.2002 को वापस लौटा कर रसीद प्राप्त कर ली गई है। अब कोई ऐसा छात्र शेष नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

शिक्षा उप निदेशक कार्यालय जयपुर में अनियमितताएं

774. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या शिक्षा उप निदेशक, जयपुर के कार्यालय में जैसलमेर काण्ड से सम्बन्धित फर्जी स्थानान्तरण निगुक्तियों में लिप्त तथाकथित कर्मचारियों के रिश्तेदार/ माता, पिता संस्थापन शाखा/कार्यालयों में कार्यरत हैं? यदि हां, तो नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या क्रम संख्या एक में अंकित कार्मिक के पास उक्त कार्य है? क्या उक्त को संस्थापन शाखा का प्रभारी लगा रखा है और उक्त के विरुद्ध संस्थापन शाखा का प्रभारी रहते हुये उसके विरुद्ध वष्ठिता सूचियों में हेर-फेर/नियुक्तियां/स्थानान्तरण में धांधलियां/भ्रष्टाचार इत्यादि के आरोप लगे हैं और उनकी जांच चल रही है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कार्यालय की संस्थापन शाखा में कार्यरत लिपिकों के स्थानान्तरण/ पदोन्नतियों की जांच चल रही हैं? यदि हां, तो पूर्व में की गई समस्त प्रकार की जांचों तथा उनकी दी गई पदोन्नतियां/ स्थानान्तरण इत्यादि के समस्त प्रकरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जयपुर में मण्डल/जिला कार्यालयों में लगे अधिकारी/कर्मचारी जैसलमेर काण्ड से सम्बन्धित फर्जी नियुक्ति/रिकार्ड को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में समस्त विवरण नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जैसलमेर फर्जी नियुक्ति काण्ड को अंजाम देने में दोषी पाये गये कोई भी लोक सेवक उनके परिवार के सदस्य वर्तमान में शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक), जयपुर के कार्यालय में पदस्थापित नहीं है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) प्रश्न के भाग संख्या–1 के अनुसार।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। फर्जी नियुक्ति से सम्बन्धित रेकार्ड राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो को सुपुर्द कर दिया गया है, अतः विभाग स्तर पर रेकार्ड खुर्द-बुर्द करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

775. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के किन-किन विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुण्डावर और जाट बहरोड़ में नये विषय चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में अध्यापकों की कमी वाले विद्यालयों की सूची परिशिष्ट ''क'' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों हेतु आयोग को अर्थनाएं भिजवाई जा चुकी हैं। समस्त प्रकार की डी.पी.सी. पर रोक लगी हुई है। रोक हटने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। व.अ. के पदों पर सीधी भर्ती पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन दिया हुआ है, अन्तिम निर्णयनानुसार ही कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा। अध्यापक ग्रेड–III के रिक्त पद नियुक्तियों पर से प्रतिबंध हटने पर भरे जा सकेंगे।

(3) रा.उ.मा.वि., मुण्डावर में विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान विषय तथा वाणिज्य संकाय में टंकण विषय खोले जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। रा.उ.मा.वि., जाट बहरोड़ में नये विषय खोलने का कोई प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त प्रस्तावों पर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत एवं निर्धारित मानदण्ड के आधार पर अन्य प्रस्तावों के साथ गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार किया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

सेवानिवृत्त अध्यापिका कन्या पाठशाला, बसवा (दौसा) का लम्बित भुगतान

776. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती कमला अवस्थी, अध्यापिका, राजकीय, प्राथमिक कन्या पाठशाला, बसवा जिला दौसा की सेवानिवृत्ति दिनांक 13 मई, 1998 को कर दी गई है? यदि हां, तो क्या इन्हें नियमानुसार पूर्ण पेंशन चालू कर दी गई है?

(2) उक्त की पेंशन कितनी निर्धारित की गई है?

(3) क्या उक्त का राणावत वेतन आयोग एवं पांचवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारित किया जा चुका है? क्या इसमें कोई विसंगति है? यदि हां, तो कब तक निर्धारित कर दिया जायेगा?

(4) क्या विभाग के पास इनके सेवाकाल का कोई वेतन प्रकरण शेष है? यदि हां, तो कब-कब का एवं कितने का तथा उसका भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) श्रीमती कमला अवस्थी अध्यापिका राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, बसवा (दौसा) माह मई, 1998 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुई हैं। श्रीमती अवस्थी द्वारा पेंशन कुलक पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण पेंशन विभाग द्वारा आक्षेप लगा दिया गया।

(2) उक्त को प्रोविजनल पेंशन रुपए 3513/- मासिक स्वीकृत हुई है।

(3) जी हां। वेतन स्थिरीकरण प्रकरण में कोई विसंगति नहीं है।

(4) जी नहीं। श्रीमती अवस्थी के चयनित वेतनमान 12/95 से 5/98 का एरियर 32220/- रुपए तथा 47 दिन का उपार्जित अवकाश वेतन 12540/- रुपए कुल 44760/- रुपए के बिल पारित हो चुके हैं, परन्तु अनेक बार प्रयास करने के उपरान्त भी श्रीमती अवस्थी भुगतान नहीं ले रही हैं।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलवर में पिछड़ी जाति के आशार्थियों को प्रवेश

777. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलवर में वर्ष, 2000 के मध्य में भी कुछ ट्रेडों में आशार्थियों को प्रवेश दिया गया? यदि हां, तो क्यों? उक्त शिक्षा सत्र में सभी ट्रेडों में चयनित पिछड़ी जाति के आशार्थियों की सूची मय वल्दीयत तथा उक्त सत्र के मध्य में वैल्डर

(श्री कुबेर सिंह)

ट्रेड में प्रवेश दिये गये पिछड़ी जाति के आशार्थियों के योग्यता प्रमाण-पत्र/अंक तालिका की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2001 में उक्त संस्थान में पिछड़ी जाति के आशार्थियों को न्यूनतम मात्रा से प्रवेश दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? सत्र व सत्र के मध्य में प्रवेश दिये गये समस्त आशार्थियों की वल्दीयत सहित सूची तथा उक्त में सम्मिलित पिछड़ी जाति के आशार्थियों द्वारा प्रस्तुत शिक्षा प्रमाणपत्र/अंक तालिका की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलवर में सत्र 2000-2001 में सभी ट्रेडों में चयनित पिछड़ी जाति के आशार्थियों की सूची मय वल्दीयत परिशिष्ट ''क'' पर तथा इनकी अंक तालिकाओं की प्रतियां परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

सत्र के मध्य में वैल्डर व्यवसाय में किसी को प्रवेश नहीं दिया गया।

(2) जी नहीं। उक्त संस्थान में वर्ष 2001-2002 में पिछड़ी जाति के 35 आशार्थियों को नियमानुसार उनके लिए आरक्षित स्थानों पर प्रवेश दिया गया। इनके अतिरिक्त पिछड़ी जाति के 40 अभ्यर्थियों को सामान्य वरीयता सूची के अनुक्रमांक के अनुसार भी प्रवेश दिया गया। सत्र के मध्य में किसी भी आशार्थी को प्रवेश नहीं दिया गया। प्रवेश विवरणिका में उल्लिखित प्रावधानानुसार प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में दिनांक 15.9.2001 तक सम्पन्न हुई। सत्र 2001-2002 में प्रवेशित समस्त आशार्थियों की वल्दीयत सहित सूची परिशिष्ट ''ग'' पर तथा पिछड़ी जाति के आशार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र, अंक तालिकाएं परिशिष्ट ''घ'' पर संलग्न है।

(प्रतियां/सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

ग्राम करमदिया (कुशलगढ़) के तालाब निर्माण में अनियमितता

778. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के गांव करमदिया में तालाब का निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है? यदि हां, तो कब तथा कितनी राशि व्यय हुई?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम करमदिया पंचायत सब्बलपुरा में तालाब का कोई निर्माण नहीं कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम करमदिया पंचायत सब्बलपुरा में तालाब का निर्माण नहीं कराकर फर्जी तौर पर राशि उठाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त तालाब के फर्जी निर्माण या स्थान परिवर्तन करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही

(श्री फतेह सिंह)

करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम करमदिया पंचायत सब्बलपुरा में सिंचाई हेतु तालाब बनाने योग्य स्थान है? यदि हां, तो क्या सरकार सर्वे करवाकर तालाब का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। करमदिया बांध का निर्माण ग्राम करमदिया पंचायत महुड़ा में वर्ष 1996-97 में पूर्ण करवाया गया है जिस पर राशि 40.29 लाख रुपए व्यय हुई है।

(2) ग्राम करमदिया पंचायत सब्बलपुरा में तालाब का निर्माण इस विभाग द्वारा नहीं करवाया गया है।

(3) जी नहीं। विभाग द्वारा कोई फर्जी राशि नहीं उठाई गई है।

(4) जी नहीं। करमदिया पंचायत सब्बलपुरा में सिंचाई विभाग द्वारा तालाब का कोई फर्जी निर्माण नहीं करवाया है एवं गांव करमदी में निर्धारित स्वीकृत स्थान पर ही करमदिया बांध का निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया था। अत: स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है एवं ना ही कोई अधिकारी दोषी है।

(5) विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की फलिया लघु सिंचाई परियोजना

779. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की फलिया लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति किस-किस दिनांक को जारी हो चुकी है?

(2) उक्त सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य किन कारणों से प्रारम्भ नहीं किया गया है और अब निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ करा दिया जावेगा?

(3) उक्त सिंचाई परियोजना के कार्य के पूर्ण होने की अवधि क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की फालिया लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ.3(12)एएस(1) सेल/1996/415-23 दिनांक 19.11.2001 के द्वारा जारी की जा चुकी है।

(2) वित्तीय संसाधन की अनुपलब्धता से उक्त परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। नाबार्ड सहायता के अन्तर्गत उक्त कार्य को इसी वित्तीय वर्ष 2002-2003 में शीघ्र प्रारम्भ कराना प्रस्तावित है।

(सिंचाई मंत्री)

(3) उक्त सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य को तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

बीड़ फतेहपुर (सीकर) की वन भूमि की वापसी

780. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सीकर जिले की तहसील क्षेत्र फतेहपुर में अवस्थित बीड फतेहपुर की वन भूमि भेड़ ऊन विभाग को लीज पर दी हुई है? यदि हां, तो किस आदेश से कितनी-कितनी? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वन भूमि भेड़ ऊन विभाग को किन उद्देश्यों हेतु दी गई थी तथा वांछित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्या-क्या कार्य किए गये?

(3) क्या भेड़ ऊन विभाग का पशुपालन विभाग में विलय के उपरान्त उक्त वन भूमि वापस वन विभाग के सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सीकर जिले की तहसील क्षेत्र फतेहपुर में अवस्थित बीड फतेहपुर की वन भूमि भेड़ व ऊन विभाग को कुल 9337 एकड़ भूमि दी गई थी। आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वन भूमि भेड़ व ऊन विभाग का भेड़ प्रजनन फार्म स्थापित करने के उद्देश्य से दी गई थी, जिसके अन्तर्गत भेड़ प्रजनन फार्म स्थापित कर भेड़ पालकों को नस्ल सुधार हेतु मेढ़े रियायती दर पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

(3) जी नहीं। भेड़ प्रजनन फार्म द्वारा भेड़ पालकों को नस्ल सुधार हेतु मेढ़े रियायती दर पर दिए जाने की योजना चल रही हैं। वर्तमान में फार्म पर 4000 विदेशी व संकर मेढ़े संधारित किए जा रहे हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर डेयरी द्वारा बूथ आबंटन में अनियमितता

781. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर डेयरी द्वारा जयपुर शहर में डेयरी बूथ आबंटन करने की क्या प्रक्रिया है?

(2) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों के दौरान कई डेयरी बूथों को आबंटन करने में लीपापोती की गई?

(3) वर्ष 2000 व 2001 के अन्तर्गत जयपुर डेयरी द्वारा कितने बूथ आबंटित

(श्री अमराराम चौधरी)

किए गये हैं? उक्त आवेदनकर्ताओं व बूथ आबंटनों को आबंटन करने का क्या आधार रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर डेयरी द्वारा जयपुर शहर में डेयरी बूथ आबंटन करने की प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। गत दो वर्षों में डेयरी बूथों का आबंटन करते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

(3) उक्त अवधि में कुल 41 बूथ आबंटित किये गये हैं। ये बूथ परिशिष्ट "क" पर वर्णित प्रक्रिया अनुसार आबंटन समिति की सिफारिश पर आबंटित किये गये हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

राजस्थान काओपरेटिव डेयरी फैडरेशन में प्रतिनियुक्त अधिकारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ

782. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पशुपालन विभाग से वर्ष 1976 में प्रतिनियुक्ति पर गये कतिपय अधिकारियों की नियुक्ति समान नीति एवं समान आदेशों के अन्तर्गत हुई? क्या उक्त में से कई अधिकारियों को पेंशन प्रदान कर दी गई? यदि हां, तो क्या डा. एम.एल. गुप्ता को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ दिये जाने के 6 वर्ष के पश्चात् भी अब तक पेंशन लाभ से वंचित रखा गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के पश्चात् डा. एल.बी.एल. माथुर एवं जोधपुर उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के पश्चात् डा. वी.पी. जोशी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन देनी पड़ी, परन्तु डा. एम.एल. गुप्ता को उक्त लाभ से वंचित रखा गया? क्या उक्त दो अधिकारियों एवं श्री गुप्ता को राज. डेयरी फैडरेशन के नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के आदेश में अन्तर था? यदि हां, तो क्या?

(3) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान कापरेटिव डेयरी फैडरेशन अथवा इसके अन्तर्गत जिला संघों से अनेक अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा? सरकार उक्त सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति के पश्चात् किस अधिकारी को जोधपुर प्रोविडेंट फण्ड के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति लाभ दिया है? क्या श्री गुप्ता जिसकी नियुक्ति आर.एस.आर. के अन्तर्गत हुयी थी एवं उक्त का कभी जोधपुर प्रोविडेंट फण्ड से सरोकार नहीं को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन लाभ से वंचित रखा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार जनवरी, 1976 में प्रतिनियुक्ति पर गए उक्त अधिकारियों की भांति डा. एम.एल. गुप्ता को भी पेंशन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पशुपालन विभाग से वर्ष 1976 में डेयरी फैडरेशन में प्रतिनियुक्ति पर भेजे अधिकारियों के लिए एक समान नीति शासन में परिपत्र क्रमांक एफ. (33) कृषि-3/75 दिनांक 30.1.1976 के द्वारा निर्धारित की गई थी, परिपत्र के अनुसार डेयरी फैडरेशन की सेवाएं स्वीकार करने वाले अधिकारियों के लिये जोधपुर सी.पी.एफ. के तहत एक मुश्त भुगतान किये जाने का प्रावधान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष में ही कुछ अधिकारियों को पेंशन परिलाभ स्वीकार किया गया है, अन्य को डेयरी फैडरेशन द्वारा ही सेवानिवृत्ति पर उनके नियमानुसार ही परिलाभ दिये गये हैं। डा. एम.एल. गुप्ता ने डेयरी फैडरेशन की सेवाएं स्वीकार कर ली थी, इस कारण शासन के पत्र क्रमांक एफ 10 (ए) (216) कृषि 3/62 दिनांक 7.5.1996 के द्वारा इन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिये जाने से इन्कार किया गया था। ऐसी स्थिति में डा. गुप्ता को पेंशन परिलाभ देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(2) माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष में डा. एल.बी.एल. माथुर एवं डा. वी.पी. जोशी को पेंशन देनी पड़ी परन्तु डा. गुप्ता को नियमानुसार पेंशन परिलाभ देय नहीं होने के फलस्वरूप इन्हें पेंशन परिलाभ स्वीकार नहीं किया गया। उक्त वर्णित दोनों अधिकारियों एवं डा. गुप्ता को डेयरी फैडरेशन में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की शर्तों शरायतों (टर्म्स एण्ड कण्डीशन) में कोई अन्तर नहीं था।

(3) डेयरी फैडरेशन में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये जिन अधिकारियों ने फैडरेशन की सेवाएं पूर्णतया स्वीकार कर ली थीं, उन अधिकारियों का फैडरेशन से सेवानिवृत्ति होने पर फैडरेशन द्वारा जोधपुर सी.पी.एफ. भुगतान के दावे भेजने पर सरकार द्वारा दावे स्वीकार किये गये हैं। डा. गुप्ता का प्रकरण जोधपुर सी.पी.एफ. के अन्तर्गत ही आता है, किन्तु अब तक इनका कोई प्रकरण इस विभाग को नहीं भेजा गया है।

(4) डा. एम.एल. गुप्ता को पेंशन भुगतान नियमानुसार देय नहीं होने के कारण इन्हें पेंशनरी परिलाभ देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अजमेर की कार्य प्रणाली में परिवर्तन

783. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या 11 दिसम्बर, 1998 के बाद अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा जिले की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का भुगतान रोकने, दूध बन्द

(श्री सांवर लाल)

किए जाने तथा परिवहन व्यवस्था आदि में परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो किस-किसके सम्बन्ध में कब से कब तक व क्यों? क्या ऐसा करना संघ व समिति हित में है?

(2) क्या वर्तमान में संघ अध्यक्ष जिले की किसी समिति के अध्यक्ष भी है? यदि हां, तो किस समिति के व कब से?

(3) क्या वर्तमान संघ अध्यक्ष जिले में पूर्व में भी विभिन्न समितियों के अध्यक्ष रह चुके हैं? यदि हां, तो कब से कब तक किस-किस समिति के अध्यक्ष रहे हैं? पूर्ण कार्यकाल का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 11 दिसम्बर, 1998 के बाद जिले में धूलण्डी, दीपावली व तेजा दशमी पर त्यौहार के कारण दुग्ध संकलन बन्द किया गया था। इसके अलावा संयंत्र में तकनीकी खराबी के कारण मात्र 1 जनवरी, 1999 को दुग्ध संकलन बन्द किया गया था। दुग्ध संघ द्वारा न तो समिति का भुगतान रोका जाता है और न ही परिवहन व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया गया है।

(2) जी हां। अजमेर दुग्ध संघ के वर्तमान अध्यक्ष जिले की देवांस दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के भी दिनांक 16.6.1998 से अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं।

(3) जी हां। अजमेर दुग्ध संघ के वर्तमान अध्यक्ष पूर्व में भी विभिन्न दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के अध्यक्ष रह चुके हैं। विवरण परिशिष्ट ''क'' पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

राज्य में संचालित मिड-डे मील योजना

784. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने दिनांक 28 मई, 2002 से ''मिड-डे-मील'' नामक योजना प्रारम्भ की है? क्या उक्त योजना के तहत प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दलिया खाने के लिये दिया जावेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं, गुड़ व तेल से दलिया बनाने के लिये पांच रुपए प्रति किलो पंचायत या सरपंच को भुगतान भी किया जावेगा? यदि हां, तो उक्त भुगतान किस मद से किसके द्वारा किया जावेगा?

(3) क्या मिड-डे-मील योजना के क्रियान्वयन हेतु किसी प्रकार के कोई दिशा निर्देश अथवा मार्गदर्शिका जारी की गई है? यदि हां, तो दिशा निर्देश/मार्गदर्शिका की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल विश्नोई)

(4) खाने हेतु दलिया तैयार कर विद्यालयों में वितरित करने का दायित्व किसका निर्धारित किया गया है?

(5) उक्त कच्ची पोषाहार सामग्री का स्टाक किस स्थान पर रखे जाने के निर्देश हैं? उक्त स्टाफ संधारण का दायित्व स्थानीय स्तर पर किसका निर्धारित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। मिड-डे-मील योजना राज्य में अक्टूबर, 1995 से लागू है। 28 फरवरी, 2002 से इस योजना के तहत 16 जिलों की राजकीय/अनुदानित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शालाओं के कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत बच्चों को पका हुआ भोजन (घूघरी) दिया जा रहा है। शेष 16 जिलों में गेहूं का वितरण पूर्ववत किया जा रहा है।

(2) जी हां। यह भुगतान निम्न राज्य मद से राशि उपलब्ध करवाकर किया जा रहा है :-

बजट मद 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

101 पंचायती राज

(001) जिला परिषदों को सहायतार्थ अनुदान राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के तहत प्राथमिक स्कूल विद्यार्थियों को 03-मिड-डे-मील कार्यक्रम की क्रियान्विति (आयोजना)

(3) जी हां। जारी दिशा निर्देशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट ''अ''

(4) खाने हेतु पका हुआ भोजन वितरित करने का दायित्व ग्राम पंचायतों को दिया गया है।

(5) ग्राम पंचायतों को यह दायित्व दिया गया है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत करबर (बून्दी) के वार्ड पंच का अयोग्यता प्रकरण

785. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, करबर, जिला बूंदी के वार्ड संख्या-2 के पंच के दिनांक 26.11.2001 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करबर, तहसील नैनवां में तीसरी सन्तान (पुत्री) का जन्म होने पर वार्ड पंच को अयोग्य घोषित करने के लिए जिला कलक्टर, बूंदी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नियमों में निर्धारित संख्या से ज्यादा सन्तान उत्पन्न होने पर वार्ड मेम्बर को अयोग्य घोषित किये जाने के

(श्री भरोसी लाल)

लिए कार्यवाही की जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की हुई है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी हां। इस सन्दर्भ में जांच की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है, जो विचाराधीन है।

(2) जी हां। इस हेतु प्रक्रिया नियमों में निर्धारित है तथा प्रस्तुत प्रकरण में जांच उपरान्त तथ्य सही पाये जाने पर सम्बन्धित वार्ड पंच को अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र अटरू हिण्डौली/ छबड़ा में सामाजिक सहायता कार्यक्रम से लाभान्वित व्यक्ति

786. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू, हिण्डौली व छबड़ा में सामाजिक सहायता योजना में वित्तीय वर्ष 2001–2002 में कितने लोगों को लाभान्वित किया गया?

(2) सामाजिक सहायता योजना में ग्राम पंचायत/पंचायत समिति स्तर पर कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवेदन पत्रों का भुगतान किन कारणों से नहीं किया जा रहा है? भुगतान करने के बारे में सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली, अटरू व छबड़ा क्षेत्र में सामाजिक सहायता योजना में वित्तीय वर्ष 2001–2002 में लाभान्वित लोगों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) सामाजिक सहायता योजना में ग्राम पंचायत व पंचायत समिति स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) यह योजना शत–प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना है। भारत सरकार से राशि प्राप्त होते ही लम्बित प्रकरणों का भुगतान कर दिया जावेगा।

(सूची/विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत बिशनौदा (धौलपुर) की बन्द राजीव गांधी पाठशाला

787. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या ग्राम पंचायत, बिशनौदा, पंचायत समिति, धौलपुर के ग्राम रामनगर में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला खुली हुई है? यदि हां, तो उसमें कौन पैराटीचर लगा हुआ है?

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

(2) क्या यह सही है कि उक्त पाठशाला तीन-चार महीनों से बन्द है?

(3) क्या उक्त पाठशाला के सम्बन्ध में कोई जांच हुई है? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त पाठशाला बन्द के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं? यदि हां, तो किस प्रकार की?

(5) सरकार के निर्देशों के बावजूद पाठशाला बन्द होने के लिये कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत, बिशनौदा, पंचायत समिति, धौलपुर में रामनगर नाम का कोई ग्राम नहीं है अपितु ग्राम पंचायत, कोटड़ा पंचायत समिति, धौलपुर के ग्राम रामनगर में राजीव गांधी पाठशाला खुली हुई है। श्री लक्ष्मण सिंह शिक्षा सहयोगी लगा हुआ है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(4) पाठशाला के अनियमित संचालन की शिकायत प्राप्त हुई है।

(5) पाठशाला के अनियमित संचालन हेतु शिक्षा सहयोगी जिम्मेदार है। उससे स्पष्टीकरण चाहा गया है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–20 देखें)

पंचायत समिति सांगानेर (जयपुर) में आयोजित साधारण सभा की बैठक

788. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पंचायत समिति, सांगानेर की साधारण सभा की बैठकें नियमित रूप से होती हैं? यदि हां, तो गत 2 वर्षों में कब-कब बैठकें हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त पंचायत समिति में स्थाई समितियों का गठन किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन सी? स्थाई समितियों के सदस्यों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पंचायत समिति में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? क्या यह सही है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिव की नियुक्ति के मानदण्ड है? यदि हां, तो क्या उक्त पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में मानदण्डानुसार ग्राम सचिव नियुक्त है? यदि हां, तो तो कहां-कहां और नहीं, तो क्यों? ग्राम सचिवों की कुल संख्या एवं उनकी नियुक्ति के स्थान सहित नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पंचायत समिति द्वारा शिक्षकों एवं ग्राम सचिवों के स्थानान्तरण गत 2 वर्षों में किस-किस के और कहां-कहां किये गये? क्या उक्त स्थानान्तरणों का प्रशासन की स्थाई समिति से अनुमोदन

(श्री अरुण सिंह)

कराया गया है? कर्मचारियों के नाम व स्थान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के आय-व्यय की पुष्टि वित्त समिति द्वारा कराई जाती है? यदि हां, तो गत 2 वर्षों में आय-व्यय की पुष्टि वित्त समिति द्वारा कब-कब कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अकाल राहत व प्रशासन गांवों के संग अभियान को छोड़कर गत दो वर्षों में निम्न बैठकें हुई– दिनांक 8.3.2000, 3.6.2000, 9.7.2000, 20.10.2000, 29.11.2000, 7.2.2001, 26.4.2001, 28.7.2001, 7.11.2001, 10.9.2001, 20.9.2001 एवं 31.1.2002.

(2) जी हां। स्थाई समितियों के सदस्यों के नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-I)

(3) पंचायत समिति, सांगानेर में कुल 25 ग्राम पंचायतें हैं। जी हां। सभी ग्राम पंचायतों में मानदण्डानुसार ग्राम सचिव नियुक्त है सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-II)

(4) उक्त पंचायत समिति द्वारा शिक्षकों एवं ग्राम सचिवों के गत 2 वर्षों में स्थानान्तरण से सम्बन्धित सूची सदन के पटल प्रर रख दी गई है। जी हां। प्रधान एवं स्थापना समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। कर्मचारियों के नाम व स्थान की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट-III

(5) पंचायत समिति, सांगानेर की आय-व्यय की पुष्टि साधारण सभा द्वारा कराई गई है। निम्न दिनांक को आयोजित साधारण सभाओं में आय-व्यय की पुष्टि कराई गई। दिनांक 19.7.2000 एवं 31.1.2000.

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मजरा बंजारा बस्ती पाटड़ी (बारां) की स्वर्ण जयन्ती पाठशाला

789. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) मजरा बंजारा बस्ती पाटड़ी ग्राम पंचायत, कचनारियाकलां, जिला बारां में राजीव गांधी पाठशाला में गत दो वर्षों से कौन-कौन अध्यापक कार्यरत हैं?

(2) क्या उक्त पाठशाला में कार्यरत अध्यापक को गत छह माह से भी अधिक समय से अन्यत्र लगा दिया गया है? यदि हां, तो कब और क्यों?

(3) वर्तमान में उक्त पाठशाला में कौन अध्यापक कार्यरत है? क्या उक्त में अध्यापन कार्य ठप्प पड़ा हुआ है? यदि हां, तो कब से और अब कब तक अध्यापक लगा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला मजरा बंजारा बस्सी पाटड़ी ग्राम पंचायत, कचनारियाकलां, जिला बारां में 1.7.1999 से श्री राजाराम सुमन शिक्षा सहयोगी कार्यरत है।

(2) जी हां। प्रशासन गांवों के संग अभियान के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी, पंचायत समिति, छीपाबड़ौद के आदेश दिनांक 28.11.2001 के द्वारा उक्त शिक्षा सहयोगी को शिक्षण व्यवस्थार्थ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मानपुरा में लगाया गया था।

(3) वर्तमान में श्री राजाराम सुमन तथा श्री रामचन्द्र नागर उक्त पाठशाला में कार्यरत है।

ग्राम पंचायत, सिरसी (जयपुर) द्वारा जारी आवासीय पट्टे

790. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत, सिरसी, तहसील, आमेर, जिला जयपुर में वर्ष 1965 से 1970 तक पंचायत द्वारा आवासीय मकानों हेतु कितने पट्टे दिए गए? पट्टों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्राम पंचायत को वर्ष 1965 से 1970 तक आवासीय पट्टों से कितनी आय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में पूर्व ग्राम पंचायत, सिरसी नगर निगम के क्षेत्राधिकार में है। नगर निगम जयपुर में ग्राम पंचायत क्षेत्र आने के साथ ही ग्राम पंचायत का समस्त रिकार्ड नगर निगम, जयपुर को हस्तान्तरित कर दिया गया है। नगर निगम, जयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत, सिरसी द्वारा वर्ष 1965 से 1970 तक मकानों हेतु 16 पट्टे जारी किए गये। पट्टों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में पूर्व ग्राम पंचायत, सिरसी नगर निगम के क्षेत्राधिकार में है। नगर निगम, जयपुर में ग्राम पंचायत क्षेत्र आने के साथ ही ग्राम पंचायत का समस्त रिकार्ड नगर निगम, जयपुर को हस्तान्तरित कर दिया गया है। नगर निगम, जयपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत, सिरसी को वर्ष 1965 से 1970 तक आवासी पट्टों से 4142.90 पैसे की आय हुई।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

पर्यटन ट्रेवल एजेंट सम्मेलन पर व्यय

791. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत दो वर्षों में पर्यटन राज्य मंत्री तथा पर्यटन सचिव द्वारा राजस्थान

(श्री नन्दलाल मीणा)

पर्यटन विकास निगम के ट्रेवल एजेंट का सम्मेलन कब-कब, कहां-कहां किया गया? क्या उक्त कार्यक्रम पर्यटन विकास निगम द्वारा पूर्व नियोजित थे?

(2) उक्त पर किस-किस मद में कितना-कितना व्यय किया गया?

(3) क्या उक्त मदों में व्यय में अनियमितताओं की शिकायतें निगम को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवांई गई है? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विवादित बिल पर्यटन राज्य मंत्री निजी सहायक द्वारा प्रमाणित किए गए हैं?

उत्तर

(1) दिनांक 5 अक्टूबर, 2000 एवं 7 जून, 2001 को माननीय पर्यटन राज्य मंत्री एवं पर्यटन सचिव महोदय के द्वारा अहमदाबाद में ट्रेवल मिटिंग आयोजित की गई। जी हां।

(2) उक्त पर वर्ष 2000 की मीटिंग पर रुपये 19012.00 एवं वर्ष 2001 की मीटिंग पर रुपये 31350.00 का व्यय किया गया।

(3) जी नहीं। लेकिन आंतरिक अंकेक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर विभागीय जांच विचाराधीन है।

(4) बिलों में किसी प्रकार का विवाद नहीं है क्योंकि यह व्यय राजकीय यात्रा के लिए किये गये हैं। जी हां। प्रबन्धक, सी.आर.ओ., अहमदाबाद द्वारा बिल माननीय पर्यटन राज्य मंत्री महोदया के निजी सहायक से प्रमाणित करवाए गये।

सवाई मानसिंह ट्रस्ट द्वारा अधिकृत पर्यटन गाइड

792. **श्री त्रिलोक पूर्बिया** (उदयपुर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पर्यटक गाइड प्रशिक्षण हेतु अनुभवी पर्यटक गाइड को परिभाषिक किया गया है?

(2) सरकार ने किन नियमों के अन्तर्गत सवाई मानसिंह द्वितीय ट्रस्ट जयपुर को पर्यटक गाइड प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अधिकृत किया है?

(3) ट्रस्ट द्वारा जारी किये गये पर्यटक गाइड लाइसेंस किन आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत अनुभवी गाइड माना जाना वैध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ट्रस्ट द्वारा डोनेशन के रूप में राशि स्वीकार की जाकर लाइसेंस प्रदान किये जा रहे हैं? ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त गाइड लाइसेंसों की क्या विभाग द्वारा शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता का मूल्यांकन कर उनकी वैधता का परीक्षण किया गया है?

(श्री त्रिलोक पूर्बिया)

(5) विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त पर्यटन के डिप्लोमा को किन नियमों/आदेशों के अन्तर्गत ट्रस्ट द्वारा जारी किये गये क्या गाइड लाइसेंसों की तुलना में कम प्रभार प्रदान किया गया है?

(6) वर्तमान में किन परिस्थितियों में ट्रस्ट जारी पर्यटक गाइड लाइसेंसों को गाइडिंग अनुभव के लिए पर्याप्त माना गया है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय एक निजी प्रन्यास है, जिसके स्वयं के बनाए गये नियमों के तहत व्यक्तियों को सिटी पैलेस का गाइडिंग लाइसेंस दिया जाता है। सरकार ने इसके लिए उक्त संग्रहालय को अधिकृत नहीं किया है।

(3) ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर गाइड लाइसेंस जारी किये जाते हैं। ट्रस्ट द्वारा किये गये गाइड लाइसेंस धारक ट्रस्ट संचालित स्मारकों पर ही गाइडिंग का कार्य कर सकते हैं। चूंकि ऐसे लाइसेंसधारी गाइडों को गाइडिंग करवाने का अनुभव होता है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे कार्यरत गाइडों को जिनके पास ट्रस्ट द्वारा जारी किये गये गाइड लाइसेंस हैं, उन्हें अनुभव के लिए निर्धारित अंक फार्मूला के अनुसार दिये जाएंगे।

(4) विभाग के पास इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। कार्यरत गाइडों को उनके अनुभव के आधार पर अकं देते हुए प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। यदि वे वरीयता के सूची में आ जाते हैं तो उन्हें सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् ही परिचय पत्र जारी किये जाएंगे।

(5) प्रश्न अस्पष्ट है।

(6) चूंकि ट्रस्ट द्वारा जारी किये गये गाइड लाइसेंस धारकों के पास गाइडिंग करवाने का यथेष्ठ अनुभव है, इसी आधार पर जिन गाइडों के पास तीन वर्ष पूर्व ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया गाइड लाइसेंस है, उन्हें सूत्रानुसार अंक देते हुए योग्यता सूची बनाई जाएगी। इसी के आधार पर प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा।

जिला बांसवाड़ा के पर्यटन केन्द्रों पर सूचना पट्ट

793. श्री रमेश चन्द पड्या (बांसवाड़ा): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा में प्रमुख दर्शनीय, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थल/मंदिर कौन-कौन से हैं?

(2) क्या उक्त मंदिरों/स्थलों पर दर्शनार्थी/पर्यटकों को स्थल की ऐतिहासिकता व पौराणिकता की जानकारी के लिए कोई सूचना बोर्ड लगाए हुए हैं? यदि नहीं,

(श्री रमेश चन्द पण्ड्या)

तो क्यों? क्या सरकार उक्त मंदिरों/स्थलों पर पर्यटकों की जानकारी के लिए सूचना बोर्ड लगाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में निम्नलिखित स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित घोषित किया गया है:- 1. शिव मन्दिर एवं खण्डहर, अरथूना, 2. प्राचीन अवशेष, विट्ठलदेवा।

उक्त के अतिरिक्त त्रिपुरा सुन्दरी, तलवाड़ा सूर्य मन्दिर पाराहेड़ा, मानगढ़ धाम, अन्देश्वर मंगलेश्वर, राम कुण्ड-भीम कुण्ड, घोड़ी रणछोर, छींच ब्रह्मा मंदिर नौगमा, धोटी आंबा, बेणेश्वर, माहीडैम, बरसाती फाल्स (कागदी फाल, जुआन्दा, आमलीपाड, भुआदरा, झोल्ला) कागदी पिक अप वियर, मंदारेश्वर, समई मास भण्डारिया, कल्प वृक्ष एवं झीलें आदि प्रमुख दर्शनीय, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थल/मन्दिर हैं।

(2) जिले के 2 मार्ग उदयपुर एवं दाहोद मार्ग पर जिला कलक्टर द्वारा जिले के दर्शनीय स्थलों की सूचना का पट्ट एवं नक्शा बनाने का कार्य प्रगति पर है। अरथूना मन्दिर समूह पर सूचना पट्ट लगाए जाने की कार्यवाही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जा रही है।

गाइडों के प्रशिक्षण हेतु जारी विज्ञापन

794. श्री रमेश खींची (कठूमर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) निदेशक, पर्यटन विभाग द्वारा विज्ञापन दिनांक 10 फरवरी, 2002 में गाइड प्रशिक्षण हेतु जिलेवार संख्या प्रकाशित क्यों नहीं की गई है? उक्त भ्रमित करने वाले विज्ञापन का क्या तात्पर्य है? जिलेवार प्रशिक्षित किये जाने वालों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विज्ञापन में अंकित गाइडिंग अनुभव का अभिप्राय किस अवधि से किस अवधि तक का है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विज्ञापन के अनुसार कितने डिप्लोमाधारी गाइड लेंगे तथा कितने अनुभवी गाइडों को प्रशिक्षण हेतु लेने का निश्चय किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अनुभवी माने जाने वाले गाइडों की शैक्षिक एवं व्यवसायिक योग्यता का विभाग द्वारा परीक्षण कर लिया है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी। वरीयता सूची में से अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिये

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

चयनित किया जाएगा। योग्य एवं अनुभवी अभ्यर्थियों को गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है, इसी कारण जिलेवार संख्या प्रकाशित नहीं की गई। विभाग द्वारा गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम जिलेवार करवाया जा रहा है।

(2) जिन कार्यरत गाइडों के पास दिनांक 30.12.2000 तक कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है, उन्हें गाइड प्रशिक्षण में सम्मिलित करने के योग्य माना गया है।

(3) विभाग द्वारा डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों तथा अनुभवी गाइडों को प्रशिक्षण देने की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, जो भी डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी तथा अनुभवी गाइड वरीयता सूची के अनुसार योग्य पाये गये उन्हें प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा।

(4) जो कार्यरत गाइड 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा जिनके पास कम से कम तीन वर्ष पूर्व का पर्यटन स्थलों के संचालन के लिए बने ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया गाइड लाइसेंस हो, उन्हें गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित करने पर विचार किया जाएगा। विशिष्ट परिस्थितियों में जो कार्यरत गाइड अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण न हो, परन्तु उनके पास तीन वर्ष से अधिक का गाइडिंग का अनुभव हो उन्हें भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

देवली आउवा (पाली) के चयनित परिवार के मृत आश्रितों को सहायता

795. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बी.पी.एल. परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से सहायता करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या देवली आउवा (पाली) के बी.पी.एल. परिवार में चयनित सदस्य श्री कानाराम चौधरी की हत्या मुम्बई (गोरे गांव) में असामाजिक तत्वों द्वारा कर दी गई थी? यदि हां, तो उसके परिवार को मुख्य मंत्री सहायता कोष से क्या सरकार सहायता करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बी.पी.एल. परिवार के सदस्य की साधारण स्थिति में मृत्यु होने पर मुख्य मंत्री सहायता कोष से सहायता देने का प्रावधान नहीं है।

(2) श्री कानाराम चौधरी की मुम्बई में हत्या होने की जानकारी कलक्टर, पाली द्वारा दी गई थी। इस तथ्य की जांच करवाई जा रही है कि क्या श्री कानाराम के परिवार की आय 24,000 रुपये वार्षिक से कम थी। यदि जांच में यह पाया जाता है कि

(मुख्य मंत्री)

श्री कानाराम के परिवार की आय 24,000 रुपए से कम थी तो उनके परिवार को 10,000 रुपए की सहायता दे दी जायेगी।

ग्रामीण विकास अभिकरण बारां में सुनिश्चित रोजगार योजना में व्यय राशि

796. श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बारां द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना, डी.पी.ए.पी. एवं नवीन डी.पी.ए.पी. योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998 से फरवरी, 2002 तक कितने जलग्रहण विकास कार्य (वाटरशैड) कितनी लागत के स्वीकृत किये गये तथा स्वीकृत राशि किस-किस जलग्रहण कार्य के लिए उपलब्ध करवाई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत जलग्रहण कार्यों में से कितने कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जाकर कार्य पूर्ण करवा लिये गये? वर्तमान में कितने कार्य अपूर्ण हैं तथा उक्त पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? उक्त अपूर्ण कार्यों को कब पूर्ण कराया जाना था तथा ये किस कारण से अपूर्ण रहे? अब कब तक उक्त कार्यों को पूर्ण करा लिया जावेगा?

(3) क्या उक्त कार्यों पर व्यय की गई सम्पूर्ण राशि का समायोजन हो चुका है तथा यू.सी. जारी हो चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक यू.सी. जारी की जाकर समायोजन की कार्यवाही कर ली जावेगी?

(4) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत जलग्रहण विकास कार्यों हेतु भारत/राज्य सरकार से जारी दिशा-निर्देशों अनुसार किस-किस अधिकारी को उक्त कार्यों की कितनी-कितनी प्रतिशत भौतिक सत्यापन व निरीक्षक (चैकिंग) की शक्तियां प्रदत्त हैं?

(5) क्या उक्त अधिकारियों द्वारा समय-समय पर उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन व निरीक्षण किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या बिना निरीक्षण व चैकिंग तथा बिना भौतिक सत्यापन के सम्पूर्ण राशि दिया जाना अनियमितता या गुणवत्ता की खामी नहीं है?

(6) क्या स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन (डी. पी. आर.) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों पर फील्ड में निमार्ण कार्य स्वीकृत परियोजना अनुरूप ही हुआ है तथा मदवार/कार्य क्रमवार स्वीकृत राशि उसी मद पर व्यय हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बारां द्वारा वर्ष 1998 से फरवरी, 2002 तक डी.पी.ए.पी. (द्वितीय चरण) के तहत

(ग्रामीण विकास मंत्री)

स्वीकृत जलग्रहण विकास कार्य, स्वीकृत राशि तथा जलग्रहण कार्य के लिए उपलब्ध करवायी गई राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''अ'' में अंकित सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

उक्त अवधि के दौरान डी.पी.ए.पी. (प्रथम चरण योजनाएं) एवं सुनिश्चित रोजगार योजना (जलग्रहण) के अन्तर्गत कोई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गई हैं।

(2) उक्त स्वीकृत सभी 34 जलग्रहण विकास कार्य प्रगतिरत हैं। कार्यों पर अब तक व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट ''अ'' में अंकित सम्बद्ध कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है। ये सभी कार्य मार्च, 2005 तक पूर्ण करवाए जाने हैं।

(3) जी नहीं। समायोजित की गई राशि का विवरण परिशिष्ट–'अ' में सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है। सभी कार्य प्रगति पर हैं। सम्बद्ध कार्यकारी संस्थाओं को उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर शेष राशि का समायोजन किया जाता है।

(4) जलग्रहण विकास कार्यो के संदर्भ में जिला कलक्टर/परियोजना निदेशक को माह के दौरान एक जलग्रहण परियोजना तथा परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी को माह के दौरान प्रगतिरत जलग्रहण परियोजनाओं के 10 प्रतिशत किन्तु कम से कम 5 जलग्रहण परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण करना अपेक्षित है।

(5) जी हां। निरीक्षण/भौतिक सत्यापन के पश्चात् ही सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जाता है।

(6) जी हां।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में सांसद/ विधायक कोष से स्वीकृत राशि का उपयोग

797. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में वर्ष 2001–2002 में सांसद व विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत कौन–कौन से कार्य कितनी–कितनी राशि के स्वीकृत हुए हैं?

(2) उक्त कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जावेंगे ?

(3) उक्त कार्यों में से कितने कार्यों पर परिसम्पत्ति बोर्ड नहीं लगे हैं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में वर्ष 2001–2002 के दौरान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र

(ग्रामीण विकास मंत्री)

विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए कार्यों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' में अंकित सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(2) उक्त 72 कार्यों में से 50 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके हैं, 18 कार्य प्रगति पर हैं, 3 कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं तथा एक कार्य निरस्त किया जा चुका है। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का समय तथा कार्यों की स्थिति परिशिष्ट ''अ'' में अंकित सम्बद्ध कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(3) उक्त कार्यों में से 16 कार्यों के कार्य स्थलों पर परिसम्पत्ति बोर्ड लगने शेष हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत जटवाड़ा (जयपुर) में विकास कार्यों में अनियमितताओं की जांच

798. श्री कय्यूम खान (मसूदा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष, 1999 से फरवरी, 2002 तक पंचायत समिति, बस्सी, जिला जयपुर द्वारा ग्राम पंचायतों को कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु स्वीकृत की गई है तथा ग्राम पंचायत, जटवाड़ा में निजी आय एवं स्वीकृत बजट को किस-किस कार्य पर कब-कब खर्च किया गया? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त हेतु विधायक एवं सांसद कोष से कितनी-कितनी राशि कब स्वीकृत की गई एवं किस-किस कार्य पर कब कितनी-कितनी व्यय की गई उक्त कार्यों में श्रम सामग्री का अनुपात क्या रहा?

(3) क्या उक्त कार्यों हेतु निविदा भी प्राप्त की गई थी? यदि हां, तो कब-कब? प्राप्त निविदाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्माण कार्यों में स्थानीय सरपंच एवं सरकारी कर्मचारियों ने अनियमितताएं की हैं? क्या सरकार ने उक्त कार्यों की जांच करवाई है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त निर्माण कार्यों की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति-बस्सी, जिला जयपुर द्वारा वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 के दौरान ग्राम पंचायतों को स्वीकृत किए गए कार्य तथा स्वीकृत की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है तथा ग्राम पंचायत, जटवाड़ा द्वारा निजी आय एवं स्वीकृत बजट से सम्पादित

(ग्रामीण विकास मंत्री)

करवाए गए कार्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 में अंकित सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(2) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों, स्वीकृत राशि, व्यय राशि तथा कार्यों पर श्रम एवं सामग्री पर व्यय की गई राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-3 में सम्बन्धित कार्यों के सम्मुख अवलोकनीय है।

(3) स्वीकृत कार्यों के सन्दर्भ में श्रम घटक 60 प्रतिशत तक होता है तथा कार्य मस्टर रोल पर मजदूर लगाकर सम्पादित कराया जाता है। सामग्री घटक पर 40 प्रतिशत तक राशि व्यय की जाती है, जो स्थानीय स्तर पर ही क्रय की जाती है, जिनके लिए निविदाएं नहीं ली गई हैं।

(4) ग्राम पंचायत, जटवाड़ा के कार्यों के सम्बन्ध में अनियमितता अपनाये जाने बाबत प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अन्वेषणाधीन हैं। अन्य किसी कार्य के सन्दर्भ में स्थानीय सरपंच अथवा सरकारी कर्मचारी द्वारा अनियमितता अपनाने के मामले में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

(5) जी नहीं। ग्राम पंचायत, जटवाड़ा के निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अन्वेषणाधीन है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर में संयुक्त निदेशक द्वारा महाविद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण

799. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (श्रीगंगानगर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 2002 में श्रीगंगानगर के दोनों राजकीय महाविद्यालयों का संयुक्त निदेशक द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया? यदि हां, तो निरीक्षण में क्या खामियां पाई गई तथा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालयों व चौधरी बल्लूराम गोदारा गर्ल्स कालेज में कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियां एवं की जा रही कार्यवाही परिशिष्ट "अ" व "ब" पर उपलब्ध है, जो सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर एवं चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय महिला महाविद्यालय, श्रीगंगानगर में 150 अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत हैं जिनका विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है। (परिशिष्ट-स)

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम निम्बी जोधा (नागौर) के वैद्य का स्थानान्तरण

800. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 10.8.2001 को ग्राम निम्बी जोधा, तहसील, लाडनूं, जिला नागौर में कार्यरत वैद्य का तबादला निम्बी जोधा से दुलचासर डूंगरगढ़ किया गया था? यदि हां, तो उक्त वैद्य ग्राम निम्बी जोधा में कब से कब तक कितनी बार कार्यरत रहा?

(2) उक्त तबादले के बाद अब तक उक्त वैध ने कहां-कहां पर कब-कब अपनी उपस्थिति दर्ज की है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त वैद्य तबादले के बाद छुट्टियों पर रहे? यदि हां, तो कब-कब, कितने-कितने दिनों की छुट्टियां लीं और किस अधिकारी ने छुट्टियां स्वीकृत कीं और छुट्टी लेने व स्वीकृत करने के आधार क्या थे?

(4) क्या यह सही है कि तबादला होने के बाद भी औषधालय का पूरा रिकार्ड नये वैद्य को नहीं सम्भलाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त वैद्य वर्षो से औषधालय के सरकारी मकान में रहने के बावजूद भी मकान किराया भत्ता ले रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि उक्त के रिहायशी मकान के पानी बिजली का बिल भी विभाग द्वारा ही चुकाया जा रहा है? यदि हां, तो कब से और क्यों?

(7) क्या यह भी सही है कि अभी तक उक्त वैद्य ने सरकारी आवास भी खाली नहीं किया है? यदि हां, तो क्यों?

(8) क्या यह सही है कि उक्त वैद्य द्वारा की जा रही हर गलत कार्यवाही में जिला आयुर्वेद अधिकारी का बराबर सहयोग रहा है? यदि हां, तो उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है और नहीं, तो क्यों?

(9) अब तक उक्त वैद्य व उनका सहयोग करने वाले जिला आयुर्वेद अधिकारी नागौर के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई तथा क्या क्या कार्यवाही की जानी है जो कब तक की जा सकेगी?

उत्तर

(1) जी हां। राज्यादेश दिनांक 10.8.2001 द्वारा निम्बी जोधा (नागौर) में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सक श्री राधेश्याम का स्थानान्तरण दुलचासर (डूंगरगढ़) किया गया था। तदुपरान्त राज्यादेश दिनांक 26.9.2001 द्वारा इस चिकित्सक का स्थानान्तरण पुन: निम्बी जोधा (नागौर) किया गया एवं राज्यादेश दिनांक 12.11.2001 द्वारा मेड़ता सिटी (नागौर) व राज्यादेश दिनांक 28.1.2002 द्वारा माडौकण (नागौर) स्थानान्तरण किया गया

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

है। श्री राधेश्याम शर्मा आयुर्वेद औषधालय, निम्बी जोधा (नागौर) में निम्न अवधि में पदस्थापित रहे हैं :-

1. दिनांक 1.4.1982 से जुलाई, 1986 तक
2. माह अक्टूबर, 1986 से दिसम्बर, 1989 तक
3. माह मार्च, 1991 से मई, 1992 तक
4. माह जुलाई, 1994 से 15.8.2001 तक
5. 1.10.2001 से 22.10.2001 तक
6. 9.1.2002 से 6.2.2002 तक

(2) उक्त राज्यादेश दिनांक 10.8.2001 के बाद चिकित्सक श्री राधेश्याम ने निम्न प्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज की है :-

1. दिनांक 1.10.2001 से 22.10.2001 तक आयुर्वेद औषधालय निम्बी जोधा (नागौर)
2. दिनांक 9.1.2002 से 6.2.2002 तक आयुर्वेद औषधालय निम्बी जोधा (नागौर),

(3) जी हां। उक्त चिकित्सक दिनांक 16.8.2001 से 30.9.2001 तक 45 दिवस तथा दिनांक 23.10.2001 से 8.1.2002 तक 78 दिवस तक अवकाश पर रहे हैं।

इस अवधि का अवकाश स्वयं की बीमारी का रोग आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर ने स्वीकृत किया है।

वर्तमान में उक्त चिकित्सक दिनांक 7.2.2002 से पुन: अवकाश पर चल रहे हैं।

(4) जी हां। नये चिकित्सक को रेकार्ड सम्भलाने हेतु जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।

(5) जी हां। चुकाये गये मकान किराये भत्ते की वसूली हेतु कार्यवाही करने के निर्देश जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर को दे दिये गए हैं।

(6) जी नहीं। पानी बिजली के बिलों की कुल राशि का नियमानुसार एक तिहाई भाग कम करके शेष भाग का भुगतान ही विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(7) जी हां। नोटिस देकर सरकारी आवास खाली कराने हेतु जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर को निर्देश दे दिए गये हैं।

(8) जी नहीं। जिला आयुर्वेद अधिकारी के विरुद्ध उक्त चिकित्सक को सहयोग करने सम्बन्धी कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है, जो दोषी है उनके विरुद्ध प्रश्न के बिन्दु संख्या-9 के उत्तर अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(9) प्रकरण की प्राथमिक जांच करायी गई है तथा उक्त चिकित्सक एवं कनिष्ठ ही लेखाकार के विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के नियम-17 में कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है साथ ही उक्त चिकित्सक को चुकाए गये मकान किराये भत्ते व रिहायशी मकान के किराये की वसूली की कार्यवाही भी अमल में लाने का निर्णय लिया गया है।

जिला जयपुर के आयुर्वेदिक औषधालयों में सामान्य सुविधाओं का अभाव

801. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जयपुर में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं? क्या उक्त सभी औषधालयों में पास स्वयं के भवन, पानी-बिजली, शौचालय, सुविधाएं मौजूद हैं? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त औषधालयों में अब सरकार कब तक उक्त सुविधाएं देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त औषधालयों में वांछित दवाइयों का मांग पत्र मंगवाकर दवाइयों का वितरण नहीं किया जाकर मनमाने तरीके से दवा वितरण किये जाने से अधिकांश बहुउपयोगी दवाइयां गरीब तबके के रोगियों को नहीं मिल पाती हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1998 से फरवरी, 2002 तक उक्त औषधालयों को गोदन्ती भस्म, विषाण भस्म, चन्द्रामृता रस, रस-सिन्दूर पुष्करमूल चूर्ण, तालीसादि चूर्ण, लवंगादि वटी, च्यवनप्राश, बालसुधा आदि औषधियां कितनी मात्रा में दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में 291 विभागीय आयुर्वेद औषधालय/चिकित्सालय वर्तमान में संचालित हैं। जी नहीं। औषधालय संचालन हेतु भवन व अन्य व्यवस्था जन सहयोग से की जाती है। इसी कारण सभी औषधालयों के पास स्वयं के भवन, पानी बिजली व शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर, इन सभी औषधालयों में यह सुविधा देना सम्भव हो सकेगा।

(2) यह सही है कि औषधालयों को औषधियों की सप्लाई उनके मांग पत्र मंगवाकर नहीं की जाती थी। परन्तु अब मांग पत्र पर दवाएं देने के बारे में निर्देश दिये जा रहे हैं। विभागीय रसायनशालाओं में निर्मित एवं उपलब्ध आवश्यक औषधियां, सभी विभागीय औषधालयों को सप्लाई की जाती है। यह सही नहीं है कि गरीब लोगों को दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। जो दवाएं उपलब्ध हैं वे सभी को उपलब्ध करवाई जाती हैं।

(3) वर्ष 1998-99 से फरवरी, 2002 तक जयपुर जिले के विभागीय आयुर्वेद औषधालयों को सप्लाई की गई गोदन्ती, चन्द्रामृत रस, तालिसादी चूर्ण, लवंगादि वटी, च्यवनप्राश, विषाण भस्म का विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है। इस अवधि में रस सिन्दूर, पुष्करमूल चूर्ण व बालसुधा उपलब्ध नहीं होने से उक्त विभागीय औषधालयों में सप्लाई नहीं की गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

राज्य में आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण की निगरानी

802. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादडी): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के 32 जिलों में आयुर्वेद औषधियां निर्माण के लिये लाइसेंस देने वाले व्यापारियों की संख्या कितनी हैं? विवरण जिलानुसार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त औषधियों की निर्माण की निगरानी रखने के लिये कुल कितने ड्रग निरीक्षक कार्यरत हैं उनका कार्यक्षेत्र का विभाजन किस प्रकार किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि प्रत्येक जिले में कम से कम ड्रग निरीक्षक नहीं होने के कारण दवाइयों की गुणवता पर ठीक प्रकार से नियंत्रण रखना असम्भव हो रहा है? क्या उक्त कारण नकली औषधियों का तेजी से निर्माण हो रहा है?

उत्तर

(1) औषधि निर्माण के लिए लाइसेंस देने वाले व्यापारियों की संख्या शून्य है।

(2) राज्य में आयुर्वेद विभागान्तर्गत वर्तमान में तीन औषधि निरीक्षक (आयुर्वेद) के पद सृजित हैं, जिनके कार्यक्षेत्र के विभाजन का विवरण परिशिष्ट ''ख'' संलग्न है।

(3) पूरे राज्य में मात्र तीन औषधि निरीक्षक (आयुर्वेद) के कार्यरत होने से प्रभावी नियंत्रण में कठिनाई है। उक्त निरीक्षकों के नये पद सृजित करने पर विभाग विचार कर रहा है। हमारे पास नकली दवाइयों के निर्माण की कोई सूचना नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

हवामहल बाजार जयपुर में होम्योपैथिक चिकित्सालय

803. श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने के क्या मानदण्ड है? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर में वर्तमान में कितने राजकीय होम्योपैथी अस्पताल कार्यरत हैं?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के हवामहल बाजार स्थित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय को विधान सभा के नये भवन में स्थानान्तरित हो जाने के फलस्वरूप स्थानीय निवासियों को असुविधा हो रही है?

(4) क्या सरकार मरीजों की सुविधा हेतु हवामहल बाजार में नवीन अथवा अन्यत्र स्थल से होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थानान्तरित कर खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्यादेश क्रमांक प. 25 (63) आयुर्वेद/94 पार्ट दिनांक 8.9.1998 द्वारा नवीन औषधालय आरम्भ करने हेतु निम्न मानदण्ड निर्धारित किए हुए हैं :-

1. यथासम्भव भवन व्यवस्था उपलब्ध होना।
2. अन्य राजकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होना।
3. नवीन औषधालय से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या 2000 होना।
4. बजट प्रावधान उपलब्ध होना।

(2) जयपुर शहर में वर्तमान में ग्यारह विभागीय होम्योपैथिक औषधालय संचालित है।

(3) हवामहल बाजार में धाभाईजी की हवेली में जो विभागीय होम्योपैथिक औषधालय संचालित था, वह विधान सभा के माननीय सदस्यों को होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत किया गया था।

विधान सभा के नवीन भवन में स्थानान्तरित हो जाने से यह औषधालय भी नवीन भवन में स्थानान्तरित किया गया है। फलस्वरूप इस क्षेत्र के निवासियों को असुविधा होना स्वाभाविक है। इस बारे में विभाग विचार कर रहा है।

(4) जी हां। राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

तहसील बाप जैसलमेर के गांवों की नाचणा तहसील में वापसी

804. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र के पोकरण लिफ्ट योजना की नयी तहसील जिला जोधपुर के बाप में स्थापित की है?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला जैसलमेर के कुछ गांव बाप उपनिवेशन तहसील में सम्बन्धित किये गये हैं?

(3) क्या यह सही है कि जैसलमेर के गांव उपनिवेशन तहसील नाचणा के पास है और मात्र सिंचाई पोकरण लिफ्ट के कारण बाप तहसील में दिए गये हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला जैसलमेर के गांवों का बाप से कोई आवागमन व अन्य सम्पर्क नहीं है तथा नाचणा होकर काश्तकारों को बाप पहुंचना पड़ेगा?

(5) क्या सरकार जिला जैसलमेर के गांवों को नाचणा उपनिवेशन तहसील में ही रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में उपनिवेशन तहसील, बाप का सृजन पोकरण एवं फलौदी लिफ्ट

(उपनिवेशन मंत्री)

योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लिये किया गया है।

(2) जी हां। जिला जैसलमेर के 10 गांव उपनिवेशन तहसील, बाप में शामिल किये गये हैं।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। जिला जैसलमेर के गांवों का बाप से बस द्वारा सम्पर्क है। पांच गांव बीकमपुर बाप मार्ग पर हैं तथा 5 गांवों की बाया फलौदी सीधी बस सेवा है।

(5) जी हां। प्रस्ताव विचाराधीन है।

जिला पाली में मत्स्य पालन प्रशिक्षण हेतु प्राप्त आवेदन

805. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी): क्या मत्स्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत 5 वर्षों में जिला पाली में मत्स्य विभाग द्वारा किन-किन लोगों/संस्थाओं को मछली पालन हेतु प्रशिक्षण दिया गया है? ग्राम एवं नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के किन-किन जलाशयों/बांधों में मछलीपालन कार्य किन किन व्यक्तियों द्वारा या संस्था द्वारा करवाया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में मछली पालन करने वाले लोगों को किस प्रकार से आवेदन किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में जिला पाली में जिन-जिन लोगों/संस्थाओं को मछली पालन का प्रशिक्षण दिया गया है उनका विवरण प्रपत्र "क" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त जिले में बड़े जलाशयों/बांधों में मत्स्य विभाग द्वारा ठेकेदारों से, छोटे जलाशयों में प्रशिक्षित मत्स्य कृषकों से एवं पंचायत के जलाशयों में सम्बन्धित पंचायत द्वारा मछली पालन का कार्य करवाया जाता है।

(3) उक्त जिले में मछली पालन के इच्छुक लोगों को सम्बन्धित पंचायत के माध्यम से आवेदन करना होता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालयों में अध्यापकों के अधिशेष पद

806. श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री खेमराज कटारा)

(1) प्रदेश में कितने संस्कृत महाविद्यालय/विद्यालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालय/विद्यालयों में कितने छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं?

(3) क्या उक्त संस्कृत महाविद्यालयों/विद्यालयों में छात्र नहीं हैं फिर भी शिक्षक लगा रखे हैं और जहां छात्र है वहां शिक्षक नहीं हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि कक्षाओं में बिना छात्र हुए भी शिक्षकों को लगा रखा है और उन्हें बिना काम ही लाभ पहुंचाने की दृष्टि से 15-20 हजार रुपए वेतन दिया जा रहा है?

(5) क्या सरकार पश्चिमी राजस्थान के संस्कृत महाविद्यालय/विद्यालयों में प्रोफेसर, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड प्रथम/द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कई वर्षों से रिक्त पड़े पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) पश्चिमी राजस्थान में संस्कृत के महाविद्यालय/विद्यालयों में कुल कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं? सूची संस्थावार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में संचालित संस्कृत महाविद्यालय/विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त महाविद्यालय/विद्यालयों में कुल 91643 छात्र एवं 60821 छात्राएं अध्ययनरत हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। महाविद्यालय तथा विद्यालय के विभिन्न संवर्गों के सीधी भर्ती अंश के पद जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में आते हैं, को भरने हेतु लोक सेवा आयोग को अर्थनाएं भिजवाई जा चुकी है।

पदोन्नति अंश के महाविद्यालय एवं विद्यालय के विभिन्न संवर्गों के पदों (जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में आते हैं) की पूर्ति के लिए प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाये जा चुके हैं।

विभागीय स्तर पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के प्रस्ताव तैयार हैं, वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति पर प्रतिबन्ध है। पदोन्नति पर से प्रतिबन्ध हटते ही पदोन्नतियां की जा सकेगी।

(6) पश्चिमी राजस्थान में संस्कृत के महाविद्यालयों/विद्यालयों में स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों की संस्थावार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जालौर के प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

807. श्री गणेशी राम मेघवाल (जालौर): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जालौर में प्राथमिक से लेकर उपाध्याय तक संस्कृत विद्यालय कहां-कहां स्थित है?

(2) उक्त समस्त विद्यालयों में प्रत्येक में कितने-कितने पद सृजित हैं एवं कौन-कौन अध्यापक कार्यरत हैं? क्या उक्त में रिक्त पद भी हैं?

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालयों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला जालौर में प्राथमिक से लेकर उपाध्याय तक के संस्कृत विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) रिक्त पदों सहित समस्त विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। रिक्त पदों को गैस्ट फैकल्टी के अन्तर्गत भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची/विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) डा. रतनलाल जाट, सदस्य की ओर से जिला भीलवाड़ा की पंचायत समिति सहाड़ा की ग्राम पंचायत सरगांव के सरपंच का पद रिक्त होने से विकास के कार्य अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रमजान खान, सदस्य की ओर से पुष्कर की ग्राम पंचायत देवनगर के ग्राम कानस की 64 बीघा सिवाय चक भूमि दौसा निवासी एक जागीरदार को आबंटित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री अध्यक्ष : आप रोज-रोज ध्यानाकर्षित करते हैं। अभी तो मैं स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दे रहा हूं।

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनः हाथ के संकेत से अंकित नहीं करने का आदेश दिया गया)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अनुमति नहीं है तो भी आप तो खड़े हो जाते हैं। आप लिख करके मुझे भेजना। कैसे खड़े हो जाते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री अध्यक्ष : अनुमति नहीं है उनको। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री अध्यक्ष : उनको अनुमति नहीं है। आपको अनुमति नहीं है।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री संजीव कुमार : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री अध्यक्ष : स्थगत प्रस्तावों पर व्यवस्था। नहीं, मैंने अनुमति नहीं दी है आपको। आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र जी व्यास, आर्डर-आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। मुझे सूचना की आवश्यकता नहीं है। मुझे सूचना मिल रही है। (व्यवधान) यह सूचना मिल रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री देवी सिंह भाटी का मामला...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री संजीव कुमार : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मैंने अनुमति नहीं दी है। आप बैठिये। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र जी व्यास, बैठ जाइये। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान) श्री रामस्वरूप जी, बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

(12.09)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामस्वरूप : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री मोहन लाल बारूपाल, सदस्य की ओर से जिला नागौर की तहसील जायल में विद्युत की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री मोहन लाल चौहान, सदस्य की ओर से राज्य में वर्षों से चल रहे कदमी रास्तों को कटाण घोषित करने के अधिकार राजस्व अधिकारियों को देने के संबंध में।

(3) श्री अमीन खान, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर की तहसील शिव के ग्राम लंगों की ढाणी, राणाकदेव व मंगालियों की ढाणी में पेयजल उपलब्ध करवाने के संबंध में ।

(4) श्री संजीव कुमार, सदस्य की ओर से भादरा तहसील मुख्यालय पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खुलवाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री मोहन लाल बारूपाल। श्री मोहनलाल बारूपाल।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मोहन लाल चौहान। (व्यवधान) श्री अमीन खान। माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : जब अध्यक्ष महोदय ने अलाउ नहीं किया, मैं कहां से अलाउ कर दूं। बिराजिये। (व्यवधान) आपका अंकित ही नहीं हो रहा है।

श्री सुरेन्द व्यास : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैं कुछ नहीं सुनूंगा।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल चौहान। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल जी बारूपाल। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खान। (व्यवधान) कोई जवाब नहीं है इसका।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका फैसला कर चुके। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मोहन लाल चौहान।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

राजस्व अधिकारियों को कदमी रास्तों को कटाण घोषित करने के अधिकार देने

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि इस विशेष उल्लेख के द्वारा मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में वर्षों से कदमी आम रास्ते काश्तकारों के खेतों में से चले आ रहे हैं। जिन रास्तों पर ट्रेक्टर, ऊंट, छंकड़ा एवं बैल छकड़ा चलते हैं। मगर राजस्व रिकार्ड में कटाण नहीं है जिससे काशतकारों के आपस में झगड़ा, फसाद एवं विवाद पैदा हो जाते हैं। आपस में मुकदमाबाजी होती रहती है। राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तहत धारा 251 के अन्तर्गत तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत को केवल पगडंडी देने का अधिकार है मगर राजस्व रिकार्ड में अमलदराय करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी को भी आम रास्ता कटाण घोषित करने का अधिकार नहीं है। राजस्व अथोरिटी को राजस्व रिकार्ड में कटाण करने का अधिकार नहीं होने से काश्तकारों को खेतों में आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाई बंटवारा का दावा न्यायालय में चलता है। सुखाचार के भी कटाणी रास्ता घोषित करने का अधिकार राजस्व अथोरिटी को नहीं है।

अत: मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से इस विशेष उल्लेख के जरिये मांग करता हूं कि राजस्थान में वर्षों से चल रहे कदमी रास्तों को कटाण घोषित करने का अधिकार राजस्व अथोरिटी को प्रदान करायें। धन्यवाद। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : सदन को डिफाइन कर रखा है। सदन का मतलब टोटल परिसर है। यह डिफाइन कर रखा है। (व्यवधान) सदन का मतलब हाउस का परिसर है। (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री सी. पी. जोशी : आपको खुद को भी लिखकर दे रखा है, सचिव महोदय ने आपको खुद को लिखकर दे रखा है, सदन को डिफाइन किया हुआ है, वह सबको लिखकर दे रखा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। आप रूल 292 सैक्शन (3), इसको पढ़ लीजिये, इससे आपको स्पष्ट हो जायेगा– "A member suspended under this rule shall forthwith withdraw from the precincts of the House."

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : सीमा। सीमा।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : एक बात और पढ़ देता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। माननीय सदस्य। बिराजिए प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए आप। बैठिए प्लीज माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र जी व्यास "Precincts of the House means and includes the main Vidhan Sabha Bhawan, the open space therein and the iron railing around the compound wall of the Assembly and such other places as the Speaker may, from time to time, specify." इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह, इसके बाद आपके पास कुछ नहीं है कहने को। (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। आप बिराजिये प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खान।

शिव तहसील (बाड़मेर) की ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जिला बाड़मेर की तहसील शिव के ग्राम लंगों की ढाणी–राणाकदेव व मेगयालों की ढाणी, मंगालियों की ढाणी क्षेत्रीय जल प्रदाय सन् 1996-97 में स्वीकृत हुई व सन् 1997-98 में भीभाड़ ग्राम से पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। टंकियां भी बन चुकी हैं परन्तु आज तक उपरोक्त स्थानों पर पानी नहीं जाता है। वहां के गरीब लोग इधर-उधर पानी के लिए भटकते फिर रहे हैं जिससे वहां की जनता में भारी असंतोष है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन है कि तकनीकी जांच कर भूरो की बस्ती में बूस्टर लगाकर ग्राम लंगों की ढाणी, राणाकदेव, मेगयालों की ढाणी व मंगालियों की ढाणी में पानी पहुंचाने का इंतजाम करावें।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दिया न, क्या बोलना है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं। मैं अलाउ नहीं करूंगा। श्री संजीव कुमार।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

भादरा तहसील मुख्यालय पर पुलिस उप अधीक्षक का कार्यालय

श्री संजीव कुमार (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री संजीव कुमार)

नियम 295 के अन्तर्गत भादरा तहसील मुख्यालय पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र भादरा एक तहसील मुख्यालय है, इसके अधीन 205 राजस्व ग्राम हैं तथा एक पंचायत समिति कार्य कर रही है। कुल 49 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। वर्तमान में इस तहसील क्षेत्र में दो थाना क्रमशः भादरा एवं भीरानी कार्यरत हैं और जिनके अधीन दो पुलिस चौकियां भी कार्यरत हैं।

यह क्षेत्र एक तरफ हरियाणा राज्य के सिरसा, हिसार, फतेहाबाद आदि जिलों से घिरा हुआ है, तो दूसरी तरफ राजस्थान का चूरू जिला लगता है। इस तहसील का अधिकांश भाग हरियाणा क्षेत्र से लगता हुआ है जिससे हरियाणा के अपराधी उस क्षेत्र से पलायन कर इस तहसील को शरणस्थली बना लेते हैं। दूसरी ओर इस राज्य व तहसील के अपराधी हरियाणा को पलायन कर जाते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण अवैध शराब आदि की तस्करी करने वाले अपराधी इस क्षेत्र में, आकर कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ते रहते हैं। अत: विभिन्न तरह के अपराध ज्यादा होने की वजह से यह क्षेत्र बड़ा ही संवेदनशील है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी, बोलिये आप। (व्यवधान) आप पर्ची पर बोलिये। (व्यवधान) रामस्वरूपजी बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अमराराम जी, पर्ची पर बोलिये। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : वर्तमान में तहसील मुख्यालय पर ए.सी.जे.एम. कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, ए.डी.जे. कोर्ट, सहायक कलक्टर कार्यालय के अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय तथा सब जेल कार्यालय कार्यरत हैं।

वर्तमान में भादरा का इलाका पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय नोहर के अन्तर्गत आता है। भादरा तहसील मुख्यालय से नोहर 50 किलोमीटर दूर होने की वजह से जनता को तथा पुलिस को काफी असुविधा होती है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री संजीव कुमार : अत: मेरे क्षेत्र से विभिन्न संगठनों, जन प्रतिनिधियों एवं

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री संजीव कुमार)

बुद्धिजीवियों ने समय-समय पर भादरा तहसील मुख्यालय पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की मांग की है। अत: मेरा माननीय गृह मंत्रीजी से विनम्र निवेदन है कि भादरा क्षेत्र की उपरोक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए जनता की मांग के अनुरूप भादरा तहसील मुख्यालय पर अतिशीघ्र पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खुलवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी। (व्यवधान) बिराजिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह बात आप कह रहे हैं, आपने व्यवस्था दी है, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है...

श्री उपाध्यक्ष : आप पर्ची पर बोले। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : पर्ची पर बोलूंगा लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, पहले ही प्रतिपक्ष प्रमुख दल है वह बाहर है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पर्ची पर बोलिये, प्लीज। आप पर्ची पर बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं?

श्री अमराराम (धोद) : पर्ची पर बोलूंगा लेकिन आप बाकी भी कोई बोले तो उनकी सुनने का तो धैर्य रखें।

श्री उपाध्यक्ष : तो बोलो फिर, प्लीज। कोई बिजनेस ही नहीं है, आप पर्ची पर बोले प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के ध्यान में...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये प्लीज। अंकित नहीं हो, जो ये बोले, वह अंकित नहीं हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी, बोलिये। बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : काहे की अनुमति चाहते हैं आप। कोई छूट ही नहीं है इसमें जब अध्यक्ष महोदय ने आपको कह दिया, मैंने आपको सारी व्यवस्था बता दी उसके बाद इसमें प्रश्न ही नहीं है, छूट क्या है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : काहे का रिकार्ड। आप बिराजिये प्लीज। वह सब समाप्त हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमरारामजी। आप प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिये, बिराजिये। आपको कोई नहीं सुनना चाहता, आप बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, प्लीज। I will not allow you.

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, सबजेक्ट ही नहीं है हाउस के सामने, प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए। श्री अमराराम जी, बोलिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमरारामजी, बोलिए। माननीय सदस्य, I will not allow you. मैं कह सकता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow you. आप प्लीज सिट डाउन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : Please behave in the House. You please sit down. You please sit down. I am asking you to please sit down...(interr) ...Shri Surendra ji Vyas, I am asking you to sit down. माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान) नहीं मैडम, प्लीज...

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं, आप प्लीज बिराजें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow you. I am telling you. आप बिराजिये न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, आप बिराजिए न। चलिए अब।

पर्ची के माध्यम से उठाए गए मुद्दे

अकाल के दौरान किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य एवं कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध कराने

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय कृषि मंत्रीजी बिराजे हुए हैं, निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो वैसे ही राजस्थान का किसान पिछले चार साल से लगातार अकाल से जूझ रहा है दूसरी तरफ पूरे राजस्थान का किसान अपने उत्पाद के वाजिब दाम, लागत मूल्य के भी नहीं मिलने के कारण परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर जो बीमारियां हैं उनसे किसान की फसलें जिस तरह से तबाह हुई हैं, टमाटर की फसल पिछले साल, उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि राजस्थान के किसान और विशेष तौर से जयपुर जिले के किसान जहां बस्सी तहसील में, सांगानेर, आमेर और चौमूं में कंजम्पशन का बहुत बड़ा हिस्सा टमाटर का पैदा होता है। उस टमाटर की पिछले साल, इसी फसल के वक्त में जो भावों में गिरावट आई, दस पैसे किलो भी किसान का राजस्थान में कोई टमाटर जो पैदा हुआ उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। नतीजा यह निकला कि उन किसानों ने टमाटर की फसल की ट्रेक्टर की ट्राली भर-भर के राजस्थान के सचिवालय के सामने लाकर उड़ेल दी। इस साल फिर वही टमाटर की फसल पैदा की, बार-बार कृषि विभाग से निवेदन करने के बाद, हरी लट जो आई उसने अस्सी प्रतिशत टमाटर की फसल तबाह कर दी। छह महीने से किसान ने, चूंकि खाद्यान्न पैदा करने में भाव नहीं मिलता, सब्जी के रूप में जो टमाटर राजस्थान में और राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान के बाहर दिल्ली और दूसरे प्रांतों में टमाटर जाता था उस किसान की, उपाध्यक्ष महोदय, क्या हालत हुई होगी जिसने कितना महंगा, 48 हजार रुपये किलो का बीज लेकर बोया, खाद-पानी और छह महीने की मेहनत, आज जब वह फसल आने लगी उस समय हरी लट जो आई। आपके जो पेस्टिसाइड्स हैं, सभी पेस्टिसाइड्स उसमें निष्प्रभावी हैं। हजारों-लाखों किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान अकेले लट ने कर दिया और आपका विभाग सोता रहा। कोई भी ऐसा पेस्टिसाइड्स मंत्रीजी बताएं ताकि उस लट को हम मार सकें। न टमाटर की लट मरी अब तक, न कपास की लट मरी। कौन सी लट मारने में लगा हुआ है यह आपका विभाग। आज की तारीख में उस लट को मारने के लिए आपके विभाग से सम्पर्क करते हैं, तो कहता है कि हमें पता नहीं है यह लट कैसे मरेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज जो करोड़ों रुपये का नुकसान

(श्री अमराराम)

राजस्थान के उस किसान की जिसकी आर्थिक रूप से कमर टूटी हुई है, जिसकी भाव से मार है, उस बीमारी से बचाने के लिए आपका विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है और उसको किस तरह से हम बचा सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो किसान पहले से ही आर्थिक रूप से टूटा हुआ है, उसकी टमाटर की फसल, विशेष रूप से जयपुर जिले में चौमूं, आमेर, सांगानेर और बस्सी और बाकी राजस्थान में भी यह बीमारी प्रमुख रूप से फैली हुई है, किसान अपनी आजीविका कमाने के लिए जो टमाटर की फसल कर रहा है, विभाग उसमें क्या कार्यवाही करके कौन सी पेस्टिसाइड को किसानों को आपके विभाग ने प्रेस्क्राइब्ड करके सजेस्ट किया है कि यह पेस्टिसाइड है जिससे इस लट की बीमारी से मुक्ति मिल सकती है और किसानों की इनकम बढ़ सकती है। जो करोड़ों रुपए की फसल नष्ट हुई है उसे कैसे बचाया जा सकता है। मंत्रीजी बताएं जिससे आगे पता चले।

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, कृपा करके दो मिनट सुनें। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहने वाला। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप दो मिनट की अनुमति प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजाद। प्लीज, आप बिराजिए। आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान दीजिए, आप बिलकुल गलत समझ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज। आप फिर वही बात कर रहे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो सदाशय हैं, हमेशा आसन पर बिराजते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप वही बात कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण मसले पर...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, आप सुन तो लें एक बार। आप सुन तो लें, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सुन लें, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप समझ रहे हैं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप रूल आउट कर सकते हैं, रूल आउट कर दीजिएगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार सुन तो लें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आपने जो व्यवस्था में कानून में इन नियमों का जो हवाला दिया, इसके बारे में आपको कहां दिक्कत है, वह कम से कम सुन लीजिए आप, आपको नहीं है, तो रिजेक्ट कर दीजिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय, सुनना तो चाहिए आपको जब आपने... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बार सुन तो लें आप हमारी।

मोहम्मद माहिर आजाद : सुनना चाहिए आपको।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार सुन तो लो, छोटी सी अर्ज है।

श्री उपाध्यक्ष : What is the subject you want to speak on? एक मिनट।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, आप सुनेंगे तो दूसरों को भी सुनना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : पहले मुझे समझने दो, क्या बोलना चाहते हैं, यह तो समझूं मैं।

श्री शिवनाथ सिंह : समझे हुए हैं, आप भी समझे हुए हैं, हम भी समझे हुए हैं, यह भी समझे हुए हैं लेकिन इस प्रकार से आप यदि एक को अलाउ करते हैं, इस विषय को खोलन दोगे आप तो फिर हम सब को बोलने दिया जाए...

श्री उपाध्यक्ष : मैं कोई खोलने नहीं दूंगा, आप चिन्ता मत करो, आप बिराजो प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो सदन के माननीय सदस्यों की यह भ्रांति दूर करना चाहता हूं कि मैं कोई सब्जैक्ट रिओपन नहीं करना चाहता। जो बहुमत के आधार पर एक फैसला इस सदन ने किया है, मेरी राय में वह नाजायज फैसला हो सकता है...

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, बहुमत ने फैसला कर दिया, यह कहते हैं कि यह नाजायज फैसला है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं। मेरी राय में।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं इस प्रकार के कमेंट्स सदन का अपमान है। माननीय उपाध्यक्षजी, एक फैसला सदन ने कर दिया और आप माननीय सदस्य कहते हैं कि यह फैसला गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : इस फैसले को बदल कौन रहा है।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं-नहीं, मैं आपसे निवेदन करूं...

श्री उपाध्यक्ष : हम कहां बदल रहे हैं फैसले को, फैसले को कौन बदल रहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कहां बदले रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं-नहीं, बदल नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फैसला गलत है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने नहीं कहा। मैं कह सकता हूं, मेरे विचार हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं कह सकते इस बात को माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरी राय में गलत हो सकता है...

श्री शिवनाथ सिंह : हो सकता है। माननीय उपाध्यक्षजी, आप अलाउ कीजिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर इस मामले को ओपन कर देंगे आप तो हमको भी बोलने की इजाजत देनी पड़ेगी आपको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य सब्जैक्ट ओपन कहां कर रहे हैं मैं तो कर नहीं रहा हूं। I am not opening the subject.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं। नहीं होगा।

श्री शिवनाथ सिंह : (व्यवधान) ओपन हो गया ये कहते हैं कि सदन का फैसला गलत है। ओपन हो गया... (व्यवधान) अब आपका यह कहना कि सदन का फैसला गलत है, हमको यह समझाना पड़ेगा कि सदन का फैसला गलत नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : आपने व्यवस्था दे दी। आपने पढ़ कर सुना दिया। इनको पूरी व्याख्या कर दी फिर भी बार-बार खड़े हो रहे हैं बोलने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शिवनाथ सिंह : ओपन हो गया। डिबेट ओपन हो गयी यह तो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये आप बिराजिये।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह फरमा रहे हैं कि मेरी राय में यह फैसला गलत है। हर सदस्य को अपनी राय प्रकट करने के लिए अवसर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए न। आप एक मिनट बिराजिए।

श्री जुगल काबरा : हर सदस्य को अपनी राय प्रकट करने के लिए आप तो इसको ओपन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। मैं न तो इनको इस सब्जैक्ट पर बोलने दे रहा हूं। वो कुछ कहना चाहते हैं। सुनें अगर गलत कह रहे हैं तो I will disallow it. इनकी सुनें तो सही वो मान लीजिए कोई दूसरे सब्जैक्ट को कह रहे हों तो इसमें तो क्या तकलीफ है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुन तो लीजिए आप...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगर ये कहते हैं कि मैं उस सब्जेक्ट पर बोलता हूं तो मैं रोक दूंगा।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, कोई तकलीफ नहीं है आपने पहले एक निर्णय दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपकी कल्पना की बात है।

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, वे उस सब्जैक्ट पर ही बोल रहे हैं आप कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है कौन सा है। वे उसी सब्जैक्ट पर ही रिपीटेडली बोले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें सब्जैक्ट का पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री शिवनाथ सिंह : आपने पहले एक निर्णय दे दिया और उसके बाद में आप सब्जैक्ट रिओपन कर रहे हैं।

श्री जुगल काबरा : रिपीटेडली उसी सब्जैक्ट के ऊपर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहली बात तो यह है कि ये जानते हैं कि इस बात को हम, इस सब्जैक्ट को हम ओपन नहीं करने देंगे। ये बोलेंगे तो मैं बन्द कर दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कभी नहीं कहा कि नायायज है। मैंने कहा कि मेरी राय में नायायज हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल किस सब्जैक्ट पर रहे हो? यह तो बताएं आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं बताऊं...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं। What is your subject? आप काहे पर बोलना चाहते हो यदि आप निष्कासन पर...(व्यवधान) आप सुनिए। यदि आप इस निष्कासन के प्रकरण पर बोलना चाहते हो, तो मैं अलाउ नहीं करता सीधी बात है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : निष्कासन पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उस पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : तो काहे पर बोल रहे हैं आप?

श्री सुरेन्द्र व्यास : With your permission. I want to appeal to the good conscience of the treasury benches. आप बात सुनिये। मैं सत्ता पक्ष के सम्माननीय मंत्रीगण और सदस्यों को कुछ अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूं। जो कुछ घटना घटी उसके विषय में मैं कोई चर्चा नहीं करता और मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह ईमानदारी से कहता हूं कि जहां तक डा. कमला का सवाल है मैं जितनी भी दफा रहा हूं वो यहां रही हैं, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत आदर करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सभी करते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सब लोग आदर करते हैं और किसी को इस बात की प्रसन्नता नहीं थी। कुछ भी कहा हो अब उस विवेचन में हम नहीं जाएं। सवाल यह है कि सदन के अन्दर अनेक बार अनेक प्रकार की उत्तेजनाएं हुई हैं। अब उस रोज आपने कर दिया उसमें भी नहीं जाता मैं। ठीक है जो एक दफा कह दिया, अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी, आपने व्यवस्था दी, उसके बावजूद भी इन्होंने कर दिया। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सस्पेंशन करने के बाद, एक्सपल्शन करने के बाद वो लगातार उसके ऊपर स्टेंड किया हो। हमेशा ट्रेजेरी बेंचेज को इस बात का अहसास हुआ है, क्योंकि प्रजातंत्र का अपोजिशन एक अपरिहार्य अभिन्न अंग है...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुने तो सही। +++ बीच में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : किया है, हमेशा तीन-तीन दिन के बाद रिवोक किया है हमेशा। हिस्ट्री उठा कर पढ़ें।

श्री परसादी लाल : तीन माननीय सदस्यों का तीन महीनों के लिए निष्कासन किया। सत्ता पक्ष ने एक बार भी हमसे बात नहीं की। हम दरवाजे पर एक महीने लगातार बैठे रहे। कभी बात नहीं की एक बार भी। क्या बात कर रहे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उन्होंने क्या किया था?

श्री अमराराम (धोद) : माननीय मंत्री महोदय, तब सब बाहर थे। अपोजिशन अभी तो अन्दर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कहना क्या चाहते हो?

श्री शिवनाथ सिंह : ...(व्यवधान) आप अपनी बात कहें हम तो अपनी बात कहेंगे। आपने डिबेट कर दी ओपन।

श्री रामस्वरूप : तीन बार तो मेरा निष्कासन हुआ था। जब ये उधर बैठते थे तब ये उधर बैठने वालों ने तीन बार तो मेरा निष्कासन किया है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। What do you want to say?

श्री रामस्वरूप : सदन के अन्दर इन्होंने क्या नहीं किया। हाथ-पैर तक इन्होंने तोड़े, निष्कासन हमारा किया, इससे ज्यादा क्या करते हमारे साथ और क्या कमी छोड़ी?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकरण का उल्लेख माननीय सदस्यों द्वारा किया जा रहा है उस प्रकरण के तथ्यों को मैं...

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, What do you want? कंक्लूड करें न आप। क्या कह रहे हैं? What do you want?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इतना सा कह रहा हूं कि सदन में तीन दिन हो गये प्रतिपक्ष का जो, मुख्य विपक्षी दल है पूरा गायब है। अब अगर मान लीजिये धारीवाल जी अपोजिशन को फेस नहीं करना चाहते, तो सी.पी. जोशी तो तैयार हैं और सी.पी. जोशी भी तैयार नहीं हों, तो प्रद्युम्न सिंह जी बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं आफ्टर आल...(व्यवधान) चन्द्रभान जी तो हमेशा तैयार हैं। वे तो आज भी तैयार हैं लेकिन मेरा पाइंट इतना सा है, उपाध्यक्ष महोदय, यह आपको जेस्चर आफ गुडविल देना चाहिए। अब जहां तक यह सवाल है कि ऐसा किया, बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। जिन प्रकरण के तथ्यों को...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कहना क्या चाहते हो? वह बोलो न। What do you want?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं कह रहा हूं न।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हो?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं...

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कौन से बदले की भावना की बात कर रहे हैं। माननीय सदस्य, कहां बदले की बात है। आसन का फैसला है उसको सर्वसम्मति से बहुमत से पारित कर दिया गया है। अब आप...

श्री सुरेन्द्र व्यास : ...(व्यवधान) हमारे को मैम्बर ही नहीं मानते हो आप। वाह-वाह काबरा जी।

श्री जुगल काबरा : नहीं, मैम्बर क्यों नहीं, आप अपनी बात कहिये न। आप उसी विषय पर, बार-बार घूम करके माननीय सुरेन्द्र जी उसी विषय पर आ रहे हैं जिसके बारे में आसन फैसला दे चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सर्वसम्मति तो... (व्यवधान) सारा एक होता तो भी नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्र जी, आपका सारा मतलब यह है कि जो कुछ इंसीडेंट हुआ है उस पर इनको रि-थिंक करना चाहिए। यही तो बात है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, एडजेक्टली।

श्री उपाध्यक्ष : फिर तो बात हो गयी बस। डिस्कशन खतम।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह इनको रि-थिंक करना चाहिए और यह सही स्टेप लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : Let them decide. आपने रिक्वेस्ट कर दी। Let them decide. बात खतम हो गयी। मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप इतनी सी बात के ऊपर...

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी बात। हो गयी न बात आपकी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, हो गयी, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आपने रिक्वेस्ट कर दी। They will think over it. बात खतम हो गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, प्रिसिंक्ट वाली बात है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहम्मद माहिर आजाद। हो गयी बात खतम।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट। प्रिसिंक्ट वाली बात है।

श्री उपाध्यक्ष : They have understood your feeling. हमने आपका मतलब समझ लिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, वह अलग बात है।

श्री उपाध्यक्ष : मैम्बर्स ने समझ लिया। बात खतम हो गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नही, आपने प्रिसिंक्ट्स को डिफाइन किया उसके ऊपर कह रहा हूं। अगर आपका फैसला यह है तो स्ट्रिक्टली एनफोर्स कीजिए इसको।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा फैसला नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, सदन का फैसला है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, सदन का फैसला है Don't say, it is mine.

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : Let them decide.

श्री सुरेन्द्र व्यास : कहां एनफोर्स हो रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वो अन्दर कैसे आ गये फिर?

श्री सुरेन्द्र व्यास : फिर अन्दर कैसे आ रहे हैं वो?

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दिया। हमने रिक्वेस्ट कर दी। हाउस डिसाइड कर लेगा।

श्री अमराराम (धोद) : फिर साहब आपने जो व्यवस्था दी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : It is not my business.

श्री अमराराम (धोद) : उसके अनुसार परिसर में नहीं आ सकते तो दो दिन से माननीय देवीसिंह जी भाटी यहां आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद जी, प्लीज। आप बिराजिये, प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : इसका मतलब आपके निर्णय ले लेने के बाद नहीं हो रहा है विधान सभा परिसर में।

श्री उपाध्यक्ष : बात हो गयी आपकी। आप बिराजिये। माननीय मोहम्मद माहिर आजाद जी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अपने अधिकारों का तो बखूबी ज्ञान है। इनको आप निर्देश यह फरमायें कि अपने अधिकारों के बजाय आपके कर्तव्य क्या हैं उस पर यदि आप ज्यादा जोर देंगे, तो मैं समझता हूं कि इस तरह के मसले खड़े नहीं होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य। माननीय मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री राजेन्द्र पारीक : अपने कर्तव्यों के प्रति आप ज्यादा ध्यान दें ताकि इस तरह के मसले पैदा नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र जी पारीक, बिराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट प्लीज। आप मुझे एक मिनट सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप बिराजिये। इस सब्जैक्ट को ओपन मत करिये।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं तो बिराज जाऊंगा। एक मिनट सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपा करके इसको ओपन मत करिये। आप खुद ओपन कर रहे हैं। बन्द करिये आप इसको।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, मैं ओपन नहीं कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बात हो गयी। उनकी फीलिंग्स का पता पड़ गया। हाउस को पता पड़ गया। बात खतम हो गयी।

श्री शिवनाथ सिंह : दूसरे माननीय सदस्यों की भी फीलिंग्स...

श्री उपाध्यक्ष : हाउस के जंचेगी तो मान लेगा, नहीं मानेगा, तो नहीं मानेगा।

श्री शिवनाथ सिंह : इनकी फीलिंग्स हैं दूसरे माननीय सदस्यों की फीलिंग्स हो सकती है। वो भी अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ...(व्यवधान).... आप प्रिवेल करोगे। प्रेसराइज्ड कर देना।

श्री शिवनाथ सिंह : हां, प्रिवेल कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पर यह जान लीजिये चार आदमी सत्ता पक्ष के कहें... (व्यवधान)...

श्री शिवनाथ सिंह : प्रिवेल करेंगे क्यों नहीं। हमारी ताकत होगी तो प्रिवेल करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चार आदमी सत्ता पक्ष के...(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : हमारी ताकत होगी तो हम प्रिवेल करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप यह राय दे देना कि बाकी को भी निकालो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शिवनाथ सिंह जी, प्लीज बिराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : आप बिराजिये न। (व्यवधान) एक मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ताकतवर तो हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्र जी, प्लीज।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ताकत तो बहुत है आप में।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, एक मिनट के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह रहे हो आप?

श्री शिवनाथ सिंह : मैं यही कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : इतनी संख्या में बैठे हो ताकतवर तो हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय व्यास जी ने एक बात कही कि सत्ता पक्ष को सोचना चाहिए और उनके हृदय में परिवर्तन आना चाहिए। यही तो कह रहे हो न। मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, निवेदन करना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति का आचरण हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह इश्यू ही नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, इश्यू हो गया। आपका कहना यही था। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपका कहना यह था कि इस विषय पर सत्ता पक्ष को सोचना चाहिए विचार करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्या बड़ी बात हुई। इन्होंने रिक्वेस्ट कर दी। हाउस माने तो माने, नहीं माने, तो नहीं माने उसमें क्या बड़ी बात क्या कही? What is in this?

श्री शिवनाथ सिंह : हां, कर ली न। तो इसलिए मैं हाउस से ही आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। वो ही तो मैं कह रहा हूं और क्या कह रहा हूं। मैं, उपाध्यक्ष जी, निवेदन करना चाहता हूं कि जिस के आचरण के कारण यह सब हुआ, वो व्यक्ति अपने आचरण के लिए खेद व्यक्त नहीं करता है, उसकी तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह क्या कर रहे हैं आप।

श्री शिवनाथ सिंह : उसका दल नहीं कह रहा है और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सरकार रि-थिंग करे। सत्ता पक्ष रि-थिंक करे। किस पर रि-थिंक करें हम?

श्री सुरेन्द्र व्यास : खेद व्यक्त करने का आपने मौका नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ ही नहीं रहे बात को।

श्री शिवनाथ सिंह : रि-थिंक तब करें जब कोई किसी तरह से मांग आये। माननीय उपाध्यक्ष जी, इनको क्या अधिकार है?

श्री राजेन्द्र पारीक : पूरे दो घंटे का समय दिया गया। हाउस एडजोर्नमेंट के बाद में दो घंटे का समय था उनके पास में। यदि उनके मन में...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने खेद व्यक्त करने का समय नहीं दिया।

श्री राजेन्द्र पारीक : जरा भी इस बात की तकलीफ होती तो वे खड़े होकर माननीय उपाध्यक्ष जी के पास जाकर, माननीय अध्यक्ष जी के पास जाकर और माननीय मंत्री महोदया के पास जा करके खेद व्यक्त करते कि यदि मेरे कथन से आपको पीड़ा पहुंची है, तो...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने खेद व्यक्त करने का समय नहीं दिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने खेद व्यक्त करने का तो मौका नहीं दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने कहां मौका दिया?

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद, प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो सीधा लेकर आये प्रस्ताव। आपने कब मौका दिया खेद व्यक्त करने का?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप उनसे स्पष्टीकरण लेते तो सम्भवतः वो खेद प्रकट करते। आपने मौका ही नहीं दिया। आपने तो सीधी तलवार चलायी है।

श्री राजेन्द्र पारीक : ...(व्यवधान) उनको स्वयं को पीड़ा होनी चाहिए थी।

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : (व्यवधान) 153 आदमियों की तलवार चलायी थी आपने। मौंका कब दिया आपने।

श्री उपाध्यक्ष : बस बात खतम हो गयी, प्लीज। बिराजिये, प्लीज। मोहम्मद माहिर आजाद, प्लीज।

अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मियों की आरक्षण का संविधान के मंशा अनुसार क्रियान्वयन

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कार्मिक मंत्री जी का और सदन का ध्यान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4)(ए) में किये गये 85वें संविधान संशोधन जो भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 8 जनवरी, 2002 को प्रकाशित हो चुका है। राजस्थान में इसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सदन का और माननीय कार्मिक मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप और समस्त सदन के माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था थी और पदोन्नति में इसका सही तरीके से पालन नहीं किया जाता था। जब सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों की पीठ ने नवम्बर, 1992 में इन्दिरा साहनी प्रकरण में अन्य पिछड़ा वर्ग को नौकरियों में आरक्षण देने के पहलू पर निर्णय सुनाते समय यह आदेश दिया था कि एस.सी. और एस.टी. के वर्गों को संविधान के अनुच्छेद 16(4)(अ) के अनुसार मात्र नौकरियों में भर्ती के समय ही आरक्षण देने की व्यवस्था है न कि पदोन्नति में। परन्तु उनको इस प्रकार का, अर्थात पदोन्नति में आरक्षण का लाभ लम्बे समय से विभिन्न सरकारें और केन्द्रीय सरकार उनके सम्बन्धित सेवा नियमों में प्रावधान कर के दे रही थी। उक्त सुविधा को नवम्बर, 1997 तक, अर्थात 5 साल तक यथावत रखते रहने के लिए उच्च न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय में सभी सरकारों को आदेश दिये थे। इस निर्णय में कहीं भी पदोन्नति के साथ मिलने वाले लाभ तथा वरिष्ठता को अलग से निर्धारित करने का कोई आदेश सर्वोच्चतम न्यायालय ने नहीं दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 17 जून, 1995 से 77वां संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 16(4)(अ) जोड़ा गया जिसके अनुसार एस.सी. और एस.टी. के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा का प्रावधान कर दिया गया। परन्तु सुप्रीम कोर्ट के उक्त अनुच्छेद में पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान के साथ ''पदोन्नति मय-पारिणामिक-वरिष्ठता (प्रमोशन विद कंसीक्युशनल सीनियरिटी)'' का अंकन न होने के कारण वीरपाल सिंह चौहान, अजीत सिंह जानुजा (प्रथम) व अजीत सिंह जानुजा (द्वितीय) में क्रमश: दिनांक 10 अक्टूबर, 1995 को, 1.3.1996 व 16.9.1999 को निर्णय पारित कर दिया और उसको ''रिगेनिंग आफ सीनियरिटी बाई कैच अप रूल'' का प्रावधान कर दिया। चूंकि कोई भी निर्णय भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होता है। अत: उक्त

(मोहम्मद माहिर आजाद)

निर्णय को लागू करने के लिये डी.ओ.पी. राजस्थान सरकार ने दिनांक 1.4.1997 से उक्त सिद्धान्तों को लागू करने के लिये अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार की सभी 108 सेवाओं में संशोधन कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 85 वां संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 16(4)(अ) में प्रमोशन शब्द के साथ ''विद कंसीक्युशनल सीनियरिटी'' शब्द जोड़ दिया। इस संशोधन के समर्थन में संसद में 17.6.1995 को तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री स्वर्गीय श्री सीताराम जी केसरी ने एक विधेयक रखा। जिसको 17 जून, 1995 से पहले एस.सी./एस.टी. के कार्मिकों को पदोन्नति के साथ वरिष्ठता का लाभ दिया जाता रहा है। वीरपाल सिंह चौहान और अजीत सिंह जानुजा (प्रथम) ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण दिनांक 30 जनवरी, 1997 को केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक ओ.एम. जारी किया जिसकी वजह से उन्हें यह लाभ नहीं दिया जा सका। आज दिनांक 17.6.1995 के बाद भी दिनांक 21.1.2002 तक की अवधि में यदि लाभ नहीं मिला है, दिनांक 17 जून, 1995 से संविधान में संशोधन हो जाने से उन्हें यह लाभ उपलब्ध कराया जाए। इस आशय का ओ.एम. केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 21 जनवरी, 2002 को जारी कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कार्मिक मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में भी केन्द्र सरकार के सेंट्रल डी.ओ.पी. के ओ.एम. दिनांक 30.1.1997 के अनुरूप ही दिनांक 1.4.1997 को ''रिगेनिंग आफ सीनियरिटी बाई कैच अप रूल'' को लागू करने का आदेश जारी किया गया है जिसे भारत सरकार के अनुसार ही निरस्त किया जाना है। दिनांक 17 जून, 1995 से दिनांक 1.4.1997 की अवधि में तो कहीं भी राजस्थान सरकार ने ''कैच अप रूल'' की क्रियान्विति नहीं की। पिछली सरकार ने जो निर्देश वहां से आये थे उसके ऊपर कोई फोलोअप नहीं किया, उसकी क्रियान्विति नहीं की। लेकिन जब आप सत्ता में आये किसी कर्मचारी की सीनियरिटी को भी नहीं छेड़ा बल्कि राजस्थान सरकार की डी.ओ.पी. ने आपके सत्ता में आने के बाद 11 फरवरी, 2000 को आपने इस सम्बन्ध में जो सर्कूलर जारी किये उनके आधार पर आर.पी.एस., आर.ए.एस. व अन्य सेवाओं की सीनियरिटी को ''कैच अप रूल'' के आधार पर परिवर्तन करने के आदेश जारी कर दिये। उपाध्यक्ष महोदय, उसका परिणाम क्या हुआ कि जो आर.ए.एस. अधिकारी थे वह तो उच्च न्यायालय में चले गये। उच्च न्यायायलय ने आर.ए.सी. को तो स्टे कर दिया, रोक

(मोहम्मद माहिर आजाद)

दिया लेकिन जो आर.पी.एस. अधिकारी थे उनकी प्रोविजनल सीनियरिटी लिस्ट तो हाई कोर्ट ने खारिज कर दी जबकि आर.पी.एस. में परिवर्तित वरिष्ठता के आधार पर आई.पी.एस. में पदोन्नति की कार्यवाही जरूर कर दी और उक्त पदोन्नति का परिणाम, आपके उस "कैच अप रूल" को फोलो करने का परिणाम यह निकला कि जो एस.सी. और एस.टी. के 3-3 वर्ष से आई.पी.एस. बने हुए थे उनको वापस आपने आर.पी.एस. कर दिया। आज भी वह कई अधिकारी आर.पी.एस. के पद पर कार्यरत हैं। इतना ही नहीं उस पदोन्नति को भी 85 वें संविधान संशोधन के अनुरूप संशोधित करके नये आदेश आपको जारी करने चाहिये थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टरी गवर्नमेंट आफ इण्डिया की पर्सनल एण्ड पब्लिक ग्रिवेंसेज एण्ड पेंशन डिपार्टमेंट ने आपको 21 जनवरी, 2002 को एक परिपत्र भेजा है जो सारी राज्य सरकारों को भी भेजा है और इसमें उन्होंने लिखा है, इसका लास्ट जो महत्वपूर्ण पार्ट है वही मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं :-

"All ministries, departments are requested to bring the above decision to the notice of all concerned for guideline and compliance. Necessary action to implement the decision contained in para 4.3 above may be completed within three months from the issue of these instructions." यह निर्देश आपको मिल गये। अब तीन महीने का समय होने जा रहा है, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपके ही सरकार के टाइम के तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री श्री सीताराम जी केसरी ने अनूसूचित जाति जनजाति के लोगों को यह अधिकार दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हो गया और केन्द्र सरकार ने भी आपको यह निर्देश जारी कर दिये हैं, यह सर्कूलर आपको भेज दिया है। अब तीन महीने होने जा रहे हैं आप इसके ऊपर क्या कार्यवाही कर रहे हैं, कब तक इसकी क्रियान्विति कर देंगे?

यहां राजस्थान में माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति बना रखी है। अनुसूचित जाति/ जनजाति के अधिकारियों की जो एसोसिएशन है वह एसोसिएशन उस कमेटी से मिली। सर्वोच्च न्यायालय की और भारत सरकार की अधिसूचना व राजपत्र के निर्देशों में उसने अपना पूरा ज्ञापन उसको दे दिया। वह उससे कंवींस हो गयी। जब माननीय वित्त मंत्रीजी से यह डेलिगेशन मिला तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बात से कंवींस हैं। आप एक काम और कर लें कि हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं उनसे मिलकर इसके लीगल प्रोस्पेक्ट को उनको समझा दें। वह प्रतिनिधि मण्डल जाकर आपके एडवोकेट

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जनरल श्री सागरमल जी मेहता से मिला और उसको भी सारी बात कह दी। वह भी कंवींस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ''कैच अप रूल'' के लिये कहा था उसको कैश कर दिया और भारत सरकार ने निर्देश जारी कर दिये। माननीय कार्मिक मंत्रीजी मैं आपसे यही जानना चाहता हूं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आप राजस्थान के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को यह लाभ देने के लिये इसको कब तक क्रियान्वित कर देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल बंशीवाल। (व्यवधान) आप बिराजिए प्लीज।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : अनुसूचित जाति और जनजाति का बैकलाग पिछले कई सालों से खाली पड़ा है, वैकेंट पोस्ट्स पड़ी हैं और हमारी सरकार अनूसूचित जाति और जनजाति के समाज के प्रति पूरी मदद करने वाली है। मैं कार्मिक मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पुराना बैकलाग भरा जाये। अनुसूचित जाति, जनजाति के समाज को संरक्षण दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए, प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : उसी के बलबूते पर इतनी बड़ी संख्या में आये हैं आप। आप इन आदेशों की क्रियान्विति करेंगे या नहीं करेंगे?

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कार्मिक मंत्री जी बैठे हुए हैं...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, कल भी एस.टी./एस.सी. के बारे में मैंने निवेदन किया था कि जो बैकलाग है उसको भरा जाये। कल भी मैंने इसके बारे में एक लम्बी बहस की थी और माननीय मंत्री जी से मैंने मांग की थी कि अनुसूचित जाति, जनजाति के बैकलाग को भरा जाये। जो जगह खाली पड़ी हैं, आरक्षण के अनुसार ही उसको भर दिया जाये। मेहरबानी करके माननीय मंत्री जी उस बैकलाग को भरावें। मंत्री महोदय, क्या आप बैकलाग को भरेंगे? हमारा आपसे निवेदन है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के हम सब लोग जो जीत कर आये हैं...(व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : सुप्रीम कोर्ट के जो अनुचित फैसले हुए थे उन फैसलों को रिवर्ट करके और सुप्रीम कोर्ट... (व्यवधान) राजस्थान में बहुत बड़ा असंतोष फैला हुआ है और इस ''कैच अप रूल'' को...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : मंत्री जी बिराजमान हैं। (व्यवधान) आप क्या बैकलाग को भरेंगे? हमारा भी आपसे निवेदन है, अनुसूचित जाति/जनजाति के हम लोग चुनकर आए हैं। (व्यवधान) आप उन्हीं के बल पर जीतकर आए हैं। आप मेहरबानी करके जवाब दें कि क्या आप बैकलाग को भरेंगे? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (कार्मिक मंत्री): बैकलाग को भरने के बारे में समय-समय पर...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैं बैकलाग के बारे में पूछ रहा हूं, उसको भरेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी. एस.टी. के बैकलाग को भरने के बारे में समय-समय पर परिपत्र जारी किए गए हैं। आपने देखा होगा कि अभी पुलिस की भर्ती हुई थी, तो तमाम बैकलाग को भरा गया था। (व्यवधान) नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया उसके बारे में आप जानते हैं कि किसी भी जाति के प्रति, खास तौर से एस.सी./एस.टी. के प्रति सरकार पूरी संवेदनशील हैं और परिपत्र, जो लीगल कार्यावाही करनी है वह हम बराबर करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल जी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : साहब, कल मैंने भी विश्र्वविद्यालय के बारे में निवेदन किया था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप जी... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : वहां भी एस.सी. और एस.टी. का बैकलाग नहीं भरा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, बैठिए। (व्यवधान) श्री नन्दलाल जी, बोलिए। प्लीज, आप बैठिए। (व्यवधान) यह डिबेट नहीं है, आप बैठिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा उससे फायदा मिलेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। (व्यवधान)

अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों पर नियुक्तियां

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का सत्ता में आने के लिए यह नारा रहा है संवेदनशील, पारदर्शी शासन और प्रशासन। इस सरकार की तानाशाही, +++ और हठधर्मिता का उदाहरण तो आज आप देख ही चुके हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस शब्द को बाहर निकाल दो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप सुनिए...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, +++ जैसा शब्द हमारी सरकार के खिलाफ...(व्यवधान) हमारी लोकप्रिय

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

सरकार, हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्रीजी, हमारे सारे मंत्री योग्य हैं। आप उनको +++ बता रहे हो। (व्यवधान) उनको +++ कहकर पुकार रहे हो। इससे बड़ी और क्या बात होगी। दिए जाओ छूट...(व्यवधान) इस सदन के अन्दर जो मर्जी आए, कह रहे हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह पीछे से आवाज आ रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप संयम रखकर बोलिए, होश मत खोओ। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अभी माननीय कार्मिक मंत्री जी ने जवाब दिया कि एस.टी./एस.सी. के बैकलाग के जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए इन्होंने पुलिस के अन्दर करीब-करीब सारी भर्ती कर ली है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं आज हाउस में एस.सी./एस.टी. के बैकलाग की पूर्ति के लिए क्रम संख्या 415 पर क्वेश्चन लगा था, जो कि डिबेट में नहीं आ सका। आप पुलिस का फरमा रहे हैं कि हम पुलिस के पूरे भर चुके हैं। मैं बता रहा हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोल चुके हैं, अब तो उनको बोलने दो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : पदनाम मैं गृह विभाग का बता रहा हूं। पुलिस निरीक्षक एस.सी. के 5, एस.टी. के 5 और उपलब्ध रिक्त पद 4 हैं। पुलिस निरीक्षक एस.सी. के 43 और एस.टी. के 39 और उपलब्ध रिक्त पद हैं। पी.सी., एस.सी. के 17 और एस.टी. के 14 और उपलब्ध रिक्त पद 14 हैं। मैं पुलिस का ही बता रहा हूं। अभी मंत्री जी ने हाउस को बताया कि हम पुलिस के सारे रिक्त पद भर चुके हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था पुलिस में अभी जो भर्ती हुई है कांस्टेबल वगैरह की, उसमें काफी पद भरे गए हैं। मैंने...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सहायक उप निरीक्षक एस.सी. के 175, एस.टी. के 173 पद उपलब्ध रिक्त पद 140 हैं। हैड कांस्टेबल के आप फरमा रहे हैं एस.सी. के 156 और एस.टी. के 392, उपलब्ध रिक्त पद 248 हैं। इसी तरह से आप बता रहे हैं कि हैड कांस्टेबल, कांस्टेबल की आपने भर्ती कर ली इतनी सारी संख्या में उपलब्ध रिक्त पद हैं उनको भरने की आपकी मंशा नहीं है। आप एस.सी. और एस.टी. के वोटों के पीछे 153 की संख्या में तो यहां आ गए मगर वोट लेने के पहले आपने जो वायदे किए थे उनकी पूर्ति करने की आपकी मंशा

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

नहीं है। आपको और आपकी सरकार को एस.सी. और एस.टी. के लोगों के अन्दर बदबू आती है। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि 2001 की नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार दलितों पर अगर हिन्दुस्तान में कहीं अत्याचार हुआ है, तो वह सबसे ज्यादा राजस्थान में हुआ है और बिहार भी तीसरे नम्बर पर है। आप कहते हैं कि एस.सी./एस.टी. का हम ध्यान रखते हैं, एस.सी. और एस.टी. के वोटों के कारण ही आप 153 की संख्या में यहां बैठे हुए हो। एस.सी./एस.टी. के लोगों के उत्थान के लिए आपने कुछ भी नहीं किया, आप दलितों के लिए क्या न्याय देंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, गृह मंत्री जी जनवरी के महीने में अलवर गए थे। वहां पर उन्होंने कह दिया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा धीरे-धीरे बोलो, नहीं तो चूक जाओगे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं नहीं चुकूंगा। उपाध्यक्ष जी, आप बैठे हैं, मैं नहीं चुकूंगा, आपको देख-देखकर ही बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शांति से बोलिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : गृह मंत्री जी अलवर गए थे। वहां इन्होंने कहा कि एस.सी./एस.टी. एक्ट हमारे जी का जंजाल बन गया। भारत सरकार ने एस.सी. एस.टी. के उत्थान के लिए एक्ट बनाया और आपको यह जी का जंजाल लग रहा है। जब आप एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी., माइन्योरिटी के वोट लेते हैं तब आप नहीं देखते कि यह जी का जंजाल है। एस.सी./एस.टी. का एक्ट बन गया, आपके लिए जी का जंजाल हो गया। गृह मंत्री जी इस तरह का अगर जवाब देते हैं, तो एस.सी./एस.टी. के लोगों का भला कैसे होगा। उनकी भावनाओं को आपने आघात पहुंचाया है। इसके लिए...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : यह बात सही है, दुरुपयोग हो रहा है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अगर गृह मंत्री जी इस तरह का वक्तव्य देंगे, तो अधिकारी जो अनुसंधान कर रहे हैं वह दलितों को क्या न्याय देंगे, वह तो एफ.आर. ही लगाएंगे उस मामले के अन्दर। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एस.सी., एस.टी. का दुरुपयोग हो रहा है, मगर एस.सी./एस.टी. को इसका लाभ भी नहीं मिल रहा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पहले कृषि भूमि स्थानान्तरण के लिए एस.सी./एस.टी. के लोगों को 50 प्रतिशत रिलेक्सेशन दिया

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

जाता था अभी सरकार ने रिलेक्सेशन खतम करके भूमि रूपान्तरण पर 100 प्रतिशत दर लागू कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एस.सी./एस.टी. के लोगों के साथ भेदभाव तो हो ही रहा है। हिन्दुस्तान में अगर कहीं पर किसी भी स्टेट में किसी अधिकारी का रिवर्शन हुआ है, तो हमारे आई.पी.एस. जो क्रमोन्नत होते हैं उनको आर.पी.एस. बना दिया, इसी सरकार ने बनाया है, इसी कल्याणकारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस जब जब सत्ता में आई है, एस.सी./एस.टी. के वोटों के पीछे आई है और यह एस.सी./एस.टी. विरोधी कार्य कर रही है। यह संवेदनहीन सरकार, कल्याणकारी सरकार, मैं तो कहता हूं कि यह संवेदनशील नहीं संवेदनशील हो गए हैं। आज तीन-तीन साल हो गए, एस.सी. और एस.टी. के उत्थान के लिए यह कोई बात नहीं कर रहे। मैं पांच मिनट में वाइंड-अप करता हूं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आम-जन के साथ कुछ कर रहे हैं वह तो कर ही रहे हैं, जो सरकार में मौजूद हैं मैं उनके बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा रिजर्वेशन एस.सी. का 16 प्रतिशत हैं और एस.टी. का 12 प्रतिशत। आप देखिए कि हमारे एस.टी. के कितने मंत्री हैं, (व्यवधान) चार होने चाहिए, तीन हैं। एस.सी. के 5 मंत्री हैं अगर रिजर्वेशन के हिसाब से भी देखें तो एस.सी. के 6 मंत्री होने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिए इस सरकार में सदन के अन्दर भी कितना भेदभाव हो रहा है। 1952 से भीखाभाई जीतकर आ रहे हैं, 52 से आज तक उनको मंत्रालय क्या दिया जा रहा है, श्रम मंत्रालय, यह उनकी योग्यता के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है। एस.सी./एस.टी. के लोगों के ऊपर, क्षेत्र में तो भेदभाव करते ही हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या शो कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, आप सुनें तो सही... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह अत्याचार बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : भीखाभाई आपके पास आए थे क्या कि मेरे को...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : हमारे परसादीलालजी को लाटरी मंत्री बना रखा है। लाटरी बन्द कर दी। (व्यवधान) यहां भी हमारी योग्यता के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह। आप देखिए, हमारे एस.सी. के पांच मंत्री हैं। जब से मेरी जानकारी में है बनवारी लालजी समाज कल्याण मंत्री

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

बनते आ रहे हैं पोर्टफोलिया में कोई चेंज नहीं है, उनकी योग्यता पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। छोगारामजी यातायात मंत्री, हीरालाल जी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। आप बिराजिए। कोई मतलब नहीं है आपके कहने का। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एक मिनट सुन तो लीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह तो बहुत गम्भीर बात कहे रहा हूं...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सुनना ही नहीं चाहते हो। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : विपक्ष के पीछे तो...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : हम लोगों को जेल और खेल...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तीन मंत्रियों को क्या दे रखा है, आपका क्या लेना देना है इस बात से। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप सुनो तो सही...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए। (व्यवधान) वह आपके पास आए क्या? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप देखें, चन्द्रशेखरजी को जेल राज्य मंत्री... (व्यवधान) थाने में संतरी उनको घुसने नहीं देते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। बिराजिए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एस.टी. और एस.सी. के लोग खेल और जेल के लिए ही रह गए हैं क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं, सरकार का ध्यान दिला रहा हूं। (व्यवधान) कि आप एस.सी. और एस.टी. के साथ तो ज्यादती कर ही रहे हैं, जनता के साथ कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ कर रहे हैं मगर आप जो 153 की संख्या में चुन कर आए हैं उनके साथ भी आप ज्यादती कर रहे हैं। एक एस.टी. का...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या बात सही है... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : रिजर्वेशन के हिसाब से एक मंत्री एस.सी. का और बनना चाहिए। एक मंत्री एस.टी. का और बनना चाहिए।

(13.00 बजे)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप किस को बनवाना चाहते हो?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : किसी को भी बनाओ मेरी तरफ से, किसी को ही बनाओ। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं...

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सदस्य, आपको धन्यवाद देना चाहिए सोनियाजी को...(व्यवधान) कि राजस्थान में पिछड़े वर्ग का मुख्य मंत्री बना रखा है। आपको धन्यवाद देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं दे रहा हूं न। (व्यवधान) एस.सी., एस.टी. की तो सुन लो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : वह भी रिजर्वेशन की क्लास है। वह भी रिजर्व क्लास है उसके लिए भी कुछ कहिए आप।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एक मिनट, इस देश के प्रधानमंत्री कुंआरे हैं। प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष वह भी कुंआरी हैं और पिछली सरकारों के अन्दर कुंआरों को शामिल करने का, एक ऐसा दौर चला आ रहा है। मैं आपको बताता हूं कि पूर्व में श्री हरिकुमार औदिच्य, प्रो. केदार, मदन दिलावर, कैलाशजी मेघवाल, गिरिजाजी व्यास, ये भी कुंआरी मंत्री रही हैं। आपकी सरकार ने एक भी कुंआरे को मंत्रिमण्डल में शामिल नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं, रामस्वरूपजी को बनवाना चाहते हो क्या?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : रामस्वरूपजी की तो एस.टी. के कोटे में ले लो और एस.सी. के अन्दर हमारे कोई वरिष्ठ हों, उनको ले लो। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मीनाक्षी चन्द्रावत एक मात्र कुंआरी महिला सदस्य हमारी हैं, उनको मंत्रिमण्डल में शामिल कर लें। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एस.सी. और एस.टी. के ऊपर जो अत्याचार यह सरकार कर रही है इसका जवाब डेढ़ साल बाद आपको जनता देगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी। आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) बिराजिए। मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बातें उठायी हैं हमने 9.10.2000 को, 14.12.2000 को और 23.10.2001 को परिपत्र जारी कर विभिन्न विभागों में बैकलाग भरने के लिए निर्देश दिए थे।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

माननीय सदस्य ने कुछ बातें बतायी हैं लेकिन यह नहीं बताया कि कितने विभागों में बिलकुल बैकलाग नहीं है। जैसे आपके...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठो, बैठो। बिराजिए, बिराजिए, प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, निदेशक, माणिक लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में एक भी बैकलाग नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इनको अधिकारियों की चिन्ता नहीं है। ये तो मंत्रियों के बैकलाग के सम्बन्ध में बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : निदेशक, साक्षरता...(व्यवधान) नहीं, इसे कुछ... (व्यवधान) एक सैकण्ड...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों का बैकलाग नहीं बता रहा हूं। एस.सी. और एस.टी. का बता रहा हूं मैं आपको। (व्यवधान) आपकी इस सरकार ने मंत्रियों के चयन में भी एस.सी. और एस.टी. के साथ... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी. और एस.टी. के मंत्रियों के साथ अत्याचार हो रहा है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, निदेशक, साक्षरता में कोई बैकलाग नहीं है। (व्यवधान) इसके बाद...

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत (थानागाजी) : माननीय कल्ला साहब, आपसे जवाब नहीं मांग रहे हैं, ये तो मंत्रियों की बता रहे हैं। इसमें आपको जवाब देने की आवश्यकता क्या है। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, आप जवाब...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसके बाद आयुक्त, भू-प्रबन्ध, जयपुर में नहीं है। (व्यवधान) नियंत्रक, मोटर गैरेज में नहीं है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय मंत्रीजी, पुलिस विभाग का बताया है, पुलिस विभाग का है मेरे पास। (व्यवधान) मैंने पुलिस विभाग का बताया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मंत्रियों का विभाग क्या रहे, यह तो मुख्य मंत्रीजी के ऊपर निर्भर करता है। खान तथा यातायात जैसे विभाग शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को दिए हुए हैं, इसलिये माननीय सदस्य की धारणा बिलकुल गलत है। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी., एस.टी. के मंत्रियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : खेल और जेल के रह गए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : चन्द्रशेखरजी ने आज तक विधान सभा में खड़े होकर कोई जवाब नहीं दिया। चन्द्रशेखरजी ने... (व्यवधान) आज तक विधान सभा में, 4 साल में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इनको आज तक आपने देखा है खड़े होकर जवाब देते हुए? नहीं देखा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, बैठिए। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने प्रश्न पूछा नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : इनको मुख्यालय पर तो छोड़ा, थाने में नहीं घुसने दिया था। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बोल रहा हूं, साहब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिराजिए। आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलो, बोलो। रामस्वरूप जी, बोलो। (व्यवधान) आप बोलो।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बोलने ही नहीं देते। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी. और एस.टी. के मंत्रियों के साथ, इनकी भावनाओं के साथ जो कुठाराघात हो रहा है...(व्यवधान) कहने को तो चन्द्रशेखरजी गृह राज्य मंत्री हैं लेकिन मुख्यालय तो छोड़ो थाने तक में नहीं घुसने दिया जाता। (व्यवधान) कितने शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठे, बैठे। माननीय सदस्य, यह क्या सब्जेक्ट है? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण मैं आपको दूं। (व्यवधान) इन्दौरा जी बीकानेर जा रहे थे, हमारे मंत्री महोदय बीकानेर में जा रहे थे...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पुकारा है, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : गाड़ी खराब हो गयी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप : मैं बोलना चाहता हूं, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) केवल दो आदमी बचे हैं। सब बाहर निकल गए तो ही नहीं बोलने दे रहे हैं। (व्यवधान) ताज्जुब की बात है।

एक माननीय सदस्य : हमारे में दम है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, बोलिए। (व्यवधान) बोलिए, प्लीज। हो गया अब। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हीरालालजी इन्दौरा बीकानेर जा रहे थे। लूणकरणसर में इनकी गाड़ी खराब हो गयी। खराब गाड़ी होने के बाद वे थाने में गए। (व्यवधान) उन्होंने कहा मैं...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एक मिनट ठहरो।

श्री रामस्वरूप : क्या ठहरे? हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, आप। यह क्या मतलब हुआ। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उन्होंने कहा मैं इस प्रदेश का मंत्री हूं मेरी गाड़ी खराब हो गयी है। मुझे कृपया बीकानेर तक छुड़वाया जाए। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थानेदार ने कहा कि यह रोड बी.आई.पी. रोड है। इस पर घणे मंत्री आते जाते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप बोले, हम बीच में नहीं बोले बिलकुल। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप बस पकड़ो और बस पकड़ कर बीकानेर चले जाओ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्योंकि वे एस.सी. के मंत्री थे, इसलिए। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा नहीं हुआ।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, जब मंत्रियों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा, बताइये आप। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ।

एक माननीय सदस्य : एस.सी. के मंत्री हैं इसलिए...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, वे एस.सी. और एस.टी. के मंत्री हैं इसलिए उनके साथ अत्याचार हो रहा है। (व्यवधान) ....

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : This Government is of the down-trodens, for the down-trodens and by the down-trodens.

श्री नन्दलाल बंशीवाल : क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह गरीबों की सरकार है, गरीबों की चुनी हुई, पिछड़े वर्ग की सरकार है, पिछड़े वर्ग के हित में काम करती है, संवेदनशील और पारदर्शी सरकार है। (व्यवधान) आपका आरोप निराधार है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : संवेदनशील सरकार, संवेदनशील सरकार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामस्वरूपजी, आप शुरू करें।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो एस.सी. और एस.टी. की बात करते हैं और एस.टी. वाले माननीय सदस्य बोल रहे हैं, तो उनको बोलने नहीं देते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान) आप बिराजिए। रामस्वरूपजी, बोलें।

श्री रामस्वरूप : यह ताज्जुब की बात है। (व्यवधान) फिर यह देखो साहब, हम कुछ बोलते हैं, तो हमें बोलने नहीं देते हैं। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह सुनना ही नहीं चाहती है सरकार (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप इनको निकाल दीजिए, कम से कम मैं बोल तो लूं। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप हमें भी निकाल दो, उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी., एस.टी. के लोगों के साथ जो कुठाराघात हो रहा है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एस.टी. के सदस्य ही बोल रहे हैं ये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप : मैं एस.टी. का ही बोल रहा हूं, मेहरबानी करके मुझे बोलने दो। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनके दौसा में एक भी बैकलाग नहीं है जिले में। देख लीजिए आप...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैं एस.टी. का बोल रहा हूं, मुझे बोलने दो। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो बैकलाग है वह सब भरवा दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैंने बता दिए न गृह विभाग के...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी, आप बोलना शुरू करें। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बड़ा कुठाराघात हो रहा है, बताइए आप। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : एस.सी., एस.टी. के साथ अत्याचार हो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह भी कोई बात है साहब, कैसे बोले, अब दो आदमी नहीं बोलने दें। पूरे सदन को 2 आदमी रोक कर बैठ जाएं। (व्यवधान) मजाक बना रखा है सदन को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी., एस.टी. के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मजाक बना रखा है इस सदन को। ये बोलते हैं, हम बीच में कुछ भी नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं तो यह खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान) इस तरह के व्यवहार के कारण तो इनको बाहर निकाला था और अब ये दो व्यक्ति फिर वही व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं। (व्यवधान) इस सदन में क्या नियम और कानून हैं...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : इन्हें भी निकालो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, आप पर्ची पर बोलिए।

पांचना डैम में करौली एवं सवाईमाधोपुर जिलों की पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल आपूर्ति

श्री रामस्वरूप : क्या बोलूं, हल्ला मचा रहे हैं। (व्यवधान) आप इनको तो नहीं रोक रहे हैं, मैं तो बोल लूंगा। (व्यवधान) बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं, जिला करौली से मैं सदन में आया हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम है। उसमें नादौती और टोडाभीम दोनों आते हैं। हमारे यहां पर एक बड़ा डैम बना था पांचना डैम। उस पांचना डैम में जिस समय बना था यह उद्देश्य रखा गया था कि इसके पानी से नादौती, टोडाभीम, करौली और हमारे गंगापुर जो सवाईमाधोपुर के क्षेत्र में आता है, इन सबको सबसे पहले पीने के पानी के लिए और उसके बाद में सिंचाई के लिये दिया जाएगा। इस आधार पर इस डैम को बनाया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, इस आधार पर बने हुए डैम पर कुछ इस प्रकार का निर्णय हुआ है जिससे चारों तरफ आक्रोश फैल रहा है। वह निर्णय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं जिसके कारण हमारे क्षेत्र में और हमारे दोनों जिलों में बड़ा आक्रोश है। मैं आपके सामने जो डिसीजन किया है सिंचाई विभाग ने, उसको निवेदन कर रहा हूं :-

"Minutes of the meeting chaired by Principal Secretary, Irrigation in his Chamber on 4.12.2001 regarding supply of water to Kevladev National Park (Ghana Bird Sanctuary) Bharatpur.

A meeting was held on 4.12.2001 in the Chamber of Prinicipal Secretary, Irrigation to discuss the various alternatives for providing water to Ghana Bird Sanctuary, Bharatpur. The meeting was attended by the following.

1. Shri G.S. Chaudhary, Chief Engineer, Irrigation.

(श्री रामस्वरूप)

2. Shri B.P. Sharma, Addl. Chief Engineer,

3. Shri A.P. Sharda, OSD, Irrigation.

4. Shri N.R. Bhandari, SE-I, Jaipur.

Additional Chief Engineer, Jaipur, informed that as per Director Bird Sanctuary (Forest Department) the total requirement of Ghana Bird Sanctuary is about 500 Mcft. Some rain water also get collected in the Bird Sanctuary, hence net minimum requirement at Ghana would be 350 Mcft. Looking to the importance of this National Park, which is boosting of Tourism in the State, following alternatives were discussed.

This much water is to be made available to the sanctuary by releases from the Panchana Dam. The required quantity of water is to be released from the Panchana Dam which will reach the Ajan Dam as mentioned above on way to Ghana.''

इस निर्णय के कारण हमारे पांचना डैम का पानी दूसरी जगह दिया जा रहा है। मेरा इस बारे में निवेदन है कि हमारे यहां से जिलाधीश की हमारे यहां मीटिंग हुई थी जिसमें विधायक भी बुलाए गए थे, विधायकों को बुलाया, सारे प्रधान बुलाए गए थे, यह जवाब उसका भेजा है। गुणात्मक खामियां, राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार उपलब्ध जल का उपयोग प्राथमिकता के अनुसार कार्यक्रम सर्वप्रथम पीने के लिए, उसके पश्चात् सिंचाई के लिए एवं उसके बाद ही अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इस निर्णय में अन्य उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई है एवं सिंचाई के उद्देश्यों को गौण कर दिया गया है जो राष्ट्रीय जल नीति के विपरीत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग द्वारा निर्णय इस आधार पर लिया गया है कि पांचना बांध में पानी की आवक 75 प्रतिशत डिपेंडिबिलिटी के आधार पर 2360 एम.सी.एफटी. होगी जबकि बांध की उपयोगिता क्षमता 1860 एम.सी.एफटी. डेड स्टोरेज क्षमता 240 एम.सी.एफटी. एवं लोसेज इत्यादि 200 एम.सी.एफटी. होंगे जिससे पानी घना पक्षी अभयारण्य के लिए छोड़ा जा सकता है। यहां यह अंकित किया जाना आवश्यक है कि पांचना बांध की योजना बनाते समय यह आधार रखा गया था कि पांचना के कैचमैंट एरिया में औसत वर्षा 720 मिलीमीटर होगी। अधिशासी अभियन्ता, करौली द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना के कैचमैंट एरिया में

(श्री रामस्वरूप)

स्थित चार स्टेशनों के पिछले पांच साल के वर्षा के आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल उपलब्ध 20 आंकड़ों में से सिर्फ चार आंकड़े 720 मिलीमीटर से अधिक हैं जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान में वर्षा की डिपेंडिबिलिटी 75 प्रतिशत न होकर अत्यन्त कम रहेगी। जिससे सिंचाई विभाग द्वारा दर्शायी गई पानी की आवक 2360 एम.सी.एफटी. न होकर अत्यधिक कम रहेगी एवं सरप्लस पानी होने की सम्भावनाएं शून्य ही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार सिंचाई विभाग द्वारा वर्षा के पुराने आंकड़ों के आधार पर निर्धारित पानी की सम्भावित आवक से विपरीत पानी की वास्तवित आवक इस समय की वर्षा की स्थिति को देखते हुए अत्यन्त कम रहेगी एवं सरप्लस पानी की सम्भावना नगण्य होने के कारण 350 एम.सी.एफटी. पानी आरक्षित करने से सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी की मात्रा 1860 एम.सी. एफटी. न होकर 1510 एम.सी.एफटी. अथवा इससे भी कम रहेगी। जिससे सिंचाई के लिए पानी की मात्रा में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आएगी एवं इसी अनुपात में सिंचित क्षेत्र एवं लाभान्वित किसानों की संख्या में भी कमी आएगी। सिंचित क्षेत्र एवं लाभान्वित किसानों की संख्या में लगभग 20 प्रतिशत कमी आएगी। अत: उपरोक्त निर्णय किए जाने के कारण इस निर्णय से किसानों के हितों पर अत्यधिक विपरीत असर पड़ने के कारण जिले में कानून व्यवस्था की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि सिंचाई विभाग द्वारा यह निर्णय लेने से पूर्व उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है एवं विभाग द्वारा एक-पक्षीय कार्यवाही करने से सैकड़ों किसानों का, दोनों जिलों का, अहित होगा।

पूर्व में करौली जिला मुख्यालय पर पीने के पानी की गम्भीर समस्या होने के कारण चूलीदह एवं दुर्ग सीघटा पर लघु बांध प्रस्तावित किए गए थे जिन प्रस्तावों को मुख्यत: पानी की कमी होने के कारण राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में करौली जिला मुख्यालय के नागारकों के लिए जहां एक ओर पानी की कमी बता दी गई थी वहीं अब सरप्लस पानी दिखाकर घना को इस प्रकार लाभान्वित किए जाने के विभागीय प्रयासों से भी करौली जिले की जनता में भारी आक्रोश है। कानून व्यवस्था की स्थिति, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खराब होने जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग की कार्यवाही विवरण से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा बैरठा बांध से घना को पानी पहुंचाने का निर्णय नहीं लिया गया है जबकि यह बांध घना से मात्र

(श्री रामस्वरूप)

लगभग 20 किलोमीटर ही दूर है और पांचना डैम से पानी जो उसमें रोका जाएगा, भरतपुर के लिए वह पानी तो पहुंचाने में सारा पानी तो रास्ते में ही सूख जाएगा क्योंकि जो गम्भीरी नदी है वह तो सूखी पड़ी हुई है। जितना पानी इकट्‌ठा किया जाएगा उतना पानी तो रास्ते में ही रह जाएगा। भरतपुर पहुंचेगा ही नहीं।

पांचना परियोजना एक मध्यम सिंचाई परियोजना है जिसका अनुमोदन केन्द्रीय जल आयोग, सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा किया जाना आवश्यक है जबकि यह निर्णय जिससे पांचना परियोजना का स्वरूप पूर्णत: परिवर्तित हो जाता है, इस निर्णय लेने से पूर्व सी.डब्ल्यू.सी. से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।

पांचना परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति के समय जारी किए गए नोटिसों में भूमि अवाप्ति के उद्देश्यों में सिंचाई का उल्लेख किया गया है न कि घना पक्षी का उल्लेख है। इस प्रकार कई प्रकरणों में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् कुछ प्रकरणों में धारा 4 एवं 6 के नोटिस जारी किए जाने के पश्चात् इस प्रकार परियोजना के उद्देश्यों में परिवर्तन किया गया। यदि सम्बधित भू-धारकों द्वारा दीवानी वाद आरम्भ कर दिये गये तो इस सम्पूर्ण परियोजना के क्रियान्वयन पर विपरीत असर पड़ेगा।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो निर्णय लिया गया है यह बड़ा विपरीत निर्णय है। मेरे क्षेत्र में चारों तरफ इस बात को लेकर आन्दोलन हो रहे हैं। मैं आपसे इसके बारे में माननीय सिंचाई मंत्री महोदय यहां पर नहीं हैं, हमारे कार्मिक मंत्रीजी विराजमान हैं, वे इन सारी बातों को लिखें, इस गम्भीर विषय पर दृष्टि डाले। हमारी लोकप्रिय सरकार, किसानों की हितैषी सरकार जो कभी झगड़े नहीं कराती है, झगड़ों को खतम करती है अगर यह पानी भरतपुर के लिए दिया जाता है, तो उनके वहां पर बांध नहीं है क्या? बांध बरैठा उनके बिलकुल पास में ही है, उससे पानी क्यों नहीं दिया जाता है? एक तरफ चिड़ियों की रक्षा करना आवश्यक है या किसानों की रक्षा करना आवश्यक है, यह निर्णय आपको करना है।

श्री उपाध्यक्ष : कृषि मंत्रीजी। माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : एक तरफ वे चिड़ियां हैं जिन चिड़ियों की रक्षा के लिए तो आप पानी दे रहे हैं और मेरा करौली जिला क्या प्यासा मरेगा? क्या

(श्री रामस्वरूप)

मेरे करौली के किसान प्यासे मरेंगे, उनकी सिंचाई कौन करेगा? इसलिए, मेहरबानी करके...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप : यह आन्दोलन की स्थिति बनती चली जा रही है। मेरी लोकप्रिय सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस निर्णय को वापस लिया जाए ताकि जो अशांति होने जा रही है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, करौली सवाईमाधोपुर में वह रोका जा सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्रीजी।

सदन की मेज पर रखे गए पत्र

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001

श्री तैय्यब हुसैन (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 32(4) के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का लेखा विवरण वर्ष 2000-2001

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 65(5) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का लेखा विवरण वर्ष 2000-2001 (1.4.2000 से 19.7.2000) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री हीरासिंह चौहान। (अनुपस्थित) श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)। (अनुपस्थित) माननीय स्वायत्त शासन मंत्री।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की प्रस्तुति

श्री शांति कुमार धारीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 6,97,91,70,000 (छह अरब, सत्तानवें करोड़, इकानवें लाख, सत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान एवं अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या-29 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-29 मुख्य शीर्षक नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री अमीन खान (शिव)

1. बाड़मेर नगर परिषद् में नई जैन कालोनी को शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

2. नगरीय क्षेत्रों में गन्दे पानी की निकासी, सड़कों की खस्ता हालत एवं बिगड़ी सफाई तथा रोशनी व्यवस्था को सुधारे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

3. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर नगर का मास्टर प्लान बनाकर सुनियोजित विकास की योजना बनाने तथा क्षेत्र की तीसरी व चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिकाओं के वेतन, बिजली व पानी की राशि बढ़ाए जाने तथा आर्थिक सहायता प्रति व्यक्ति 100/- रुपए करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

4. नगर आयोजना विभाग द्वारा छोटी नगरपालिकाओं को अधिक आर्थिक सहायता दिये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद)

5. एशियन डवलपमैंट बैंक, अजमेर शहर की योजना में पैराफेरी के गांवों को सम्मिलित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

6. अजमेर नगर की पैराफेरी में आये गांवों की पंचायतों को उनके अधीन आबादी भूमि व अन्य पर विकास कार्यों हेतु भूमि आबंटन नहीं करने व पट्टे जारी करने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

7. नगरों से सम्बन्धित राज्य की योजनाओं को नसीराबाद शहर में लागू नहीं करने एवं राज्य व केन्द्र द्वारा परिवर्तित गरीबी उन्मूलन योजनाओं का लाभ नसीराबाद के निवासियों को उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

8. अजमेर नगर परिषद् एवं नगर सुधार न्यास में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर)

9. नगर पालिका/परिषद्/नगर निगम के क्षेत्रों में हाउस टैक्स व लैंड एण्ड बिल्डिंग टैक्स की वसूली पर चर्चा के लिए।

10. राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत नगरीय/स्थानीय निकायों को दिये जाने वाली अनुदान राशि रुपए 27.60 करोड़ पर चर्चा के लिए।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

11. नगर पलिका/परिषदों/निगमों में चुंगी भरने हेतु 407.40 करोड़ रुपए का प्रावधान आयोजना मद में किये जाने पर चर्चा के लिए।

12. बीकानेर शहर में जूनागढ़ के सामने स्थित सूरसागर के सुप्रसिद्ध तालाब में शहर के गन्दे पानी के इकट्ठे होने व उसकी निकासी की व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

13. एशियन डवलपमैंट बैंक से राज्य के 6 प्रमुख शहरों के लिए प्राप्त सहायता राशि पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर)

14. श्रीगंगानगर शहर में सीवरेज व्यवस्था हेतु धन उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. नगर परिषद् व नगर विकास न्याय, श्रीगंगानगर को शहर के विकास के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

16. राज्य में चुंगी कर प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. सांगोद (कोटा) में बाईपास रोड का निर्माण व उजाड़ नदी पर घाट का निर्माण करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी)

18. बाड़ी नगरपालिका के चेयरमैन द्वारा समय पर कर्मचारियों को वेतन नहीं देनें व चैक पर हस्ताक्षर न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी नगरपालिका के सफाई कर्मियों द्वारा गंदगी के ढेर को समय पर नहीं उठाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन)

20. विधान सभा क्षेत्र केश्वरायपाटन की लाखेरी नगरपालिका के अन्तर्गत कच्ची बस्तियों का चयन करने, केशवरायपाटन, कापरेन व लाखेरी नगरपालिका क्षेत्रों में रोड लाइट लगाने एवं कापरेन नगरपालिका के वार्ड नं. 3 के ग्राम टाकरवाड़ा व हाडियाखेड़ा में विद्युत व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)

21. प्रदेश में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा बेशकीमती जमीन का दुरुपयोग एवं आवासन मण्डल में अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

22. नगरपालिका खण्डेला से उदयपुरवाटी रोड तथा सीकर रोड पर सीमेंट कंक्रीट रोड (सी.सी.) बनवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

23. विधान सभा क्षेत्र करौली का मास्टर प्लान बनाकर उसके अनुरूप शहर का विकास किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. नगरपालिका करौली की दयनीय आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दी जाने वाली सहायता पर चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा)

25. नगरपालिका भादरा द्वारा भादरा कस्बे की बकाया गृह कर की राशि शीघ्र वसूल किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

26. नगरपालिका भादरा द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों के विरुद्ध निकल रही बकाया राशि शीघ्र वसूल किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. नगरपालिका भादरा के कर्मचारियों/अधिकारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. भादरा नगरपालिका द्वारा सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु सफाई कर्मचारियों की और अधिक नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. भादरा नगरपालिका को ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम हेतु अधिक अनुदान राशि दिलवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

30. नगरों के आयोजन पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

31. पचपदरा नगरपालिका में राजकीय कन्या महाविद्यालय की जमा राशि को पुनः महाविद्यालय को दिलाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. नगरों की सफाई के लिए हरिजनों के पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

33. लोसल नगरपालिका की रैगर बस्ती में भरने वाले गन्दे पानी की निकासी हेतु सरकार द्वारा कोई योजना लागू नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

34. राजस्थान आवासन मण्डल के अध्यक्ष द्वारा की गयी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

35. विभाग द्वारा निर्वाचित नगर पालिकाओं व नगर निगमों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

36. सरकार द्वारा मनोनयन के नाम पर राजनैतिक आधार पर अवांछनीय व असामाजिक तत्वों को निर्वाचित नगरपालिकाओं व निगमों के सदस्य मनोनीत करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

37. सरकार द्वारा लोक हित में पूर्व में अनियमित तरीके में निर्मित भवनों व बनी हुई कालोनियों के नियमन के नाम पर बहुमूल्य भूमि भू-माफिया से खाली होने के बावजूद कोड़ियों के भाव देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

38. प्रस्तावित ए.डी.बी. से ऋण लेना प्रदेश के हितों के प्रतिकूल होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

39. जयपुर एवं अन्य शहरों में अवैध कब्जों को हटाने में किये गये भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

40. राज्य में नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों की आर्थिक हालात को सुधारने हेतु पुनः चुंगी लागू किए जाने पर चर्चा के लिए।

41. झुंझुनूं शहर में सीवरेज की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

42. डूंगरपुर नगरपालिका द्वारा निर्मित सड़कों की स्थिति को सुधारे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

43. आरक्षित विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के अन्तर्गत सरवाड़ नगरपालिका व केकड़ी नगरपालिका को विकास के लिए विशेष सहायता एवं अनुदान दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. एशियन डवलपमैंट बैंक द्वारा उपखण्ड केकड़ी का आधुनिक विकास एवं सौंदर्यकरण किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी को जिला बनाकर विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

46. सरवाड़ दरगाह शरीफ को भूमि आबंटन व सौंदर्यकरण कर पर्यटन स्थल का दर्जा देते हुए पर्यटकों से राजस्व अर्जित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

47. केकड़ी व सरवाड़ नगरपालिका को अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

48. कोटा शहर में लखावा योजना का स्थान परिवर्तित कर अन्य योजना के नाम से आयकर देने वाले व्यक्तियों को भी मकान आबंटन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

49. रानी में शराब के गोदाम को बेचकर दूसरे स्थान सादड़ी शहर में उक्त सुविधा उपलब्ध कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)

50. प्रशासन शहरों के संग अभियान में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

51. सरकारी आदेशों से चुने गये प्रतिनिधियों पर अकुंश लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

52. उदयपुर नगर विकास न्यास द्वारा अपनी आय में से 15 प्रतिशत नगर परिषद् को न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

53. जयपुर विकास प्राधिकरण की लालकोठी स्कीम में हुए अनियमितत नियमन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

54. नगर परिषद् में हुए रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

55. राज्य में भू-माफियों के बढ़ते प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

56. स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टों में नागरिकों को पट्टे के आधार पर ऋण लेने का अधिकार देने एवं स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टों में चालीस वर्ष के कब्जे की अवधि की गणना आज से करने तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए बीस वर्ष अवधि की गणना आज से करने का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. जिला सिरोही में राजीव गांधी आवासीय योजना के भू-खण्ड आबंटन शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

58. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग व विभागीय कार्यवाही में 16 सी.सी. की जांच का सामना कर रहे अधिकारियों को फील्ड से हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

59. नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा इन्दिरा मार्केट की दुकान नम्बर 23 सम्पूर्ण निर्णय के बाद भी प्रार्थी को नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

60. जैसलमेर नगर के हो रहे विकास हेतु सफाई व्यवस्था के लिए सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. जैसलमेर नगर के किले की एक सौ मीटर की परिधि में निर्माण की रोक हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. जैसलमेर नगर का मास्टर प्लान पुन: बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)

63. नगरपालिका नीमकाथाना में कराए गए विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

64. बजट वर्ष 2001-2002 में बजट भाषण में स्वीकृत मगरा क्षेत्रीय विकास योजना को राजसमन्द से ब्यावर रायपुर के पहाड़ी क्षेत्र का विकास किए जाने हेतु पुन: बजट में प्रावधान रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. लिफ्ट योजना से चम्बल नदी का पानी अजमेर एवं पाली जिले तक पहुंचा कर प्रदेश का विकास किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. प्रदेश का विकास किये जाने हेतु जनसंख्या नियंत्रण कठोरता से लागू कर आबादी वृद्धि को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

67. कोटा जिले की सुलतानपुर पंचायत समिति को नगरपालिका क्षेत्र में लाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

68. लालकोठी योजना के अन्तर्गत ग्राम भोजपुरा की खसरा नं. 35 की भूमि को बिना स्वामित्व के बिल्डर के नाम नियमन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

69. प्रदेश की कच्ची बस्तियों का नियमन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

70. चूरू नगरपालिका के अन्तर्गत ग्यारहवें वित्त आयोग से मिलने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वाली राशि की स्वीकृति जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

71. लालकोठी योजना के अन्तर्गत प्रताप नर्सरी, आनन्द नर्सरी व मेहर चन्द एण्ड सन्स की भूमि का अवैध नियमन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

72. जयपुर विकास प्राधिकरण में फैल रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

73. कोटा शहर में दादाबाड़ी जैन समाज की नसियां के पीछे की जमीन पर भू–माफिया के द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

74. कोटा शहर में महावीर नगर–III में पुलिस स्टेशन के पास की जमीन को भ्रष्टाचार के आधार पर फर्जी कब्जा बताकर आबंटन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास)

75. लालकोठी योजनान्तर्गत भू–माफियाओं द्वारा समझौता समिति से भूमि की नियमन की साजिश रचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

76. सरकार की अनदेखी के कारण प्रताप नर्सरी से लाखों पेड़ों को काट दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

77. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सुराणा मल्टीप्लेक्स को सरकारी भूमि गैर कानूनी रूप से आबंटन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी)

78. बाड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाड़ी नगरपालिका द्वारा क्षेत्र में लम्बे समय से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

79. बाड़ी नगरीय क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में स्ट्रीट लाइट नहीं होने पर चर्चा के लिए।

80. विधायक कोष से बाड़ी के मुख्य बाजार की सड़क की राशि प्रदान करने पर भी सड़क का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

81. बस्सी क्षेत्र की प्रस्तावित रोडों की सूची दिए लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी रोडों की स्वीकृति नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री कन्हैया लाल)

82. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम कानोता के अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आबंटित भूमि हेतु जिलाधीश जयपुर द्वारा अदेयता प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

83. गोनेर रोड से पालड़ी मीणा वाया लूनियावास की सड़क को वाटर बाउण्ड मैकडिम (डब्ल्यू.बी.एम.) एवं डामरीकरण के बाद भी पूर्ण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

84. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किस-किस नवीन सड़क को जयपुर क्षेत्र से जोड़े जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

85. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा टैगोर नगर कतारपुरा में आबंटित प्लाट नं. 55 पर बनायी जा रही पोर्च को तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)

86. नगरपालिका क्षेत्र परबतसर की पैराफेरी सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. नगरपालिका परबतसर में सफाई कर्मचारियों के पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

88. नगरपालिका क्षेत्र परबसर में आबादी विस्तार की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

89. नगरपालिका क्षेत्र परबतसर में पुलिस थाने के सामने कच्चे गंदे नाले का पक्का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. राजस्थान में आय के स्रोत बढ़ाने हेतु चुंगी नाका स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

91. जयपुर शहर में कई वर्षों पूर्व आवेदकों द्वारा राशि जमा कराने के उपरान्त भी अभी तक मकान नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

92. राजस्थान आवासन मण्डल की कालोनी मानसरोवर में अलाट किए गये आवासीय मकानों में दुकानें बनाकर व्यवसायिक उपयोग करने व मकानों के आगे खुली जमीनों पर अतिक्रमण कर दुकानों में शामिल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

93. जयपुर नगर निगम में सरकारी आदेशों के विरुद्ध की गई अनियमित कर्मचारियों की नियुक्तियों पर विभाग

(श्री हरजीराम बुरड़क)

द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

94. जयपुर शहर में चांदपोल बाजार के बाहर सीकर हाउस की डी.पी. कालोनी की आवासीय भूमि पर व्यवसायिक काम्पलेक्स बनाने व सरकारी भूमि पर किए गये अतिक्रमण के मामलों में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

95. आवासीय क्षेत्रों का व्यवसायिक उपयोग खुलेआम किए जाने एवं उसको रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

96. विभागीय मंत्री की घोषणा के बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की सम्पत्ति की जांच अभी तक भी नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

97. नगर निगम जयपुर में बोर्ड समितियां होने के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लेने से निर्वाचित बोर्ड के अधिकारियों पर हो रहे हनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

98. जयपुर शहर में भूमि नियमन के अभियान "संकल्प" में एक व्यक्ति के नाम पट्टा होने के बावजूद भी उप विभाजन शुल्क वसूलने से मकान मालिकों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

99. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर में बनाई गई सड़कों की फर्जी टेस्टिंग रिपोर्ट बनाकर ठेकेदारों को किए गये भुगतान में लाखों रुपये का घोटाला होने के बावजूद भी दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

100. विद्याधर नगर सेक्टर-8 जयपुर में पापड़ वाले हनुमान जी को जाने वाले रास्ते की पुलिया के नीचे फैक्ट्रियों से आने वाला रसायनिक एवं गन्दा पानी एकत्रित होने से वातावरण दूषित होने एवं प्रदूषित जल पीने से पशुओं की हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

101. नगरपालिका प्रतापगढ़ के मास्टर प्लान पर प्राप्त आपत्तियों का शीघ्र निराकरण कर लागू करने एवं क्षेत्र में सफाई व्यवस्था तथा गन्दे नालों को दुरस्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(श्री नन्दलाल मीणा)

102. नगरपालिका प्रतापगढ़ की सड़कों की मरम्मत करने एवं क्षेत्र के गांवों की सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

103. नगरपालिका, नगर को स्ट्रीट लाइट व अन्य जनोपयोगी व्ययों हेतु अधिक राशि आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. कस्बा सीकरी की आबादी क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए नगरपालिका बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. प्रदेश की नगरपालिकाओं की चुंगी समाप्ति के बाद दयनीय आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु व्यापक कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. नगरपालिका नगर द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति निगम के सहयोग से पूर्व में आबंटित 8 दुकानों को दूसरी जगह मय पट्टे के कब्जा दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. प्रदेश में स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा मार्ग चौड़े करने, अतिक्रमण हटाने व भूमि नियमन में अलग मापदण्ड अपनाने से उत्पन्न जन आक्रोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व)

108. नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा प्रस्ताविक पृथ्वीराज नगर बहुउद्देशीय योजना के अव्यहारिक होने, योजना क्षेत्र में न्यास द्वारा नियमन किए जाने बहुसंख्या में निर्मित मकानों तथा चारदीवारी से योजना का स्वरूप नष्ट होने से योजना रद्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. अजमेर के आधारभूत एवं ढांचागत विकास हेतु एशियन डवलपमेंट बैंक योजना का शीघ्र क्रियान्वयन करने तथा इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा संबंधित जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, मंत्रियों की बैठक में स्वीकृत व आबंटित संबंधी कार्यों में जिला स्तरीय मोनीटरिंग समिति द्वारा रद्दो बदल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिऐ।

110. नगर परिषद् अजमेर क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा राजस्थान वित्त आयोग एवं ग्यारहवें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा दी गयी राशि द्वारा करवाए जाने वाले समस्त निर्माण कार्य एवं उपकरण खरीद आदि अन्य कार्यों की निविदा प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार तथा इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में दर्ज शिकायत एवं

(श्री ललित भाटी)

मुकदमों सहित अन्य स्थितियों के संबंध में चर्चा के लिए।

111. अजमेर का नया मास्टर प्लान बनाकर लागू करने तथा नगर सुधार न्यास, नगर परिषद् द्वारा कच्ची बस्ती नियमन के अन्तर्गत वन भूमि पर आजाद बस्तियों का नियमन नहीं किए जाने तथा राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा भूमियों पर किए गये कब्जों का नियमन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

112. नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा प्रस्तावित योजनाओं (आवासीय एवं बहुउद्देशीय) पर सरकारी स्तर पर की जाने वाली अप्रत्याशित देरी से मूल स्वरूप छिन्न-भिन्न होने एवं नगर सुधार न्यास द्वारा कृषि भूमि के नियमन की राशि में भारी अन्तर होने से राशि वसूलने से उत्पन्न जन-आक्रोश पर चर्चा के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित भाटी।

मांग संख्या-29 पर विचार

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नगरीय विकास मंत्रीजी द्वारा यहां सदन में मांग संख्या-29 को उन्होंने जो 6,97,91,70,000/- (छह अरब, सतानवे करोड़, इक्यानवे लाख, सत्तर हजार) रुपए के लिए, सदन द्वारा अनुमोदित किये जाने के लिए रखी है। इसमें मेरे द्वारा जो कटौती प्रस्ताव दिए गये हैं उनके ऊपर अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(13.17 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, उस जनसंख्या का एक करोड़ 32 लाख, यह करीबन 23.82 प्रतिशत होता है, यह भाग नगरीय क्षेत्रों के अन्दर रहता है। नगरीय क्षेत्रों की जितनी सुध हमारी इस लोकप्रिय और संवेदनशील सरकार ने ली है, उसके लिए तो मैं माननीय मंत्री महोदय का और मुख्य मंत्री महोदय का बहुत आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि इससे पहले सुनियोजित तरीके से नगरीय विकास की कल्पना हमें देखने को नहीं मिली और माननीय मंत्री महोदय ने तो बहुत ज्यादा कवायद की है। इसके लिए उन्होंने नगरपालिका कानून के अन्दर काफी संशोधन भी करने के प्रयास किए हैं। काफी अधिसूचनाएं भी समय-समय पर इसके बारे में निकाली हैं ताकि नगरीय विकास की जो गति हमने पकड़ी है, उसके अन्दर कोई अवरोध पैदा नहीं हो। इन सब बातों से सरकार और मंत्रीजी की ईमानदारी के ऊपर तो कोई प्रश्न चिन्ह लगता नहीं है मगर अभी भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके

(श्री ललित भाटी)

ऊपर ध्यान दिया जाना जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, वे बातें मैं अभी अपनी अभिव्यक्ति के अन्दर यहां पर कहूंगा कि जिस तरीके से जयपुर को हैरिटेज सिटी बनाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं। यहां बरामदों को खाली कराने को लेकर जिस दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया गया, आपने और हमने देखा कि प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा, सदस्यों के द्वारा इसका बड़ा विरोध उस समय किया गया, राजनीतिक लाभ लेने के दृष्टिकोण से कि यह गलत किया जा रहा है। मगर आज इस बात के लिये सबसे बड़ा प्रमाण, क्योंकि लोकतंत्र में प्रतिपक्ष हमें प्रमाणित करे, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जनता हमें क्या प्रमाण पत्र देती है और मुझे इस बात को सदन में कहने में कोई हिचक नहीं है कि आज जयपुर की जनता और बाहर से आने वाले, चाहे वह हमारे प्रदेश के नागरिक हों या हमारे देश के अन्य प्रान्तों से आने वाले पर्यटक हों, अन्तरराष्ट्रीय पर्यटक हों, सभी की जुबान पर जयपुर की जो बदली हुई सूरत-ए-हाल है, उसको देखकर, सरकार के प्रयासों की, सरकार की ईमानदारी की, ईमानदारी के साथ जयपुर को एक हैरिटेज सिटी का दर्जा दिलाने के लिए, जिस तरीके से जयपुर का सुनियोजित विकास किया जा रहा है और नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो काम सरकार कर रही है, उनके मुक्त कंठ से जब प्रशंसा सुनने को मिलती है तो निश्चित रूप से एक टीस प्रतिपक्ष के लोगों के दिल के अन्दर उठती है कि जिन प्रयासों के लिए और जिन कार्यवाहियों के लिए हम इस सरकार की आलोचना कर रहे थे, जनता उनके पक्ष में एकजुट खड़ी नजर आ रही है। जनता इस बात का प्रमाण-पत्र दे रही है कि सरकार द्वारा बहुत अच्छे और बेहतर काम किए जा रहे हैं। कितने पुल बहुत कम समय के अन्दर यहां पर बनाए गए हैं। यह बात सिर्फ मैं एक जयपुर की नहीं कहना चाहता। मैं हमारे प्रदेश के जो अन्य नगरीय क्षेत्र हैं, वहां पर भी इसी तरीके के सौंदर्यीकरण को लेकर, वहां आधारभूत ढांचा और हम ढांचागत विकास कर सके इसके लिए जो योजनाएं तैयार की गयी हैं और उसमें ए.डी.बी. से लोन लिया जा रहा है। मैं उसके लिए भी माननीय मंत्री महोदय आपकी और मुख्य मंत्रीजी की, दोनों की प्रशंसा करता हूं। आपको इस बात के लिये बधाई देता हूं कि आपने हिम्मत दिखाई है कि हम जो हमारे सम्भागीय मुख्यालय हैं, उन सम्भागीय मुख्यालयों का ढांचागत विकास कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके की हमारी आर्थिक परिस्थितियां हैं, जितने हमारे अपने आर्थिक संसाधन हैं,

(श्री ललित भाटी)

उनमें एक साथ 2300 करोड़ से ऊपर की राशि सिर्फ ढांचागत विकास के लिए जुटा पाए, यह शायद सम्भव नहीं था। सरकार ने एक बड़ा दिल रखकर और अपनी एक दूरदृष्टि दिखाते हुए एशियन डवलपमेंट बैंक से इस ढांचागत विकास के लिए लोन लिया है उससे इन सम्भागीय मुख्यालयों का रूप बदला हुआ नजर आएगा। हालांकि इसके ऊपर अभी काम चालू है। हमारे अजमेर के अन्दर तो इसकी शुरूआत हुई नहीं, मगर इसमें जिन चीजों को लिया गया है, उन कामों के लिए मंत्री महोदय मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने हम लोगों के सामने इस योजना को रखा था तब आपका अन्दाजा यह था कि 2003 तक आप ए.डी.बी. प्रोजेक्ट्स को कम्प्लीट कर देंगे। अब इसमें आपके पास कहां गतिरोध पैदा हुआ, आपने कहां इसके अन्दर शिथिलता को नजरअन्दाज किया, यह आपके देखने की बात है। मगर अब इसे नजरअन्दाज नहीं किया जाना चाहिए। आप की इसके ऊपर बड़ी स्पीडी मोनीटरिंग होनी चाहिए कि जो आपने टाइम बाउण्ड प्रोग्राम इसके लिए इस सदन के अन्दर रखा और अलग से भी आप लोगों ने मीटिंग लेकर हम लोगों को बताया कि सन् 2003 तक इन ए.डी.पी. प्रोजेक्ट्स को हम कम्प्लीट करेंगे और प्रदेश की जनता को हम लाभान्वित करेंगे। मुझे यह कहीं नजर नहीं आ रहा है कि आप 2003 तक इन परियोजनाओं को पूरा कर पाएंगे।

सभापति महोदय, जब 2003 तक इन परियोजनाओं पर जो पैसा खर्च करना है, यह नहीं करेंगे, तो जो लागत आनी है, जो प्राइस एस्केलेशन होना है, मैं यह मानकर चलता हूं कि वह न आपके रोकने से रुकेगी, न मेरे हाथ में है रोकना। उस प्राइस एस्केलेशन की वजह से आपने जो फण्ड का प्रोविजन किया है, जो आपने लोन का प्रोविजन किया है, यह कहीं कम न पड़े। मैं सोच सकता हूं कि जिस तरीके से रुपये का अवमूल्यन हो रहा है और जिस तरीके से डालर की रेट बढ़ रही है, क्योंकि यह जो लोन हमें मिला है, यह डालर्स के अन्दर हमारी सरकार ने लिया है। आप इस उत्तर के साथ में अगर हमें संतुष्ट करना चाहे कि डालर्स की रेट बढ़ रही है और रुपये का अवमूल्यन हो रहा है तो वह हमारे को जो सरप्लस मनी मिलेगी, उस सरप्लस मनी से हम प्राइस एस्केलेशन का जो डिफरेंस होगा, उसको मीट-विद कर पाएंगे, तो मैं इस बात से संतुष्ट नहीं होना चाहता। क्योंकि वह नोर्म्स कोर्स के अन्दर जो रेट आफ एक्सचेंज हमारे फोरेन एक्सचेंज का है, अगर उसमें एक्सेस पैसा हमारी इण्डियन करेंसी के अन्दर मिल रहा है, तो उस पैसे का उपयोग इस प्राइस एस्केलेशन में नहीं करके और अन्य दूसरे संसाधन हम उपलब्ध करवा पाएं। उसके

(श्री ललित भाटी)

अन्दर उस पैसे का हम उपयोग करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समयबद्ध रूप में हमारे इस ए.डी.बी. प्रोजेक्ट्स को कम्प्लीट करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इसमें मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो इनीशियली इसके लिए बैठक आयोजित की थी उसमें मेडिकल सैक्टर को आपने, कम से कम अजमेर के लिए तो बड़ा नजरअन्दाज किया था। अभी हमें जिला कलक्टर से यह जानकारियां प्राप्त हुई हैं और कल उसकी बैठक हमारे अजमेर के अन्दर होने वाली है। मेडिकल सैक्टर को भी आपने इसके अन्दर इंक्ल्यूड किया है। जो कमी हमें उसके अन्दर नजर आ रही है, मंत्री महोदय, मैं यह चाहता हूं कि आप ए.डी.बी. के जो अधिकारी हैं या उनके यहां पर जो भी प्रतिनिधि हैं, उनसे इस बारे में चर्चा अवश्य रूप से करें और यह जानकारी आप उनसे लें कि उन्होंने उपकरण के खरीदने के ऊपर इसमें रोक लगा रखी है, वह यह कहते हैं कि आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करिए। आप मेडिकल जैसे सैक्टर को एक तरफ तो शामिल कर रहे हैं और उसमें आप उपकरण खरीदने के ऊपर रोक लगा रहे हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे जो सम्भागीय मुख्यालय हैं, मैं अजमेर को देखते हुए मानकर चलता हूं, दूसरी जगह पर यह परिस्थिति हो सकती है, अजमेर के ऊपर हमारा डिविजनल हैड क्वार्टर होने की वजह से, टौंक के लोग तो चलिए यहां जयपुर फिर भी आ जाते हैं मगर भीलवाड़ा, नागौर और अपने आप एक अजमेर, यह तीनों जिलों का हमारा जो जे.एल.एन. हास्पिटल है, इसके ऊपर इतना बर्डन है। जो असाध्य रोग है, मंत्री महोदय, जैसे कैंसर की बात है, हार्ट डिजिज की बात है, एक कैथ लैब की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता अजमेर के अन्दर महसूस हो रही है। सभापति महोदय, सारा का सारा लोड हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट, मेरे बराबर में डा. करण सिंह जी यहां पर बिराजमान हैं, माननीय सदस्य मेरी इस बात से शायद सहमत होंगे कि हम राजस्थान के सारे हृदय रोगियों को एक ही जगह पर बुलाएं इससे बेहतर होगा कि अब जो मौका हमारे हाथ में है, इस मौके का हम दुरुपयोग करें। इस अवसर को हम नहीं गवाएं और डिविजनल हैडक्वार्टर पर आपके पास यह अवसर हाथ में आया हुआ है। आप सब जगह के लिए कैथ लैब के लिए उपकरण खरीदने की और कैथ लैब की स्थापना की व्यवस्था इस ए.डी.बी. प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मेडिकल बजट के अन्दर इतना हमारे पास में पैसा नहीं है कि हम अपने संसाधनों से अपने सम्भागीय मुख्यालय पर कैथ लैब की स्थापना कर सकें।

(श्री ललित भाटी)

इसी तरीके से और भी उसके अन्दर कई आवश्यक उपकरण हैं जो यूरोलोजी से सम्बन्धित हैं। कई हमारे कैंसर से सम्बन्धित हैं। कैंसर का हमारे यहां पर सैंटर खुला हुआ है। कई मशीनें ऐसी हैं, मशीनों और उपकरणों को खरीदने के लिए भी मंत्री महोदय, ए.डी.बी. प्रोजेक्ट्स के अन्दर आप सुविधाएं दिलाएं।

मुख्य मंत्रीजी, आप, उसके अन्दर मुख्य सचिव भी थे और बहुत सारे लोग भी थे, माननीय सभापति महोदय, जब प्रारम्भिक तौर पर ए.डी.बी. प्रोजेक्ट के लिए योजनाएं तैयार की गयीं, उसके अन्दर कच्ची बस्तियों को भी इन–कारपोरेट किया। उसके अन्दर आपने सोलिड बेस मैनजमेंट को भी लिया। उसमें पी.एच.ई.डी. के अन्दर सिस्टम डवलप करें, इस बात को भी आपने रखा। आपने आना सागर लेक का जो प्रदूषण है, उसको हम दूर कर सकें, इसके लिए भी आपने प्रावधान रखा। मेरा कहने का मतलब यह है मंत्री महोदय, एक भ्रांति अभी उत्पन्न हुई है कि जो सैक्टोरियल अलाटमेंट पैसे का किया गया उन योजनाओं के अन्तर्गत, उसमें मुख्य मंत्री स्तर पर निर्णय कर लिया गया, चर्चा कर ली गयी, विचार–विमर्श कर लिया गया। अब आपने एक सिटी लेवल कमेटी बनायी है मोनीटरिंग के मामले में। वहां हमारे जो अधिकारी आपने इसके लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजे हैं, वह इस तरीके की उसके अन्दर भ्रांति डाल रहे हैं कि उन योजनाओं को जिनके ऊपर जैसा मैंने कहा कि सैक्टोरियल अलाटमेंट हो चुका है और आज आप कहते हैं कि यह सी.एल.सी. उनके अन्दर परिवर्तन कर सकती है। आपने डेढ़ साल पहले जो सारी कवायदें की हैं, जिनके आधार पर सारी डिजाइन एण्ड ड्राइंग तैयार हुई और ए.डी.बी. के कंसल्टेंट ने आकर अपनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, आज सी.एल.सी. उसको चेंज करने की बात करती है। आप जिस समयबद्ध रूप के अन्दर इस परियोजना को समाप्त करना चाहते हैं कि यह किस तरीके से मंत्री महोदय, आप सम्भव करना चाहते हैं, यह मेरे समझ में नहीं आती। मुख्य मंत्री के स्तर पर, आपके स्तर पर अलग–अलग बैठकें लेकर जिन कामों को आप स्वीकृति दे चुके हैं, आज उसका सी.एल.सी. लेवल पर, मतलब आप यह बताना चाहते हो कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट कर देवे, उस फैसले को एक सैशन कोर्ट जाकर चेंज कर सकता है या मुंसिफ मजिस्ट्रेट का कोर्ट जाकर चेंज कर सकता है। आप किस तरीके से इनकी मानीटरिंग करना चाहते हैं, आप किस तरीके से इनको अमलीजामा पहनाना चाहते हैं, यह मेरी समझ के बाहर है। सी.एल.सी. को आपने क्यों पावर दिये हैं? आप इस ए.डी.बी. प्रोजेक्ट को टाइम बाउण्ड कम्प्लीट करें, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह सी.एल.सी. क्या मतलब है?

श्री ललित भाटी : यह सिटी लेवल कमेटी उन्होंने बतायी है। आपने इसकी मानीटरिंग के लिए कोई कमेटी बनायी है कलक्टर की चेयरमैनशिप में जिसके अन्दर सारे अधिकारियों को और इनको रखा है। उस कमेटी के अन्दर यह बात आयी कि उसमें इन कामों की गतिशीलता को देखने के बजाय, जिस गति से आप इनका सम्पादन करवाना चाहते हैं, वहां किया गया कि इसको चैंज करा जा सकता है। (व्यवधान) हां, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं। पी.आई.यू. को आपने जो पावर्स दिए हैं कि वो वहां पर अब, इस लेवल के ऊपर, जहां आप कामों को शुरू करना चाह रहे हैं वहां पर यह आ रही है कि नये कामों का निर्धारण किया जाएगा और जब नये कामों का निर्धारण होगा और जो सैक्टोरियल अलाटमेंट हो गया, जिन कामों को हमने चिन्हित कर लिया उनके लिए आपने मीटिंग्स में पैसा सैंक्शन कर दिया, अब वो पी.आई.यू. चैंज करेगी। यह मेरी समझ में बात नहीं आती है। अब उनको अगर कोई गलतफहमी हो रही है...

श्री शांति कुमार धारीवाल : जिन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, कंसलटेंट्स जिनकी डिजाइंस बना रहे हैं जिनके लिए वर्क आर्डर्स इश्यू हो गये हैं, फास्ट ट्रेक हो, चाहे एल.सी.बी. हो, चाहे आई.सी.बी. हो सिर्फ यह जो काम आप बता रहे हैं न कि वह देखेंगे, वह पी.आई.यू. देखेगी। क्योंकि मुख्य मंत्रीजी का यह अनाउंसमेंट है कि टोटल मनी जिस सिटी पर खर्च की जा रही है ए.डी.बी. के प्रोजेक्ट के द्वारा उसमें से 5 परसेंट पैसा मेडिकल फैसेलिटीज के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ वो मेडिकल पाइंट को देखेंगे। उसमें आपने जो यह बात कही कि इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, इक्विपमेंट्स नहीं हैं, यह नहीं है, वह नहीं है। तो उसमें ए.डी.बी. वालों की यह शर्त है कि 10 परसेंट से ज्यादा इक्विपमेंट्स के लिए खर्चा नहीं किया जाए। दूसरी सुविधाओं, बिल्डिंग्स के लिए, वार्ड बनाने के लिए, इनके लिए, उनके लिए, जो प्रपोजल्स उनसे मांगे गए हैं ताकि आप इस बात में निश्चिन्त रहे कि जो प्रोजेक्ट आप ही की बैठक में हमने फाइनल किये थे वही फाइनल होंगे।

श्री ललित भाटी : मंत्री महोदय, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आप भी क्लियर हैं और करीब करीब इस भावना से मैं भी क्लियर था। यह बात मैंने उस मीटिंग के अन्दर कही। मगर वहां भ्रांति है। एक चीज आपने जो कही उसके लिए तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं कि मेडिकल सेंटर की तरफ आपका ध्यान गया है। उसमें जो दस परसेंट के लिए आप बता रहे हैं, तो यह भी थोड़ा क्लेरिफाई करवाएं

(श्री ललित भाटी)

कि जो टोटल आपने प्रोजेक्ट के लिए फण्ड अवेलेबल करवाया है वह दस परसेंट उस टोटल अमाउंट का दस परसेंट होगा या मेडिकल सैक्टर के लिए जो प्रोविजन कर रहे हैं उस मेडिकल सैक्टर का सिर्फ दस परसेंट होगा।

श्री शांति कुमार धारीवाल : पांच परसेंट।

श्री ललित भाटी : पांच परसेंट होगा तो पांच परसेंट अगर आप टोटल प्रोजेक्ट का ले करके चलते हैं, जैसे अजमेर के लिए 164 करोड़ रुपये का है, तो मैं सोचता हूं कि हम कैथ लैब की स्थापना कर पाएंगे, अन्य दूसरे जो उपकरण हैं वह हम खरीद पाएंगे और अभी आपने पांच करोड़ 43 लाख का अजमेर के ए.डी.बी. प्रोजेक्ट में मेडिकल सैक्टर के लिए एलोकेशन किया है, पांच परसेंट अगर हम पांच करोड़ का लेंगे, तो हम कैथ लैब की स्थापना उसके अन्दर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उसके अन्दर करोड़ों रुपये का खर्चा आता है। इसको आप थोड़ा देखें यह हो सकता है, क्योंकि यह एक अवसर है जिसके लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। आप पूरे राजस्थान के अन्दर हमारे जो दिल के मरीज हैं और जो सम्भावित मरीज हो सकते हैं उन सबके लिए एक साथ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा पाएंगे। यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इस दृष्टि से जो मैं कह रहा हूं उसके हिसाब में आप देखें, इस पोसिबलिटीज को एक्सप्लोर करें कि अपन इसको करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं। सभापति महोदय, अपने संसाधनों से, तो मैं नहीं मान कर चलता कि आने वाले दस और पन्द्रह साल के अन्दर कैथ लैबों की स्थापना कर पाएंगे। क्योंकि मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी से कई बार इस मामले में मिल कर व्यक्तिगत चर्चा कर चुका हूं कि अजमेर में कैथ लैब स्थापित की जानी चाहिए। वह अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए गवर्नमेंट लेवल पर हम इसका सिस्टम रखें या हम इसको ठेके के अन्दर प्राइवेट लोगों को दें। ठेके पर देंगे तो, सभापति महोदय, सब्सिडाइज रेट पर कोई आदमी काम करने के लिए नहीं आएगा। करोड़ों रुपया लगा कर कोई सेवाएं प्रदान करना नहीं चाहता है। आज वाणिज्यिक महत्व का यह जमाना हो गया है, तो जब आप इस बात के लिए प्राइवेट सैक्टर के लोगों को एंकरेज नहीं करोगे कि जितना पैसा लग रहा है उसके आनुपातिक रूप में वह लाभ कराएं। हम नहीं कहते कि लूट मचनी चाहिए मगर राज्य स्तर पर यह सुविधाएं प्रदेश की जनता को उपलब्ध नहीं करवा सकते। एक अवसर है कि ए.डी.बी. के माध्यम से हमें पैसा मिल रहा है और हम यह काम उसके अन्दर कर सकते हैं, उसमें किया जाना चाहिए।

(श्री ललित भाटी)

सभापति महोदय, कृषि भूमि नियमन का और कच्ची बस्तियों के नियमन का जो ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने किया, उसके लिए मैं, मंत्री महोदय, आपको बधाई देते हुए यह बात कहना चाहता हूं कि यह जो कच्ची बस्तियां हैं इनमें यह पहली सरकार ऐसी है जिसने राजस्थान के उस व्यक्ति को, जिसके सर पर छप्पर होते हुए भी वैधानिक रूप से छप्पर नहीं था, वह अनधिकृत बस्तियां मानी जा रही थीं, आपने उनको वैधानिक स्वरूप दिया है, आपने उनके मकान के सपने को साकार किया है। मगर इस सपने को साकार करने में अब आप संकीर्णता मत दिखाइए। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और वह वर्षों से इस जमीन पर रह रहा है। आप टीनेंसी एक्ट के तहत उसको डिस्पजेस्ट कर नहीं सकते, उसका एडवर्स पजेशन है। मैं उसकी लीगल पोजिशन पर जाना नहीं चाहता, मैं आपकी मंशा को कहीं कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहता मगर हमारा जो प्रयास है, हमारी जो पहल है उसके अन्दर हमने किसी भी तरीके से नजरअन्दाज किया है सरकारी कर्मचारी को कि अगर वो सरकारी कर्मचारी है और इस तरह की बस्तियों में बसा हुआ है, तो उसकी जमीन का हम नियमन नहीं करेंगे। यह हम किस तरीके का मापदण्ड अपना रहे हैं? सभापति महोदय, उन्होंने किस तरीके का गुनाह किया है? सरकार की नौकरी करना अगर गुनाह है तो, मंत्री महोदय, मेरे खयाल से यह एक नयी बहस हम प्रदेश में इस नियमन के नाम पर छेड़ देंगे और जो राज्य कर्मचारी हैं, चाहे वो हमारी सरकार में काम कर रहे हों या केन्द्रीय सरकार में काम कर रहे हों, उन कर्मचारियों के मन में सरकार की मंशा के प्रति एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा कि हमारे से किस तरीके का सौतेलापन और दोहरापन और दोहरा आचरण यह सरकार और हमारे धारीवाल साहब क्यों करना चाहते हैं, हमारे मुख्य मंत्रीजी क्यों करना चाहते हैं। जब हमने यह डिसीजन ले लिया, एक यूनिफोर्म डिसीजन कैबिनेट ने लिया कि कच्ची बस्तियों में जो लोगों का अतिक्रमण है उसके लिए आपने एक डेडलाइन तय की है। उस डेडलाइन के हिसाब से जो लोग रह रहे हैं उनका आप नियमन करेंगे। सभापति महोदय, मैंने इसको पिछले सत्र में भी उठाया था। मुझे इस बात के लिए धन्यवाद देने के अन्दर कोई कोताही नहीं है और मंत्री महोदय, मैं संगदिल नहीं हूं, मैं तो धन्यवाद का पिटारा थोक में, आप कहो जितने ट्रक भर कर आपके यहां भेजने को तैयार हूं मगर आपने इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तो छूट दी, एक डिसीजन आपने कैबिनेट से लिया। मैंने आप से भी निवेदन किया, मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया कि इसको और थोड़ा सा रिलेक्स करें। मैं सोचता हूं कि आप मेरी इस बात के

(श्री ललित भाटी)

ऊपर ध्यान देंगे और कम से कम तृतीय श्रेणी तक के जो कर्मचारी हैं और ऐसी बस्तियों के अन्दर रह रहे हैं उनके लिए आप अपने दिल का दरवाजा खोलेंगे और उनके नियमन का रास्ता साफ होगा।

सभापति महोदय, वन भूमियां जो हमारे नगर परिषद् और नगर सुधार न्यास के सीमा क्षेत्र के अन्दर आ रही है, वर्षों से उन पर लोग रह रहे हैं, उनका नियमन नहीं करने का आपने इसमें किया। मंत्री महोदय, आप वन विभाग के मंत्रीजी को पकड़िए, अधिकारियों को पकड़िए और अपने मातहत अधिकारियों को निर्देश प्रदान करिए कि ऐसी वन भूमि के ऊपर लोग विराजमान हैं, मकान बना करके वर्षों से रह रहे हैं, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, पानी का कनेक्शन आपने दे दिया, बिजली का कनेक्शन आपने दे दिया, टेलीफोन वहां पर लगे हुए हैं, टेलीफोन तो सैंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के अन्दर आता है मगर पानी और बिजली अपनी सरकार का मसला है, अगर वे लोग अनियमित थे, अवैधानिक थे तो वहां पर उनको हमने यह दोनों कनेक्शंस किस आधार पर दिये? कनेक्शंस आपने उनको दे दिए हैं और नियमन से आप उनको वंचित रखना चाहते हो। हम लोगों में यह एंकरेजमेंट पैदा नहीं करना चाहते कि फोरेस्ट लैंड को एंक्रोच करते हुए चले जाएं और वन हमारी जमीन पर से समाप्त हो जाएं, कम हो जाएं। आप यह व्यवस्था भी कर सकते हैं, ऐसी हमारे पास राजस्थान के अन्दर बहुत जमीन, पड़ी हुई है, कम से कम अजमेर के अन्दर पड़ी हुई है। आप वन भूमि के ऊपर जो मकान बने हुए हैं, अब उसकी कट आफ डेट तय कर दीजिए, उस कट आफ डेट के बाद में अब किसी को भी हम बरदाश्त नहीं करेंगे। अब तक जो लोग आ गये हैं उन लोगों का नियमन हम करेंगे और उसके बदले में वन विभाग को इतनी ही जमीन हम वन क्षेत्र के अन्दर दूसरी जगह पर, जहां जमीन पड़ी है देंगे। आज जो शहरी क्षेत्र हो गया है उसके अन्दर वन भूमि आ रही है, सभापति महोदय, जिसका कोई औचित्य नहीं है, तो ऐसी भूमियों का हम आबादी बसाने में और आबादी विस्तार के अन्दर उपयोग कर सकते हैं।

मंत्री महोदय, आप समझदारी के निर्णय कर रहे हैं, उसमें थोड़ी समझदारी और दिखाएं कि इस तरह के निर्णय भी आपको लेने चाहिए और राजस्थान की जनता इस सब बातों के लिए आपको सराहेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं सिर्फ पांच मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो नगर परिषद् और यू.आई.टी. के मामले में कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : इम्पोर्टेंट बात तो हमेशा पहले करनी चाहिए।

श्री ललित भाटी : मैं यह सोच रहा था कि थोड़ा इनकी मिजाजपुर्सी करके फिर बात कहनी चाहिए। मैंने थोड़ा-बहुत तो की है।

सभापति महोदय, मैं आपका भी बहुत आभारी हूं क्योंकि जब-जब भी आप चैयर पर बैठे हैं, आपने मेरा बहुत ध्यान रखा है और मुझे मेरी बात कहने का भरपूर मौका मुझे दिया है तो आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मेरी बात आगे जारी रखना चाहता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य, आसन तो निष्पक्ष होता है। किसी का ध्यान नहीं रखता, सबका ही रखता है।

श्री ललित भाटी : माननीय सदस्या, मैंने यह तो कहा ही नहीं कि बाकी का नहीं रखता। मैंने कहा मेरा रखते हैं। मैं मेरी बात कर रहा था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अकेले का ही नहीं रख सकते।

श्री सभापति : आप तो अपनी बात कह दो न।

श्री ललित भाटी : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि हम यह जो काम कर रहे हैं कृषि भूमि नियमन का और कच्ची बस्ती नियमन का। नगर सुधार न्यास, अजमेर जिस तरीके से आपके परिपत्रों की व्याख्या करता है, माननीय मंत्री महोदय, अगर आपने परिपत्र राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में निकाला है, तो उसकी व्याख्या एक जैसी होनी चाहिए और अगर आपने यू.आई.टी वाइज परिपत्र निकाला है, तो फिर शायद वह जो उसकी व्याख्या कर रहे हैं, मैं सहमत होता हूं। यह मेरी जो गलतफहमी है कि परिपत्र पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है उस आप दुरुस्त करेंगे कि ललितजी, आप गलत हैं। हमने अजमेर यू.आई.टी. के लिए अलग से परिपत्र निकाला है और वह अजमेर की सीमाओं के ऊपर लागू होता है, तो यह मेरी जानकारी में आ जाएगा, तो शायद मेरा जो एतराज है उस एतराज को मैं वापस लूंगा।

सभापति महोदय, 1998-99 से 2000-2001 तक जो आडिट आब्जेक्शंस आए हैं, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं किस निरंकुशता के साथ नगर सुधार न्यास, अजमेर के अन्दर काम कराया जा रहा है। आपकी और मुख्य मंत्रीजी की मंशा है कि लोगों को हम लाभान्वित करें। अब यह लाभ किसको दिया जा रहा है इसका निर्णय मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं।

सभापति महोदय, एक सेंट स्टीफन स्कूल अजमेर के अन्दर है। उसको रियायती दर पर भूमि देने का मामला आया। हम जमीनों को इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को दे सकें इसके

(श्री ललित भाटी)

लिए प्रावधान स्पष्ट रूप से यू.आई.टी. एक्ट के अन्दर किया हुआ है। अगर उस एक्ट के अन्दर प्रावधान स्पष्ट है तो उसको लागू करने के अन्दर हमारा डिस्क्रिशन कहां यूज हो रहा है और डिस्क्रिशन यूज करने से अस्सी लाख रुपए का नुकसान यू.आई.टी. को हुआ। यह नुकसान यू.आई.टी. का नहीं है, यह सरकार का नुकसान है तो हम जमीनें दें। अस्सी लाख रुपए का नुकसान सरकार को हुआ और इस बात के लिए वह आडिट आब्जेक्शंस का जवाब दें। माननीय मंत्री महोदय, आप इस बात को देखेंगे। वैकल्पिक भूखण्ड के आबंटन के मामले में एक...

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपने जो बात कही है वह आप भिजवा दें।

श्री ललित भाटी : मैं ऐसे बहुत सारे प्रकरण आपको बतला रहा हूं। सबकी सूचना दूंगा।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह भिजवा दें।

श्री ललित भाटी : हां, मैं आपको दूंगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। सहयोग करें।

श्री ललित भाटी : मैं दो मिनट के अन्दर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वैकल्पिक भूखण्ड के मामले में करीब 17,18,744/- रुपए का नुकसान है। एक ग्लोबल फाउण्डेशन को, जो ग्लोबल फाउण्डेशन फार एडवांस एजुकेशन एण्ड कैरियर डवलपमेंट सोसायटी है, इसको अनधिकृत नियमन किया है। इससे न तो हमने कोई भू उपयोग परिवर्तन की राशि वसूली है। इसके अन्दर भी सोलह लाख रुपए की राजस्व की हानि हुई है। न्यास के स्वामित्व की कोई जमीन कस्टोडियन की थी इसको लेकर 28,61,801/- एक रुपए का इसके अन्दर नुकसान हुआ है। निर्मित आवासों पर जो बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर बनाए गए हैं, मंत्री महोदय, आप जो एल.आई.जी. और ई.डब्ल्यू.एस. के क्वार्टर्स बनाते हैं, आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उन लक्ष्यों को निर्धारित करके बनाकर देने के पीछे सरकार का उद्देश्य मैं मानता हूं, जो इस वर्ग के अन्दर आते हैं उनको आवास की सुविधाएं उपलब्ध हों, उन्हें आवास उपलब्ध हुए नहीं और अन्य लोगों को इसका आबंटन किया गया जो चन्दर बरदाई में है, पंचशील में है और कोटड़ा में दो जगह बने हैं। एक सौ छियासठ कुल क्वार्टर्स हैं। इसमें इकतीस लाख इक्यासी हजार पांच सौ नब्बे रुपये की हानि हो रही है। नियमन शुल्क को, मंत्री महोदय अपने हिसाब से, अजमेर में इस बात को लेकर चाहे वह योजना क्षेत्र हो, चाहे गैर योजना क्षेत्र हो जबरदस्त रूप से जनता के अन्दर रोष है। आपने जोन डिसाइड किए। अब उस जोन को डिसाइड करने के बावजूद,

(श्री ललित भाटी)

सभापति महोदय, मेरे से रेट अलग, आपसे रेट अलग, डाक्टर साहब से रेट अलग। जब आपने यह कोशिश की कि इसमें कहीं कोई विसंगति नहीं रह जाए और पूरे राजस्थान में एक जैसी हमने जो रेट डिसाइड की है, एक जैसा लोगों के साथ कानून लागू हो फिर इसको लागू करने के अन्दर अजमेर यू.आई.टी. अलग-अलग रेट्स डिसांइड करती है। मेरे बिलकुल बराबर वाले की रेट अलग है, मेरे से आगे वाले की रेट अलग है और पीछे वाले की रेट अलग है। इस तरीके से करीब सत्तावन लाख रुपये...

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री ललित भाटी : सभापति महोदय, नगर परिषद् की बात मैं कहता हूं। यू.आई.टी. के सारे प्रकरण मंत्री महोदय, आपके सामने रखकर के दूंगा। नगर परिषद् जो हमारी सिविक बाडी है उसने तो वहां पर भ्रष्टाचार का बिलकुल अड्डा बना रखा है और आपके नोटिस में कई बार ये बातें आयी हैं। चाहे आपने स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा दिया, चाहे वह इलेवन्थ फाइनेंस कमीशन का पैसा आया, जिस तरीके से निविदाओं की आड़ लेकर खुल्लम खुल्ला भ्रष्ट आचरण अपनाते हुए वहां के अधिशासी अधिकारी ने, बोर्ड ने वहां भ्रष्टाचार पनपाया उसकी शिकायतें भी आपके पास आयी हैं। ए.सी.डी. के अन्दर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। सभापति महोदय, तीन मिनट में बजट पास कर दिया गया। वक्त से पहले सारी कार्यवाही की गयी किस बात को छिपाने के लिए? हमारे नव-निर्वाचित जो माननीय सदस्य हैं नानकरामजी साहब, ये उस मीटिंग के अन्दर पहुंचे और इनको धरने पर बैठना पड़ा। माननीय मंत्री महोदय, आप इन बातों को देखिए, किस तरीके से नगर परिषद् के अन्दर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आप उसके ऊपर सख्त कार्यवाही

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

करिए। सभापति महोदय, मैं कंक्लूड कर रहा हूं।

नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 में मंत्री महोदय, आपको निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और बोर्ड के खिलाफ कार्यवाही करने के अधिकार प्राप्त हैं। आप अजमेर के अन्दर यह कार्यवाही क्यों नहीं करना चाहते हैं? यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

सभापति महोदय, जो राष्ट्रीय गन्दी बस्ती कार्यक्रम है, यह नगर परिषद् से सम्बन्धित है इसमें मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि आपको भी इससे कोई न कोई कमी पीड़ा पहुंची होगी। इनमें जिन वर्क्स को हम सलेक्ट करते हैं, रूडा के माध्यम से आप उनकी स्वीकृतियां दिलाते हैं और नगर परिषद द्वारा जो काम कराये जाने वाले हैं उसमें जिन्हें लाख और डेढ़ लाख लोग निर्वाचित करके भेजते हैं

(श्री ललित भाटी)

उनकी कैंसेन्ट रखने का कोई प्रोविजन ही नहीं रखा। इसके लिए सी. डी. एस. का गठन किया है आपने? वह सी. डी. एस. कब इसकी मीटिंग करती है, कब इसके अन्दर कामों का चयन किया जाता है, उनकी मीटिंग्स का सिलसिलेवार कोई ब्यौरा नहीं, कोई पता नहीं। आप पारदर्शिता की बात करते हैं। कोई पारदर्शिता इस मामले में नहीं रखी जाती कि सी. डी. एस. कब प्रपोजल्स बनाकर भेजती है। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप तमाम जन प्रतिनिधियों, ईविन पार्षद जो हैं, पार्षदों का भी इसके अन्दर कोई इंवाल्वमेंट नहीं है और अलग से एक इकाई जो सी. डी. एस. की बनायी है वह अपनी मनमानी इसके अन्दर करती है। रूडा में प्रपोजल्स आते हैं, माननीय सदस्य रूडा के मैम्बर हैं, वे जाते हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र में कहां काम हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं है, उनसे पूछा ही नहीं जाता है। और इसके अन्दर जितना भ्रष्टाचार हो रखा है, मैंने मुख्य मंत्री महोदय को भी इस पर लिखकर दिया। उसकी आप जांच करवा रहे हैं और उस जांच के अन्दर पाया है, मैं चाहता हूं कि आप उनके खिलाफ त्वरित गति से कार्यवाही करें कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है गन्दी बस्ती के डवलपमेंट के नाम पर पैसा वहां नहीं लगकर अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब में जा रहा है। यह बहुत विचित्र बात है। बहुत सारी बातें मैं कहना चाहता था। मैंने अजमेर के मास्टर प्लान के बारे में भी बात की है। हमारे अजमेर का मास्टर प्लान समाप्त हो गया तो वह नये सिरे से लागू हो।

श्री सभापति : माननीय श्री गोवर्द्धनजी कल्ला।

श्री ललित भाटी : हमारी एक पृथ्वीराज योजना है। उसका व्यावहारिक स्वरूप समाप्त हो गया। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि जो मेरे कटमोशंस हैं उनका सिलसिलेवार जवाब मंत्री महोदय या तो जवाब में दें या लिखित में मेरे को पहुंचाएं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप इनको दे देना।

श्री ललित भाटी : जो बातें आपने मुझे यहां कहने का अवसर दिया उनके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और मंत्री महोदय, एक बार फिर आपको धन्यवाद का पिटारा देता हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री गोवर्द्धनजी कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में अपने विचार रख रहा हूं। मान्यवर, मनुष्य की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। तीसरी आवश्यकता, विशेषकर नगरों में इस मकान की समस्या हमेशा बनी रहती है और हम देखते हैं कि इस राजस्थान की 23-24 प्रतिशत

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

जनता नगरों में बसती है। एक सौ तिरासी नगरपालिकाएं और परिषदें भी मिलकर इसका सारा आयोजन करती हैं।

मान्यवर, अभी राजस्थान सरकार ने जो ''प्रशासन शहरों के संग'' अभियान चलाया उस अभियान में हमें देखने को मिला कि किस तरह की समस्याएं इन नगरों में हैं और इनका समाधान किस तरह से राज्य सरकार ने किया है। मान्यवर, अभी चर्चा चल रही थी कि कृषि भूमि का नियमन हुआ। कई वर्षों से लोग कृषि भूमि पर मकान बनाकर रह रहे थे। मकान की आवश्यकता है। गांवों में तो कहीं भी बस जाते हैं, परन्तु शहर जब बढ़ता है, तो निश्चित रूप से शहर के पास वाली कृषि भूमि पर लोगों ने मकान बनाते हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि इन सारी कृषि भूमियों को, जो सहकारी समिति के माध्यम से हो या अन्य किसी सोसायटीज के माध्यम से जो उन्होंने मकान बना रखे हैं उसे नियमन का निर्णय लिया, वस्तुत: सरकार मंत्री महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। उसके साथ उस कृषि भूमि नियमन में जो अरबन रिन्युअल फण्ड जो उन्होंने क्रिएट किया है पांच प्रतिशत उस राशि का ले करके करीब पांच करोड़ रुपये की राशि जो जमा हो गयी, मुझे लगता है यह बहुत बड़ी अवधारणा है जिसके माध्यम से हम नगर विकास में काम करेंगे।

मान्यवर, नगर की बड़ी समस्याएं हैं, कच्ची बस्तियां हैं, कच्ची बस्ती नियमन का जो निर्णय लिया वस्तुत: 1328 कच्ची बस्तियों में 1,53,464 व्यक्तियों को आश्रय मिल जाए रहने का, यह बहुत बड़ा निर्णय है। उसमें कई समस्याएं हैं कच्ची बस्तियों में, कुछ कच्ची बस्ती बस्तियां मैंने देखी हैं जिनमें बस्तियां बसानी हैं, हमको निश्चित उनको आवास देना है पर उन बस्तियों के मास्टर प्लान बनाने अति आवश्यक हैं। यदि मास्टर प्लान नहीं हैं, हेप-हेजर्ड-वे से यदि हम नियमन करने गए तो समस्या और खड़ी हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिन कच्ची बस्तियों का हम नियमन करने जा रहे हैं उन बस्तियों का मास्टर प्लान बनवाएं, जनसुविधाओं की सारी व्यवस्थाएं कराएं, सड़कें, बिजली, पानी आदि की सारी व्यवस्थाएं उन कच्ची बस्तियों में अति आवश्यक है।

विशेषकर मेरे जैसलमेर में ग्यारह कच्ची बस्तियां थीं उनमें से पांच बस्तियों के नियमन का आदेश था, इनकी विशेष व्यवस्था थी कि पर्यटन के नाम से छह बस्तियां हमें स्थापित करना है उन बस्तियों को उठाकर शिफ्ट करना है। दूसरी जगह नियमन जिस बस्ती का कर रहे हैं उसमें तो हम अधिक जमीन दे रहे हैं। जिन बस्तियों को हमको विस्थापित करना है वह विस्थापन की कैटेगरी में लेकर उनको

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

आधी भूमि दे रहे हैं तो बस्तियां तो वहां नियमन हो सकती थी, परन्तु सामरिक दृष्टि से या पर्यटक दृष्टि से उन बस्तियों को हम उस स्थान पर नियमन नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जिन बस्तियों को स्थापित कर रहे हैं उनको भी वही लाभ दें जो नियमन कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कृपया इस पर गम्भीरता से विचार करें।

नियमन के बारे में, अब नियमन जहां कच्ची बस्ती बसी हुई है उस सारे क्षेत्र में करीब-करीब सारी लैण्ड यूज हो चुकी है। होटल्स बन चुकी हैं, कई स्थान बन चुके हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग बन चुकी हैं पर कच्ची बस्ती नियमन की चर्चा आती है, तो कहें कि इसमें तो लैण्ड यूज की परमिशन ले आइए या टाउन प्लानर की हमेशा जो उलझन पैदा की जाती है कृपया इसका सरलीकरण कराएं जिससे कि हम उन कच्ची बस्तियों का नियमन करके उन गरीब लोगों को, जिनकी हमने बहुत बड़ी अपेक्षाएं बढ़ा दी हैं कि सबका हम चाहेंगे कि इस अप्रैल के माह में सारा निस्तारण हो जाए जैसा हम चाहते हैं, तो जो भी आदेश...

श्री सभापति : कल्ला जी, आप बिराज जाओ।

(गणपूरक घंटी)

गणपूर्ति के पश्चात्

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोरम तो पूरा रखा करो अपना, 153 हो, कोरम तो पूरा रखा करो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपने आपके साथियों को तो भगा दिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारी क्या जिम्मेदारी है उनको तो भगा दिया आपने। अब अपना कोरम तो पूरा रखो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : हरकतें ठीक करवाओ न उनकी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई और नहीं है, कोरम भी पूरा नहीं रखते। कोरम बेल लगवाते हो।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : माननीय सभापति महोदय, इन कच्ची बस्तियों के नियमन की जो सारी कार्यवाही है इस माह अप्रैल में हमको सम्पन्न करनी है, तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो भी जिला कलक्टर जैसलमेर से सूचना मांगी जा रही है, जो भी स्वीकृति मांगी जा रही है कृपया उसकी स्वीकृति दिलाएं जिससे कि इस बड़े अभियान को हम पूरा कर सकें।

मान्यवर, इस अभियान के दौरान हमने जो बेरोजगार लोग थे, शहर में जो कैबिन बसाकर बैठे थे उनको हमने गुमटियां देकर के बसाया है वस्तुतः वह प्रशंसा योग्य कार्य है। इसी के साथ मेरा

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

निवेदन है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना में जो हमने गुमटियां दी हैं तो कई अड़चनें पैदा की जाती हैं। सरकारी भवनों के पास में जो सार्वजनिक स्थान है, तो कृपया जैसलमेर नगर का टाउन प्लान जो मास्टर प्लान है वह समाप्त हो चुका है और टाउन प्लान के सम्बन्ध में मेरी मांग रहती है कि जैसलमेर पर्यटन केन्द्र है और एक विशेष नगर है, तो एक टाउन प्लानर की कोई व्यवस्था कर दें, जूनियर टाउन प्लानर वहां रहे तो सही स्थान का चयन करके, नगरपालिकाओं के माध्यम से तो हम उस गुमटी अलाटमेंट में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं जिसमें गरीब लोग अपना रोजगार लेकर आगे बढ़ सकें।

मान्यवर, इन दिनों में अभियान के दौरान खांचा भूमि हो या नक्शे पास करने हो, आदि जो भी व्यवस्था हुई है वस्तुत: वह सराहनीय है। मान्यवर, जो छह मुख्य शहरों के लिए 1529 करोड़ रुपए लेकर, छह बड़े मुख्यालय हैं, उनके विकास की योजना सरकार ने बनायी और 200 करोड़ रुपए इस वर्ष बजट में प्रोविजन किया है। उसके साथ में जैसलमेर और मेरा छोटा सा कस्बा पोकरण उसमें विशेष ध्यान देकर के विकास की जो योजना बनायी है, इसके लिए मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा।

मान्यवर, हमारे साथ में ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो राशि उपलब्ध करायी है वह सरकार का प्रशंसनीय कार्य है। बजट प्रोविजंस में जो चीजें रखी गयी हैं उसमें स्लम डवलपमैंट के लिए सोलह करोड़ रुपए एस.एफ.सीज के लिए 27.57 करोड़ रुपए इस तरह के जो भी, प्रोविजंस रिकमंड किए हैं वह स्तुति के पात्र हैं।

मान्यवर, मैं सुबह पढ़ रहा था टैंथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट सैकण्ड उसमें कुछ रिकमंडशंस की हैं। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह इनको लागू करें जिसके आधार पर हम नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह से विकसित कर सकें और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें हाउस टैक्स और लैण्ड बिल्डिंग टैक्स के विलीनीकरण या उसके सम्बन्ध में जो सुझाव दिए हैं उस ओर भी ध्यान दें। मान्यवर, बहुत बड़ी समस्या है।

लोकल बाडीज में भी प्री-आडिट सिस्टम है, मुझे नहीं लगता कि इस सिस्टम की अब कोई अच्छी व्यवस्था है मैं ऐसा नहीं मानता हूं। एक आब्सट्रक्शन क्रिएट किया गया है। एक ऐसा स्थान बना दिया है जहां हम शंकाओं से देखते हैं। प्री-आडिट सिस्टम को भी देखने की आवश्यकता है। वस्तुत: जब पूरी स्वायत्ता हमने दी है नगरपालिकाओं को काम करने की पूरी तो एक विभाग बैठा रखा है

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

प्री-आडिट सिस्टम का जिससे कि इन स्वायत्त शासी संस्थाओं के काम में बाधा आ रही है। कृपया उस ओर भी ध्यान दें।

बजट प्रोवीजन में सहभागी योजना राज्य सरकार ने बन्द कर दी। माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि यह ऐसी योजना थी जिसमें दान-दाताओं को हम प्रभावित करके नगर के विकास की कई योजनाओं में पूरी करते थे। जैसे मेरे नगर में हम महिला महाविद्यालय बना रहे थे। सहभागी योजना के अन्तर्गत दान-दाताओं ने भी पैसे दिए पर मंत्री महोदय का पत्र आया कि योजना हमने बन्द कर दी। यह सहभागी योजना अन्तर्गत नगर के विकास में दानदाताओं के माध्यम से हम बहुत बड़ा विकास कर सकते हैं। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि सहभागी योजना का प्रोविजन्स आप रखें। आप एम.एल.एज., एम.पीज. को भी फण्ड देते हैं डवलपमैंट के लिए तो स्थानीय नगरपालिकाओं में सहभागी योजना के माध्यम से हम दानदाताओं से राशि लेकर के नगर का विकास करते हैं, तो इस सहभागी योजना पर विशेष ध्यान दें।

मैं जैसलमेर नगर की कुछ समस्याओं के बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसलमेर नगर एक पुराना पर्यटक नगर है। शहर के मध्य जैसलमेर किला बसा हुआ है। नगर नियोजन और जो पुरातत्व विभाग हैं उन्होंने सीमाएं बांध रखीं हैं कि उस किले की 200 मीटर की, 100 मीटर की परिधि में आप कोई निर्माण, कोई रिपेयर वर्क्स नहीं करवा सकते। किला एक लिविंग किला है जहां लोग बसते हैं, पूरा वार्ड है उस वार्ड के अन्दर भी कोई मरम्मत करवाना चाहे, निर्माण करवाना चाहे, उसी तरह से एयर फोर्स का कैम्पस है हमारे पास में, अभी वहां आदेश आया है कि 900 मीटर में आप कोई निर्माण नहीं करवा सकते जहां हमने जयनारायण व्यास कालोनी बसायी हुई है वहां पर निर्माण

(14.00 बजे)

बन्द हो गया। वहां के अलाटमेंट्स बन्द हो गए। इस तरह का जैसलमेर शहर के पास में पर्यटन विभाग हो, पुरातत्व विभाग हो, डिफेंस हो, सबने मिलाकर इस शहर का गला घोट दिया है। माननीय मंत्री महोदय कृपया इस ओर ध्यान करें कि नगर के नौ सौ मीटर्स में ही आधा नगर आ रहा है और किले से दस फीट पर ही निर्माण है, किले के अन्दर निर्माण है, इस ओर विशेषकर व्यवस्था देखें।

जैसलमेर नगर एक ऐतिहासिक नगर है। दुनिया में दो नगर हैं। एक नगर है लकड़ी से बना हुआ और जैसलमेर बना हुआ है पत्थर से। पत्थर के जाली झरोखे विश्व विख्यात हैं। नगर की जो फाउंडेशंस है नगर निर्माण की भावनाओं

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

की, वह सब मिट्टी की है और उस शहर में यदि सीवरेज नहीं किया गया, यदि नगर के पानी निकास की व्यवस्था नहीं की गयी तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा खतरा है।

अभी पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पटवों की हवेली, जो पांच हवेलियां हैं एक हवेली झुक गयी है और पूरी हवेली को खोल करके वापस निर्माण करवाएंगे। केवल हवेली ही नहीं, वहां पटवों की हवेली ही नहीं, नगर का हर गली झरोखा देखने लायक है और पूरे नगर को बचाने के लिए आपको निश्चित ही एक सीवरेज योजना बनानी पड़ेगी। ए.डी.बी. के फंड से लाएं, राज्य सरकार दे, कहां से ले आएं, वह व्यवस्था करें।

किले के बारे में जैसा मैंने पढ़ा कि ब्रिटेन में बहुत बड़ा फण्ड इकट्ठा हुआ किले के बचाव के लिए। हिन्दुस्तान के पास शायद ताजमहल के बाद कोई स्मारक है तो जैसलमेर किला है यह ऐतिहासिक किला है। ढाई करोड़ रुपए की राशि वहां आयी। सवा करोड़ रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से और सवा करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट देगी। ऐसी हमने घोषणाएं सुनीं। पर अभी समाचार पत्रों से सूचना मिली कि शायद वह कुछ खटाई में पड़ गयी हैं। कृपया खटाई में न पड़ने दें। सवा करोड़ रुपए देकर जैसलमेर किले को बचा सकते हैं। सवा करोड़ केन्द्रीय सरकार देती है और ढाई करोड़ रुपए ब्रिटिश दानदाता संस्था जो बनी है वह देती है, कृपया उस ओर आप ध्यान कराएं।

मान्यवर, जहां नगर बस रहा है, नगर की कालोनी बढ़ रही हैं, सफाई कर्मचारी या बागवान आदि के बारे में जो चर्चा होती है तो डिपार्टमेंट्स स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं और मैं देख रहा था इसमें सेकंड फाइनेंस कमीशन, रिफोर्म्स कमीशन में भी है, तो सरकार से हर बात की पूछ कहां है। क्यों नहीं जिला कलक्टर को आप पावर्स देते हैं कि यदि दस सफाई कर्मचारी बढ़ाने हैं तो जिला कलक्टर बढ़ा सकता है। उसको पावर्स होनी चाहिए। क्योंकि वह वहां बैठा हुआ है जिले के अन्दर। नगर के अन्दर बैठा हुआ है। वह समस्या सुलझा सकते हैं।

मुझे क्षमा करेंगे, मंत्रीजी, आपका जो डिपार्टमैंट है, लोकल सैल्फ डिपार्टमैंट का है। इतना बड़ा कुआ है जिसके अन्दर कोई चला जाए तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है और कागज निकालना आपके डिपार्टमैंट से, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, वस्तुस्थिति कह रहा हूं कि आपके इस डिपार्टमैंट से कोई भी पत्र आया है जैसलमेर से, वापस नहीं निकलता है, उसका उत्तर नहीं मिलता है। कृपया आपके इस डिपार्टमैंट को थोड़ा ठीक करें जिससे कि हमारा सही समाधान हो सके।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

इसके आगे मेरा कहना है कि मास्टर प्लान के ऊपर अजमेर की चर्चा चल रही थी, वैसे ही सन् 2000 में जैसलमेर का ड्राफ्ट बना था। उस ड्राफ्ट का मास्टर प्लान बना नहीं पाए। फिर भी हमने कई रेस्ट्रिक्टशंस लगायीं। हम चाहते थे इस नगर का विकास हो। उस ड्राफ्ट को हमने मास्टर प्लान मान लिया तो उसकी अवधि ही समाप्त हो गयी। आपका नगर नियोजन विभाग बैठा हुआ है, क्या जैसलमेर नगर के पर्यटन बचाने के लिए क्या आप मास्टर प्लान बनाने की, वापस उस ड्राफ्ट लाइन को पुनरीक्षित करवा करके मास्टर प्लान बनाने की कोशिश करेंगे? कृपया इस ओर ध्यान दिलावें।

दूसरी सबसे बड़ी बात मुझे कहनी है कि नगर की पैराफेरी में राजस्व विभाग ने अपनी जमीन रोक रखी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप देते क्यों नहीं जमीन को, नगरपालिका को क्यों नहीं हैण्ड ओवर करते? जब नगरपालिकाओं की सीमाएं आपने निर्धारित कर दी, तो आपको निश्चित सारी राजस्व भूमि देनी होगी। मैं उदाहरण स्वरूप दूंगा कि वहां बड़े बड़े होटल्स बने हैं। मुझे कहते हुए कोई शक नहीं है। मंत्री महोदय सुन नहीं रहे हैं। मंत्री महोदय, सुनिए इस बात को। दस हजार पर बीघे में वह जमीन बड़े बड़े होटल्स को दी गयी। कौड़ियों के भाव दे दी गयी। मैंने प्रश्न पूछा, मुझे जवाब मिला कि इस अधिनियम के, इंडस्ट्री एक्ट के, किस नियम में दी, किसको अलाट किया, कैसे दी। क्योंकि राजस्व विभाग के पास जमीन थी और कहां से वह जमीन दी गयी, तो कृपया इस ओर ध्यान करें।

नगरपालिका की पैराफेरी में जो जमीन है, राजस्व विभाग को सारी जमीनें हैण्ड ओवर करनी चाहिए स्वायत्तशासी संस्था को। उसका अधिकार है इन जमीनों पर। कृपया इस ओर विशेष ध्यान दें।

विशेषकर जैसलमेर जिले में जो भूमि पड़ी है, बहुमूल्य भूमि पड़ी है। उस भूमि को कृपया आप एक पूरे नगर का, पूरे नगर की पैराफेरी का बीच में करीब पांच किलोमीटर दूर एक कालोनी बस गयी, उसको नगर की पैराफेरी में ले लिया। बीच में डिफेंस के केस भी उसमें आ गये। इस ओर एक मास्टर प्लान बना करके जैसलमेर की कीमती भूमि को, मैं कीमती इसलिये कह रहा हूं बाम्बे के जो भाव हैं, वह रेट हैं हमारे जैसलमेर में भूमि के दें। आक्शन में कोई बाहर का आदमी आ करके भूमि ले लेता है, उसका नजूल रेट है उसको मार्केट प्राइस मान करके बैठ गए। एक रजिस्ट्री हुई और लेकर बैठ गए इसलिए कोई भूमि दूसरा खरीद नहीं रहा है और सारा ट्रांजक्शन पांच रुपए दस रुपए के स्टाम्प पर हो रहे हैं, कृपया इस ओर ध्यान दें और वापस उस प्रकृति को ध्यान कराएं। मेहरबान..

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे कई सुझाव हैं, कई बातें हैं, अब आपने घंटी बजा दी इसलिए मैं नहीं कहूंगा। पर निश्चित यह कहूंगा कि जो मांग माननीय मंत्रीजी ने रखी है इस नगर आयोजन के लिए बहुत बड़ा मसला है, इससे बहुत बड़ी राहत मिली है।

मैं जयपुर के बरामदों की चर्चा नहीं करूंगा। पर इस सारे नगर आयोजन के काम से वर्तमान सरकार, माननीय मुख्य मंत्री और जो मंत्री महोदय हैं, उनकी साख बढ़ी है। मैं चाहूंगा नगर न्यास के काम को वह आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्रजी व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो जो बजट स्पीच के वक्त में मैंने कुछ बातें कही थीं, माननीय मंत्रीजी ने उस वक्त में इस बात का प्रतिवाद किया कि नहीं, नहीं, पानी की कोई रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। वह अखबार में भी आ गया। जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी की तरफ से आ गया कि वाटर रिफोर्म्स जो होंगे ए.डी.बी. लोन का एक नेसेसरी कम्पोनेंट है। वाटर रिफोर्म्स होंगे तो वाटर रेगुलेटरी कमीशन भी बनेगा और जयपुर व अन्य शहरों में अमरीका से लोग हमको पानी पिलाने आएंगे, तो ए.डी.बी. के लोन के विषय में आप जरा मार्गदर्शन करें हमारा। हाउस, का ज्ञानवर्धन करें कि 13 परसेंट क्यों आप लोन ले रहे हैं। इतना पैसा आपके पास है फिर क्या आवश्यकता है लोन लेने की। वित्त मंत्रीजी को उस रोज विशेषकर कहा था, आपको भी मैं कहता हूं क्योंकि यह जे.डी.ए. चाहे कैसे ही आटोनामस कारपोरेशन हो, वैसे तो आटोनामस है ही नहीं क्योंकि मंत्रीजी, आप खुद ही चेयरमैन हैं। जे.डी.ए. के और वैसे भी पब्लिक मनी तो है ही बेसिकली।

सभापति महोदय, मैं मूलतया कुछ बातों पर यहां पर वह चर्चा उठाना चाहता हूं। आज मंत्रीजी, राइटली और रांगली, फारचूनेटली, अन-फारचूनेटली आपके विभाग के विषय में भ्रष्टाचार के अनेक समाचार प्रकाशित हो रहे हैं लगातार। उसका एक मात्र आधार क्या है कि भ्रष्टाचार का जो सिलसिला है वह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और लैण्ड की डीलिंग्स से जुड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार हो अथवा नहीं हो, उसकी एवीडेंस हो अथवा नहीं हो, लेकिन यह पैदा होती है असेंशियली। पी.डब्ल्यू.डी. के अन्दर आप बात करोगे तो यह भ्रष्टाचार की आएंगी, इर्रिगेशन में आएंगी तो भ्रष्टाचार की आएगी। किसने देखा है, नहीं देखा है, किसने कितना हिस्सा लिया है, मूलतया इसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी आपके विभाग के अन्दर बहुत हुई हैं और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि आपने विकास का कार्य बहुत किया है और विकास का कार्य किया है, तो मंत्रीजी, आपने करोड़ों रुपया

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

खर्च किया है। सभापति महोदय, सदन के सभी समझदार सदस्य इस बात को जानते हैं कि 20 परसेंट का मार्जिन बड़ा सेफ मार्जिन है इसलिए अगर हजार करोड़ के आप काम कराओगे और दो सौ करोड़ इधर उधर होंगे तो उसकी...(व्यवधान) नहीं, मैं यह नहीं कहता...

श्री सी. पी. जोशी : आपके मुख्य मंत्री के कार्यकाल में...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको मैं यह नहीं कहता। न तो कोई मैं जोशीजी, आरोप लगा रहा हूं। आप भी जानते हैं इसको। एडमिटेड फैक्ट है कि उसको न तो कोई मालूम पड़ता है और न कोई आरोप है। वह बड़ी स्वाभाविक चीज है। अब लेकिन एग्जामिन क्या कहते हैं...

श्री सी. पी. जोशी : राधेश्याम जी कहते हैं बहुत सफाई से आप कन्फ्यूजन करवा रहे हो जबकि आपके मित्र के बारे में आप जानते हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हो और समझने की जरूरत भी नहीं है। आप...

श्री राधेश्याम गंगानगर : अब पता लगा कि तारीफ करने का तरीका बड़ा अच्छा है आपका।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, राधेश्यामजी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बात और कायदे की कह रहा हूं...

श्री रामस्वरूप : इनके तो प्रिय मित्र हैं वह।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मित्रता अपनी जगह अलग है। मेरे मित्र के खिलाफ कोई आरोप, चार्जेज नहीं हैं। यह भी मैं बता दूं आपको इस चीज को, वरना मेरी मित्रता एक तरफ है। अपनी मित्रता बाहर है सदन के। दो मिनट में निपटा देंगे, अगर मेरे पास शहादत हो तो। लेकिन शहादत नहीं है, इसलिए अपन इस बात को नहीं कहते हैं। लेकिन संदेह क्यों पैदा होता है?

श्री रामस्वरूप : मित्र के लक्षण हैं, गुण प्रकटे अवगुण गिराबा-''गुण को प्रकट करे, अवगुण को गिरावे।''

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मुझे तो आज तक निपटाया है तो आपने ही निपटाया है। अब बाकी क्या रह गया जो निपटाओगे आप मुझे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : निपटाने वाले शब्द को तो मैं प्रयोग ही नहीं लेता हूं। सभापति महोदय, गम्भीर मसला है, यह संदेह पैदा क्यों होता है। मैं मंत्रीजी को समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। आपकी डीलिंग्स के अन्दर कुछ संदेह क्यों पैदा होता है। चूंकि आपने पहले इसको ले लिया, मैं पहले कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को लेना चाहता था। लेकिन अपन लाल कोठी स्कीम को ले लेते हैं। लालकोठी स्कीम इस वक्त सबसे

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

ज्वलंत उदाहरण है जिस पर अनेक आरोप लगा रहे हैं और आप बहुत जोर से खंडन भी करते हैं। सभापति महोदय, लालकोठी स्कीम के लिए... (व्यवधान) यह कोई मतलब नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : हाउस में एक आदमी नहीं बोल पाया, जो आपके सामने प्रमाण रखे गए, आपने स्वयं कहा कि कमाल की तैयारी की है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह क्या तरीका है?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, प्रोटेक्शन दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बिना सोचे समझे बोलते हो, आप समझ ही नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूं वह आप समझने की कोशिश करें राधेश्याम जी, कभी-कभी धैर्यपूर्वक बातों को भी सुनो। कम से कम मेरी बात में व्यवधान पैदा मत करो मैं कोई नान-सीरियस बात नहीं करता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : जब 1000 करोड़ रुपए में से 200 करोड़ रुपए का तो सीधा-सीधा कर दिया, आपने यह कर दिया, वह कर दिया। आप सब कुछ करते भी जा रहे हैं और बार-बार आप यह कहकर के कि मैं नान सीरियस नहीं हूं माननीय सदस्य, यदि आप सीरियस होते, तो आप स्पेसिफिक चार्ज लगाते कि फलां मामले में इस तरह का फलां व्यक्ति पर 200 करोड़ का यह चार्ज है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चार्ज है ही नहीं, चार्ज है ही नहीं।

श्री रामस्वरूप : चार्ज कोई है ही नहीं तब क्या लगाते। कोई चार्ज है ही नहीं मंत्री जी पर।

श्री राजेन्द्र पारीक : रही बात लालकोठी योजना की, जब वह खुद पार्टनर थे और उनका खुद का हित सध रहा था तब तो मामला ठीक था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह बात ही नहीं हो रही, मैंने कहा क्या?

श्री राजेन्द्र पारीक : जब उनकी पार्टनर शिप उसमें से भंग हुई और खुद का इंटरेस्ट तब क्लेश होने लगा, तो फिर आप उसको हाउस की प्रापर्टी बनाना चाहे रहे हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह हाउस व्यक्तिगत दुश्मनियां निकालने का क्षेत्र नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कौनसी व्यक्तिगत दुश्मनी, सभापति महोदय, मेरी समझ में नहीं आया, ऐसा इनको कौनसा ट्रांसफर कराने की पड़ी है। कर करा दो न ट्रांसफर किसी का, कोई रोक रखा हो। मेरा कोई लेना देना नहीं है, बिना सोचे समझे बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, इस तरह के आरोप सदन में लगाना अशोभनीय है। यहां पर जो कोई भी व्यक्ति बोलता है वह मात्र ट्रांसफर के लिए बोलता है क्या?

श्री सभापति : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, आप तो अपनी बात कहें।

श्री रामस्वरूप : भाजपा के शासन में जो भी घोटाले हुए हैं मंत्री जी जरूर उजागर करेंगे। कोर्ट के फैसलों को भी उजागर करेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं घोटाले की बात ही नहीं कर रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा : यह कोई बात नहीं होती कि इस तरह से यह कहें कि कोई ट्रांसफर रोका हुआ है। सारे एम.एल. यहां ट्रांसफर कराने ही आए हैं क्या?

एक माननीय सदस्य : सारों की बात कहां हो रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सारों की बात नहीं कर रहा हूं, जो व्यवधान...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : और क्या हुआ? (व्यवधान) इनके लिए कहा तो भी गलत है, किसी भी माननीय सदस्य के लिए ऐसा कहना कोई ठीक है क्या? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप अनावश्यक बात कर रहे हैं। व्यवधान पैदा मत करो। सभापति महोदय, लालकोठी योजना के लिए पहली बात जब यह कहते हैं कि इसका नियमन गलत किया है। वह मूल रूप से गलती खाते हैं, जो मेरे प्रतिपक्ष के मित्र हैं, क्योंकि लालकोठी योजना था निमयन लोकहित में है। इसमें कहीं संदेह नहीं है, क्योंकि वहां पर मेरे भी परिचित रहते हैं, मिडल क्लास फैमिली के बहुत लोग रहते हैं और यह समस्या अनके वर्षों से लम्बित थी। यह समस्या न तो बी.जे.पी. ने पैदा की है, यह अधिकांश माननीय सदस्य पोस्ट बीजेपी की पैदाइश हैं इसलिए इनको पता ही नहीं है कि पूर्व में भी कोई कांग्रेस की सरकार यहां हुआ करती थी और बहुत लम्बे अरसे तक चली है। 1964 से यह चला आ रहा है और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी की सरकार तो 1990 में हुई है तो उन सब प्राब्लम्स को साल्व करने के लिए यह रेगुलाइजेशन का काम किया है, यह अच्छा काम किया है। जब इसको एट आई काल टुगेदर किया वह गलत काम किया इसलिए उनका केस वीक पड़ा। आपने गलती कहा की रेगुलाइजेशन के अन्दर कि आपने रीजनेबल क्लासीफिकेशन नहीं किया। रीजनेबल क्लासीफिकेशन संविधान का आर्टिकल 14 परमिट करता है और रेगुलाइजेशन का मतलब लोकहित का है।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सभापति महोदय, एक भूखण्ड पर यानि खातेदार, खातेदार से आपने जमीन एक्वायर कर ली, उसको मुआवजा दे दिया, सब कर दिया और लैण्ड माफिया ने खरीद लिया, मिडल क्लास आदमी ने खरीद लिया और मकान बना लिया। दो वर्ग के लोग लालकोठी स्कीम में आ गए। एक तो वह मध्यम श्रेणी के लोग जिन्होंने जीवन पर्यन्त अपनी कमाई बचाकर के वहां मकान खड़ा किया है और एक वह जिनकी जमीन खाली पड़ी है। उस खाली जमीन का और कंस्ट्रेक्टेड लैण्ड का आपने क्लासीफिकेशन नहीं किया तो जिसकी लैण्ड खाली थी उसको अनुचित लाभ मिला है। दूसरा, आपने डेट लाइन इसकी बहुत लेट फिक्स की है 2001 की। अब मंत्री जी आपने कह दिया, अब मैं क्या भ्रष्टाचार का आरोप लगाऊं, अनावश्यक में आप उत्तेजित करते हो, केबिनेट कमेटी और सीनियर कैबिनेट के उसमें मिनिस्टर उनमें से किसी ने बता दिया यूडीएच सैक्रेटरी ने बता दिया, किसने बता दिया, मुझे पता नहीं लेकिन लैण्ड माफिया को यह इनक्लिंग हो गया कि इस योजना का नियमन होगा और उन्होंने बेशुमार जमीनें खरीद ली। उनका लाभ उसको हो गया और यह वेकेन्ट लैण्ड के क्लासिफिकेशन में वह सब आएगा जिसमें प्रताप नर्सरी, आनन्द नर्सरी, मेहरचन्द एण्ड संस हैं। मैं दो बातें बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, एक तो मंत्रीजी मैं आपको दुरुस्त करना चाहता हूं कि आपने उस प्रश्न के जवाब में यह कहा था कि पावर आफ एटार्नी होल्डर या ट्रांसफरी जो होगा उसमें हमें रेगुलराइज करना पड़ेगा, डील विद करना पड़ेगा। लीगल पोजिशन यह नहीं है। पावर आफ अटार्नी किसी का मित्र हो सकता है, आप कोटा रहते हो, जयपुर प्रापर्टी बनाकर जाओगे तो पावर आफ अटार्नी मुझे दे सकते हो आप, इसमें कोई संदेह नहीं करेगा। मेरा मतलब कोई मित्र हो सकता है, पति हो सकता है, एक आदमी का मैनेजर हो सकता है लेकिन अगर एक आदमी डवलपर पावर हो और अटार्नी होल्ड करता है, this by itself is enough to create suspicion. देखो मंत्री जी, प्लेन एंड सिम्पल एक बात समझ लो कि लीगल एग्जम्पट तो है कि everybody is honest unless and until otherwise proved. उसमें आप सभी खरें हैं किसके पास एविडेंश है जो जबरदस्ती करे और Ceaser's wife should be above the Board.उसके लिए विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। सभापति महोदय, यह खाली जमीन का नहीं रखा, अब क्या हुआ है कि इसका मिस हैंडलिंग बहुत हो गया, प्रापरली केस का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। अब कमेटी के अन्दर एक तो माननीय गुलाब सिंहजी, एक सी.पी. जोशी हैं, नहीं, प्रद्युम्न सिंह जी हैं, एक चन्द्रभानजी हैं और एक आप हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृहमंत्री): इन्दौरा जी भी हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इन्दौरा जी तो खैर मान जाएंगे। लेकिन गुलाब सिंह जी, आप धारीवाल जी के कहने पर कोई गलत काम नहीं करेंगे, यह बात जो मैं कहना चाह रहा हूं और बाकी सीनियर मिनिस्टर्स हैं, सभापति महोदय, लेकिन यह बात सही है कि यह सब मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर के अंडर में गलत काम कर सकते हैं। यह एक दूसरे के कहने से तो गलत काम नहीं करेंगे लेकिन...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : डा. साहब... (व्यवधान) एक तरफ आप कहते हैं, चीफ मिनिस्टर के कहने से काम करते हैं, हम नहीं करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिलकुल करोगे, बिलकुल करोगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम नहीं करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरे कहने का मतलब यह है कि वह जो राजेन्द्र जी पारीक भड़क रहे हैं, यह 20 परसेंट का मार्जिन है, 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का है, अगर इसमें कोई घपला है, तो यह बहुत बड़ा घपला है। यह कोई मिनिस्टर के लेवल की बात नहीं है। चार मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, तो उसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि घपला कहां हुआ और पैसा कहां गया।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मुख्य मंत्रीजी के कहने से गलत काम कर देंगे, मुख्य मंत्रीजी गलत बात कहते ही नहीं हैं। आप गलतफहमी में कहां चल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमारे कार्य के अन्दर किसी की दखलंदाजी नहीं थी श्रीमन्। हमने जो नीति सम्मत, व्यावहारिक और न्यायसंगत था, सारा इस कमेटी ने पूर्ण सोच-विचार के काम किया।

श्री सी. पी. जोशी : वित्त मंत्री जी, आप चिन्ता न करें उन्हें तो सी.एम. के प्रति आब्जेक्शन है, इसलिए उनको बोलना ही है। आप क्यों चिंता करते हो, उनको आब्जेक्शन है इसमें कोई तकलीफ थोड़े ही है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सभापति महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सब कमेटी का जो रेफरेंस दिया था मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वह नियम कानूनों के अन्तर्गत और मेरिट के आधार पर फैसला कर रहे हैं। यदि आपको कुछ डाउट लग रहा था तो स्पेसिफिक चार्ज लगाकर दिखाएं, ताकि मैं उसका स्वागत करूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, इस वक्त माननीय सदस्य दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, एक ओर तो यह यहां निर्दलीय के रूप में, दूसरा, इनको जो खास

(श्री राजेन्द्र पारीक)

अंटी वाला पक्ष था, वह आज कहीं दूर बैठा हुआ है। इनको दोनों पक्ष निभाने पड़ रहे हैं। बीच-बीच में जब यह साफ्ट होकर बोलते हैं कि तब तक तो यह निर्दलीय के रूप में बोलते हैं और जब कभी किसी पर चार्ज लगा करके 200 करोड़ रुपए वाला मामला बोलते हैं तब यह माननीय राजेन्द्र राठौड़, डा. किरोड़ीलाल जी की वाणी, भाषा बोलते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठें। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, आप कुछ कह रहे हैं।

(2.30 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कह दिया, बिराजो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : सभापति महोदय, दो-तीन बातें जो हैं खास तौर पर...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप जवाब देंगे न, आप जवाब देंगे न?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको तो मौका मिलेगा जवाब देने का।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जवाब देंगे, अभी क्यों बोल रहे हो?

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं जवाब दूंगा वह तो बाद में दूंगा तो मिला जुला हो जाएगा। एक-एक बिन्दू का जवाब आपको नहीं मिल पाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नो, नो, लेट मी फिनिश।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपने बड़ा इम्पोंटेंड इश्यू उठाया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुझे फिनिश तो करने दो, यह पूरा तो बताने दो। माननीय गुलाबसिंह जी ने जो समस्या उठायी...

श्री शांति कुमार धारीवाल : इसका मतलब यह है कि आप मेरा जवाब नहीं सुनना चाहते।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिलकुल सुनेंगे। आपका जवाब ही नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे?

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं अभी दे रहा हूं तो आपको क्या एतराज है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हम तो इस हाउस में आपका जवाब सुनने ही तो आते हैं, आते काहे हैं?

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं अभी दे रहा हूं तो आपको क्या एतराज है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक साथ दे देना। दो मिनट बिराजें। सभापति महोदय, गुलाब सिंहजी ने कहा कि आप चार्ज लगाइए। चार्ज तो सुरेन्द्र व्यास 273 का नोटिस दिए बिना लगाता ही नहीं है। चार्ज देने वाली स्थिति नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं। आपने डिबेट आफर की है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सदस्य यह हो सकता है कि मैरिट के फैसले करने में हमने जो विवेक से कांम लिया। आपने कहा कि किसी को कम दिया किसी को ज्यादा दिया। हमने यह उचित समझा कि छोटे लोगों को ज्यादा फायदा दो, बड़े लोगों का पैसा लगाओ, उनको भी रेगुलराइज करने की बात करो। लेकिन उसमें यह कहें कि मुख्य मंत्रीजी के दबाव में आकर हमने कोई फैसला किया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उन्होंने नहीं कहा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कहा था, कहा था। अण्डरलाइन आइडिया इनका यही था। इसमें मुख्य मंत्रीजी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारी कमेटी के मैम्बर, हम स्वतंत्र हैं। हमने सब कुछ सोच-समझ कर नियम और कानून सम्मत काम किया है। इसलिए आप मेहरबानी करके इसमें मुख्य मंत्रीजी के मोटिव को इन्वाल्व करने की कोशिश मत कीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : गिल्टी कान्सस स्पीक्स। आपको यह याद होना चाहिए। आपको मैंने कभी नहीं कहा कि मुख्य मंत्रीजी के कहने से आपने दबाव में यह किया। मैंने कहा कि मुख्य मंत्रीजी के कहने से कर सकते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कर सकते हैं, बहुत फर्क है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सुनिए, इसमें बहुत फर्क है। सभापति महोदय, मैं पुन: सदन के...(व्यवधान) प्रद्युम्न सिंहजी, दो मिनट रुकिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : व्याकरण को भी समझना पड़ेगा कि यह कर सकते हैं या करते हैं। इसे भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। माननीय सदस्य, साफ-साफ कहिए कि आप दोहरा जीवन जी रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या दोहरा-दोहरा, आप बेकार में बीच में डिस्टर्ब करते हैं। बैठ जाओ आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : दोहरे दबाव में हैं आप। आप मानसिक दबाव में हैं। बी.जे.पी. वालों को भी खुश रखने के लिए उनकी वाणी में भी, अपनी वाणी में आपको यहां बोलना है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक बार कह दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : (व्यवधान) क्या वाणी-वाणी। मेरी खुद की वाणी है। आप बैठ जाइए। आप बेकार में मत बोलिए। आप बैठ जाइए।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह जो कुछ भी बीच में करते हैं, सकते हैं, सकते हैं, सकते हैं, जो करते हैं, यह सकते हैं सारे के सारे राजेन्द्रसिंह राठौड़ साहब के और माननीय डाक्टर किरोड़ी लालजी की भाषा है, जो आप अपनी वाणी से बोल रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय पारीक साहब, व्यवधान नहीं डाले। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सुनने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैं निवेदन क्या कर रहा था कि...

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, मैं माफी चाहूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह क्या तरीका है आपका? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, यह व्यवधान डालना इसलिए भी जरूरी है कि जब तक प्रतिपक्ष को बार बार यह अहसास न हो कि सत्ता पक्ष के सदस्य भी यहां बैठे हुये हैं तब तक वह अपनी वाणी को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मुझे बार-बार बीच में टोकना पड़ता है ताकि यह प्रतिपक्ष की भूमिका सही रूप से निभा सकें।

श्री सभापति : वह रोल आपने निभा दिया। अब बोलने दीजिए। अब बोलिए आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैं सदन के विचारार्थ दुबारा यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि लालाकोठी योजना, मैं खुद कहता हूं कि मूल रूप से मिडल क्लास की लोक कल्याणकारी योजना थी लेकिन आपने इसमें क्लासीफिकेशन क्यों नहीं किया? कांस्टीट्यूशन परमिट करता है, रिजनेबल क्लासीफिकेशन क्यों नहीं किया आपने? खुली जमीन को क्यों रेगुलराइज किया है? वहां संदेह पैदा होता है और खुली जमीन को रेगुलराइज करने में चार सौ स्क्वेयर यार्ड और पांच सौ स्क्वेयर यार्ड को आप रेगुलराइज करें, जो करें आपने बीघों के अन्दर जो रेगुलराइज किया है। सभापति महोदय, यह सर्वमान्य सिद्धान्त है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि यदि कोई आदमी की आप 10 बीघा जमीन अधिग्रहित करते हैं तो आधा बीघा जमीन आप उसको रिहाइश के लिए खुद दे देते हैं कि चलिए ठीक है इसका खुद का मकान बनाने के लिए देते हैं। चार भाई हैं तो दो बीघा दे देते हैं, दस की दस बीघा और बारह की बारह बीघा एक साथ नहीं देते। और यह जो मंत्रीजी, मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप इसकी जांच कराइए कि कितने लोगों ने आपकी डेट लाइन के इमिजिएट पहले जमीनें खरीदी हैं वहां पर और उनको जो लाभ हुआ कि नहीं हुआ? आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि प्राइसेज तो सूट अप करेंगी। आपने तो रिजनेबल रखी हैं। मैं फिर आपकी प्राइस, जो रेट्स आपने प्रेस्काइब, गुलाब सिंहजी, उसको मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन यह कर रहा हूं कि माफिया को, लैण्ड माफिया इन्क्लिंग थी, लार्ज स्केल पर वहां परचेज

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

हुई है कि उसका उन्होंने लाभ उठाया है। अब मैं यह बात जब कहता हूं कि अगर इसके अन्दर कोई घोटाला है, मैं फिर आपसे कहता हूं कि मुझे नहीं पता, होता तो मैं नोटिस देकर आता लेकिन अगर है तो यह ऊपर के लेवल का है। धारीवालजी का, न तो प्रद्युम्न सिंह माने, न गुलाब सिंहजी माने, क्योंकि यह चीफ मिनिस्टर की जरूर तीनों मान लेंगे, चारों मान लेंगे। तो अगर है...

श्री जुगल काबरा : माननीय सुरेन्द्रजी, आप बिना मतलब चीफ मिनिस्टर को इंवाल्व कर रहे हैं, क्या मतलब है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आपको क्या जरूरत है? आप बैठिए।

श्री जुगल काबरा : हर मामले में चीफ मिनिस्टर को लाते हैं। अब क्या बैठिए। आप बिना मतलब की बात कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिना मतलब की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने इण्डिया टुडे का आर्टिकल पढ़ा है। ए.आई.सी.सी. का खर्चा ढाई करोड़ महीने का है और अगर आप यह बात करते हो...(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार (भादरा) : इससे इसका क्या लेना-देना है?

श्री सी. पी. जोशी : सुरेन्द्रजी, यह क्या है? यह तो आप आरोप पर आरोप लगा रहे हो। (व्यवधान) आप तो सीधे सीधे बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : ए.आई.सी.सी. के खर्चे का क्या लेना-देना यहां पर?

श्री सी. पी. जोशी : यह तो ईर्रलेवेंट है, इससे क्या मतलब है? (व्यवधान)आप तो बी.जे.पी. के लिए बोल रहे हो।

श्री संजीव कुमार : ए.आई.सी.सी. का खर्चा कितना है, क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जिस रोग से ग्रसित हैं, उसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, यह गम्भीर मामला है, इसको एक्सपंज कराया जाए। इसमें क्या मतलब है इसका? मतलब सरकार कोई निर्णय ले इसके पीछे मोटिव्ड है? इस तरह की बात को आप अलाउ कर रहे हैं? ए.आई.सी.सी. के खर्चे के लिए क्या आप...

श्री संजीव कुमार : सभापति महोदय, ए.आई.सी.सी. का कितना खर्चा है, कितना नहीं है, इससे क्या लेना-देना है? इससे क्या मतलब हुआ?

श्री सी. पी. जोशी : ए.आई.सी.सी. का खर्चा है या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और भैरोसिंह शेखावत जी का खर्चा कितना हुआ, आपको मालूम है?

श्री संजीव कुमार : क्या है, क्या नहीं है, इससे क्या मतलब है? किसी राजनीतिक दल का क्या खर्चा है, क्या नहीं है, इस बात से क्या लेना देना है?

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, यह कांग्रेस में रहे हुए हैं। ए.आई.सी.सी. का क्या खर्चा है, इनको पता है, कहां से आता है, यह भी पता है; कैसे आता है, यह भी पता है।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह जो कुछ भी माननीय सदस्य ने कहा, यह नेता प्रतिपक्ष का वर्सन है।

श्री अमराराम (धोद) : आपको तकलीफ हो रही है क्या?

श्री सी. पी. जोशी : हमको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, हमको खुशी हो रही है कि इनको जानकारी है, सदन में बोल रहे हैं तो जानकारी है।

श्री सभापति : माननीय अमरारामजी। धोद से आने वाले माननीय सदस्य, असंगत बात को आप प्रोटेक्शन मत दो। इनको कहने दो, इनको करने दो, आप उनको बचाओ नहीं, यह बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, एक्सपंज कराइए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, आप ऐसी बात न कहें, जो संगतसार न हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं नहीं कहूंगा।

श्री सभापति : बिना मतलब की कंट्रोवर्सी पैदा न करें। आप अपना बोलते चलिए।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, देश के कौने-कौने में कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं, वे सब आपकी जानकारी में हैं कि पार्टी कि सदस्यता का शुल्क देते हैं, एम.एल.एज. अपने वेतन से देते हैं, पार्षद देते हैं।

श्री सभापति : इसमें विवाद कहां है तो?

श्री संयम लोढ़ा : जिला परिषद् के सदस्य देते हैं, पी.सी.सी. के मैम्बर देते हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य देते हैं। आप इस तरह का क्या अनर्गल आरोप लगा रहे हैं?

श्री सभापति : माननीय लोढ़ा साहब, इसमें कहीं भी विवाद नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, जिस संदेह से भयाक्रांत होकर, संदेह से पीड़ित हैं, उसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : राजेन्द्र पारीक के पास है।

श्री राजेन्द्र पारीक : जो कुछ भी अभी ए.आई.सी.सी. का इन्होंने वर्णन किया, वह इनका नहीं है। मैंने कहा न कि यह दोहरी जिन्दगी निभा रहे हैं। यह नेता प्रतिपक्ष का वर्सन हैं।

श्री संयम लोढ़ा : हमको यह तो पता नहीं था कि टिकट कटने की कुंठा इतने लम्बे समय तक चलेगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : आज तक भुगत रहे हैं यह।

श्री सभापति : अब बिराजिए। हो गया, सब हो गया न? मामला साफ हुआ, अब तो अपनी बात कहिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, आप मुझे आसन से बताइए कि मैंने कौनसी ऐसी कंट्रोवर्शल बात कही?

श्री सभापति : आप उसमें क्या जाओ, आप तो अपनी बात आगे कहो न?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह बात बाद में हुई है।

श्री संजीव कुमार : ए.आई.सी.सी. का क्या लेना-देना हुआ? कंट्रोवर्शल नहीं हुआ? उसमें ए.आई.सी.सी. का खर्चा कहां से आ गया, उसका क्या लेना-देना है खर्चे का?

श्री सुरेन्द्र व्यास : ए.आई.सी.सी. की बात बाद में हुई है, पहले नहीं हुई।

श्री संजीव कुमार : आप बीच-बीच में बोल रहे हो, ए.आई.सी.सी. के खर्चे का कोई लेना-देना नहीं है, सभापति महोदय।

श्री जुगल काबरा : सभापति महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, जो मिनिस्टर की कलैक्टिव विजडम है, उसके ऊपर चैलेंज किया है इन्होंने। एक सब कमेटी बनी हुई है, उन्होंने निर्णय लिया उस पर आप कह रहे हैं कि यह तो ऊपर से फैसला होकर काम कर सकते हैं, बाकी काम नहीं हो सकता। यह जो आप हैबिचुअल ओफेंडेंट हैं कंस्ट्रक्टिव एवीडेंस बनाने के उसका है। आप मिनिस्टर्स की विजडम पर भी चैलेंज कर रहे हैं कि मिनिस्टर्स ने फैसला किया उसमें ऊपर हो सकता है। मुख्य मंत्री नहीं होंगे, ऊपर वाले होंगे। मैं समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, जो चीजें रिलेवेंट हैं, उसको कोईन चाहिए जो हाइपोथिटिकल चीजें हैं, जिनका कोई बेस नहीं, उनको कह कर सदन में एक अशांति पैदा करने की कोशिश की जाती है, उसको आपको रोकना चाहिए क्योंकि ईर्रेलेवेंट डिबेट भी नहीं होनी चाहिए।

श्री सभापति : वह आसन से निवेदन कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, आधा घंटे से तो माननीय सदस्य लालकोठी में ही कदमताल कर रहे हैं। इनकी धीमी गति देखिए आप, आधा घंटा हो गया। माननीय सदस्य अभी लालकोठी में ही कदमताल कर रहे हैं, इतनी देर में तो आप पूरे जयपुर का चक्कर लगा लेते।

श्री सभापति : माननीय पारीक साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक : आज के इस वैज्ञानिक युग में माननीय सदस्य, आधा घंटे से एक स्थान पर खड़े-खड़े कदमताल कर रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : कदमताल तो पूरा मंत्रिमण्डल कर रहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनको यदि लाल कोठी ही नापनी हैं तो पूरी की पूरी, माननीय मंत्रीजी को आप ले जाकर लाल कोठी नपवा लो न।

श्री अमराराम (धोद) : पूरा मंत्रिमण्डल कदमताल कर रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : बोलने क्या नहीं दे रहे हैं, बोलना चाहते नहीं। आप तो लालकोठी के चक्कर में फंस गये। सभापति महोदय, कोल्हू का बैल होता है न, कोल्हू का बैल कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता, वह जहां कभी घूमकर आता है, उसको वह की वह जगह तैयार मिलती है। आधा घंटा से लालकोठी में यूं चक्कर लगा रहे हैं माननीय सदस्य, इनको अभी तक भी मंजिल नहीं मिल पा रही है, पहुंचे कहां पर?

श्री सभापति : जो कुछ कहना हो तो एक साथ ही कह दीजिए और कुछ कहना हो तो एक साथ कह दीजिए, बार-बार नहीं राजेन्द्रजी पारीक साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक : जो कुछ भी माननीय सदस्य परिस्थितियां पैदा करेंगे, उसके हिसाब से कहना पड़ेगा। यदि माननीय सदस्य लालकोठी से बाहर निकल जाते हैं तो फिर कहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री सभापति : चलिए आप बोलिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैं यहां पर कांग्रेस की प्रशंसा करने के लिये तो सदन में नहीं आया हूं और न मैं प्रशंसा करने के लिए भाषण दे रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा : आपकी जिन्दगी इसी में निकली है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सुनिए। आप तो पैदा हुए उसके पहले से कांग्रेस में हूं, जो आप मुझे समझा रहे हो कि चंदा, चंदा एक-एक आदमी करता है क्या? संयम, आप थोड़ा संयम रखिए, जैसा नाम है रखिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : देखिए, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने, सभापति महोदय...

श्री सभापति : एक सैकण्ड। कांग्रेस की प्रशंसा, आलोचना आज की इस डिमाण्ड में नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं है, बिलकुल सही है।

श्री सभापति : जो डिमाण्ड है आप उस पर बोलिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसी पर बोलूंगा।

श्री सभापति : उससे अलग बोलोगे तो मेरे खयाल से वह...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी बात सही है, आप बिलकुल सही फरमा रहे हैं, मुझे आप बता दीजिए कि यह ए. आई. सी. सी. वाली बात जरूर मैंने पैदा की है, मैं मानता हूं, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब किया तब। उसके पहले मैंने कौनसी कंट्रोवर्सियल बात कर दी?

श्री सभापति : नहीं, आप ठीक कह रहे हो, आप बोलो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके देखते-देखते जुगल जी काबरा और ये राजेन्द्र जी पारीक, इनको पता नहीं क्या अजीर्ण हो रहा है, यानी ये बोलने ही नहीं एक बात सुनो, सिद्धान्त की बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय व्यासजी, आप जानबूझकर आब्स्ट्रक्शन इंवाइट कर रहे हैं।

श्री जुगल काबरा : माननीय सभापति महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार जानबूझकर...

श्री सभापति : माननीय काबरा साहब, आप बिराजिए।

श्री जुगल काबरा : मुख्य मंत्रीजी के बारे में अनर्गल-प्रलाप कर रहे हैं इसीलिए इनको सुनना पड़ रहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, समस्या यह है ही नहीं। माननीय सदस्य को जो कागज दिया था वो केवल लालकोठी का कागज दिया, इसके अलावा मैटेरियल कुछ उपलब्ध कराया नहीं प्रतिपक्ष ने। अब ये तो लालकोठी के बाहर निकलें तब जाकर कोई बात हो न।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको पहले समय दिया था मैंने कि जो कुछ कहना हो एक साथ कह दो। आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, इन सब बातों को जाने दीजिए। मैं पुनः आपसे पूछता हूं कि आपने रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्यों नहीं किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। आपने ओपन लैण्ड को क्यों रेगुलराइज किया? मोटा रूप यह है। आपने बड़े चंद को क्यों रेगुलराइज किया? जाने दीजिए सब बातों को और जो मैंने आपको दुरुस्त करने की कोशिश की है पावर आफ अटार्नी होल्डर अगर बिल्डर है, डवलपर है तो यह अपने आप में संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त है और कानून इसमें अनुमति देता है, You can refuse to negotiate with him. क्योंकि जो ओरिजनल खातेदार है, जिसकी कंट्रोवर्सी आपके यहां पर पैंडिंग है उसको दूसरा आदमी रिप्रजेंट कर सकता है एज ए पावर आफ अटार्नी होल्डर, लेकिन उसके बोनोफाइड्स आप एग्जामिन कर सकते हैं। यह आपकी जानकारी के लिए

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मैं अर्ज करना चाहता हूं, यह आपका कथन सही नहीं था कि हम तो जो भी आएगा उसको डवलप करेंगे और उसको देना पड़ेगा हमको। यह आप एहतियात बरतते।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, इनको अनावश्यक उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अच्छाई, बुराई सबके जिम्मेदार वे हैं, नेता हैं वे, सदन के भी नेता हैं। कोई अच्छा काम भी सरकार करती है उसका क्रेडिट उनको मिलता है, कोई आलोचना भी होती है तो कहना पड़ता है। अब जब मैं हाउसिंग बोर्ड पर आऊंगा, फिर आप चिल्लाएंगे कि मुख्य मंत्रीजी का नाम ले रहे हैं। यह बहुत गलत तरीका है, आप जवाब दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूं, मैं भाग तो जा ही नहीं रहा हूं कि मैं बोलकर चला जाऊंगा। जिस डिबेट पर मैं पार्टिसिपेट करता हूं तो जवाब सुनता हूं। And I am subject to correction, open to correction. आप मुझे दुरुस्त कीजिए। अब मंत्रीजी, मैं हाउसिंग बोर्ड का इतना पुलिंदा पड़ा है मेरे पास, यह सब पुलिंदा निकालना बेकार है, क्योंकि मैं पहले पुलिंदा निकाल चुका हूं और इन सबको आप एग्री करते हो, कहीं आप डिसएग्री नहीं करते हो और आप कार्यवाही भी करते हो, सभापति महोदय, मैं यह भी नहीं करता कि कार्यवाही नहीं करते। मुझसे अलग हटकर जो पब्लिक के आदमी मंत्रीजी के पास हाउसिंग बोर्ड की शिकायत लेकर पहुंचते हैं और शिकायत के अन्दर तथ्य होता है, तो उसके अन्दर मंत्रीजी ने कार्यवाही की है और जो क्रियाकलाप वहां के अध्यक्ष मानसिंह देवड़ा के हैं और जहां भ्रष्टाचार की बू आती है उसको स्टे करते हैं। मंत्रीजी, मैं पूछना यह चाह रहा हूं कि आपके स्टे की तामील होती है क्या? एक केस में आपकी तामील नहीं होती। पहले तो आप आज का अखबार पढ़ लो। गवर्नमेंट ने रूल्स बनाकर भेजे थे कि चीफ एक्जीक्युटिव आफिसर हाउसिंग कमिश्नर को बना दीजिए। क्योंकि वहां पर मानसिंह देवड़ा, उसको आगे कर रखा है। यह कागज है जोशी जी, बता दूं आपको। आपको तो पता होगा क्योंकि शिक्षा मंत्री के अलावा पूरे राजस्थान में आपका बहुत बड़ा सुपरवीजन है कि वो ट्रांसफर भी अपने हाथ से करता है चेयरमैन। आप तो फाइल पर आर्डर करते हो और सैक्रेटरी से प्रसारित करवाते हो, वहां तो खुद ही करता है ट्रांसफर। लैण्ड भी परचेज खुद करता है। लैण्ड यूज, उसकी कमेटी बनी हुई होती है। वो तो सब आदेश प्रभावी कर देते हो और सरकार के सब आदेशों को (व्यवधान) अब आप बैठिए, फिर वही बात। अब कोई बात नहीं बोल रहा हूं मैं। (व्यवधान) आप बैठिए न, क्या तरीका है यह? आपको कोई सभ्यता ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, ट्रांसफर के पावर रह गये चेयरमैन साहब के पास में और मेरा सारा स्वार्थ ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है। मुझे तो चेयरमैन साहब की ही पैरवी करनी पड़ेगी।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सदस्य तो लालकोठी से बाहर निकल गए, अभी भी पीछे पड़े हुए हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, नहीं, एक बात माननीय सदस्य ने और कही थी कि मैं मंत्रीजी के बारे में इसलिए यहां पर बोल रहा हूं कि मुझे ट्रांसफर करवाने हैं। अब सारे पावर आपने दे दिए चेयरमैन साहब को ट्रांसफर का। अब यदि ट्रांसफर के मामले में मैं यदि उनकी पैरवी नहीं करूंगा तो कल मेरे तो सारे ट्रांसफर रुक जाएंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके क्या ट्रांसफर हैं? आपके ट्रांसफर उनके हाथ में थोड़े ही हैं। आपके ट्रांसफर तो ये करेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : उनके नहीं, पर हाउसिंग बोर्ड के ट्रांसफर तो करवाने पड़ेंगे न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बैठ जाइए आप। बैठ जाइए। आप अपना ज्यादा परिचय मत दीजिए, सब जानते हैं। सभापति महोदय, आज के समाचार-पत्र में आया है, पार्टली उन्होंने एक्सैप्ट किया है, पार्टली उन्होंने एक्सैप्ट नहीं किया है और वो रेजुलेशन पास किया है और सरकार के द्वारा भेजे गये रेजुलेशन को नहीं माना उन्होंने। 200 दुकानों वाली यहां चर्चा हुई थी, मंत्रीजी को सब याद है इसलिए पूरे सदन का मैं समय नहीं लेना चाहूंगा और वह आपने स्टे किया था। फिर उन्होंने 50 दुकानों का अलग-अलग ग्रुप बनाकर एक साथ नीलाम करने का कर दिया। वो भी आपने स्टे कर दिया, वो भी नहीं माना उन्होंने। वो मानते ही नहीं कुछ। वो तो अपनी करते हैं। लेकिन इसका मूल कारण क्या है खेतसिंह जी, आप बता दें, चीफ मिनिस्टर भी जोधपुर के हैं, देवड़ा जी भी जोधपुर के हैं। देवड़ा जी ने खाली नहीं की सीट? कह दो कि नहीं की। बिठा दो मुझे कि नहीं, गलत बोलता हूं। खाली की। अगर खाली की तो उस डर के मारे आप न तो उनको एक्सटेंशन देते हो। अब मुझे बताओ ऐसी अनिश्चित स्थिति में डाल रखा है आपने राजस्थान को, ऐसी अनिश्चय की स्थिति में डाल रखा है आपने आवासन मण्डल को। हिम्मत है तो आप दो साल का एक्सटेंशन देओ न। लेकिन शिकायतें लगी हुई हैं, अम्बार लगा हुआ है भ्रष्टाचार का, इसलिए दो साल का एक्सटेंशन नहीं देना चाहते हो और डर लगता है। डरते हो आप चूंकि सीट भी खाली की है, वह आंख दिखाता है। टिल फर्दर आर्डर्स। खेतसिंह जी, आप तो यह बताओ कि जोधपुर को, यह छोड़ दो हाउसिंग बोर्ड को, नगर विकास न्यास का क्या हुआ? कितने जो काम वहां हुए वो यहां हुए?

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

वो बड़े पैमाने पर हो रहे हैं अब। नगर विकास न्यास के भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े मामले और बड़े-बड़े मामलों में आपने हाउस एडजोर्न करा दिया और एफ.आर. लगवा दी। एफ.आई.आर. नं. 43/901. अब यह रिलेवेंट इश्यू भी हो जाती है, मंत्री जी, मैं आपको...

श्री जुगल काबरा : माननीय सदस्य, एफ.आर. जो लगायी गयी थी वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगायी गयी थी। मेरे खयाल से आप भी उस समय सदन के सदस्य थे इसलिए आपकी पूरी जानकारी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप भांग पीकर आये हो। 23 जनवरी, 1999 को एफ.आर. लगी है।

श्री जुगल काबरा : एफ.आर. भारतीय जनता पार्टी के राज में लगी है। 1998 में लगी है, आप रिकार्ड उठा कर देख लो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या देख लो?

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, भांग तो अटल बिहारी वाजपेयी भी पीते हैं, उनके बारे में तो नहीं कहा आपने भांग के लिए और इनको तुरन्त टोक दिया कि भांग पीकर आए हो। माननीय सदस्य को आप कह रहे हैं भांग पीकर आए हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी भांग पीकर बोलते हैं। उनसे बोला ही नहीं जाता कभी भांग पीये बगैर तो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, रिलेवेंट कंसीडरेशन क्या है यह समझिए आप। करप्शन के चार्जेज मानसिंह देवड़ा के यू.आई.टी. के जैसलमेर के कार्यकाल के वक्त में लगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक निवेदन करूंगा...

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा।

श्री सभापति : मैं निवेदन कर रहा हूं...

श्री सुरेन्द्र व्यास : I won't go in details.

श्री सभापति : मैं निवेदन कर रहा हूं कि व्यक्ति का नाम न लेकर उसके पद से संबोधित करेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यक्ति का नाम न लें, अच्छा रहेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप तो यह जाने दीजिए। एक आदमी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एक एफ.आई.आर. दर्ज कराता है और उसके अन्दर बाद में एफ.आर. फाइल होती है और अभी कोर्ट ने काग्नीजेंस ले लिया, एफ.आर. मंजूर नहीं की। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है या नहीं है, मुझे बता दीजिए आप। मुझे चुप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बहुमत है, मत बोलने दीजिए, पर इट सैल्फ इम्पोर्टेंट है या नहीं है? एक भ्रष्टाचार की कोर्ट ने...(व्यवधान) इसमें

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

लीगल पोजिशन मैं नहीं कह रहा हूं आपको हटाना पड़ेगा। लीगल तो आप ला बदल देंगे, कल बिल ले आओगे, आपका बहुमत है, 153 आदमी हो, आप अभी कह दोगे कि नहीं आज दिन के दो नहीं बजे हैं, रात के दो बजे हैं तो अच्छा, महाराज, रात के दो बजे हैं, हम क्या करेंगे उसमें। आप तो 153 आदमी हो साबित कर दोगे। आप मुझे बताओ, एक आदमी जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रकरण में काग्नीजेंस कोर्ट ने लिया और आपकी एफ.आर. नामंजूर कर दी। अब मैं उस विवाद में नहीं जाता कि वो आपने सीट खाली कराने के लिए एफ.आर. लगायी थी, वह आप सब जानते हो, वह अलग विवाद है। (व्यवधान) नहीं, नहीं, वो विवाद नहीं, वह अलग है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वो बात ही ऐसी कह रहे हो आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप तो मंत्री नहीं थे, तब तो गहलोत साहब खुद ही एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के मंत्री थे, आप थोड़े ही थे उसमें।

श्री जुगल काबरा : सभापति महोदय, जानबूझकर ये हाउस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या गुमराह कर रहे हैं?

श्री जुगल काबरा : एफ.आर. भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगायी गयी और सीट खाली करने का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। आप जानबूझकर इस बात को लपेट रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, सब जानते हैं। सब जानते हैं, यह प्रकरण पूरा उठ चुका है। तारीख बताऊ। 23 जनवरी, 1999.

श्री जुगल काबरा : ऐसा है सुरेन्द्र जी, भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री बने थे उनके लिए भी सीट खाली की थी। कई मुख्य मंत्री बनते हैं उनके लिए सीट खाली होती है (व्यवधान) ने भी सीट खाली की थी। क्या बात हुई?

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य से उम्मीद यह कर रहे थे कि माननीय सदस्य कोई बहुत सी नयी जानकारी देंगे।

श्री रामस्वरूप : भैरोंसिंह जी के लिए भी सीट खाली हुई थी। भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री नहीं बने थे, सीट खाली हुई थी, कहिए आप उनके लिए भी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, हम तो यह मानकर चल रहे थे कि माननीय सदस्य इस सदन को बहुत सी नयी जानकारियां देंगे। सारी बात कहने के बाद माननीय सदस्य एक शब्द कहते हैं सब जानते हैं। भाई, सब जानते हैं

(श्री राजेन्द्र पारीक)

और जान ही रहे हैं तो फिर आपको इस सदन में यह जानकारी दुबारा देने की आवश्यकता कहां पड़ गई? आप तो कोई नई जानकारियां दीजिए, जो आपके पास बिलकुल सुरक्षित रखी हुई हैं, जो बिलकुल एटम बम की तरह से आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप तो यह जानकारियां दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, कोई बम ही नहीं है, कोई बम नहीं है To put the record straight, F.R. No.2/99. 1999 में गवर्नमेंट कौन सी थी आप देखिए। अब इस विवाद को यहीं छोड़िए। तो, सभापति महोदय, यह अब माननीय मुख्य मंत्री जी के देखने की बात है। खेतसिंह जी, यह आपके मुख्य मंत्री जी को देखने की बात है।

श्री सभापति : खेतसिंह जी नहीं, यह विधि मंत्री हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, विधि मंत्री जी। माफ करना। तो विधि मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी को सुझाने की बात है कि ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपी को आप यहां पर कन्टीन्यू करेंगे हाउसिंग बोर्ड में या नहीं करेंगे? वैसे मालिक हो आप राजस्थान के, आप और मुख्य मंत्री करोगे जोधपुर का है, तो और कुछ नहीं कर सकते पर यह आपके विचार के लिए मैंने आपके सामने रखा है। पर, सभापति महोदय, मैं तो एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। चलिए, आप मेरे सुझाव को मत मानिए क्योंकि मैं प्रतिपक्ष की ओर बोलता हूं, आलोचना की दृष्टि से बोलता हूं। आप मत मानिए पर जिससे आप संतुष्ट हो वह तो करो। आप स्वयं इस बात से संतुष्ट हो कि हाउसिंग कमिश्नर को चीफ एक्जीक्युटिव आफिसर के पावर दे दो और वह जो अध्यक्ष है वहां पर उनके पास पूरी शक्तियां निहित नहीं होनी चाहिए अन्यथा वह शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। यह सरकार संतुष्ट है इस बात से, अन्यथा सरकार प्रस्ताव बनाकर हाउसिंग बोर्ड में यह निर्देश देकर नहीं भेजती कि इन रूल्स को एडाप्ट कर लीजिए। मैं मंत्री जी से इस तरह की प्रार्थना करता हूं कि अगर आपकी बोर्ड नहीं मानता है तो यह 153 आपके * बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमको * कहा है, माननीय सभापति महोदय, * कहा है इन्होंने। यह * शब्द जो यूज किया है इसको कार्यवाही से निकाला जाए (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, हम * नहीं है किसी के भी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I withdraw. I beg to withdraw.

---

* शब्द माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।

श्री रामस्वरूप : इन्होंने जो * शब्द कहा है। यह देश आजाद हुआ उससे पहले अंग्रेजों के * यह रहे थे। उस समय * का शब्द काम में आया था। आज माननीय सदस्यों को * कह दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं इस शब्द को वापस लेता हूं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आज माननीय सदस्यों को कह दिया।

श्री रतन लाल ताम्बी : कांग्रेस ने तो देश की गुलामी खतम की है।

श्री जुगल काबरा : इस शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्यों को * कहा गया हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चलिए, ले लिया वापस।

श्री रामस्वरूप : ऐसे कैसे चलेगा, वापस लीजिए अपने शब्द।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ले लिया, ले लिया।

श्री रामस्वरूप : और माफी मांगिए, माफी मांगो आप। क्या मतलब है, सदन को मजाक बना रखा है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इन्होंने स्वयं महसूस कर लिया है और विथड्रा कर लिया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, कन्फ्यूज्ड कैसेट को बदलकर आप दूसरी कैसेट लगाइए। यह कैसेट कन्फ्यूज्ड हैं, बदलिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं निवेदन कर रहा था।

श्री रामस्वरूप : ठीक है, माफी मांग ली, अब छोड़ो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके पास पर्याप्त बहुमत है, आप वैधानिक तरीके से वह जो हाउसिंग बोर्ड का 2-3 पन्नों का एक्ट बना हुआ है, उसमें आप इसी सैशन में अमेंडमैंट्स प्रपोज कीजिए। उस पर आवश्यक जो अमेंडमैंट्स आप समझते हैं उचित हैं, जो सरकार समझती है उचित है वह लाए और किसी तरह से कुछ नियंत्रण हो, क्योंकि मुझे कोई दम लगा नहीं विधि मंत्री जी में, यह कोई हटवा सकें उनको। वह तो ऐसे ही चलेगा, मजाक नहीं है, उन्होंने दिया लिया बाकी है इसलिए चलेगा अभी तो हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन और चेयरमैन को नियंत्रित करने के लिए आप इस एक्ट में थोड़ा तरमीम लाएं। अब, सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : अब मैं आपको समय का ध्यान दिला दूं क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां।

---

* शब्द माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।

श्री सभापति : अब मैं समय का ध्यान दिला दूं क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अब खतम कर रहा हूं, समय में तो देखिए।

श्री सभापति : नहीं, नहीं ध्यान दिला रहा हूं और कुछ नहीं है। बोलिए, बोलिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I hope, you are also enjoying the debate. जो इंटरप्शंस हो रहे हैं उस समय को अगर काटोगे।

श्री सभापति : नहीं काटेंगे, आपको सिर्फ ध्यान दिला रहा हूं, नहीं काटेंगे। आप बोलिए जब आप समाप्त कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैं एक बात और कहता हूं कि जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी एक्ट में कुछ अमेंडमैंट्स लास्ट टाइम कराए थे। अभी शायद कुछ अमेंडमैंट्स और प्रस्तावित हैं, मैंने देखे नहीं वह लेकिन आपकी एक बिल्डिंग प्लान कमेटी, यह एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट कमेटी है आपकी। जिसको चेयर करते हैं वहां के जे.डी.सी. (जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त) और उसमें सब अधिकारी उनके जो अधीनस्थ हैं, छोटे छोटे कर्मचारी सचिव, निदेशक, नगर आयोजना, निदेशक, वरिष्ठ नगर नियोजक और बाकी वरिष्ठ आयुक्त जोन, मतलब वह एक तरह से आल पावरफुल कमेटी है और उसके अन्दर बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि वह कई बड़े फैसलों को ड्यू और अनड्यू कर देती है, तो उसके अन्दर आप कुछ अमेंडमैंट्स करके जनप्रतिनिधि भी रखें, जनप्रतिनिधि कुछ भी हों, रामस्वरूपजी मीणा जैसे आदमी को भी हम भेजें तो कुछ तो काम ठीक से करेगा। जनप्रतिनिधियों को आप रखोगे तो शायद कुछ नियंत्रण रख पाएं। अब मैं आपका ध्यान मंत्री जी आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप : मुझे तो टोडाभीम की जनता ने रखा है। मैं कोई आपकी मेहरबानी से रखने के ऊपर निर्भर नहीं हूं। टोडाभीम की जनता ने सारी पार्टियों की जमानत जप्त करायी है और तब मुझे जिता कर भेजा है 39700 वोटों से। उनकी परवाह है मुझे तो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और हम लोग सब बिना जीत कर ही आए हैं क्या?

श्री रामस्वरूप : आप क्यों कह रहे हो? इस तरह की जो बड़ाई कर रहे हो न मैं जानता हूं कि आप क्यों बड़ाई कर रहे हो। मेहरबानी चाहिए हमारे नेताओं की, मेहरबानी चाहिए कांग्रेस की, जिसके आधार पर मैं बढ़ सकता हूं, आपके कहने से नहीं बढूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह डेलीगेशन आया हुआ है इसका हम स्वागत करते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह बिल्डिंग प्लान कमेटी के अन्दर जो एन.सी.गोयल, जे.डी.सी. थे उनके वक्त में अनेक शिकायतें मिली हैं। अब मैं आपको बताता हूं, खुद यह जो संधू, जे.डी.सी. हैं, अब उनके आर्डर हैं। यह उस वक्त में थे सैक्रेटरी, एन.सी. गोयल थे कमिशनर। महाराजा गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति...

सूचना

अजरबैजान तथा मध्य एशियाई देशों के सांसदों के प्रतिनिधि मण्डल का राज्यपाल दीर्घा में आगमन

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक सैकण्ड। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे माननीय मेहमान अजरबैजान एवं अन्य मध्य एशियाई देशों के सांसद हमारे बीच पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं।

मांग संख्या-29 पर विचार

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, महाराजा गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति की गिरनार कालोनी योजना संख्या 8 खसरा नम्बर 220 बीड खातीपुरा के भूखण्ड संख्या 73 से 79 के सम्बन्ध में। मैं इसका आपरेटिव पोर्शन पढ़ देता हूं।

इसके प्रस्तुत ज्ञापन में बताया गया है कि कालोनी के निवासियों में जयपुर विकास प्राधिकरण की इस कार्यवाही से भारी रोष हैं। कार्यवाही क्या है इसकी? राज्य सरकार के समक्ष उक्त कालोनी के निवासीगण द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जाकर अवगत कराया कि कालोनी के सुविधा क्षेत्र में करीब 3 हजार वर्ग घटा दिया गया है तथा इसमें 7 भूखण्ड संख्या 73 से 79 अनुमोदित कर दिए गए हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि मौके पर पार्क बना हुआ है जिसकी चार दीवारी बनी हुई है। जयपुर विकास प्राधिकरण की सम्बन्धित पत्रावली देखने से विदित होता है कि सुविधा क्षेत्र में जो संशोधन किया गया है भवन मानचित्र समिति (द्वितीय) की बैठक संख्या 13/2000 दिनांक 21.1.2000 में किया गया है। यह भी ज्ञात हुआ है कि अभी तक भूखण्ड संख्या 73, 74, 78 व 79 की जमीन बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई पत्रावली सम्बन्धित जोन में प्रस्तुत नहीं की गयी। केवल भूखण्ड संख्या 75, 76, 77 के सम्बन्ध में आवेदन पत्र जारी किए जा चुके हैं लेकिन लीज डीड जारी नहीं की गई तथा यह विचाराधीन है। प्रस्तुत ज्ञापन में बताया गया है कि कालोनी के निवासियों में जयपुर विकास प्राधिकरण की इस कार्यवाही से भारी रोष है तथा उन्होंने इस कार्यवाही को रोकने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण न्यायाधिकरण में भी एक रेफरेंस किया था

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

लेकिन न्यायाधिकरण द्वारा तकनीकी कारणों से दिनांक 9.10.2000 को उक्त रेफरेंस अस्वीकृत कर दिया गया। ज्ञापन के साथ प्रतिनिधि मण्डल को सुनने के पश्चात् तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के रेकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सुविधा क्षेत्र में संशोधन की कार्यवाही जनहित में नहीं है तथा वहां के निवासियों में राज्य सरकार के प्रति इस कार्यवाही से अनावश्यक रूप से रोष हो रहा है। अत: यह उचित होगा कि फिलहाल आगे की कार्यवाही स्थगित कर दी जाए। जिन तीन भूखण्डों के आबंटन जारी किए गए हैं उनकी लीज डीड जारी नहीं की जावे तथा जिन चार भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही नहीं की गयी उसे रोक दिया जाए। समस्त प्रकरण मय पत्रावली राज्य सरकार के पास भिजवा दिया जाए। यह एक प्रकरण है, गिरनार कालोनी का दूसरा है।

अब आपका एक-एक ज्ञापन पढ़कर, आदेश पढ़कर सुनाने से कोई मतलब नहीं है। सभापति महोदय, सदन का समय बहुत कीमती है और आपका भी बहुत कीमती है। आप थोड़ा नोट फरमाएं तो मैं सोसाइटी हैं उनके नाम बता देता हूं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : ज्यादा प्रकरण हैं, तो आप मुझे इसकी कापी दे दें, ठीक रहेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, कापी दे दूंगा। सभापति महोदय, होता क्या है कि जो सोसाइटी कहती है 60 हजार वर्गगज की हमारे पास जमीन है, 3 हजार वर्गगज के अन्दर उसकी फैसेलिटी से, 3 हजार है, 2 हजार है, उसके बाद एक दरखास्त पेश करते हैं। और वह जो कमेटी है बी.पी.सी. उसके अन्दर वह 7 हजार की लैण्ड तो 9 हजार हो जाती है, फैसेलिटी हजार घट जाती है, तीन हजार की दो हजार हो जाती है। फैसेलिटी की लैण्ड विधि मंत्री जी, बेशकीमती होती है, यह जो मंत्रीजी भी जानते हैं इस बात को और फैसेलिटी की जमीनों के ऊपर इन्होंने अतिक्रमण को नियमित किया तो कितना अनैतिक और अनुचित लाभ उनको दिलाया जा रहा है। यह मैं लिस्ट तो नहीं दूं आपको, आप पत्रावलियां मंगा लें।

कहने का तात्पर्य यह है, सभापति महोदय, फिर मैं उसी बात पर आता हूं क्योंकि यह विशालकाय डिपार्टमेंट है, जे.डी.ए. भी कम नहीं है, बहुत बड़ा हाथी है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। मुझे कोई मेरे मित्र कह रहे थे, मिलने वाले, कि साहब वहां जे.डी.ए. के कैम्प लगते हैं उसमें हरेक अधिकारी इतने लाख रुपए लेकर आता है, वो वाइल्ड एलीगेशन है, मैं नहीं मानता। क्योंकि सब अधिकारी तो ऐसे होते नहीं हैं, 15-20 प्रतिशत आदमी होता है जो डेडिकेशन से काम करता है वरना वह सिस्टम चल नहीं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सकता, कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग करते भी होंगे ऐसे। लेकिन, सभापति महोदय, यह बात तो निश्चित है कि गुंजाइश बहुत है, लोग बहुत करते भी हैं और सम्भवतया यह पूरा नियंत्रण करना आपके लिए सम्भव भी नहीं है। अब नियंत्रण कर सकते हैं तो आप नियमों के माध्यम से करते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, 50 मिनट हो गए हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब पांच मिनट में खतम कर रहा हूं। यह नियमों के माध्यम से किया जा सकता है या समितियों के माध्यम से किया जा सकता है उसके लिए मैंने आपको सुझाव दिए हैं।

मंत्रीजी, लगे हाथ मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि यह जयपुर के अन्दर आपने बहुत सारे फ्लाई ओवर बनाए हैं। आप तो कोटा से पधारे हैं और मैं चाहे जीतकर मालपुरा से आता हूं लेकिन मैं करीब-करीब जयपुर का मूल निवासी हूं। मेरी जयपुर में एजुकेशन हुई है। यों तो आपकी भी जयपुर में हुई है लेकिन आप चले गए यहां से हमको छोड़कर, हम यहां के यहां रह गए।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये तो बीच में दिल्ली भी चले गए थे। आप तो बीच में पांच साल के लिए दिल्ली भी चले गए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, दिल्ली भी चले गये, सही है चले गए।

श्री रामस्वरूप :...उसके लिए तो धन्यवाद दे दो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, धन्यवाद। पर मंत्रीजी, ऐसा है कि इसका भी आप मेनिया मत डवलप करो। यह जो आपने, फिर वो ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वाली बात आती है, अनजस्टिफाइड आप कंस्ट्रक्शन वर्क कराते हो तो वो संदेह के दायरे में आता है। अब मैंने सुना कि गवर्नमैंट हास्टल पर आप फ्लाई ओवर बनाएंगे। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप समझिए जहां ट्रेफिक स्लो होता है, स्लो ही चलेगा। फ्लाई ओवर बनता है फास्ट ट्रेफिक के लिए। आपने गोपालपुरा मोड़ के ऊपर फ्लाई ओवर बनाया, जस्टिफाइड है, ठीक है ट्रेफिक सीधा निकल जाता है, एयरपोर्ट जाता है, कोटा जाता है। जहां आप रेलवे क्रोसिंग के ऊपर फ्लाई ओवर बनाते हैं, समझ में आता है।

सभापति महोदय, गवर्नमैंट हास्टल पर, मैं अध्यक्षजी की अनुकम्पा से विदेश घूम आया हूं, कामनवैल्थ पार्लियामैंटरी एसोसिएशन में गया था, मैंने आपको बताया, वाशिंगटन जैसी जगह साइकल और बिलकुल बिजीयस जगह है वहां पर अमेरिका में पेडेस्ट्रियंस और साइक्लिस्ट टाप प्रायोरिटी है। कोई लार्ड साहब का बच्चा हो उनको न तो ओवर टेक कर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सकता है जैसे है, नियंत्रित करने की, बल्कि मिनी बसें चलती हैं इनकी स्पीड, आपका डिपार्टमेंट नहीं है, वैसे निवेदन कर रहा हूं कि उनकी स्पीड नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो ऐसा गजब मत कर देना, जयपुर में कोई बोलने वाला नहीं है और आपने फलाई ओवर बना दिया यहां पर, हमारे जयपुर का सत्यानाश कर जाओगे। आज तक किया उसके लिए बहुत धन्यवाद, आभारी हैं और आगे हमारा आभार मिट्टी में मत मिलाना।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (आयुर्वेद राज्य मंत्री) : ...बोलने वाले बैठे हैं जयपुर के।

डा. महेश जोशी : जयपुर के आभारी...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आभारी हैं उसमें। महेश जी, ईमानदारी से कोई फायदा नहीं...(व्यवधान) कह रहे हो न आप। महेश जी, देखो आप। जयपुर के प्रतिनिधि हैं और मैं जयपुर का बाशिंदा हूं यों मान लो आप। मैं आपसे अलग नहीं हूं। मैं इनका खुद आभार प्रकट कर रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये तो टोडाभीम के हैं, जयपुर में आकर कब्जा कर लिया...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप : जयपुर का तो कोई भी नहीं है, सबने कब्जे किए हैं आ करके। यहां तो +++ सबने कब्जा किया है यहां आ करके। लेकिन अब आजाद हुए हैं अपन। अब हुए हैं आजाद तो। वो सब जयपुर में कब्जे किए हैं सब लोगों ने।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह +++ यह गलत बात है।

श्री रामस्वरूप : सब ने ही किया है। पहले तो अंग्रेजों ने कब्जा किया, सब ने कब्जे किए हैं। यह तो...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ...यह तो खिलाफ हैं। (व्यवधान) इसको कार्यवाही से निकालिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ...देश पर पहले मुसलमानों ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने राज किया। (व्यवधान) करोड़ों रुपए बाहर लेकर...(व्यवधान) विदेशियों को कांग्रेस ने भगाया है। कांग्रेस ने देश को आजादी दिलायी है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूप जी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ...कब्जे थे पहले... (व्यवधान) अंग्रेजों का राज रहा है।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कहा है कि ***+++ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पहले +++ का राज हुआ था यहां पर। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : और मीणों का भी रहा था। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ...और कांग्रेस ने आजाद कराया देश को। अंग्रेजों को भगाया कांग्रेस ने। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या बात है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : +++। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, इनको सोचना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ...हटाने वाली कांग्रेस। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, इसको आप कार्यवाही से निकलवाने का कष्ट करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कार्यवाही से कोई आब्जैक्शन की बात होगी, वही निकाली जाती है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कहा है साहब कि *** +++ यह कहां से कर लिया कब्जा?

श्री सभापति : आप सुनिए। इन्होंने एक तथ्य कहां, आप बोलने वाले हो, खण्डन कर देना। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : +++ भी राज रहा है जयपुर के ऊपर और अंग्रेजों का भी राज रहा है। इतिहास बताता है। इतिहास *** +++ का भी राज रहा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ...यह निकलवाइए आप। (व्यवधान) 1985 में बी.जे.पी...(व्यवधान) चुनाव लड़े थे और अब...(व्यवधान) ऐसी मानसिकता है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ...कैसी बातें कर रहे हो? (व्यवधान) *** राज रहा है पहले, फिर अंग्रेजों का राज रहा और अंग्रेजों को कांग्रेस ने भगाया। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : और मीणों का भी राज रहा है यह सब जानते हैं।

श्री रामस्वरूप : हां, मीणों का भी रहा है। यह बात सही है आपकी कि मीणों का भी रहा है जयपुर में।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूप जी, बिराजिए आप। इनको बोलने दीजिए। यह क्या कर रहे हैं आप?

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैं अन्त में मंत्रीजी को, मैं बापू बाजार गया था...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए, एक घंटा हो गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक घंटे में से आधा तो निकाल दो आप, डिस्टर्बेंस में गया है।

*** शब्द/अभिव्यक्ति माननीय सदस्य द्वारा वापस ली गयी।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ द्वारा अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : उसका मतलब यह थोड़े ही है कि बोलना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैंने वहां पर मेरे कुछ परिचित हैं, सब परिचित ही हैं जब पूरा जीवन जयपुर में गुजरा है तो। मैंने उनसे पूछा कि भाई स्वायत्त शासन मंत्रीजी का आप बड़ा स्वागत करते हो, माला-वाला पहनाते रहते हो...

डा. महेश जोशी : माननीय सदस्य, एक मिनट। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य रामस्वरूपजी मीणा ने जो बात कही, उनका कोई इंटेंशन ऐसा कहने का नहीं था और जिस पर माननीय माहिर आजाद साहब ने आपत्ति की है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह बात जो शायद उनसे जल्दीबाजी में निकल गयी थी, +++ (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : राज रहा नहीं था, इन्होंने यह कहा है कि कब्जे कर लिये यहां आ करके। राज रहा की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैंने कहा अंग्रेजों ने कब्जा किया, देश के ऊपर राज रहा, जयपुर के ऊपर, मीणों का भी रहा है, +++ (व्यवधान) देश को आजाद कराया था कांग्रेस ने। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सचेतक महोदय, रिकार्ड को देखने के बाद में यदि कोई आब्जैक्शनेबल होगा तो उसका निर्णय अध्यक्षजी कर देंगे। इन्होंने एक फैक्ट और माननीय माहिर आजाद बोलेंगे तो इनको इस फैक्ट को रिबट करने का राइट है।

मोहम्मद माहिर आजाद : ...यह तो वैसे ही बात साफ है। अकेले मेरे को आपत्ति नहीं है, मैंने तो आसन से निवेदन किया है। (व्यवधान) आप व्यवस्था दें आसन पर बैठें हैं इस वक्त। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप रिबट कर देना।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं अकेला विरोध करने...(व्यवधान) ये सेकुलर पार्टी के लोग बैठे हैं, इन सब को एतराज हो सकता है। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, ये बात किसी भी तरीके से उचित...(व्यवधान)

श्री सभापति : इसका निर्णय माननीय अध्यक्षजी रिकार्ड देख करके कर देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं कोई मुस्लिम होने के नाते विरोध नहीं कर रहा हूं, यह बात गलत है। एक सेकुलर पार्टी के लिए, एक सेकुलर प्रदेश के लिए ऐसी बात ठीक नहीं है।

डा. महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि +++ एक्सपंज कर दिया जाए।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं न कि इसका रिकार्ड देख करके माननीय अध्यक्षजी निर्णय कर देंगे। उसमें मुझे क्या एतराज है, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। आप बोलिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : बोलते वक्त आदमी सोचे तो सही।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, यह फैक्चुअली इनकरेक्ट है। कब्जे का सवाल नहीं है। राज भी नहीं रहा +++ कभी और अंग्रेजों का भी नहीं रहा।

श्री सभापति : अब आप अपनी बात कहो न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह इनके ज्ञान का परिचायक है। इसमें कोई एक्सपंज करने वाली बात नहीं है। लोगों को पढ़ने के वक्त मालूम पड़ना चाहिए कि एक टोडाभीम से ऐसे विद्वान माननीय सदस्य आते थे जो जयपुर के बारे में इस प्रकार की बात करते थे।

श्री सभापति : अब आप बिराजिए। कंक्लूड कीजिए आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let me conclude now. सभापति महोदय, मैं बाबू बाजार गया था वहां कुछ लोगों से पूछा कि आप लोग स्वायत्त शासन मंत्रीजी की बड़ी खातिरदारी कर रहे हो। साहब, क्या पूछते हो, उन्होंने यह धमकी दे दी कि तुम्हारा यह तोड़ दूंगा और तुम्हारा यह बना दूंगा। तो साहब, हम तो बड़ी मुश्किल से हमारी दुकान-बुकान सब बरबाद हो गये, हम तो बेचकर अब जाने लगे, अब यह बड़ी मुश्किल से...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप समाप्त कीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, यह कोई बात नहीं है I am concluding. मैं खतम कर रहा हूं। आप घंटी बजा ही रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कंक्लूड कर रहा हूं।

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, आपका पूरा विपक्ष नहीं है और आप बोलने भी नहीं देते। आधा टाइम तो सत्ता पक्ष ने खराब किया है। खैर एनी-वे...

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बात मैं कह रहा हूं, आप जौहरी बाजार चले जाओ, कहीं चले जाओ, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी के कार्य के साहस के लिए, प्रशंसनीय कार्य के लिए बधाई देना चाहिए उसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए।

(15.00 बजे)

मैं इसमें कतई गलत नहीं मानता। आपने बरामदे खाली कराने का ऐतिहासिक काम किया है, यह मैं मानता हूं, इसमें कोई

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ द्वारा अपलोपित की गयी।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

संदेह नहीं है लेकिन आपने बाद में उसका इंतजाम नहीं किया और लगातार यह चलता आ रहा है कि वहां पर तहखाने बने हैं, वह आपके एडमिनिस्ट्रेशन के कोल्यूजन से बने हैं। सभापति महोदय, अगर हकीकत देखी जाए तो यह जो आपरेशन पिंक हुआ, वह बहुत गलत टाइमिंग पर मेरे फ्रैंड्स का एरर आफ जजमैंट था। एक आदमी की सिम्पैथी नहीं थी जौहरी बाजार से, जब वह आ गये मैदान में इसलिए वहां पर प्रोपर हैण्ड रह गया। जब आपने संसार चन्द्र रोड के लोगों को बेजार किया और उठा-उठाकर फेंका गरीबों को, तब आना चाहिए था उनको... (व्यवधान) सभापति महोदय, आपने यह बिना पुनर्वास किये, आपकी कितनी ही योजना हो लेकिन आपकी यह निश्चित रूप से सफल योजना नहीं रही है।

अब मैं आपको यह भी बात निवेदन करना चाहता हूं, जो उस रोज कही थी, यह आपका जो प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन शहरों की ओर, यह भाजपा के समय में था, अब आपको ऐसा क्या नया लगा, प्रोग्राम तो वही का वही है, अब आपके वित्त मंत्रीजी ने राय दी, ''ओर'' नहीं लगाया, ''प्रशासन शहरों के संग'' अब भाजपा वापस आ जाएगा तो कहेगी, ''प्रशासन शहरों के बीच''। मतलब- उस शब्द को बदल दिया, ''संग-बीच-ओर'' को बदल दिया और बात तो एक ही है। अब कोई और कह देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यह ''प्रशासन शहरों के संग'' में मंत्रीजी, आपने अनुभव किया होगा कि नगरपालिकाओं में अच्छी कमाई हुई है। जहां अधिकारी आपके अच्छे थे, अच्छा पैसा आया है, तो यह आप व्यवस्था ठीक करें, आत्मनिरीक्षण करें और वह चाहे जन-प्रतिनिधि हों चाहे, आपके अधिकारी हों, उन्होंने अनियमित कंस्ट्रक्शन करवा-करवा करके म्यूनिसिपैलिटी को नुकसान तो दिया है न। अगर ओपन आक्शन होता और ओपन प्लाट बिकते, सभापति महोदय, मैं अंत में सिर्फ मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि यह सत्ता का मद इतना नहीं रखना चाहिए, आपने जो निर्वाचित नगरपालिकाओं के अधिकारों को...(व्यवधान) आप राजेन्द्र जी, बोलना सीखा करो, यह क्या तरीका है, कोई गम्भीर बात होती, कोई तरीका नहीं है आपका? यह बैठे-बैठे क्या बोलते हो आप? बैठिए आप। यह क्या तरीका है?

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, आपने जो कुछ एक घंटे में अपना वर्सन किया है, उसमें 20 दफा आपने यह कहा, सत्ता का मद, सत्ता का मद। सत्ता का मद, यह आपकी डिमांड्स में है क्या? (व्यवधान) आपको कोई भी डिमांड पर बोलना था तो कायदे से बात करना चाहिए था। क्या सत्ता का मद, सत्ता का मद करते हो आप, 153, 153, कैसेट आपकी

(श्री राजेन्द्र पारीक)

वहीं की वहीं अटक कर रह गई है, आप इसको हटाइए और बात बिलकुल कायदे में करिए ताकि पूरा सदन आपको शालीनता से सुने, संजीदगी से सुने। आप संजीदगी से बोलना नहीं चाहते और उम्मीद करते हैं कि हम आपको संजीदगी से सुनें। आप संजीदगी से बोलेंगे, हम संजीदगी से सुनेंगे। इस तरह से आप बोलेंगे, आपको इसी तरह से इन्टरविन करेंगे और आपको रिप्लाई देंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय सदस्य, बिराजिए अब तो आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, निर्वाचित जो नगरपालिकाएं हैं, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण आप नहीं करें, यह मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। आपने किया है, तमाम अधिकार अभी तक नहीं दिए हैं और यह पहले भाजपा के शासन में भी किया है उन्होंने इसलिए वह आपसे नहीं कह सकते लेकिन चूंकि मैं उस दोष में भागीदार नहीं हूं इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आपको यह नहीं लेना चाहिए। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपने बार बार समय के लिए याद दिलाया, उसका मुझे अवश्य दु:ख हुआ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक घंटा पूरा हो चुका है।

सूचना

टोंक में कोली समाज के जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : कोई दिक्कत नहीं है, एक घंटा हो गया, पूरा समय भाजपा का मिल सकता था, प्रतिपक्ष है नहीं।

अन्त में, मैं एक सूचना देना चाहता हूं सारे सदन को जानकारी के लिए। टोंक शहर में कोली, एस.सी. जाति होती है, के जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और कई महिलाओं और पुरुषों को गम्भीर चोटें आई हैं। एक पुलिस अधिकारी ने कोली जाति की महिला से शराब पीकर छेडछाड़ की एवं ऐसी 3–4 घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी थीं, इसके विरोध में कोली समाज जुलूस निकाल रहा था। यह गृह मंत्रीजी के जानकारी के लिए है। रेगुलर कुछ न कुछ मोशन मैं कल लाऊंगा तो आप पहले ही तैयारी करके इसकी आप जानकारी प्राप्त कर लें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): नहीं, मैं तो इतना ही जानना चाहता हूं कि यह घटना कब की है? आज की?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज की, आज की है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ठीक है। मैं इतना ही जानना चाहता था।

मांग संख्या-29 पर विचार

श्री सभापति : माननीय करण सिंह यादव। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : सभापति महोदय, आज जब हम स्वायत्त शासन विभाग की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं, यह सही है कि विपक्ष के माननीय सदस्य एक विशेष चश्मा लगाकर सरकार के कामकाज का आकलन करते हैं और इसलिए मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य या उन्हीं की भांति के अन्य सदस्य जो आज यहां गैर-हाजिर हैं, उनको सरकार के जितने अच्छे किये हुए काम हैं, उनमें भी कोई न कोई कोताही नजर आती है, उनमें भी वह मतलब निकलते हैं, उनमें भी करोड़ों के काम में 10 परसेंट और 20 परसेंट की बात, जिन बातों के पीछे कोई तथ्य नहीं होता। लेकिन राजस्थान की आम जनता की सरकार के द्वारा और विशेष रूप से स्वायत्त शासन मंत्रीजी के नेतृत्व में इस विभाग ने जो इन तीन सालों में अच्छे काम किए हैं, उसकी जगह-जगह सर्वत्र प्रशंसा होती हैं चाहे वह कच्ची बस्तियों के नियमन का मामला हो, चाहे कृषि भूमि के रूपान्तरण का मामला हो और चाहे राजस्थान में राजस्थान नगरीय पुनर्नवीनीकरण कोष की स्थापना का मामला हो। जयपुर शहर की जो कायापलट पिछले तीन सालों में की गयी है, उसको देखकर जिस व्यक्ति ने जयपुर को तीन साल पहले नहीं देखा था, वह आकर हक्का-बक्का हो जाता है, भौंचक्का रह जाता है।

एक दिन संयोग से मैं राजस्थान रोडवेज की बस में जा रहा था और मेरे पास में एम.जी.डी. में पढ़ी हुई कोई बच्ची दिल्ली के लिए ट्रेवल कर रही थी। बच्ची मुझसे कहने लगी, अंकल, what has happened in Jaipur? It has absolutely changed. It looks like any cosmopolitan town, with such nice wide roads. It is fabulous to see the road in front of M.G.D. School, to see the road in front of Maharaja College. निश्चित रूप से जयपुर में जो इतने अच्छे काम हुए हैं, उन कामों की प्रशंसा की जानी चाहिए। उन कामों की प्रशंसा आम आदमी करता है, उन कामों की प्रशंसा आने वाला मेहमान करता है, देश-विदेश के आदमी करते हैं और इन सबका श्रेय राजस्थान सरकार की इच्छा शक्ति को, स्वायत्त शासन मंत्री को और उनके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों को जाता है। अगर अच्छी इच्छा शक्ति नहीं होती, जिस बरामदा प्रकरण की बात अभी मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कह गये थे, यह राजस्थान सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही एक बहुत बड़ा नमूना है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाए और सरकारें हाथ पर हाथ धरी बैठी रहें। यह कोई मामूली बात नहीं है, निर्णय कोई छोटा नहीं है। यह जो माननीय सदस्य अभी यहां पर पैसों का लांछन लगाने वाले थे,

(डा. करण सिंह यादव)

वे सोच सकते हैं कि जौहरी बाजार में वह बरामदे किन लोगों के थे, वे कितने पैसे वाले लोग हो सकते हैं और अपने बरामदे और अपने तहखाने को बचाने के लिए कहां तक जा सकते हैं? यह सरकार की ईमानदारी और इच्छा शक्ति का सबूत है। जनता का बरामदा जनता को मिला और पहले का जौहरी बाजार है और आज का जौहरी बाजार है, जिसमें आदमी शान से जा सकता है, आराम से जा सकता है, गाड़ी भी ढंग से खड़ी हो सकती है। यह एक अच्छा काम है लेकिन यह सरकार के कार्यकलापों को परिलक्षित करता है एक कदम।

मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडीकेट का मेम्बर रहा हूं बहुत अरसे तक। बार बार मीटिंग हुआ करती थी, राजस्थान विश्वविद्यालय में लड़कियों के छात्रावास के पीछे एक कच्ची बस्ती बनी हुई थी। कच्ची बस्ती होना कोई बुरी बात नहीं है, गरीब आदमियों की बस्ती हो सकती है लेकिन विश्वविद्यालय की अपनी खुद की एक सैंक्टिटी है। वहां लड़कियों का छात्रावास और उसके बाद कच्ची बस्ती में बैठकर शाम को शराब पीकर हुड़दंग मचाये और उसको पूववर्ती सरकार बराबर देखती रही, उसका कोई निर्णय नहीं ले सकी। जब जब भी उसको कोई शिकायत होती, यूनिवर्सिटी में सिंडीकेट में सैकड़ों मीटिंग होती, जयपुर शहर के सारे प्रशासक माननीय कालीचरण जी सराफ दौड़े हुए आ रहे हैं, भंवर लालजी शर्मा साहब दौड़े हुए आ रहे हैं, लेकिन उस कच्ची बस्ती का बाल बांका नहीं हुआ, वह वहीं की वहीं रही और समस्या बरकरार रही। यह एक ठोस निर्णय इस सरकार ने आकर लिया, कच्ची बस्ती वालों को समझाया। देखो भाई, आप यहां नहीं रह सकोगे, आपको अच्छी जमीन देंगे, आपको सब्सिस्टेंस देंगे, आपको ऋण उपलब्ध कराएंगे, और यह राजस्थान सरकार के अच्छे निर्णय का परिणाम है कि आज वहां पर, वह जगह साफ हो गई, और वह बस्ती वाले लोग जाकर अपनी जिंदगी, कानोता में जाकर बस गये। ऐसा ही निर्णय लिया कठपूतली नगर के वासियों के लिए, उनकी बस्ती को ले जाकर वहां बसाया गया तो ऐसे अच्छे निर्णय जो इस सरकार ने लिए और जिस मंत्री ने लिए हों, उसके ऊपर झूठा लांछन लगाना प्रतिपक्ष की आदत है और मैं समझता हूं कि आज सारा राजस्थान इस बात को मानता है। इस सरकार के आने के बाद में अच्छी सड़कें बनाने का, शहरों में सौन्दर्यीकरण करने का, शहरों में अच्छी लाइटें लगाने का, शहर में अच्छे फ्लाई ओवर बनाने का, यह जो काम किया है, यह बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय, का बारम्बार धन्यवाद करता हूं और उनकी कार्यक्षमता की खुले दिल से प्रशंसा करता हूं।

(डा. करण सिंह यादव)

लेकिन मेरे मन में यह जरूर वेदना है, मैंने पिछली बार सदन में इस बात को कहा था कि जयपुर की सड़कों पर कारपेंटिग और रीकारपेटिंग बहुत सुन्दर होती जा रही है, हमारी गाड़िया सरपट उन पर दौड़ती हैं। मुझे तब यह ज्ञान नहीं था कि एशिया डवलपमैंट बैंक का पैसा इसमें लग रहा है या राजस्थान सरकार का लग रहा है या जे.डी.ए. का लग रहा है। मैंने यहां सदन में कहा था कि आपकी इन सड़कों के ऊपर जब गांव का आदमी आता है तो उसके गांव की सड़कों में जो एक-एक, दो-दो फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं, उन गड्ढ़ों से चल कर वह आता है, उसके सीने में छाले पड़ जाते हैं, यह बात मेरे मुंह से निकली थी। माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय यहां थे और माननीय मुख्य मंत्रीजी भी सदन में यहां मौजूद थे, मेरे इस प्रतिवेदन पर थोड़ा चौंके और जवाब दिया कि राज्य सरकार इस मामले में गांवों की सड़कों के बारे में भी सोच रही है। बहुत खुशी हुई जब 600 करोड़ रुपए की एक योजना बन कर आई और आज गांवों के अन्दर सड़कें बनाई जा रही है, गांवों में भी कुछ विकास के काम चालू हुए हैं।

लेकिन शहर में जब शहर की अपनी, जे.डी.ए. की, यू.आई.टीज की, इनकी अपनी निजी आय के बहुत बड़े स्रोत हैं। इनके आसपास के गांवों का परिसिमन जो इनकी सीमा में आती है उनकी जमीनों को अधिग्रहीत करके आवासीय कालोनियां कटती हैं और बहुत अच्छे दामों पर बेची जाती हैं। आज जयपुर जितना सुन्दर लग रहा है, उस सारे सौंदर्यीकरण में एशियन डवलपमैंट बैंक का पैसा नहीं है, यह सारे का सारा काम माननीय मंत्री महोदय ने जे.डी.ए. के माध्यम से करवा लिया। जिन शहरों के पास में इतनी अच्छी सम्पत्ति है, इतनी अच्छी जायदाद है, जिनके पास में आय के स्रोत हैं, मेरी समझ में आज यह नहीं आ पा रहा कि इसके लिए एशियन डवलपमैंट बैंक का 1500 करोड़ रुपए का ऋण लेने की कहां से जरूरत पड़ गई। देखिये, सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा ऋण आ करके इस जयपुर में और पांच सम्भागों पर जब लगेगा, शायद जयपुर आज दिल्ली और बंगलौर की जैसा नजर आ रहा है, हो सकता है कि इस ऋण लगने के बाद में जयपुर पेरिस जैसा लगने लग जाए, जयपुर लंदन जैसा लगने लग जाए। लेकिन आप कितनी बड़ी खाई पैदा कर दोगे गांव के बीच में और जयपुर के बीच में। आज 600 करोड़ रुपये की सड़कें बनने के बावजूद भी गांवों की तीन-चौथाई सड़कें आज भी वैसी ही मौजूद रहेंगी, उन्हीं खस्ता हालात में रहेंगी अगर हम और कोई प्रोविजन नहीं लेकर आए। अच्छा होता कि माननीय मंत्री महोदय और

(डा. करण सिंह यादव)

हमारी राज्य की सरकार यह 1500 करोड़ रुपए का ऋण गांवों की जो बची-खुची सड़कें हैं या बची-खुची सुविधाओं को डवलप करने के लिए लेकर के आती। छह मुख्यालयों के ऊपर 1500 करोड़ रुपए खर्च होना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जयपुर की सड़क पर और क्या लगाया जायेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ गिने-चुने फ्लाई ओवर्स के बाद में और क्या बनाने जा रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय सिंगापुर पधारे थे, हांगकांग पधारे थे, वहां पर स्पाइन और एक खम्भे पर होने वाली सड़क को देख कर आए थे, वह बहुत अच्छे हैं, जयपुर में होना चाहिए। लेकिन साथ-साथ में विकास की दृष्टि से मैं माननीय मंत्री महोदय को यह कहना चाहूंगा कि अगर यह 1500 करोड़ रुपए का ऋण आप छोटी नगरपालिकाओं पर लगाते। आपने कहा कि छह शहरों को चमन बना देंगे। आपके अलवर, सीकर, धौलपुर, भरतपुर, नगर, बैर, कुम्हेर-इन लोगों का क्या होगा। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप इस पैसे में से यदि सम्भव हो सके तो, कोशिश कीजिए, शुरूआत करते छोटी नगरपालिकाओं से, चौथे दर्जे की नगरपालिकाओं का पहले डवलपमैंट करते। वहां सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, वहां गंदी नालियां हैं, वहां पीने के साधन की व्यवस्था नहीं है।

आप शहर के, आज तो गरीब से गरीब आदमी को सवाई मानसिंह अस्पताल की सुविधा उपलब्ध हैं। साधारण, मध्यम दर्जे के परिवार के आदमी को राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्दर पढ़ाने की सुविधाएं उपलब्ध है लेकिन गांव के आदमी को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम इन शहरों का विकास करके एक बड़ी खाई पैदा करते जा रहे हैं कि लोग शहरों की तरफ आकर्षित हो करके भागे। इसलिए मेरा कम से कम मानना है इस मामले में कि एशियन डवलपमैंट बैंक का जो पैसा इन छह मुख्यालयों पर लगेगा, यह राजस्थान की ग्रामीण जनता या दूर-दराज में बैठे हुए लोगों के साथ न्याय नहीं है। मुझे कई बार इस बात की जलन होती है, मैं कहता हूं कि यह मंत्रीजी इतने चतुर हैं, होशियार हैं, इनके विभाग के कर्मचारी इतने चटक हैं कि इन्होंने इतने बड़े ऋण को नेगोशिएट कर लिया। मुझे बहुत खुशी होती कि हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर या ग्रामीण विकास के मंत्री कोई सी तरह की योजना, गांवों के अन्दर आजकल आप जानते हैं, सारे गलियारे कीचड़ से सने पड़े हुए हैं, कोई ऐसी योजना बन करके आती जिससे गांव के गलियारे ठीक होते, नगरपालिकाओं की सड़कें ठीक होती या छोटे कस्बों को ठीक किया जाता। माननीय मंत्रीजी, अभी इस वर्तमान सरकार के शासनकाल के पौने दो साल, डेढ़ साल और बाकी हैं, आप में

(डा. करण सिंह यादव)

क्षमता है, इस 1500 करोड़ रुपए का आप जो भी करें लेकिन साथ में कोई ऐसी भी योजना बनाकर लेकर आवें कि हमारी छोटी म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके लिए कोई अच्छा पैकेज हो। ऐसी आप जैसे एफिसिएंट मिनिस्टर से छोटे नगरों की, कस्बों की जो जनता है वह यह अपेक्षाएं और आंकक्षाएं रखती हैं।

मैं एकाध-दो छोटी समस्याएं अपने क्षेत्र की आपके सामने लाना चाहूंगा। हमारे अलवर जिले का पता नहीं सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है कि हमें नेशनल कैपिटल रीजन में माना जाता है। तीन साल विधायक होने के बाद में आज तक मुझे नेशनल कैपिटल रीजन में आने का अलवर जिले को या बहरोड़ को कोई लाभ मिल रहा है, यह तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उसमें जाने से हमको क्या लाभ मिला है। कोई वहां नई सुविधाएं बढ़ी हों, कोई सड़क वहां बढ़ी हों, वहां पर कोई कालेजेज बढ़े हों, वहां कोई रिहायशी कालोनीज बढ़ी हों, कैपिटल के लोग आ करके बहरोड़ में रहने लग जाएंगे, ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं है। लेकिन यह जरूर दिक्कत आती है कि अगर किसी गांव के अन्दर स्कूल के लिए, मैदान के लिए जमीन आबंटित करवाएं, चरागाह के लिए, अस्पताल के लिए, हरिजन भाइयों के सामुदायिक भवन के लिए तो घूम-फिर कर उसमें एक अड़चन आ जाती है कि साहब, यह तो नेशनल कैपिटल रीजन की है, इसको तो हम आबंटित नहीं कर सकते। यह तो मास्टर प्लान में है, वहां से नेशनल कैपिटल रीजन की जो दिल्ली में या जयपुर में बैठने वाली कमेटी है उसमें यह फाइल जाएगी और उसमें जो काम तीन महीने में होना चाहिए, साल भर में काम होता है। लैण्ड यूज चेंज करने की कमेटी में जाएगी, जो काम राजस्व विभाग कर सकता है वह राजस्व विभाग नहीं करके उसमें आपका स्वायत्त शासन विभाग और आ जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जहां तक गांवों की सार्वजनिक उपयोग की जमीन के आबंटन का मामला है, नेशनल कैपिटल रीजन के अन्दर आने के कारण से जो बाधाएं, जो एम्बारगो हम पर लगा हुआ है उससे आप हमें मुक्ति दिलवाएं।

मेरा बहरोड़ कस्बा अलवर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। अलवर यू.आई.टी. अलवर का तो विकास कर नहीं पाई, उन्होंने पता नहीं कब एक योजना बना डाली और उसे शायद नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से कोई लोन कभी पहले उठा करके रख लिया कि हम बहरोड़ में राव तुलाराम नगर नाम का कोई कस्बा बसाएंगे। अब वह 4-ए का नोटिस देकर के 26.9.2000 को इसकी भूमि अधिग्रहण की सूचना जारी कर दी। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं मंत्री महोदय कि इस प्रस्तावित भूमि पर

(डा. करण सिंह यादव)

कहीं-कहीं शत-प्रतिशत और कहीं 75 से 85 प्रतिशत आबादी बसी हुई है, वहां टेलीफोन की लाइनें डली हुई हैं, वहां सड़कें बनी हुई हैं, वहां खम्भे लगे हुए हैं, वहां पर नालियां बनी हुई हैं, म्युनिसिपैलिटी ने वहां पर जो रिहायशी लोग हैं उनको राशन कार्ड दे रखे हैं। इन खसरों पर इस जगह पर जहां पहले से आबादी बनी हुई है, अब उसके अन्दर उनको 5 से 6 के नोटिस दे करके मुआवजा के लिए बुलवाना। मेरा आपसे निवेदन है कि इस सारी योजना की आप जांच करवाएं, वहां पर पहले से आबादी बसी हुई है और इस राव तुलाराम नगर की जो योजना है उस योजना से इस जमीन के अधिग्रहण की मुक्ति दिलवाएं।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक शाहजहांपुर के अन्दर मास्टर प्लान पिछले साल तैयार किया गया। मेरे क्षेत्र के अन्दर शाहजहांपुर में लगभग पांच हजार के आसपास की आबादी है। पहले भी वहां के किसानों की जमीन रीको द्वारा अधिग्रहीत करके उसको औद्योगिक क्षेत्र मान करके औद्योगिक विनिवेश के लिए वहां पर भूमि आबंटित की गई। आज वहां के मास्टर प्लान के अन्दर आसपास के 13-14 गांवों को ले लिया। वह 13-14 गांव ऐसे हैं जहां तीन-तीन फसल होती है। सरसों बहुत अच्छी उत्पादित होती है। वहां पर उन किसानों की रोटी-रोजी का जरिया ही यही है। पहले जितनी इण्डस्ट्रीज आई, उन इण्डस्ट्रीज ने अपनी सब्सिडी ले करके सब के सब अपने दिल्ली की तरफ पार हो गये। आप अगर शाहजहांपुर के इण्डस्ट्रियल एरिया को देखे तो वहां पर एक चौकीदार और बन्द पड़े ताले लगे हुए कारखानों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और उसके अलावा आप एक और बड़ा भू-भाग लेना चाहते हैं किसानों से इस नाम के लिए कि यहां पर हम फिर औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। वह औद्योगिक क्षेत्र पुराना ही नहीं चल पा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि नगर नियोजन के जो मास्टर प्लान बने अगर उसमें कोई प्लानिंग हो तो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कोई डवलपमैंट है अगर उसमें कोई प्लानिंग है, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कोई डवलपमैंट हो, उसको देखे वरना तो यह एक साजिश सी लगने लगी कि किसानों की जमीन किसी न किसी तरीके से सस्ते दामों पर रीको और दूसरी संस्थाएं ले ले और बड़े दामों के अन्दर बेच कर उसका धन्धा करे। फिर इसी तरफ ये संस्थाएं चलती रहे और हर बार यह रिपोर्ट देती रहे कि हम बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि शाहजहांपुर की इस...(व्यवधान) मंत्री महोदय, आप जे.डी.ए. के माध्यम से और अन्य संस्थाओं के माध्यम से शहीदों के परिवारों को भूमि आबंटित करते हैं। खास तौर से मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा,

(डा. करण सिंह यादव)

कुछ ऐसे शहीदों के परिवार हैं झुंझुनूं जिले में, अलवर जिले में जिनको जयपुर की जे.डी.ए. की सीमा के अन्दर इण्डियन आयल कम्पनी ने और भारत सरकार ने मिल कर उस सैनिक की विधवा को पेट्रोल पम्प आबंटित किया है। ऐसी एप्लीकेशंस आपके जे.डी.ए. के आफिस में पैंडिंग हैं। आप दयालू हैं। आपको इस मामले में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कई सैनिकों की विधवाओं को पेट्रोल पम्प या किसी अन्य व्यवसाय के लिए कोई जमीन का आबंटन है, उनको प्राथमिकता से करवाएं। मंत्री महोदय, एक बिन्दु और आपसे निवेदन करना चाहूंगा। शिक्षण संस्थाओं के लिए आपने राजस्थान में पहले भी जमीनें दी हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : शहीदों के परिवारों को अगर कोई पेट्रोल पम्प आबंटन हुआ है और उसका प्रार्थना पत्र फैसले के लिए लम्बित है, तो एक महीने के अन्दर-अन्दर उसका फैसला कर दिया जाएगा।

डा. करण सिंह यादव : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अमीन खान (शिव) : आप तो बड़े खर्चे में आते उसका कैसे विरोध कर रहे हो। (व्यवधान) आप दिल्ली में शामिल हो गए।

डा. करण सिंह यादव : वो दिल्ली का कोई फायदा नहीं है। अगर दिल्ली की कोई सड़कें आ रही हों, दिल्ली की कालेजे जहां आ रही हों, दिल्ली से वहां कोई डवलपमैंट एक्टीविटी हो रही हो तब तो हम दिल्ली के पास में जाना चाहे...

श्री अमीन खान : धणी हो जाएंगे आप दिल्ली के।

डा. करण सिंह यादव : दिल्ली के धणी आप बनाएंगे तब बनेंगे।

श्री रतन लाल ताम्बी : जनता बनाएगी ये बनाएंगे क्या?

डा. करण सिंह यादव : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी पिछड़ी जातियां और अन्य जातियों के लोग-बाग, अन्य वर्गों के लोग-बाग अपनी लड़कियों के लिए छात्रावास या कालेजेज खोलने के लिए समय-समय पर स्थानीय निकायों को भू-आबंटन के लिए प्रार्थना करते रहे हैं और आपने बहुत सारे मामलों में सदाश्यता दिखाते हुए उनको रिजर्व प्राइजेज से 5%-10% की रेट पर भी दिया हुआ है। इस तरह की कुछ और एप्लीकेशंस अन्य निकायों की आपके स्तर पर विचाराधीन हैं, मैं चाहूंगा राजस्थान की यह सरकार जो शिक्षा के प्रति बहुत संमर्पित है। आपके कार्यकाल के अन्दर और जो पैंडिंग मामले हैं उनको त्वरित गति से निपटाया जाए, यह मेरा आपसे निवेदन है। माननीय सभापति जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री जुगल काबरा।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-29 नगरीय आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में हो रही चर्चा पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, राजस्थान संविधान के 74वें संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया उससे यह अपेक्षा की जानी लगी कि राजस्थान के नगरपालिका क्षेत्र का विकास इन स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा स्वायत्ता के आधार पर सर्वांगीण रूप से करने का प्रयास किया जाएगा, किन्तु भारतीय जनता पार्टी के शासन में नगरपालिकाओं का जो मूल स्रोत था आय का उस चुंगी की आय को समाप्त करके इन्हें राज्य सरकार पर आश्रित कर दिया गया, चुंगी का पुनर्भरण करने के बाद जो राशि उन्हें प्राप्त होती है केवल उसी राशि से नगरपालिकाएं, नगर परिषदें तथा नगर निगम अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। जो राशि निर्धारित की गयी, मान्यवर, उसकी गणना का भी कोई पुष्ट आधार नहीं रहा। कभी कहा जाता है चुंगी समाप्ति के समय पिछले तीन सालों को आधार बना करके उसका एवरेज निकाला गया। कभी कहा गया चुंगी समाप्ति के एक वर्ष पूर्व की राशि का एवरेज निकाल कर मासिक एवरेज बना कर पुरर्भरण की व्यवस्था की गयी। कभी कहा गया जिस साल चुंगी समाप्त की गयी उस साल के चार महीनों का मासिक एवरेज निकाल करके चुंगी पुनर्भरण की व्यवस्था की गयी। किन्तु यह बात तय है कि जो राशि चुंगी पुनर्भरण के रूप में दी जा रही है वह राशि नगरपालिकाओं के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह अपने कर्मचारियों की तनखाह भी उससे चुका सके।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक तरफ चुंगी की राशि समाप्त की दूसरी तरफ पांचवें वेतन आयोग का भार भी इन नगरपालिकाओं के ऊपर डाल दिया। जिसकी वजह से कर्मचारियों की तनखाह बढ़ गयी, आय के साधन नहीं बढ़े और नगरपालिकाओं, नगर निगमों और नगर परिषदों द्वारा जिस तरह से अपने क्षेत्र के अन्दर सर्वांगीण विकास की परिकल्पना की गयी थी वह परिकल्पना अधूरी रह गयी है। स्थिति यह बन गयी है केवल मात्र तनखाह चुकाने के अलावा किसी भी नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर विकास का कोई काम करने की स्थिति में ये स्वायत्तशासी निकाय नहीं रहे। बड़े शहरों की स्थिति भी कमोबेश यही रही है इसीलिए मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, सभापति महोदय, कि वे इस चुंगी पुनर्भरण की व्यवस्था पर पुनर्विचार करें और इन नगरपालिकाओं

(श्री जुगल काबरा)

और स्वायत्तशासी निकायों को कुछ अधिकार दें कि वे अपने क्षेत्राधिकार में कुछ करारोपण कर सके। कुछ जिंसों के ऊपर प्रवेश कर लगा सके ताकि वे अपनी आय के स्रोत को बढ़ा सके। आपने उनकी आय के स्रोत को तो सीमित कर दिया और अब आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे अपने क्षेत्र का विकास करें। यह किस तरह से सम्भव होगा इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कुछ जिंसों के ऊपर चाहे पेट्रोल, डीजल, तम्बाकू, शराब इस तरह के जो आइटम हैं, जिनके ऊपर आसानी से नगरपालिका क्षेत्रों के अन्दर प्रवेश कर लगाया जा सकता है, अतः नगरपालिकाओं को इजाजत दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी आय के स्रोत को बढ़ा सकें।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, एक मिनट। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिका और नगर परिषदों को मनोरंजन टैक्स मिलता था लेकिन पिछले काफी समय से मनोरंजन टैक्स भी नहीं दिया जा रहा है। कृपया आप यह तो व्यवस्था करें, जो पहले मिल रहा था उसको तो कम से कम आप माननीय वित्त मंत्री से बात करके वो तो वापस दिलवाने की व्यवस्था करें ताकि कुछ तो आधार बने।

श्री जुगल काबरा : सभापति महोदय, इन स्वायत्तशासी निकायों की आर्थिक स्थिति देखिए...

श्री राजेन्द्र पारीक : ...(व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी। माननीय सदस्य भी यही चाहे रहे हैं और मनोरंजन टैक्स नगरपालिकाओं को मिलता था अब कुछ समय से बन्द है। चुंगी भी बन्द हो गयी। चुंगी तो इसलिए बन्द कर गए कि वो तो भागती हुई फौजें थीं, उनको तो पीछे से यही करके जाना था।

श्री सभापति : कितनी दफा कहने से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपने महत्वपूर्ण बता दिया, माननीय सदस्य ने कह दिया। अब कितनी दफा कहने से महत्वपूर्ण होगा यह?

श्री राजेन्द्र पारीक : जितनी दफा में माननीय मंत्रीजी राजी हो जाएं।

श्री जुगल काबरा : सभापति महोदय, यह बात सही है कि मनोरंजन कर की राशि राज्य सरकार द्वारा नगरपालिकाओं को, नगर निगमों को, नगर परिषदों को स्थानान्तरित की जाती थी। पिछले लम्बे समय से यह राशि नहीं दी जा रही है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी और वित्त मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस मामले में गौर करें और स्वायत्तशासी निकायों को उनका जो पूरा हिस्सा पूर्व में मिलता था वो हिस्सा दिया जाए।

(श्री जुगल काबरा)

मान्यवर, यह हम सभी लोग जानते हैं कि आज प्रदेश की एक चौथाई आबादी लगभग नगरीय क्षेत्रों के अन्दर निवास कर रही है। तीन चौथाई आबादी ग्रामीण इलाकों में रह रही है। ग्रामीण विकास की व्यवस्था के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार समय-समय पर कई योजनाएं क्रियान्वित करती रही हैं। अतः ग्रामीण विकास की तरफ भी पर्याप्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

मैं मुख्य मंत्रीजी तथा स्वायत्तशासी मंत्रीजी को, बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने नगरीय सीमा में रहने वाले लोगों की पीड़ा को समझा और यह प्रयास किया गया कि नगरीय क्षेत्रों के अन्दर भी विकास की गति को बढ़ाया जाए और इसके लिए ''प्रशासन शहरों के संग'' कार्यक्रम चलाया गया ताकि नगरीय क्षेत्रों के अन्दर रहने वाले निवासियों की समस्याओं का निराकरण हो सके, इन क्षेत्रों के अन्दर विकास के काम हो सके और साथ ही साथ जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सके।

मान्यवर, प्रशासन शहरों का अभियान एक अभिनव अभियान था, जिसके माध्यम से यह प्रयास किया गया कि आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए और इससे यह सम्भव हो सका कि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा जो पैसा मिल रहा है, राज्य सरकार के दूसरे वित्त आयोग द्वारा जो राशि आबंटित की गई, अन्य साधनों से इन पालिकाओं और स्वायत्तशासी निकायों को धन प्रदान किया गया, उस राशि के माध्यम से ही यह कोशिश की गई कि नगरपालिकाओं के अन्दर ''प्रशासन शहरों के संग'' अभियान द्वारा विकास के काम किए जाएं।

कस्बों की सड़कों के ऊपर अतिक्रमण हो गए थे, सड़कें टूटी-फूटी थीं और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन सारे मामलों के अन्दर राज्य सरकार के प्रयास करके यह कोशिश की कि उच्च स्तर से लेकर नीचे के स्तर तक पूरी संवेदनशीलता के साथ इस अभियान को पूरी जिम्मेदारी के साथ चलाया जाए। प्रभारी मंत्री को निर्देश दिया गया कि वह स्वयं अभियान के दौरान उपस्थित रहे, स्वयं जाकर अभियान की शुरूआत करें और जिला कलक्टर को यह निर्देश दिया गया कि वह पूरे अभियान की निगरानी रखें। राज्य सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को इन शिविरों का प्रभारी बनाया। साथ ही साथ राज्य सरकार के सचिव स्तर के आई.ए.एस. कैडर के अधिकारी इन अभियानों के दौरान जाकर इन शिविरों की देखरेख करते रहे, जिसकी वजह से गांवों के अन्दर, नगरपालिकाओं के क्षेत्रों के अन्दर शहरी परिषदों के अन्दर व नगर निगमों के क्षेत्रों के अन्दर बहुत बड़ा विकास का काम किया जा सका।

(श्री जुगल काबरा)

मान्यवर, 18 विभागों को एक साथ इन शिविरों के अन्दर एकत्रित करके यह प्रयास किया गया कि आम जनता की जो समस्याएं थीं, उनको समस्याओं के निराकरण के अन्दर मदद दी जा सके। चाहे किसी भी तरह के उनको सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता हो, चाहे जाति सूचक प्रमाण पत्र की बात हो, चाहे विकलांगता के प्रमाण पत्र की बात हो, चाहे अन्य किसी तरह का प्रमाण पत्र दिए जाने की बात हो, चाहे बी.पी.एल. लोगों के राशन कार्ड बनाने की बात हो, चाहे जो लोग मैडिकेयर हैल्प लेना चाहते थे, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से सहायता लेना चाहते थे, इसमें सभी तरह के लोगों के आवेदन पत्र एकत्रित किए गए। सुबह 9 बजे से लेकर रात्रिकालीन 6 बजे तक ही नहीं बल्कि 9-10 बजे तक इस तरह के शिविरों के अन्दर बैठकर यह प्रयास किया गया कि इन सारी समस्याओं का निराकरण करें।

इन शिविरों के दौरान, जो लोग लम्बे समय से कच्ची बस्तियों के अन्दर रह रहे थे उन बस्तियों के नियमन का काम भी किया गया। जो लोग इन झोपड़ों में रहते थे उनके ऊपर पिछले लम्बे समय से तलवार लटकी हुई थी कि कब आकर हमारा झोंपड़ा हटा दिया जाएगा, कब हमारा मकान गिरा दिया जाएगा, इन सारी बातों के लिए राज्य सरकार ने निर्देशित किया कि 15 अगस्त, 1998 के पहले जो व्यक्ति किसी कच्ची बस्ती के अन्दर निवास करता था, उस बस्ती के मकान में रहने वाले व्यक्ति के कब्जे का नियमन कर दिया जाए। यह कांग्रेस की सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने कांग्रेस के घोषणा पत्र के अन्दर जारी किया था कि जो लोग 15 अगस्त, 1998 के पहले इन बस्तियों के अन्दर रह रहे हैं उन व्यक्तियों के कब्जों का नियमन कर दिया जाए। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के अन्दर भी इस तरह की बात कही गई थी। कई दफा आवेदन पत्र लिए गए थे। 5 रुपए, 10 रुपए की फीस से लोगों से आवेदन पत्र एकत्रित किए गए थे। लाखों रुपए एकत्रित किए गए थे, किन्तु किसी भी व्यक्ति का नियमन नहीं किया गया।

माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने एक फैसला लिया कि हमने जो कोई भी वायदा किया है, उस वायदे की पूरी तरह से क्रियान्विति करेंगे और पूरे राजस्थान के, हरेक नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर, नगर परिषद् क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में उन तमाम कच्ची बस्तियों के नियमन की व्यवस्था की गई जिन बस्तियों के अन्दर 15 अगस्त, 1998 से वाशिंदें रह रहे थे। इस तरह से बहुत बड़ी संख्या के अन्दर लोगों को राहत मिली।

(श्री जुगल काबरा)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस नियमन के माध्यम से जो अधिकार पत्र दिया गया उसके अन्दर पति और पत्नी दोनों के फोटो चिपकाए गए ताकि उसके ऊपर दोनों का अधिकार रहे। किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं रहे, वह उसको बेचने की स्थिति में नहीं रहे। इस तरह का एक नायाब अधिकार पत्र देकर उन्होंने यह प्रयास किया कि पति-पत्नी दोनों को, साझेदारी के अन्दर इस नियमन का अधिकार पत्र दिया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कुछ शब्द आज की मांग पर भी कह दीजिए। साथ ही आज वाली मांग को भी ले लीजिए। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : सभापति महोदय, मैं तो नगरीय विकास के बारे में ही बात कर रहा हूं। मान्यवर, कच्ची बस्तियों के नियमन के अन्दर एक लेकूना रह गया है। सन् 1984 में जो कच्ची बस्तियां नियमित कर दी गई थीं, पार्टली आधी अधूरी, उनमें से कुछ बस्तियां बाकी रह गई थीं, कुछ लोगों के नियमन किसी कारणवश नहीं हो सके थे। उन लोगों के नियमन करने की बात आई उस समय वन विभाग ने वहां पर अडंगा लगा दिया। सन् 1992 में भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान वन विभाग ने अधिसूचनाएं जारी करके कुछ क्षेत्रों को वन विभाग का क्षेत्र घोषित कर दिया, जबकि वहां पर वर्षों से कच्ची बस्तियां बसी हुई थीं। भारतीय जनता पार्टी के राज में इन गरीब लोगों के साथ अन्याय किया गया, शोषण किया गया, जिस तरह से लोगों के बीच अडंगा लगाया गया इसलिए मैं माननीय स्वायत्तशासी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह वन मंत्री महोदय से सम्पर्क करके भारत सरकार के वन विभाग से, इन बस्तियों को वन क्षेत्र से बाहर निकालने की व्यवस्था कराएं क्योंकि यह बस्तियां 20-30 साल से बसी हुई हैं। वहां किसी तरह का कोई वन नहीं है। वहां काफी इलाके के अन्दर लोग रह रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की बस्तियों को आप वन क्षेत्र से निकाल कर इन लोगों को भी नियमन का लाभ देकर पूरी तरह से इनको लाभान्वित करें।

मान्यवर, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इन बस्तियों के नियमन में सरकारी कर्मचारियों की बात कही। यह बहुत वाजिब बात थी। आपने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तो कच्ची बस्तियों के नियमन के लिए इजाजत दे दी किन्तु जो दूसरे सरकारी कर्मचारी हैं, अराजपत्रित दूसरे कर्मचारी हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोग जो बहुत पहले से 15,18,20 साल से, नौकरी में आने से पहले जो लोग इन

(श्री जुगल काबरा)

बस्तियों में बसे हुए थे और बाद में वह नौकरी में चले गए, उन लोगों के मकानों के लिए भी आप नियमन के आदेश जारी करें। जो बहुत बड़े अफसर हैं, बहुत अच्छी तनखाह पाने वाले लोग हैं, उन लोगों का भले ही नियमन नहीं करें किन्तु जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं उन लोगों के मकानों के नियमन का तो कम से कम आदेश जारी करें ताकि इन लोगों को भी राहत मिल सके।

मान्यवर, आपने कृषि भूमि के रूपान्तरण का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसके माध्यम से बहुत बड़े इलाकों के अन्दर, कृषि भूमि के ऊपर जो लोग मकान बना चुके थे, उन लोगों का नियमन हो गया और इससे इन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली। साथ ही साथ नगरपालिकाओं तथा अन्य स्वायत्तशासी निकायों को इस नियमन के द्वारा रूपान्तरण के द्वारा बहुत बड़ी आय प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण वह अपने क्षेत्र का विकास करने की स्थिति में आ सके हैं।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने सभी नगरपालिका क्षेत्रों के अन्दर समझौता समितियों का गठन किया है ताकि जो वाद न्यायालयों में लम्बे समय से लम्बित पड़े हुए थे, उन वादों को निस्तारण किया जा सके। सभापति महोदय, इसमें राज्य सरकार ने कोशिश की कि इसके अन्दर केवल एक पक्ष ही शामिल नहीं रहे, बल्कि प्रतिपक्ष के नेता को भी इस समिति का सदस्य बनाया गया ताकि सामूहिक रूप से निर्णय लिया जा सके और जन प्रतिनिधि बैठकर उस बात का सही तरीके से निस्तारण कर सकें। इस तरह की व्यवस्था से भी कई इलाकों के अन्दर पिछले लम्बे समय से जो वाद लम्बित पड़े हुए थे उनका निपटारा हो सका, चाहे लीज का मामला हो, चाहे नक्शे पास करने की बात हो, चाहे भूमि के ऊपर अतिक्रमण का मामला हो, इस तरह का कार्य बहुत ही सही तरीके से इन समझौता समितियों के माध्यम से निष्पादित किया गया।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा आज पूरे प्रदेश के अन्दर सफाई की समस्या एक गम्भीर समस्या है। चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह सफाई को ले करके सभी तरफ आम आदमी चिन्तित है। इससे कई तरह की बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है इसमें आवश्यकता इस बात की है कि ठोस कचरा प्रबन्धन के द्वारा यह व्यवस्था की जाए कि शहरों और नगरों की सफाई के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर भी सफाई का व्यापक प्रबन्धन किया जाए और शहरों का कचरा गांवों में ले जा करके नहीं डाला जाए। इस तरह की व्यवस्था हो। इस कचरे का उपयोग करके, इसके द्वारा चाहे खाद बनायी जाए, बिजली उत्पादन की व्यवस्था की जाए या अन्य कोई

(श्री जुगल काबरा)

रासायनिक प्रयोग किया जाए ताकि यह कचरा किसी भी तरह से बीमारी का कारण न बने और साथ ही शहरी क्षेत्रों के अन्दर कचरा उठाने की भी सही तरह की व्यवस्था की जाए। 11वें वित्त आयोग द्वारा भारत सरकार ने ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए आर्थिक धनराशि की व्यवस्था की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस तरह के उपकरण खरीद करके ये प्रयास किये जाने चाहिए कि हम शहरों को गंदगी से मुक्त कर यह प्रयास करें कि हमारे शहर स्वच्छ हो सकें।

मान्यवर, आर्थिक दृष्टि से कमजोर निकायों के लिए राजस्थान नगरीय पुनः नवीनीकरण कोष की स्थापना का जो आपने निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य कदम है और इससे जो कमजोर नगरपालिकाएं आर्थिक दृष्टि से हैं वे भी अपना विकास कर सकेंगी। मान्यवर, मुख्य मंत्री रोजगार योजना आपने चलायी है इसकी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा और छोटे-छोटे इलाकों के अन्दर जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनको कियोस्क आबंटित करके आपने रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का जो प्रयास किया है वह निश्चय की सराहनीय है और इससे बहुत बड़ी संख्या के अन्दर लोगों को लाभ मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो कियोस्क बनाए गए हैं उसकी साइज के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने आपसे अनुरोध किया है। मैं भी यह चाहूंगा कि इसको सही तरीके से, क्योंकि आपने इसके अन्दर संशोधित साइज बनायी है, ज्यादातर उसी तरह के साइज बनाएं ताकि आम आदमी इसके अन्दर अपना रोजगार कर सके।

मान्यवर, आज भी प्रदेश के अन्दर कई ऐसे इलाके हैं जहां स्वच्छकार मैला ढोने के लिये मजबूर हैं। राजस्थान के ऐसे इलाकों के लिए अल्प लागत शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए और जल प्रवाह के शौचालयों के अन्दर इन शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने की योजना बनायी जानी चाहिए। राज्य सरकार को अपने कोष से इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि जहां कहीं, जिस किसी भी कस्बे के अन्दर इस तरह के शौचालय हैं, इन शौचालयों को अविलम्ब जल प्रवाह शौचालयों में परिवर्तित करने के लिए नगरपालिकाओं को धनराशि आबंटित करनी चाहिए ताकि यह जो कलंक है हमारे प्रदेश और देश के ऊपर उस कलंक से हम अपने आपको मुक्त कर सकें।

मान्यवर, ''अपना घर योजना'' तथा ''वाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना'' के माध्यम से आपने आम जनता को आवास उपलब्ध कराने की जो योजना बनायी है उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी अपना 5 हजार रुपए का अंश दे करके 25 हजार रुपए का

(श्री जुगल काबरा)

ऋण प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही 10 हजार रुपए उसे अनुदान के रूप में प्राप्त होंगे। इस तरह से वह अपने मकान का मालिक बन सकेगा और साथ ''वाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना'' के द्वारा भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट के लिए 10 हजार रुपए की राशि भी नगरपालिकाओं के माध्यम से खर्च करने की व्यवस्था की है। साथ ही हुडको के द्वारा दी गयी इस राशि में 50 प्रतिशत ऋण और 50 प्रतिशत अनुदान की जो व्यवस्था की है उससे भी बड़ी संख्या में लोग अपने आवास के मालिक बन सकेंगे।

माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो कच्ची बस्तियों के लिए आपने और सरकार ने यह घोषणा की थी, मंत्री महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं जरा मेरी तरफ गौर कीजिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : मंत्री महोदय, हमारे जोधपुर जिले के लिए बोल रहे हैं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री जुगल काबरा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने घोषणा की थी कि 15 अगस्त, 1998 के पहले की जो बस्तियां बसी हैं उनका नियमन कर दिया जाएगा। उसके बाद में किसी भी बस्ती को बसने नहीं दिया जाएगा। आज तक यह प्रयास जारी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे नगर विकास न्यास हों, चाहे नगरपालिकाएं हों, चाहे नगर निगम हों, आप अपने अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि अब आगे से भविष्य में इस तरह की कोई कच्ची बस्ती और न बसें और हमारी ''अपना घर योजना'' और ''वाल्मीकी अम्बेडकर आवास योजना'' है इसके माध्यम से लोगों को आवास आबंटित कीजिए या फिर आप अपने इस स्वायत्तशासी निकायों को निर्देश दीजिए कि हर इलाके के अन्दर 2 हजार, 4 हजार, 5 हजार, छोटे साइज के प्लाट काटें। 10 रुपए गज के अन्दर आप उनको भूमि आबंटित कर दीजिए ताकि पहाड़ों के ऊपर और अन्य ऐसी जगहों पर लोग जा करके कच्ची बस्तियां न बनाएं जहां आपको विकास के लिए बड़ी संख्या के अन्दर काम करना पड़ता है और बड़ी धन राशि खर्च करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। बड़ी धन राशि खर्च करनी पड़ती है, तो मैं आशा करता हूं कि इस बारे में भी आप निश्चित तौर पर कुछ कार्यवाही करेंगे।

मान्यवर, राष्ट्रीय गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम के माध्यम से जो तंग बस्तियां हैं जहां कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, जहां गरीब तबके के लोग रहते हैं, जहां अल्प संख्यक भाई के लोग रहते हैं ऐसी

(श्री जुगल काबरा)

बस्तियों के अन्दर भी विकास को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में भी आप कोई योजना बना करके तमाम नगरपालिकाओं को इसके लिए निर्देशित करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री जुगल काबरा : दो मिनट में कर रहा हूं।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एशियन डवलपमैंट बैंक के माध्यम से आपने राजस्थान के पर्यटन विकास के लिए बहुत बड़ी योजना बनायी है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि मेरे अन्य साथी सदस्यों ने यह आशंका जाहिर की थी कि यह योजना समयावधि में पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको समयबद्ध तरीके से, टाइम बाउण्ड प्रोग्राम के जरिए इस योजना को पूरा करने की आप व्यवस्था करें ताकि इसके माध्यम से जो यातायात के अन्दर सुधार की व्यवस्था कर रहे हैं, सड़कों का आप निर्माण करने की व्यवस्था कर रहे हैं, पुल, फ्लाई ओवर और आर.ओ.बी. बना रहे हैं, पेयजल समृद्धि के लिये आप व्यवस्था कर रहे हैं, सीवर लाइन की व्यवस्था कर रहे हैं, नाले-नालियों के निर्माण की व्यवस्था कर रहे हैं, कच्ची बस्तियों के विकास की योजनाएं प्रारम्भ करने की सोच रहे हैं, सफाई की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ठोस कचरा प्रबन्धन की व्यवस्था कर रहे हैं, अग्नि शमन की व्यवस्था कर रहे हैं, पर्यावरण सुधार तथा प्रदूषण निराकरण की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही इन नगरों के अन्दर आप सम्भागीय मुख्यालय के शहरों के अन्दर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी धनराशि आबंटित कर रहे हैं और साथ ही साथ उन 4 पर्यटन शहरों के लिए भी आपने व्यवस्था की है इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। जैसलमेर, माउण्ट आबू, पुष्कर और सवाईमाधोपुर, इन 4 पर्यटक शहरों के लिए भी आपने एशियन डवलपमैंट प्रोजेक्ट के माध्यम से डवलपमैंट का काम हाथ में लेने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं कि जहां इन शहरों के अन्दर ढांचागत...

डा. करण सिंह यादव : मंत्री महोदय, अलवर भी पर्यटन का हमारा बहुत बड़ा केन्द्र है।

एक माननीय सदस्य : बहरोड़ ले लेंगे।

डा. करण सिंह यादव : बहरोड़ मत लो। साहब, अलवर ले लो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : पर्यटन विभाग को सूचित कर दें।

डा. करण सिंह यादव : टूरिज्म के मार्फत आएं, आप सीधे प्रार्थना सुन लें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए, कर दिया न आपने।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : मंत्री महोदय, बूंदी जिले को भूल जाते हैं जबकि आप बूंदी जिले से चुनाव भी लड़े हैं। सारी बात है उसके बाद भी...अच्छा आप जब कोटा पधारते हैं तब बिना बूंदी के...

मोहम्मद माहिर आजाद : ममताजी, अब तो बूंदी नहीं आएंगे, अब बारां जाएंगे। ये बूंदी को भूल गये, अब बारां जाएंगे।

श्रीमती ममता शर्मा : नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो जहां से लड़ा था, वहीं से लड़ेगा। हम इतने काम कर रहे हैं। हमें कोई अपनी हार का शक–सुबहा नहीं है, हम जीतेंगे आराम से।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री जुगल काबरा : माननीय सभापति महोदय, एशियन डवलपमैंट बैंक का प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इस प्रदेश के 10 शहरों के अन्दर ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकेंगी। मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी और हमारे देश और बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं उन लोगों को यहां आकर्षित करने की हम व्यवस्था कर सकेंगे तो उससे न केवल हमारा पर्यटक उद्योग बढ़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और इसके साथ ही इन इलाकों के अन्दर रहने वाले निवासियों को भी आम सुविधाएं उपलब्ध कराने में हम लोग...

श्री सभापति : बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री जुगल काबरा : दो मिनट। मान्यवर, मैं कुछ बातें अपने क्षेत्र के बारे में माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जोधपुर में एशियन डवलपमैंट बैंक का प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने का निर्णय किया। आपने आ करके बैठक भी ली। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समयबद्ध तरीके से इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करने की कोशिश करें और अभी पूर्व में जो चर्चाएं चल रही थीं, मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान आवासन मण्डल के अध्यक्षजी के बारे में इस सदन के अन्दर चर्चाएं की गयीं कि वे नगर विकास न्यास, जोधपुर के जब अध्यक्ष थे तब उनके ऊपर किसी तरह के कोई आरोप लगे थे और उन आरोपों की लोकायुक्त से जांच करवायी गयी थी। उनकी जांच के ऊपर एफ.आर. भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगी, जब भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे फाइल के ऊपर नोटिंग है किन्तु मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन को गलत सूचना दी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य क्यों कंट्रोवर्सी में जा रहे हो? जब बात खतम हो गई उसको क्यों कह रहे हो?

श्री जुगल काबरा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपनी त्रुटि को सुधार लें, भैरोंसिंहजी के राज में, भैरोंसिंहजी के मुख्य मंत्रीकाल में यह फैसला किया गया था। माननीय अशोकजी गहलोत के मुख्य मंत्री बनने के बाद इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस त्रुटि को मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य सुधार लें।

श्री सभापति : माननीय मोहम्मद माहिरजी आजाद। आप बिराजिए।

श्री जुगल काबरा : आप कागज देख लीजिए, मैंने भी कागजों के बारे में पूरी जानकारी की है। इसी तरह से अन्य जो इन्होंने आरोप लगाए पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसी तरह से कोई भी सीट खाली करने के लिए कोई रियायत नहीं दी है, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। इनके दिमाग में यह जो गलत भावना पैदा हो गई है, मैं चाहूंगा कि वह इस भावना से अपने आपको दूर कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : सभापति महोदय, यह सदन आज मांग संख्या-29, नगरीय विकास पर विचार कर रहा है, मैं भी इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले तो आपको राजस्थान की नगरपालिकाओं की, खास करके जो 4 और 3 कैटेगरी की नगरपालिकाएं हैं उनकी चुंगी समाप्त करने के बाद जो दयनीय आर्थिक स्थिति हो गई और उसके कारण जो सार्वजनिक हित के कार्य थे, अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया हर जगह नगरपालिकाएं प्यासे आदमियों को पानी पिलाने का काम करती है। बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है हर धर्म में, इसके लिए प्याऊ लगाया करती थीं और जो स्ट्रीट लाइटें थीं उसका भुगतान नगरपालिकाएं करती थीं। सभापति महोदय, आज स्थिति यह हो गई कि राजस्थान की सारी नगरपालिकाओं में आर्थिक संकट के चलते वह अंधकार में डूब गईं। वहां न स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है न जो दूसरे सार्वजनिक हित के काम होते थे वह हो रहे हैं। पिछली बार यहां यह आश्वासन दिया गया था कि हम कुछ चूनिंदा चीजों पर प्रवेश कर लगाने का विचार कर रहे हैं ताकि इन नगरपालिकाओं की माली हालत में सुधार किया जा सके। लेकिन न पिछले साल कुछ हुआ और न ही इस साल के बजट में आपने इसका कोई प्रावधान रखा है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन

(मोहम्मद माहिर आजाद)

नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के क्षेत्र में आप कुछ काम कीजिए।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात हालांकि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात का जिक्र किया है लेकिन मैं भी आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि आपने जयपुर शहर को ...(व्यवधान) यह साहब पीछे बैठे बैठे बोल रहे हैं, राधेश्यामजी को इनकी सीट पर भेजा जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं माननीय सदस्य को यह कह रहा था कि यह रामबाण औषधि है, जहां मर्जी आए वहां इस्तेमाल करो, चाहे कोई सा भी फील्ड हो उसमें आपकी उपयोगिता जरूर है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं औषधि हूं, मुझे आप लोगों को खिलाना चाहते हैं, कमाल की बात कर दी। मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि जयपुर शहर जिसका अपना एक इतिहास रहा है, जो पिंक सिटी के रूप में पिछले कुछ सालों में परिवर्तित हो गया था। आपने वहां विकास की चकाचौंध करके लो लाइटें जगमगाई, हालांकि कहते तो थे बिहार के मुख्य मंत्री लालू प्रसादजी यादव की, मैं बिहार में हेमामालनी के गालों जैसी सड़कें बना दूंगा। पता नहीं बिहार में तो बनी या नहीं बनी लेकिन आपने जयपुर में, खास कर यह जनपथ जो विधान सभा से और सचिवालय और राजमन्दिर से आगे का जो रोड है, आपके एयरपोर्ट से आने वाला और यूनिवर्सिटी से आगे वाला जो रोड है, इस रोड पर जब आते हैं तो यह लगता ही नहीं कि हम उस पुराने जयपुर में चल रहे हैं। कभी बैंगलोर की कल्पना करते हैं, कभी पैरिस की और कभी लंदन की कभी स्टाकहोम की कल्पना करते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन आपने ए.डी.बी. से जो भारी भरकम ब्याज दर पर लोन लेकर जहां यह कहीं अच्छे काम किए हैं वहीं कई आपने इसमें Excess of everything is bad. आपने नेहरू बाजार में जो टाइल्स बिछवाई, बापू बाजार में और नेहरू बाजार में एयर कंडीशनर लैट्रिन बाथरूम बनाया, सभापति महोदय, क्योंकि माननीय धारीवालजी की और वित्त मंत्रीजी की पत्नियां वहां साड़ी खरीदने जाती हैं इसलिए उसका लाभ उनको मिले इसलिए किया है। आपने लोगों की गाढ़ी कमाई को इतने भारी ब्याज पर पैसा लेकर जो आपने एक्सेस खर्च किया है, गलत खर्च किया है। यह ठीक नहीं किया है।

श्री जुगल काबरा : माहिर साहब, यह ए.डी.बी. के पैसे से नहीं बना है। जे.डी.ए. ने बनवाया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : जे.डी.ए. ने नहीं, जयपुर को और 6 शहरों को सौंदर्यीकरण करने का जो काम चल रहा है...

श्री जुगल काबरा : अभी तक ए.डी.बी. का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : पैसा तो आ गया उसमें से ही ट्रांसफर करेंगे, उसमें से ही खर्च करेंगे। काहे में से ही करो पैसा तो राजस्थान का ही है फिर इसमें कहां दिक्कत आ रही है आपको। आपने यह किया वह बात ठीक है लेकिन आपने यह मालवीय नगर वाला ओवर ब्रिज बनाया...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, आप तो मात्र इतना बताएं कि आप सौन्दर्यीकरण का विश्वास रखते हैं या नहीं रखते?

मोहम्मद माहिर आजाद : सभी करते हैं इसमें तो।

श्री राजेन्द्र पारीक : जब रखते हैं, तो फिर बीच में एतराज कैसा?

मोहम्मद माहिर आजाद : लेकिन जहां जरूरत हो। क्या गांवों में आदमी नहीं रह रहे हैं क्या वहां ढांढे रह रहे हैं क्या सारे आदमी यहीं रह रहे हैं?

श्री राजेन्द्र पारीक : जरूरत की बात छोड़िए, आपको जरूरत है कि नहीं सौन्दर्यीकरण की?

मोहम्मद माहिर आजाद : मुझे जरूरत है या नहीं है वह मैं आपको अलग से बता दूंगा। माननीय सभापति महोदय, अभी तो मैं आपके जरिए अपनी बात कह रहा हूं। सभापति महोदय, गोपालपुरा बाई पास के ऊपर आपने फ्लाई ओवर बना दिया, इसके आगे सांगानेर में बना दिया। अशोक तंवरजी आपके पास बैठे हैं, इनको और इन्दिरा मायारामजी को खुश करने के लिए आप चौखी ढाणी के रेलवे क्रासिंग के ऊपर भी ओवर ब्रिज बनाने जा रहे हैं।

श्री अशोक तंवर : आपका फार्म हाउस भी तो है वहां पर।

मोहम्मद माहिर आजाद : आखिर आप जयपुर में कितने ओवर ब्रिज बनाना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैंने पहले भी यह बात कही थी कि एक परसेंट में तो बाजार में साहूकारी का पैसा मिल जाता है और आप साढ़े 13 परसेंट पर ए.डी.बी. से लोन ले रहे हो। मुझे कहते मैं आपको इससे कम पर दिलवा देता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोन आप ले रहे हो, खर्च आप कर रहे हो, मजे आप ले रहे हो और उसकी अदायगी शुरू होगी सन् 2004 में जब आपकी सरकार का शासनकाल खतम हो जाएगा और हमारे पास बागडोर होगी तब हम चुकाएंगे यह कर्जा। आपको उतने टाइम के लिए कर्जा लेना चाहिए था जिसको आप अपने कार्यकाल में ही चुका देते।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, यह +++ हैं और यह आप न ही देखें तो अच्छे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप और मैं तो साथ शामिल होंगे, आप कहां बात कर रहे हो। पारीक साहब, मेरे साथ शामिल नहीं हो सकते।

श्री राजेन्द्र पारीक : सौन्दर्यीकरण हो रहा है उसका आनन्द लो आप। और +++ न देखो यह मेरी नेक सलाह है आपको।

श्री जुगल काबरा : राजेन्द्रजी, माहिर साहब आपके साथ आने वाले हैं। यह आपके साथ आने वाले हैं, 153 से 154 होंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसीलिए सीकर को मंत्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। देखो आप, जोधपुर के लोगों की समझ 5-5 मंत्री, मुख्य मंत्री भी जोधपुर के इसलिए कुछ राजनीतिक बुद्धि रखो, पारीक साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, मैं तो इसमें विश्वास रखता हूं कि सौन्दर्यीकरण से जो भी लाभान्वित हो रहा है वह अच्छा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपसे निवेदन कर रहा था आपने जयपुर में आपरेशन पिंक चलाया, अतिक्रमण हटाया। आपने पूरे राजस्थान में यह अभियान चला रखा है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए आपने क्या कोई क्राइटेरिया बनाया है कि कहां रोड से कितने फीट छोड़कर लिया जाएगा? 70 लेंगे कि 100 लेंगे कि 50 लेंगे या कहीं आपका मकान आ जाए, मेरा आ जाए, किसी राजनेता या अधिकारी का आ जाए तो वहां कम हो जाए और जहां आम जनता का आ जाए वहां ज्यादा हो जाए। इसके लिए क्या आपने कोई पालिसी बनायी है कि वहां क्या अतिक्रमण होगा? आज अभी मैं जब यहां आ रहा था मेरे पास भरतपुर से फैक्स आया कि कुम्हेर के एक क्षेत्र में 34 दुकानें मैदान में बदली। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्वर्गीय मास्टर आदित्येन्द्र के टाइम की दुकानें बनी हुई थी, खादी समिति की 61 दुकानें मैदान में तब्दील। आप करना क्या चाहते है? आप सड़कों को चौड़ा कीजिए, रास्तों को आकर्षक बनाएं। तीन चीजें होती हैं एक-अतिक्रमण जो सरकारी भूमि पर हो उसको आपको हटाने का अधिकार है। दूसरा, अन-अथरोइज्ड कंस्ट्रक्शन है, उसको नोटिस देकर आप रेगुलराइज करें चाहे उसको तोड़ें। लेकिन आप कहीं भी एक फार्मूला तो रखेंगे, चाकसू में कितने फीट रोड से रखेंगे, नगर में कितना रखेंगे, कुम्हेर में कितना रखेंगे, भरतपुर में कितना रखेंगे या आपने यह

(16.00 बजे)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

तय किया हो कि... ए कैटेगरी में क्या हुआ, बी में क्या हुआ, सी में क्या हुआ, कोई एक फार्मूला आपने क्या तय किया है? कृपया आप, उसको बताने का कष्ट करें।

जयपुर में अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। मैंने, माननीय सभापति महोदय, आज तो माननीय मुख्य मंत्रीजी गुवाहाटी में हैं और जिस रोज आपको जयपुर के इस अतिक्रमण का मौका दिखाया था उस रोज आप भी गुवाहाटी जा रहे थे। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह उप शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, 28.11.2000 को नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इन्होंने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में विषय है- जांच रिपोर्ट बाबत पत्रावली संख्या 58/2042, सीमा शरण, दिनांक 20.6.1986, श्री दिलदार खां को सार्वजनिक भूमि चौक अनियमित व अवैधानिक तरीके से नगर निगम द्वारा बेच दिये जाने की जांच और इस प्रकरण को पांच दिन के अन्दर हटाकर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, यह सार्वजनिक चौक जो लोगों की मौत-मयत, शादी-ब्याह में, आवागमन में काम आता था और पूरे नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में यह प्रस्ताव पारित कर लिया गया कि इस सार्वजनिक चौक का बेचान नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी इस जमीन को नगर निगम के अधिकारियों ने मिलकर बेचान कर दिया। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप स्वयं मौका देख कर आएं, आपने अपने अतिरिक्त निदेशक से मौका दिखा लिया, आपने आयुक्त, सतर्कता से मौका दिखा लिया। दोनों ने जांच कर आपको रिपोर्ट भेज दी कि यह अवैधानिक बेचान इसका किया गया है। वह बेचान का अधिकारियों को आप नोटिस दे रहे हो कि इसको आप पांच दिन में तोड़ दो और आपके अधिकारी जाकर उस अतिक्रमी को कह रहे हैं कि आपके तोड़ने की कार्यवाही होने वाली है। आप कोर्ट से जाकर स्टे ले आओ और आपके तोड़ने के नोटिस देने के 20 दिन बाद वह कोर्ट से स्टे लेकर आए।

माननीय सभापति महोदय, मैं न्यायालय के स्टे के ऊपर नहीं जाना चाहता। जब न्यायालय से स्टे हट जाए तो आप तब उसको तोड़ दें। जो आप चाहे जो करें लेकिन आपके जिन अधिकारियों ने नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में लिए गये प्रस्ताव के बाद उस सार्वजनिक जमीन को बेचने का काम किया और जांच में आपके पास यह रिपोर्ट आ गई कि यह अवैधानिक काम किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने आपकी पत्रावली संख्या 58/2042 पर इस पर आज तक क्या कार्यवाही की? आज तक उन अधिकारियों के खिलाफ,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जिनके खिलाफ आपकी जांच रिपोर्ट आ गई कि इनके खिलाफ 16 सी.सी., 17 सी.सी. की कार्यवाही करें, इनको निलम्बित करें, कार्यवाही करें, आज तक आपने क्या कोई कार्यवाही की है? कृपया आप अपने उत्तर में इसको बताने का कष्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं जयपुर से मुताल्लिक एक बात आपसे और कहना चाहता हूं कि हाउस टैक्स वसूल करने का आपको कांस्टीट्यूशनल राइट है। अगर आप हाउस टैक्स वसूल नहीं करेंगे तो नगर निगम के और आपके दूसरे खर्चे कैसे चलेंगे? लेकिन आपने स्कूलों पर लाखों रुपए टैक्स लगा दिया। जो बच्चा चार घंटे वहां पढ़ने आता है, आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं। आप अस्पतालों के ऊपर लाखों रुपया टैक्स लगा रहे हैं तो जहां बच्चा पढ़ने आए वहां उस पर टैक्स लगा रहे हैं, जहां पर बीमार इलाज कराने आए उस पर टैक्स लगा रहे हैं, क्या आपकी अगली योजना श्मशानों पर और कब्रिस्तानों पर जो मुर्दे रह रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी हाउस टैक्स लगाने की है? कृपया, आप बताये कि आखिर आप इस लोक कल्याणकारी राज के अन्दर आप चाहते क्या हैं।

दूसरी तरफ स्थिति क्या है, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एक तरफ तो यह हाउस टैक्स लगा रहे हैं और दूसरी तरफ यह सुलभ इंटरनेशनल, इसमें आपको कितना पैसा बाकी है? कितना लाखों रुपया आपका बाकी है? यह अभी सीकर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, 4.5.1995 को, उन्होंने भी एक 295 के जरिए सदन में यह मामला उठाया था। यह आपका कागज है मेरे पास और उसके बाद इस सरकार के आने के बाद भी एक क्वेश्चन दिया था कि राजस्थान नगर निगम, नगर परिषद् और नगरपालिकाओं में कितने जल प्रवाहित शौचालय आपने बनाए हैं? वर्तमान में कितने उसमें से काम कर रहे हैं और यह सुलभ इंटरनेशनल, इसके अग्रिम राशि पेटे कुल कितने रुपए आपके बकाया हैं? क्या सरकार उनसे यह राशि वापस लेने का इरादा रखती हैं? मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ आप दूसरे लोगों पर टैक्स इस तरीके से थोप रहे हैं और दूसरी तरफ आपका लाखों रुपया रोज पैसे कमा रहे हैं, इनकी रोज आय हो रही है, पेशाब करने जाए तो उससे एक रुपया लें, लैट्रिन करने जाए तो उससे पैसा लें। मैं सुलभ काम्पलैक्स बनाने, शौचालय बनाने के खिलाफ नहीं हूं, यह अच्छा काम किया है। शहर से गंदगी हटी, हर जगह खड़े होकर आदमी धार मारने लग जाता था। आज वहां पर सफाई रहती है। पानी डलता है। मैं इसको तो ठीक कहता हूं लेकिन इसमें जो आपका

(मोहम्मद माहिर आजाद)

पैसा बकाया है, इस पैसे को आप वसूल करने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको यह पैसा उनसे वसूल करना चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान भरतपुर के आटोमोबाइल नगर की तरफ दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी, आपको अच्छी तरह से याद है कि मैंने पहले भी यह मामला आपके समक्ष यहां पर उठाया था कि भरतपुर में आपके नगर विकास न्यास ने एक आटोमोबाइल नगर, ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की योजना बनाई थी। माननीय सभापति महोदय, उसमें यह तय हुआ था कि जो भरतपुर के व्यवसाई हैं, जिनमें 235 आटोमोबाइल डीलर्स, 449 मैकेनिक और 119 ट्रांसपोर्टर, इनको चिन्हित किया गया। 803 चयनित योजना में सम्मिलित करके सर्वे कराकर आपने इनको वहां पर भू-खण्ड देने की व्यवस्था की थी ताकि सारी दुकानें एक ही जगह पर हो जाएं, शहर से इनकी दुकानें हट जाएं। शहर भी गन्दगी से बचे। हुआ क्या कि जो यू.आई.टी. के अधिकारी हैं या यू.आई.टी. के कर्मचारी हैं, उन लोगों ने अपने परिवारजनों के नाम लिखकर जो उस पात्रता में नहीं आते थे उन्होंने उसकी दुकानें ले लीं। आपको उसके खिलाफ आपके जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री होतीलाल पाराशर ने आपको एक चिट्ठी लिखी है, वह चिट्ठी मेरे पास है। आपके होतीलाल पाराशर, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय ने 20.3.1999 को आपको चिट्ठी लिखी कि यह अनियमितता इसमें बरती गई है। आप इसकी जांच कराएं। आपको भरतपुर के जिला कलक्टर ने एक चिट्ठी लिखी। आपको श्री आर. पी. शर्माजी, जो भरतपुर के विधायक हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी, आपको मैंने भी चिट्ठी लिखी और हमारी सबकी चिट्ठी लिखने के बाद माननीय मंत्रीजी, आपने इस सदन में घोषणा की थी और यह कहा था कि इसकी जांच कराकर जो इसमें पात्र नहीं हैं, जो इसमें एनटाइटिल नहीं हैं उन लोगों को अगर दुकान अलाट की है, तो हम उनको निरस्त कर देंगे। आपने तीन महीने में इसकी जांच कर रिपोर्ट करने की बात कही।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं, तत्कालीन यू.डी.एच. सैक्रेटरी, श्री जी. एस. संधु ने एक चिट्ठी जिला कलक्टर, भरतपुर को लिखी है :-

"The Collector,
Bharatpur, Rajasthan.

Subject : Irregularities in Transport Nagar Yozna in Bharatpur.

(मोहम्मद माहिर आजाद)

Please find enclosed copy of the representation submitted by the Bharatpur Automobile Dealers Society on the above mentioned subject. You are requested to examine the various issues pointed out in the repregentation and send the factual note alongwith the suggestions." यह इन्होंने फैक्चुअल रिपोर्ट कलक्टर से मंगाई। जिला कलक्टर, भरतपुर नें इनको रिपोर्ट भेज दी। रिपोर्ट में लिख दिया कि इतने-इतने लोगों को इसमें गलत शामिल किया गया है और उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। इसके बाद क्या होता है, माननीय सभापति महोदय, कि इसके बाद में इनके उप शासन सचिव, नगरीय विकास, तत्कालीन श्री मन्मथ कुमार, यह सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर को 21 फरवरी, को एक चिट्ठी लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि यह आपके ईर्रेगुलरटीज पाई गई हैं, आप तुरन्त आबंटन की कार्यवाही रोक दें और सारी पत्रावली यहां भेज दें। आज तक इसके ऊपर पत्रावली भेजना तो बहुत दूर उन्होंने इस चिट्ठी का जवाब तक भी आपके यू.डी.एच. डिपार्टमेंट को नहीं दिया है। माननीय मंत्रीजी, आपने इस सदन में घोषणा की और आपने कहा कि हम तीन महीने में जांच करा देंगे, आपकी घोषणा को भी आज पूरा एक साल हो गया। मैं आपसे निहायत अदब के साथ जानना चाहता हूं कि इस भरतपुर आटोमोबाइल नगर, इस भरतपुर के ट्रांसपोर्ट नगर के सम्बन्ध में आपका क्या विचार है? आप जाकर वहां पर देख लें। आज भी वह ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं। गन्दा पानी भरा हुआ है। कोई डवलपमैंट वहां पर नहीं हुआ है। बोर्ड आपका जरूर लग गया है कि ट्रांसपोर्ट नगर बाई अरबन डवलपमैंट ट्रस्ट, भरतपुर। इसलिए ऐसी घोषणा यहां करके और उस पर आप अमल नहीं लाएं, यह बात मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से मेरे क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग निवेदन करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक कस्बा है सीकरी और उस सीकरी की आबादी आपके निर्धारित मापदंड में आती है। उसका क्षेत्रफल, उसकी आबादी, उसकी जगह, मैं आपसे यह मांग करना चाहता हूं कि इस कस्बा सीकरी को इसकी आबादी और इसकी सारी चीजों को देखते हुए आप इसमें नगरपालिका बनाने का एलान करें। इसमें आप नगरपालिका बनाने का कष्ट करें ताकि उस कस्बा सीकरी का विकास हो सके।

माननीय सभापति महोदय, एक-एक, दो-दो और जो छोटे-छोटे मामले हैं। एक श्रीमती हसीरन बानो वाइफ आफ श्री अहमद नूर अंसारी, यह नैनवां, बूंदी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

नगरपालिका का मामला है। जिला कलक्टर और आपके वहां के अधिशासी अधिकारी को मैंने खुद ने पत्र लिखे। और कई लोगों ने भी पत्र लिखे। आज तक नियमन का प्रकरण वहां कई वर्षों से लम्बित हैं। आप चाहेंगे तो उसके सारे दस्तावेज यहां मेरे पास हैं, वह मैं आपको भी दे दूंगा। चाहे आप डी.एल.बी. के जरिए फाइल मंगा लें, चाहे वहां निर्देश दें। इस औरत का, जो जरूरतमंद है, इसका काम होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूं। यह बात सही है कि आपने ''प्रशासन शहरों के संग'' अभियान चलाया। यह आपका वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन हमारे पास है। इसमें आपने 5,683 लोगों को पट्टे वितरित किए हैं। आपने मुख्य मंत्री रोजगार योजना में, 5,629 लोगों को कियोस्क, भूखण्ड आबंटित किए हैं और स्वच्छकारों को भी आपने कियोस्क आबंटित किए हैं। यह काम आपने जो शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार थे, उनको रोजगार देने के सम्बन्ध में किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको याद होगा मैंने दो बहुत गरीब और निसहाय अल्पसंख्यक-एक अब्दुल वहीद कुरैशी, एक बेवा औरत और एक श्रीमती संजीदा बेगम के लिए आपको प्रार्थना पत्र दिए थे। (व्यवधान) क्या बात कर रहे हैं दोनों माननीय मंत्रीजी? आप सुनिए। इनके ऊपर जब बात आ रही है तब यह उसको टालना चाह रहे हैं। सभापति महोदय, उनके आवेदन पत्र इन गरीब बेसहारा बेरोजगार लोग, जिनके सामने रोटी-रोजी का संकट है, आपको दिए। आपने भी उस पर अपनी सिफारिश लिखी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह गरीबों की, शिड्यूल्ड कास्ट वालों की सुनते ही नहीं हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने उस पर जे.डी.सी. के नाम टिप्पणी लिखी कि इनको आप प्राथमिकता के आधार पर कियोस्क अलाट करने का काम करें। यह उप मुख्य सचेतक, महेश जी जोशी बैठे हैं, इन्होंने भी चिट्ठी लिखी, सिफारिश की, बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य उदय सिंह जी राठौड़ ने भी चिट्ठी लिखी और मैंने भी चिट्ठी लिखी। एक सिफारिश पत्र लगाया। मैं स्वयं जाकर जे.डी.सी. को देकर आया कि साहब, यह दो-दो, तीन-तीन जयपुर के एम.एल.एज., मंत्रीजी, सबकी सिफारिश है। यह अल्पसंख्यक, बहुत गरीब, बेसहारा लोग हैं, इनको आप कियोस्क अलाट कर दो। सभापति महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जिनके लिए तीन तीन एम.एम.एज. और मंत्री सिफारिश लिख रहे हैं, आज तक उनको कियोस्क

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अलाट नहीं हुए और एक मोहन पान वाला, जो माननीय मंत्रीजी को फोकट में पान खिलाता है, उसको आपने दो दो कियोस्क आबंटित करने का काम कर दिया। उनकी मनचाही जगह पर आपने दे दी तो मैं इनको भी कह दूं आपको पान लाकर खिला दें। एक कुरैशी है, आप मीट...(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह मोहन पान वाला है कौन? कौन है?

मोहम्मद माहिर आजाद : जो आपको पान खिलाता है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : और कौन-कौन खाते हैं वहां पान, उनके नाम बताओ।

मोहम्मद माहिर आजाद : किसके?

श्री शांति कुमार धारीवाल : और कौन-कौन खाते हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : वह तो आप बताओ?

श्री शांति कुमार धारीवाल : नहीं, आप बताओ।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं-नहीं, वह आप बताइए। आपने इसको किया कि नहीं किया? आप यह बात कह दो। आपने इसको कियोस्क आबंटित इसकी मर्जी की जगह पर किया कि नहीं किया?

श्री शांति कुमार धारीवाल : इसीलिए किया कि उसको पुनर्वास में कियोस्क मिलने का पूरा अधिकार था।

मोहम्मद माहिर आजाद : कैसे अधिकार था? सिर्फ इसलिए कि आपको पान खिलाता है।

श्री रामस्वरूप : कौनसा पान खिलाता है? बनारस वाला पान खिलाता है, मीठा पत्ता, कौनसा पान खिलाया? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कह रहा हूं जो व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय के, बेसहारा, गरीब उनकी चार-चार माननीय सदस्य और मंत्रीजी की सिफारिश के बाद आज तक कियोस्क नहीं मिला और केवल इनको पान खिला दे, उनको आपने कियोस्क अलाट कर दिया और मुझसे यह और पूछ रहे हो कि किस-किसको खिलाता है। मेरी तो सात पीढ़ियों में किसी ने पान नहीं खाया। इसीलिए मेरे लिए तो आप कम से कम कह नहीं सकते और आपका जिनकी तरफ इशारा है, वह आज गोवा गए हुए हैं। वह आज राजस्थान में, यहां जयपुर में हैं ही नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इनको भी आप कियोस्क अलाट कराने का काम करें। माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं।

श्री सभापति : आखरी।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरी आखरी बात। आपने स्थानीय निकाय विभाग और शहरी विकास विभाग का प्रगति प्रतिवेदन तो हमको भेज दिया। माननीय सभापति महोदय, हमको यह एक पुस्तक मिली है। यह पुस्तक है "प्रगति की राह पर राजस्थान आवासन मण्डल-दो वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धि।" इस पर आवासन मण्डल के माननीय अध्यक्ष जी की फोटो भी छपी हुई है। इसमें अन्दर माननीय शांति धारीवाल जी की भी फोटो छपी है। मैं आपके माध्यम से इनसे यह जानना चाहता हूं कि यह आवासन मण्डल का दस्तावेज माना जाए या इसके आवासन मण्डल के चेयरमैन महोदय का निजी दस्तावेज माना जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जितने भी स्वायत्तशासी निगम हैं, चाहे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हो, चाहे राजस्थान वित्त निगम हो, चाहे रीको हो, चाहे राजस्थान की विद्युत कम्पनियां हों, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हों और चाहे दूसरी यूनिवर्सिटीज हो, सबने माननीय सदस्यों को अपने-अपने प्रगति प्रतिवेदन भेजे हैं। हमको आज तक राजस्थान आवासन मण्डल का आफिशियल प्रगति प्रतिवेदन नहीं मिला। क्या कारण हैं, क्यों नहीं मिला? इसकी आप मुझे वजह बताने की कृपा करें। यह जो पुस्तक दी है इसमें हालांकि हाउसिंग बोर्ड ने जो-जो काम किये हैं, माननीय मंत्रीजी की भी फोटो है, वह अच्छे काम किए हैं, मैं उसकी आलोचना में नहीं जाना चाहता। लेकिन हमको प्रगति प्रतिवेदन मिलना चाहिए। इसमें तो पीछे विज्ञापन भी दिये गए हैं फर्मों के, जैसे कोई प्राइवेट मैगजीन निकलती है। इससे पैसा कमाने का काम भी किया है। इसलिए आप हमको राजस्थान आवासन मण्डल का प्रगति प्रतिवेदन दिलाने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों और स्वीकृत पत्रकारों के लिए आपने एक विशिष्ट पंजीकरण योजना हाउसिंग बोर्ड की निकाली है मानसरोवर में। उस योजना में सबने अपने-अपने आवेदन भी कर दिए। अब आवेदन तो आपने एक कैटेगरी में कराये। एक रजिस्ट्रेशन कराया। एक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब आपने उसमें यह कर दिया कि सांसद और विधायकों को तो 410 गज का मकान मिलेगा और पत्रकारों को देंगे आप 210 गज का ही। यह फर्क क्यों कर दिया? क्या राजनेता ही बड़े मकान में रहे, पत्रकारों को बड़े मकान में रहने का हक नहीं है? आप इसकी लाटरी भी अलग-अलग निकाल रहे हैं। जब एक योजना में आपने इनका रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको एक ही साथ लाटरी निकालनी चाहिए थी और एक ही साथ मकान देना चाहिए था। आपके पास जमीन खूब पड़ी है। आप इनको भी बड़ा मकान दे सकते हैं।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप राजनेताओं को और पत्रकारों को, सांसदों, विधायकों और पत्रकारों के बीच जो डिफरेंस किया है, जो आपने बंटवारा कर दिया अलग-अलग जो भेदभाव किया, यह ठीक नहीं है। आप पत्रकारों को भी उसी साइज का मकान, जितना आप विधायकों और सांसदों को दे रहे हैं, उसी साइज का मकान देने का काम करोगे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की सीकरी कस्बे को आप नगरपालिका बनाने की घोषणा करेंगे, यह जो अतिक्रमण मैंने तोपखाना हुजूरी का आपको जिक्र किया, जिन अधिकारियों ने यह अवैध काम किया है उनके खिलाफ आप जल्दी से जल्दी सख्त कार्यवाही करेंगे और राजस्थान की नगरपालिकाओं की जो दयनीय आर्थिक स्थिति है, उसको सुधारने के लिए भी आज आप कोई न कोई ठोस घोषणा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, जयपुर का तो कोई भी नहीं है। सबने कब्जे किये... (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं?

श्री रामस्वरूप : ऐसी कोई बात, यह बता रहे हैं, माहिर आजाद जी ने कही है। जबकि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की +++ यह बात मैंने नहीं कहीं थी। अब अगर कोई बात इसमें इस प्रकार की आयी है तो मैं उनको वापस लेता हूं। अब आजाद जी तो, +++ यह बात उसमें बिलकुल गलत है। इसलिए मुझे अनुमति दी जाए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो आप कह रहे हो न कि मैंने नहीं कहा। एक तो यह हुआ या आपने पहले कहा था, उसको वापस ले रहे हो।

श्री रामस्वरूप : अगर उसमें कोई बात ऐसी आ गयी हो तो मैं वापस लेता हूं।

श्री सभापति : अगर नहीं...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हां, इसलिए मैं वापस लेता हूं, साहब उन शब्दों को। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, साफ कहिए कि मैंने कहा था। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इसलिए मेरे शब्दों को मैं वापस लेता हूं, साहब। मैं निवेदन कर रहा हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सोच समझकर कहा करो।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय सदस्य द्वारा वापम ली गयी।

श्री रामस्वरूप : हां, बिलकुल सोच समझकर कही थी, लेकिन माहिर आजाद जी ने उसका गलत अर्थ निकाल लिया था।

एक माननीय सदस्य : जब यह बोलते हैं तो इनको समझ नहीं होती है। बिना सोच समझकर बोलते हैं।

श्री सभापति : श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मांग संख्या-29 स्वायत्त शासन विभाग की इस डिबेट में अपने आपको सम्मिलित करते हुए कुछ प्रदेश की, कुछ अपने जिले की कुछ कांस्टीट्एंसी की बात मंत्रीजी तक पहुंचाना चाहता हूं। इस राज्य सरकार ने तीन साल पूर्व कार्य सम्भाला था। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और राजस्थान का पूरा परिदृश्य हमारी सरकार ने और हमारे मंत्रीजी ने मुख्य मंत्रीजी के निर्देशन में बदल दिया। पूरे राजस्थान का दर्शन अगर आप करो, चाहे वह उदयपुर ले लो, कोटा ले लो, बांसवाड़ा ले लो चाहे आप जोधपुर चले जाओ, चाहे बीकानेर चले जाओ, चाहे अजमेर और किसी भी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर चले जाओ। हर जगह विकास की जैसे गंगा बहा दी है। इतना अच्छा कार्य मेरे खयाल में, मेरे सामने बैठी बहन जी सिर हिला रही हैं, आप अगर मेरे साथ चलो, आपको याद होगा पिछली विधान सभा में...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इससे ज्यादा काम तो आप जब गंगानगर नगर विकास न्यास के अध्यक्ष थे, तब आपने गंगानगर में किए थे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : निवेदन है कि उनकी तो रिपेयर भी नहीं हो सकी। वह तो आपकी कृपा है। आप हमारे छोटे भाई हैं। लेकिन यह बात नगर विकास न्यास तक नहीं है। मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं। पूरे राजस्थान के अन्दर कोई...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको तो वहीं से चुनाव लड़ना है। आप राजस्थान की बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं-नहीं, मैं अपनी बात पर भी आऊंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्यों झगड़े में पड़ते हो राजस्थान के?

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय सदस्या, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि पहले राजस्थान का, फिर अपने जिले, फिर अपनी कांस्टीट्यूएंसी की कुछ बातें मंत्रीजी के सामने रखूंगा।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरे से पूर्व हमारे साथियों ने अपनी-अपनी राय इस सदन में रखी है, जो मंत्रीजी पूरे ध्यान से लिख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और उनके अधिकारी भी सुन रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यही निवेदन करना

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

चाहता हूं कि इतना विकास और ''प्रशासन शहरों के संग'' ऐसा पुनित कार्य किया है। जो कच्ची बस्तियां, एग्रीकल्चर जमीन पर बसी हुई हमारी कालोनियां, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से लोगों के ऊपर एक तरह की तलवार लटक रही थी उसको हटा दिया गया और हजारों हजार लोगों को उन मकानों का मालिक बना दिया गया जिन्होंने कभी सपने में भी यह बात नहीं सोची। क्योंकि कार्य अपने आप में हो गया इसलिए कोई भी अच्छी चीज जब मिल जाती है तो पीछे वाला समय इन्सान को याद करना भी नहीं चाहिए और याद आता भी नहीं है।

मेरे को वह समय याद है, सम्मानीय सभापति महोदय, पिछले इसी हाउस में गंगानगर की जिस कांस्टीट्यूएंसी से मैं चुन कर आता हूं, श्रीगंगानगर, उस गंगानगर की हालत आज से आठ साल पूर्व ऐसी थी कि एक-एक फीट, दो-दो फीट के खड्डे थे और गन्दा पानी सड़कों के अन्दर 6-6 इंच, 8-8 इंच चारों तरफ घूमता था, मलेरिया फैल गया, पीलिया फैल गया और मैंने यहां बोला, मेरे काफी साथी और धारीवालजी खुद यहां मौजूद थे। मंत्री महोदय, आप यहां हाउस में मौजूद थे जब मैंने मेरे इलाके की स्थिति को यहां रखा। उस वक्त भैरोंसिंहजी, जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय हैं, उन्होंने मेरे को इशारा करके अपनी कुर्सी पर बुलाया कि क्या तकलीफ है, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? मैंने कहा, साहब, गंगानगर का तो नाम था ही गंगानगर जिसको महाराज गंगासिंहजी ने बड़े प्यार से सजाया-संवारा था और उसकी हालत यह हो गयी कि उसको लोग गंदानगर कहने लग गये। आप मेरे साथ किसी व्यक्ति को भेजे, आप एक दफे देखिए

(16.22 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

कि उसकी हालत क्या हो गयी है। काफी लम्बी-चौड़ी बहस हुई, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। यहां से दो मंत्रियों को आदेश हुआ, एक तो भंवरलालजी, स्वायत्त शासन मंत्रीजी और एक हैल्थ मिनिस्टर, राजेन्द्र सिंहजी। उस वक्त दोनों यहां से रवाना हुए। पूरे गंगानगर को देखा। हजारों लोगों ने वहां अपने मेमोरेंडम दिए, लोग मिले। गंगानगर की हालत देख कर जब यहां आए, हाउस में उन्होंने जो बोला वो प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है कि वास्तव में गंगानगर की हालत बहुत खराब है और हमने अभी से आदेश करा दिए हैं कि इसका पूरा सर्वे करा कर मास्टर प्लान बनाया जाए। मास्टर प्लान बनाने के बाद गंदे पानी की निकासी के लिए तुरन्त सर्वे करा कर एक चीफ इंजीनियर को लगा दिया गया और राजस्थान के नहीं बल्कि भारत के जितने भी अखबार थे, अखबारों

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

में पब्लिश किया गया कि पूरा मास्टर प्लान बना कर पेश करें। उसके लिए टेण्डर आया हमारी दिल्ली की किसी फर्म का। करीब 10 लाख रुपये नगर परिषद् की तरफ से लगे। उस टेण्डर का तखमीना उन्होंने पेश किया। दो करोड़ रुपये की इसी पवित्र सदन में घोषणा हुई कि दो करोड़ रुपये हम इस कार्य के लिए देंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक पैसा भी नहीं मिला था।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : राधेश्याम जी, मिल गया क्या वो पैसा?

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं मिले।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : फिर आप उनकी बातों में आए क्यों?

श्री राधेश्याम गंगानगर : बस आप भी साथ थे मेरे। मेरा बड़ा सहयोग करते थे आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो आया नहीं, आपने गलती की।

श्री राधेश्याम गंगानगर : जैसे अब आप सहयोग कर रहे हैं, उस वक्त भी कर रहे थे।

आज हमारी सरकार लोकप्रिय सरकार है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गंगानगर के जो हालात उस वक्त के थे उसमें तो बिलकुल परिवर्तन हुआ है। नगर परिषद् ने, नगर विकास न्यास ने भी काम किए हैं लेकिन जितना कार्य वहां होना चाहिए उतना नहीं हुआ। पास ही पंजाब और हरियाणा जैसे बहुत बड़े प्रदेश हैं, बड़े लोग वहां आते हैं, मिलिट्री के तीन ब्रिगेड हैडक्वार्टर हैं और वहां पास ही एयरफोर्स के हैडक्वार्टर हैं। इसके अलावा यहां बहुत बड़ी मण्डी अनाज की है और वहां किसान अपनी जिंस को लेने के लिए जब आते हैं तो बहुत सारी कमी उनको अखरती है। उसका मूल कारण यह है कि नगर परिषद् के पास पर्याप्त धन नहीं है। जैसे मेरे से पूर्व जोधपुर से आने वाले मेरे साथी ने बड़े विश्लेषण से इस बात को कहा है कि सिनेमा से टैक्स मिलता था, वह भी बन्द रेलवे की टिकट बिकती थी, उससे जो आय होती थी वह भी बन्द हो गयी, चुंगी भी बन्द हो गयी। यहां से जो पैसा आप भेज रहे हो उससे केवल तनखाह भी पूरी तरह से नहीं दी जाती, मतलब उसका भी प्रबन्ध पूरी तरह से नहीं होता। शहर बहुत बढ़ गया। पहले आबादी कहीं लाख-डेढ़-लाख, दो लाख की होती थी आज साढ़े तीन लाख, पौने चार लाख की आबादी हो गयी, 30-30, 35-35 कालोनियां एग्रीकल्चर जमीन पर बस गयीं। कच्ची बस्तियां और शहर का बहुत बड़ा विकास हो गया, जवाहर नगर, अशोक नगर, सुखाड़िया नगर, मानसरोवर और हाउसिंग बोर्ड, गणपत नगर, पता नहीं कितने नगर बन गये

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

लेकिन सफाई व्यवस्था, मंत्री महोदय, अभी बिलकुल लड़खड़ायी हुई है। क्योंकि आदमी उतने के उतने ही हैं जो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले थे। 1970 में जब मैं नगर परिषद् का अध्यक्ष होता था उस समय जो संख्या हमारे सफाई कर्मचारियों की होती थी वही संख्या अब है। हां, काम बहुत बढ़ गया। सफाई व्यवस्था के लिए आपको सुचारू रूप से कोई न कोई योजनाबद्ध तरीके से मास्टर प्लान बना कर, केवल श्रीगंगानगर में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपको इस काम को आगे ले जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ कुछ ऐसी समस्याएं हमारे सामने हैं। हमारे यहां पर कृषि भूमि पर बसी हुई कालोनियों व कच्ची बस्तियों का नियमन जो आपने किया, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, तो आपने पुनः आदेश दिया था। मैं आपका आभारी हूं कि उस आदेश से पूरे राजस्थान में पुनः सर्वे हुआ। उसके बाद भी अभी भी कुछ लोग रह गए हैं। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि आपने यह कहा कि उसके बाद पुनः कोई नयी कच्ची बस्तियां नहीं बनेंगी, अपनी मर्जी से होजपोज स्लम नहीं बनेंगे लेकिन वो निरन्तर अब भी बन रहे हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। उस पर रोक लगाना अति आवश्यक है, नहीं तो इस चीज का कोई अन्त नहीं है।

इतिहास में प्रथम बार सरकार के यह कार्य हैं, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि ''प्रशासन शहरों की ओर में'' जो काम हुआ है, इसकी शब्दों में कोई तारीफ नहीं की जा सकती। यह ऐसा कार्य हुआ है, आने वाला समय बताएगा कि आपका यह कार्य इतिहास बन कर रह जाएगा यह बात सुनहरी अक्षरों में लिखी जाएगी। इसका लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और हमारे नगर परिषदों को और जे.डी.ए. वगैरह हैं, उनको आमदनी भी बड़ी भारी हुई है। लेकिन जो कार्य सड़कों के, नालियों के हैं, इनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। पूरी तरह से गुणवत्ता पर ध्यान हो। जिस चीज को हम आज आगे आने वाले 5-7 साल के लिए बना रहे हैं और वह चीज आज या दो चार महीने बाद ही अगर खराब हो जाए तो इसके लिए भी किसी की जिम्मेदारी हमें जरूर तय करनी चाहिए। अतिक्रमण हटाए हैं। सारे राजस्थान में बहुत होजपोज लोग बस गये, स्लम क्रिएट कर दिये थे। इसमें तो आपने बहुत ही सुन्दर काम किया है लेकिन इसके साथ-साथ कई जगह पर, जैसे गंगानगर में काफी लोग ऐसे रह गये जिनको हटा तो दिया गया, 20, 25, 30 साल पुराने कब्जे थे, लेकिन उनको बसाने की योजना कोई नहीं बनायी

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

गयी। कृपया इस पर भी आप ध्यान दें और उनके बसाने की योजना का पुन: अवलोकन करा कर उसका कार्य करवाएं।

अभी मेरे कई मित्रों ने, सहयोगियों ने आपको निवेदन भी किया है कि जो भी पैसा एशियन बैंक से लेने जा रहे हैं उसको हमारे सिर्फ 6 डिवीजन हैडक्वार्टर पर ही रख लेना, यह बात बहरोड़ से आने वाले मेरे साथी माननीय सदस्य, डा. करण सिंहजी ने भी कही थी कि गांवों का विकास भी होना चाहिए। इन्होंने भी बड़ा मुद्दा पकड़ा है। गांव भी अपने आप में अगर अछूते रहते हैं तो हमारे शहर में आने वाले गांवों के लोगों को एक फर्क नजर आता है, उनकी भावना रहती है कि शहरों में चलो। लेकिन साथ ही आप शहर और गांवों के अलावा शहरों में ही आपस में फर्क कर रहे हो। आप डिवीजनल हैडक्वार्टर पर 1500 करोड़ की योजना देने जा रहे हैं और जो जिला हैडक्वार्टर हैं उनको बिलकुल आपने अछूता छोड़ दिया। जबकि कैबिनेट श्रीगंगानगर गई थी तो आपने अपने मुखारबिन्द से मंच के माध्यम से यह फरमाया था कि गंगानगर को अगले साल हम इसमें शामिल करेंगे। न जाने वह बात कहां मिस हो गई कि गंगानगर का नाम अभी तक कहीं आया नहीं। आपने जो ओवर ब्रिज बनाए हैं यह हमारे लिए बहुत सुखद बात है। ओवर ब्रिज पूरे राजस्थान में होने चाहिए। कम से कम डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर एक ओवर ब्रिज, अब हमारे इतना तो आर्मी का ट्रैफिक, इतना हमारा एग्रीकल्चर का ट्रैफिक, हमारा जो रेलवे का फाटक है वह एक दिन में कम से कम तीन-तीन, चार-चार घंटे तक बन्द रहता है, हजारों की लाइन लग जाती है और जो आदमी उस लाइन में फंस जाए न तो पीछे निकल सकता है, न आगे जा सकता है। सम्मानीय मंत्री महोदय, मैं सचेतक महोदय से यह निवेदन करूंगा कि यह मेरी बात को सहानुभूतिपूर्वक सुनें।

सम्मानीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं ओवर ब्रिज जिसकी बहुत लम्बे अर्से से डिमाण्ड है। न तो अण्डर ब्रिज...(व्यवधान) उपाध्यक्षजी तो पधारे हैं, अभी आसन ग्रहण करेंगे, तो उपाध्यक्षजी बोलूंगा। आपने राय दे दी बड़ी मेहरबानी

(16.31 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आपकी। मैं निवेदन कर रहा था कि उस तरफ इतना बड़ा हमारा बार्डर सिटी है जिसके ऊपर कम से कम हमारे मुख्य मंत्रीजी की बड़ी कृपा है। आपकी कृपा है। मुख्य मंत्रीजी कम से कम 10-12-15 बार जा चुके हैं और जब भी जाते हैं कुछ न कुछ जरूर देकर आते हैं। आप केवल एक ही बार गये हैं और आपने

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

बहुत बड़ा पैकेज देने की मंच से अपने भाषण में बड़े सुन्दर तरीके से बात कही थी, उसको पुनः थोड़ा सा आप अपने कम्प्यूटर में जो फीड हुई है उसको देखें, जो बात आपने कही थी वह पूरी नहीं हुई। ऐसी तो धारीवालजी की कहीं हिस्ट्री में लिखा हुआ नहीं है, यह कैसे हुआ मैं समझ नहीं पाया। इसमें कोई कारण और हो सकते हैं। धारीवालजी का जो सुपर कम्प्यूटर है इसमें जो चीज एक बार फिट हो जाए, तो देर-सवेर कभी न कभी उसका नम्बर आता ही है। लेकिन काफी देर हो गई उसका नम्बर नहीं आया। आप कृपया एशियन बैंक से पैसा दिलवा कर ओवर ब्रिज, पार्क, रोड्स का नवीनीकरण और रोड्स के अन्दर जो ग्रिल लगती है, ट्रेफिक इतना ज्यादा हो गया है कि आए दिन 10-15 एक्सीडेंट होते हैं। आप आंकड़े ले लो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। इतना ट्रेफिक हो गया है कि 5-7-10 एक्सीडेंट डेली होते हैं। इसका प्रबन्ध करने की अपनी जिम्मेदारी है, प्राइमरी ड्यूटी है। इसके अलावा जिला हैडक्वार्टर पर सीवरेज का न होना अपने आप में एक ऐसी कठिन समस्या है। मैं किस तरीके से आपको निवेदन करूं। मैं पिछले राज में, जो बी.जे.पी. का राज था उन्होंने भी एग्री किया था। मैंने पूर्व में भी कहा है। आपको भी मैंने बाकायदा सीवरेज का मास्टर प्लान बना कर दे दिया, मुख्य मंत्रीजी को दे दिया।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य आप अभी कह रहे थे कि बी.जे.पी. के राज में सिवरेज का उन्होंने एश्योरेंस दिया था पर जिस राज में पार्षद गंगानगर के थे उनको महज इसलिए आत्मदाह करना पड़ा कि सौ गज नाली नहीं बना सके। उन्होंने आपको सिवरेज का एश्योरेंस दे दिया।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरे खयाल में यह बातें आप और हम उनको चेता चुके थे, कह चुके थे। उसके बाद भी आपके सामने धारीवालजी भी मौजूद थे उन्होंने यह बात कही थी। दो मंत्री गये थे सर्वे करके आए थे। उन्होंने यहां इसी पवित्र सदन में स्टेटमेंट दिया था। शायद यह बात आपको और धारीवालजी साहब को भी याद होगी। उस पर आगे वैसी की वैसी बात अगर अब रह गई तो केवल मात्र डेढ़ साल रह गया है। सीवरेज का कार्य होना अति आवश्यक है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि गंगानगर में सीवरेज का कार्य होना अति आवश्यक है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि गंगानगर में सीवरेज का कार्य आप हाथ में लें, हमारे ओवर ब्रिज और अण्डर ब्रिज का कार्य हाथ में लें जिससे हमारी सरकार की जो कार्यशैली अब रही है उससे और ज्यादा बढ़ेगी, चार चांद लगेंगे। अब आये हम 153 और अगली बार आएंगे 183, इस बात का मजा आएगा।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

सम्मानीय, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले जो लोग शहरों में आ जाते हैं, 20×50 का प्लाट केवल मात्र 500/- रुपए में, 400/- रुपये में हमने पहले दिये हैं। जोशीजी के टाइम में, सुखाड़ियाजी के टाइम में, शिवचरणजी माथुर के टाइम में 440 रुपए का 20×50 और 20×40 के मकान गरीब लोगों को, जो बिलो पावर्टी लाइन हैं, इनको हमने अलाटमैंट किया था। अब वह नीति हमें वापस अपनानी चाहिए और ऐसे लोग अभी भी हैं जो नाजायज कब्जे करते हैं, एक जगह से बेच करके दूसरी जगह चले जाते हैं। उनको उस पर दो हजार और पांच हजार रुपये का लोन मिले। 4 परसेंट पर बैंक देने को तैयार है और वह पांच रुपये रोज का डिब्बा उनके घर के बाहर लग जाए तो वह गरीब लोग याद करेंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर ने ऐसी कई योजनाएं चलाई हैं जिनका कोई सानी नहीं है हमारे पूरे देश में।

इसके साथ-साथ नगर परिषद् और नगर विकास न्यास दो एजेन्सी गंगानगर के अन्दर कार्यरत हैं। नगर विकास न्यास का जो एरिया डवलप हो चुका है, मैं नगर विकास न्यास का अध्यक्ष भी रह चुका हूं, जो भी एरिया डवलप हो जाता था वह नगर परिषद् को सौंप दिया जाता था। अब एक इंच भी जमीन बेचने के लिए बाकी नहीं है। रख-रखाव के लिए नगर परिषद् कहती है हमारा एरिया नहीं है और नगर विकास न्यास कहता है हमारा एरिया नहीं है। 15 परसेंट राशि जो नगर विकास न्यास की भूमि बिकती है उसका 15 परसेंट नगर परिषद् में जमा होना चाहिए। आपको भली भांति मालूम है कि ढाई करोड़ रुपये आए हैं। एक पैसा भी किसी ने दिया नहीं है। उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। लेकिन खास कर जो एरिया डवलप हो गये हैं, जिन एरियों में कोई लेना-देना नहीं है। उसके लिए जनता और हमारे लोग मारे-मारे फिरें, वह कभी नगर विकास न्यास के पास जाएं तो वह कह दे कि यह तो मेरा एरिया नहीं है, यह तो डवलप हो गया। हमारे पास तो साधन नहीं है। एरिया तो हमारा है लेकिन हमारे पास सफाई के साधन नहीं हैं। हमारे पास पैसा नहीं है सड़क बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए, नाला बनाने के लिए। खास कर उसका जो गन्दा पानी है ड्रेसेज का उसको निकालने के लिए बिलकुल ही साधन नहीं है। उससे बड़ी दिक्कत होती है। कृपा करके उस पर आप पूरी तरह चैकअप करवा के जो डवलप हो चुके हैं-जैसे अशोक नगर, सुखाड़िया नगर, बसन्त बिहार, गणगौर नगर, कुंज विहार, हाउसिंग बोर्ड, जवाहर नगर मानक लाल वर्मा नगर आदि कालोनीज जिनमें आपकी एक इंच भी जमीन बाकी नहीं है जो बिकने वाली

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

हो, तो ऐसी कालोनियों को आप नगर परिषद् में ट्रांसफर करें ताकि सफाई आदि की व्यवस्था का लाभ आम जनता को मिल सके। शहरों का आधुनिकीकरण करने के लिए अभी तो...

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो बीस मिनट हो गए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : जो आपका आदेश। मैं जल्दी ही बन्द करूंगा।

निवेदन यह था कि इसके साथ-साथ कुछ बातें, अब मेरा ध्यान भी हट गया, कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। मैंने आपको लिख कर दिया था कि नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के अन्दर 5 बीघा और 8 बिस्वा भूमि पर हमारी बस स्टैण्ड योजना बनी थी गवर्नमेंट की मंजूरी से। उस जमीन का खातेदारों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। वह बीच में रह गई। कुछ कामर्शियल दुकानें बिक गई उसका 25 परसेंट पैसा लोगों ने जमा करवा दिया। खातेदार जब कोर्ट में चले गये तो विभाग में मामला खुल गया। 1981-82 के लोग जो कोर्ट में गये थे वह लोग 1997 के अन्दर कोर्ट से हार गये। नगर विकास न्यास के हित में फैसला हो गया। उस जमीन पर भू-माफियों का कब्जा हो गया। तीन सौ चार सौ सिख जो वाल्मीकी और गरीब लोग थे उन्होंने कब्जा कर रखा था। उनको वहां से खदेड़ कर भू-माफियों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। मैंने आपके सामने तस्वीर रखी है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक मिनट में आदेश दिया कि 1992 में कोई पट्टा इस तरह की जमीन पर नहीं दिया जाएगा। हाई कोर्ट का आर्डर और आपका आर्डर यह दोनों मेरे पास हैं। मेरी जानकारी में हैं 90 बी में पट्टे जारी हो गये हैं। बार-बार कहने के बाद आपने फाइल यहां मंगवा ली, रुकवा दिया, नगर विकास न्यास का बोर्ड वहां लग गया, नगर विकास न्यास की मीटिंग में तय हो गया। अध्यक्षजी, उनके सारे अधिकारी और उन लोगों ने मिलकर करोड़ों रुपये की सम्पत्ति को भू-माफियाओं के हाथों लुटाने का षड्यंत्र चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें, इसमें इंक्वायरी होना अति आवश्यक है। मेरी यह पुरजोर आपसे अपील है। इसमें सी.बी.आई. इंक्वायरी, एंटी करप्शन में, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी जमीन है, बिलकुल एन बीच में हमारी कामर्शियल जमीन को कौड़ियों के भाव 1992 में, आज भी वहां 1992 का कोई व्यक्ति वहां रहता हो उस व्यक्ति को तो आप दे दो पर जब वहां कोई कब्जा नहीं है, भू-माफियाओं ने उसको घेर लिया और हमारा नगर विकास न्यास चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे। करोड़ों रुपये की बेशकीमती जमीन है, मैं आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा कि जब भी आप जवाब

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

दें तब बताएं। मैंने आपसे पहले भी कई बार प्रार्थना की है और आपने उस प्रार्थना को हमेशा माना है क्योंकि आपकी तरफ से तो कमी रही नहीं। आपने तो लिखा, आपने तुरन्त यहां फाइल मंगवा ली। मैंने मुख्य मंत्री महोदय से भी निवेदन किया था। उन्होंने भी टेलीफोन करके आपको कहा और वहां तुरन्त कलक्टर को कहकर फाइल मंगवाई। उसके बाद पट्टे जारी हो गये इससे ज्यादा अंधेरगिर्दी और कोई हो नहीं सकती इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। प्लीज बिराजिए। माननीय श्री संयम लोढ़ा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक फोगिंग मशीन के लिए निवेदन है। पूरे राजस्थान में मलेरिया और पीलिया फैल गया। फोगिंग मशीन गंगानगर नगर परिषद् के पास है। पूरे राजस्थान में चल रही है। आपने इजाजत भी दे दी। पैसे भी लेने नहीं। नगर परिषद् के लगने हैं वहां पर काफी लोग मच्छरों से मारे-मारे फिर रहे हैं। कृपा करके उसकी मंजूरी दे दी आपने, तुरन्त आदेश फरमा दिए लेकिन अभी तक वह प्रसारित नहीं हुए।

इसके साथ-साथ नगर परिषदों में भी पार्षदों को आपने मनोनीत किया है और इसके अलावा जन-प्रतिनिधि चुने हुए हैं पर उनको केवल मात्र हजार बारह सौ रुपये का भत्ता मिलता है। सारा कारोबार छोड़कर, काम छोड़कर जनता की सेवा करें तो उनके लिए वह अपर्याप्त है। कम से कम दो ढाई हजार रुपये जरूर होने चाहिए ताकि वे लगन से सेवा कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपका बड़ा आभारी हूं, मन में बहुत सारी बातें थीं लेकिन चूंकि बाकी मित्रों को भी समय मिलना है, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने मुझे समय दिया और मंत्रीजी से अपेक्षा करता हूं कि जब वे बोलेंगे, मेरी बातों का उत्तर जरूर देंगे। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज मांग संख्या-29, नगरीय आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर विचार हो रहा है। मैं भी आपके माध्यम से इसमें खुद को शरीक करते हुए अपने कुछ छोटे से सुझाव माननीय मंत्री महोदय को प्रस्तुत करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने निश्चित रूप से प्रादेशिक विकास को नये आयाम दिए हैं। आज से कुछ साल पहले जो लोग जयपुर आये होंगे और अब वे इस शहर में आएंगे तो जो जयपुर का कायाकल्प देखेंगे वह निश्चित रूप से इस सरकार के और माननीय मंत्रीजी की सोच की तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे।

(श्री संयम लोढ़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने ''प्रशासन शहरों के संग'' अभियान भी चलाया, मैं उसके लिए भी आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि आपका अभियान अभूतपूर्व रूप से सफल रहा। एक आर.ए.एस. आफिसर के मार्गदर्शन में आपने जिन शिविरों का आयोजन किया, उत्सव और मेले का सा माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी भागीदारी निभायी, निश्चित रूप से लोगों को इस अभियान से लाभान्वित होने का अवसर मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने इस विभाग में कई तरीके के रिफार्म्स किए हैं, कई तरीके के सुधार किए हैं और एक नई दिशा इस विभाग को देने का प्रयास किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हम सुधार भी करते हैं लेकिन उसके बाद उसका लाभ निचले स्तर तक कितना पहुंच पा रहा है उसकी मानीटरिंग भी करनी बेहद आवश्यक होती है। इस सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला किया कि जिन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की जांच या सोलह की जांच की कार्यवाही जांच है उनको फील्ड से हटाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जो भी काम करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं या क्या करते हैं जो लोक धारणा है वहीं हमारे काम का आकलन है। हमने अगर गलत किया है तो उसका भी कोई प्रमाण सामान्य तौर पर होता नहीं है लेकिन जो पब्लिक ओपीनियन है वही हमारे काम का आकलन है। उपाध्यक्ष महोदय, धारीवाल जी, जैसे सक्षम मंत्रीजी से यह उम्मीद भी थी कि निचले स्तर की व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार आप लाएंगे लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि निचले स्तर की जो व्यवस्था है उसमें आप सुधार का लाभ जितना परिलक्षित होना चाहिए था, जितना मिलना चाहिए था वह नहीं हो सका।

आपका डायरेक्ट्रेट आफ लोकल बाडीज, डी.एल.बी.। इसके बारे में लोग क्या कहते हैं? ''डी'' से दे एल से ले और बी से भागो। दे, ले और भागो। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह जो व्यवस्था की, 16 की कार्यवाही की या ए.सी.डी. की स्वायत्त शासन विभाग में...

श्री राजेन्द्र पारीक : दे, ले का मतलब तो देने और लेने से हो गया। देओ, लेओ और भागो।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सदस्य, आप मुझसे ज्यादा वरिष्ठ हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं, आपका अनुभव ज्यादा है। उपाध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन विभाग में चाहे वह ए.सी.डी. में ट्रेप हुआ हो, चाहे उसके खिलाफ 16 की कार्यवाही हो, एक आदमी को आप हटा नहीं सके

(श्री संयम लोढ़ा)

और लगातार इतने वर्षों के अन्दर कैसे ही कबाड़े भी किए हों, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ होने वाला नहीं है और एक के बाद एक श्रृंखला बढ़ती रहती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में आप छांट लो, आपको एक डी.ओ. ढंग का नहीं मिलेगा। इस वजह से निचले स्तर की व्यवस्था का जो पतन हुआ है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। धारीवालजी बहुत ऊर्जावान मंत्री हैं, दबंग भी हैं, इनसे उम्मीद रखता हूं कि इसके अन्दर भी आप कार्यवाही करने की चेष्टा करेंगे। चाहे उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए, ऐसे निकम्मे लोगों को, चाहे आपको नयी भर्ती करनी पड़े लेकिन जब तक आप इस व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे यह स्वायत्त शासन विभाग का काम सुधर नहीं सकता। उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जो वातावरण इस विभाग में बना हुआ है उसके लिए मंत्रीजी जिम्मेदार नहीं हैं, उनको विरासत में बिगड़ी हुई व्यवस्था ही मिली है और इस विभाग का काम चुनौतीपूर्ण भी है लेकिन अगर हम निचले स्तर तक वाकई बेहतर काम करना चाहते हैं तो इस दिशा में सुधार लाने की बहुत महत्ति आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार, हमारी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को दो कार्यकाल मिले, आठ साल के वक्त में भी उन्होंने एक कच्ची बस्ती में रहने वाले आदमी को पट्टा नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी फैसला किया, उसके माध्यम से राजस्थान के हजारों गरीब परिवारों को रहने का एक हक मिला और लोक कल्याणकारी सरकार के फैसले से निचले स्तर पर वाकई लोगों को काफी राहत प्राप्त हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रशासन शहरों के संग शिविर चलाए गये उसके अन्दर स्टेट ग्रांट एक्ट के भी पट्टे दिए गये। उपाध्यक्ष महोदय, 1983 में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे लोगों को दिए गये थे। सामान्य वर्ग के लोगों को चालीस साल के कब्जे के आधार पर, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को बीस साल के आधार पर तब जो पट्टा उस गरीब आदमी को दिया गया था उसमें उस पट्टे के आधार पर उसको ऋण लेने का हक था, उसको बेचने का हक था लेकिन इस बार जो पट्टे जारी किये गये हैं उनमें ये दोनों ही शर्तें लागू की गयी हैं कि इसका बेचान नहीं किया जा सकेगा और इसको कोई रहन नहीं रख सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक गरीब को उसकी झोंपड़ी और उसकी छत का हक दें और उसके आधार पर अगर उसको लोन लेने का अधिकार भी

(श्री संयम लोढ़ा)

नहीं दें, तो उस पट्टे का वह क्या करेगा? मैंने पहले भी मंत्री महोदय से निवेदन किया है, आपके माध्यम से अब फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में आदेश जारी करें जिससे उन गरीब लोगों को उस पट्टे का माकूल उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छी योजना शुरू की थी कियोस्क आबंटन की और शुरू-शुरू में कियोस्क आवासन मण्डल के माध्यम से बनाए गये। उपाध्यक्ष महोदय, आप अगर नगरपालिका क्षेत्रों में जाकर उन कियोस्कों का अवलोकन करेंगे तो उनकी कतारबद्ध खड़ी हुई वह पंक्ति देखेंगे तो आपको उसका अन्दाजा हो जाएगा कि उस पैसे का कितना भारी दुरुपयोग किया गया है, कितनी बेदर्दी से उस पैसे को बरबाद किया गया है। आप यहां बैठे-बैठे योजना बना देते हैं 4×6 का बना दीजिए। निचले स्तर पर कैसा उसका कंस्ट्रक्शन होता है, कितना उसका उपयोग होता है और इस तरीके से राजस्थान की जनता का लाखों रुपया इन कियोस्कों के अन्दर बरबाद हो गया। किसी की छत उखड़ी हुई है, किसी का प्लास्टर उखड़ा हुआ है और एक भी कियोस्क कहीं पर काम नहीं आ रहे हैं। कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो जितने कियोस्क हैं उनकी मैंने यही हालत देखी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सदन में ऊर्जा मंत्री जी भी मौजूद हैं मैं उनकी उपस्थिति का भी लाभ लेना चाहता हूं। इस कियोस्क को जिस आदमी ने भी लिया है पन्द्रह की पंक्ति में एक कियोस्क को शुरू करने की किसी ने कोशिश की है और अगर उसने बिजली का कनेक्शन लेने का प्रयास किया है तो आठ हजार रुपये के उस कियोस्क में बिजली का कनेक्शन लेने का खर्च सात हजार रुपये आ रहा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब सरकार की यह मंशा है कि बेरोजगारों को किसी तरीके से काम पर लगाना है तो ऐसे लोगों को जब आपने आठ हजार रुपये में कियोस्क देने की सोची है तो बिजली के कनेक्शन के अन्दर भी उनको राहत प्रदान करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग ने एक बहुत अभिनव फैसला किया है कि जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको छात्रावास के लिए भूमि आबंटन की जाए और भूमि नि:शुल्क आबंटन की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, कालेज जितने भी बने हुए हैं वह शहरों में बने हुए हैं और गरीब तबके के लोग जब छात्रावास की भूमि आबंटन की मांग करते हैं तो जो रेवेन्यू लैण्ड आसपास के गांवों की भी उपलब्ध होती है वह नगरपालिका के पैराफेरी एरिये में आती है और नगरपालिका के पैराफेरी एरिये में आती है, तो उस पर ग्रीन बैल्ट होती है तो उसका भू-उपयोग परिवर्तन करवाना पड़ता है।

(श्री संयम लोढ़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को छात्रावास के लिए राजस्व विभाग ने निःशुल्क जमीन आबंटन की और अब उसका भू-उपयोग परिवर्तन करवाना है तो वह सारा शुल्क नगरपालिकाओं के अन्दर उनको जमा कराना होगा। एक तरफ तो एक विभाग यह कोशिश कर रहा है कि किसी तरह कमजोर तबके के लोगों को आगे लाने के लिए, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए सहूलियत प्रदान की जाए और दूसरी तरफ स्वायत्त शासन विभाग की जो यह व्यवस्था है वह किसी भी दृष्टि से इस लोक कल्याणकारी सरकार का जो सोच है उसके अनुरूप नहीं है।

इसके लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके के जितने भी छात्रावास के लिए भूमि आबंटित नगरपालिका के पैराफेरी एरिये में की गयी है उनका भू-उपयोग परिवर्तन, रूपान्तरण, लीज वगैरह जो भी है वह सारे आप निःशुल्क करने की व्यवस्था करें क्योंकि हम लोग उसी दलित और आदिवासी तबके के लोगों के वोट के सहारे सत्ता में पहुंचे है अतः हमारा यह पूरा प्रयास होना चाहिए कि उस तबके के लोगों के हितों की हम रहनुमाई कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने एक व्यवस्था की है, समझौता समिति की। निश्चित रूप से आपका अच्छा सोच रहा होगा समझौता समिति को बनाने के पीछे कि किसी तरीके से निचले स्तर पर जो विवाद है उनको इस समझौता समिति के माध्यम से निपटाया जा सके लेकिन इस समझौता समिति से ऐसे छोड़ दिया है कि अगर जो भी दर प्राप्त हो रही है नगरपालिका को, अगर कमेटी अपने विवेक से यह समझती है कि उसमें पैसा कम प्राप्त हो रहा है तो वह उसका नियमन नहीं करें। अब कमेटी में जो लोग बैठे हुए हैं उनको पैसे दे दो तो उनका विवेक जाग्रत नहीं होता है और पैसे नहीं दो तो उनका विवेक जाग्रत हो जाता है। एक ही पंक्ति में दुकानें जब बनी हुई हैं उन दुकानों को तो नियमन कर दिया गया जिसमें कमेटी का विवेक जाग्रत नहीं हुआ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कमेटी में आप मैम्बर हो।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, हर मीटिंग में हम नहीं जा सकते। हमारे 122 गांव पड़ते हैं और नगरपालिका के अध्यक्ष यह सोचकर मीटिंग रखते हैं कि एम.एल.ए. कब गायब है। निवेदन कर रहा हूं, जो व्यावहारिक समस्या है वह निवेदन कर रहा हूं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह प्रकरण आप मेरी जानकारी में ला दें। मैं राज्य स्तरीय समझौता समिति में उसको रेफर कर दूंगा।

श्री संयम लोढ़ा : शुक्रिया। मैं यह निवेदन कर रहा हूं, वैसे प्रकरण राजस्थान में बहुत जगह होंगे माननीय मंत्री महोदय...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य की अनुपस्थिति में वह समझौता नहीं हो सकता।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह तो परिपत्र में साफ लिखा हुआ है कि अगर निम्न स्तर की समझौता-समिति है, पालिका स्तर की समझौता समिति है, अगर उसके फैसले पर किसी को एतराज है, तो राज्य स्तरीय समझौता समिति में अपील कर सकता है। लिखा हुआ है वह तो।

श्री संयम लोढ़ा : अब एतराज तो मैं ही करूं तो है जिसको लाभ हो रहा है वह क्यों करेगा?

श्री शांति कुमार धारीवाल : नहीं, जिसको एतराज हो, लाभ होने वाला तो कभी एतराज नहीं करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, टाइम बढ़ा दें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांग संख्या-29 पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय मांग संख्या-29 पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या-29 पर विचार

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मामलों में नगरपालिका के अध्यक्ष की सेवा नहीं की जाती है वह कीप पैंडिंग, वह डिस्पोजल ही नहीं करते। इसलिए आपने एक व्यवस्था की है उसमें अगर कोई कमी सामने आ रही है, तो मैं उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपको निवेदन कर रहा हूं आप इसका परीक्षण करा लें उसके बाद आपको जैसा उचित लगे, आप उस सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसाकि विधान सभा के पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी ने मुझे मेरे प्रश्न के उत्तर में आश्वस्त किया था कि सिरोही में राजीव नगर एक आवासीय योजना पिछले कई सालों से विचाराधीन है। उस सम्बन्ध में आपने मुझे आश्वस्त किया था, आप मार्च से उसके भू-खण्ड आबंटन के सम्बन्ध में कार्यवाही शुरू करा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अभी भी उसमें भारत सरकार का लोन लिया है, सिरोही

(श्री संयम लोढ़ा)

नगरपालिका ने करीब डेढ़ करोड़ रुपए की वह भूमि ली गयी और आज भी उसके भू-खण्ड आबंटन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी। लोगों के आवेदन वर्षों से वहां जमा हैं, 194 भूखण्ड हैं उसके अन्दर और अगर आप उसको क्रियान्वित कर सकेंगे तो 194 परिवारों को उसके माध्यम से आवासीय सुविधा से लाभान्वित किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप मेरे माध्यम से समाप्त करने की कृपा करो।

श्री संयम लोढ़ा : निश्चित रूप से उपाध्यक्ष महोदय, माउंट आबू के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बोलने दो न वैसे ही लोग नहीं हैं बोलने वाले और अच्छा बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कब कह रहा हूं खराब बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बोलने दो न।

श्री संयम लोढ़ा : वैसे तो मंत्रीजी ने कई बार माउंट आबू विजिट किया है और स्वयं भी कई हालातों से अवगत हैं। माउंट आबू में स्थिति क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, कि विधिवत तो किसी को निर्माण की इजाजत मिल नहीं सकती लेकिन नगरपालिका की भेंट पूजा करो तो फिर आप काम्पलैक्स भी बनाओ तो कोई रोकने वाला नहीं है। पिछले 2001 के अन्दर...

श्री सुरेन्द्र व्यास : चेयरमैन होता है, यहां की कमेटी की बात कहते हैं तो आप फौरन नाराज हो जाते हो। कमेटी है आपका कोई एलीगेशन है तो लिखकर दो, मंत्रीजी से जांच कराओ, आपका मंत्री है। अब क्या पता किस चेयरमैन के लिए बार-बार बात कह रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो आप कह रहे हो अच्छा बोल रहे हैं और अभी आपने आब्जक्ट कर दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अच्छा बोलना अलग बात है।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य से भी अनुरोध करूंगा कि आप चाहे तो स्वयं भी वहां पर विजिट करके आ जाएं ताकि आपके माध्यम से भी लोग लाभान्वित हो सकें और आप भी वस्तु स्थिति से अवगत हो सकें। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर पिछले साल एक भी निर्माण की इजाजत या मरम्मत की इजाजत के सम्बन्ध में कोई मीटिंग नहीं हुई। किसी आदमी का परिवार है, एक या दो कमरे के मकान में वह रह रहा है और उसका परिवार, किसी के बच्चे की शादी हो गयी, कुछ भी हो गयी, आज परिस्थितियां ऐसी

(श्री संयम लोढ़ा)

बनी हुई हैं कि वहां का स्थानीय नागरिक अपनी जरूरत के मुताबिक यदि वह कोई निर्माण कराना चाहता है तो वह नहीं कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि माउंट आबू के सौन्दर्य को, वहां की स्थिति को बनाये रखना आवश्यक है लेकिन यदि कोई कंस्ट्रक्टेड एरिया आलरेडी है, तो उसके ऊपर ही अगर किसी जरूरतमंद को आप एक कमरा बनाने की इजाजत दे दें या दो कमरे ऊपर ही बनाने की इजाजत दे दें, इसमें कोई पर्यावरण का या वहां के सौन्दर्य का नुकसान होने वाला नहीं है। नये कंस्ट्रक्शन की इजाजत भले ही आप नहीं दी लेकिन वहां के स्थानीय वाशिन्दों की इस आवश्यकता की पूर्ति करने में आप निश्चित रूप से विचार करेंगे। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं।

इसी तरीके से आबू रोड में एक गांधी नगर नाम की कालोनी है, वहां सारे स्टेट टाइम के पट्टे दिए हुए हैं और उन पट्टों के जो धारक हैं वह सारे या तो मर चुके हैं या वह अस्तित्व में नहीं हैं और उन सारे भूखण्डों के ऊपर दूसरे लोग काबिज हैं। वह अपने परिवार के साथ वहां वर्षों से रह रहे हैं लेकिन आज तक उनको किसी तरह के पट्टे का कोई हक नहीं मिला है। पुराने जो पट्टे हैं स्टेट टाइम के उनको खारिज करवा कर इन नये लोगों को उसके पट्टे देने की आप कृपा करें जिससे वहां के जो सैकड़ों परिवार पीड़ित हैं उनको राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं दो-तीन बातें दूसरी भी निवेदन करना चाहता हूं। राज्य सरकार ने 6 दिसम्बर, 2001 को लालकोठी योजना के नियमन का फैसला किया है। हालांकि कैबिनेट की सब कमेटी ने यह फैसला किया है लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य क्यों इनकी जानकारी में नहीं आया, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आपने नियमन का फैसला किया, 1964 से वह मामला चल रहा है और 2001 के अन्दर एक बिल्डर ने इसी क्षेत्र के अन्दर डेढ़ लाख वर्ग गज जमीन खरीद ली और आपने 2001 में नियमन किया, उसका नियमन का फैसला किया। पिचहत्तर हजार पांच सौ स्क्वायर फीट जमीन 17.7.2001 को खरीदी गयी।

(17.00 बजे)

दस हजार स्क्वायर फीट 9.12.2000 में खरीदी गयी, दस हजार 21.4.2001 में खरीदी गयी, दस हजार 6.1.2001 को खरीदी गयी।

माननीय उपाध्याक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निदेदन करना चाहता हूं कि सरकार संवेदनशील है, पारदर्शी सरकार है, इसने लगातार लोक कल्याणकारी काम किए हैं पर यह जो फैसला है वह कई तरीके से संशय और संदेह पैदा

(श्री संयम लोढ़ा)

कर रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस नियमन के फैसले पर वह पुनर्विचार करें। क्योंकि आपकी तो मंशा यह थी कि जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित किया जाएं जो वर्षों से पीड़ित हैं उनको लाभान्वित किया जाए। लेकिन तथ्य यह साबित करते हैं इसका फायदा किसी और को हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र के अन्दर कई पूर्व मंत्रियों, कई विधायकों के भी प्लाट थे और आपको जानकर हैरत होगी कि पिछले एक साल पहले उनसे वह सब प्लाट खरीद लिये। उस व्यक्ति ने क्या कहा, वह मैं निवेदन नहीं करना चाहता हूं। उसके बाद नियमन का फैसला हो गया, तो इसके बारे में सरकार पुनर्विचार करे।

1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और जोधपुर हवाई अड्डे को काफी क्षति पहुंची थी तब मिनिस्टरी आफ डिफेंस ने यह सोच दिया था, यह विचार दिया था कि कभी जयपुर की भी इस कार्य के लिए आवश्यकता पड़ सकती है। मिनिस्टरी आफ डिफेंस की जो एक्सपेक्टेशन थी उसका वायलेशन करके लो फैसले करने की बात की जा रही है। जैसे एयरपोर्ट क्षेत्र में 1550 एकड़ क्षेत्र का भू-उपयोग में परिवर्तन कर दिया गया। वहां के क्षेत्र में नौ सौ मीटर क्षेत्र में जो मिनिस्टरी आफ डिफेंस की एक्सपेक्टेशन में कंस्ट्रक्शन फ्री जोन होना चाहिए लेकिन उसके सराउंडिंग एरिये में भी निर्माण की स्थितियां बन रही है। तब यह सरकार पर आरोप लगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में भी छेड़छाड़ की जा रही है तो यह किसी भी दृष्टि में ठीक नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी इस दिशा में अवश्य कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2002-2003 की अनुदान की मांग संख्या 29 पर मैं अपने विचार रख रहा हूं।

कच्ची बस्ती में कोई अवैध अतिक्रमण हो उसकी तो बात समझ में आती है लेकिन चौड़े धाड़े राजस्थान की राजधानी जयपुर के अन्दर आम जनता की सुविधाओं के स्थान पर कोई धनाढ्य सेठ कब्जे करे तो मैं समझता हूं राजस्थान की जनता के आवागमन की सुविधा पर वह खुला-खुला अतिक्रमण है। उस अतिक्रमण को राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत, जो राजस्थान के लौह पुरुष हैं, उन्होंने

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

अपना परिचय देते हुये उस धनाढ्य सेठों के बाद जो आम जनता के आवागमन की सुविधा थी उन बरामदों को खाली कराके पूरे राजस्थान के अन्दर अतिक्रमण हटाओ का एक संदेश दिया। जिसका असर पूरे सम्भाग मुख्यालय के साथ-साथ जिला स्तर और उप खण्ड स्तर पर भी पड़ा। जो अवैध अतिक्रमणी थे उन लोगों के हौंसले पस्त हुए हैं। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी के प्रति हम लोग आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं।

जयपुर को हैरिटेज सिटी बनाने का सपना भी मुख्य मंत्रीजी ने साकार किया है ताकि देश विदेश से सैलानी यहां आए और आ करके पूरे राजस्थान की, जयपुर की तस्वीर की पूरे विश्व के अन्दर एक अमिट छाप छोड़ें। इस प्रकार से जयपुर को हैरिटेज सिटी बनाने का आयोजन किया जा रहा है और निरन्तर प्रगति और विकास की तरफ अग्रसर हैं। मैं समझता हूं इससे भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि हैरिटेज सिटी सौन्दर्यीकरण के साथ साथ राजस्व भी इससे बढ़ता है तो मैं समझता हूं कि ऐसे ही कार्यक्रम हाथ में लेने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त, 1998 से पूर्व पूरे राजस्थान के अन्दर जहां गंदी बस्ती और कच्ची बस्तियों के अन्दर चाहे वह अनुसूचित जाति, जनजाति का व्यक्ति हो, चाहे पिछड़े तबके का व्यक्ति हो, चाहे अल्पसंख्यक व्यक्ति हो, चाहे गरीब परिवार का व्यक्ति हो, जिन लोगों ने गाढ़ी कमाई से 25-30 साल पहले अवैध अतिक्रमण करके अपने सिर को ढंकने के लिए जिस प्रकार से चाहे वह पचास गज के अन्दर अतिक्रमण किया हो, चाहे साठ गज के अन्दर अतिक्रमण किया हो और उसने जैसे तैसे एक कमरा बनाकर अपने सिर को ढंकने की कोशिश की। लेकिन उसके ऊपर हमेशा एक मनो-वैज्ञानिक या एक तरह से मानसिक रूप से चिन्ता सताये जा रही थी कि पता नहीं प्रशासन का बुलडोजर कब चल जाए और मेरी गाढ़ी कमाई से किया हुआ मकान जो अवैध रूप से बनाया हुआ है, पता नहीं कब ध्वस्त हो जाएं, यह मानसिक चिन्ता 25-30 साल से उस अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति को लगातार सताये जा रही थी। लेकिन राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जो अनुसूचित जाति, जनजाति के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं, उन्होंने उनकी पीड़ा को महसूस करते हुये 15 अगस्त, 1998 से पूर्व जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं उनको पट्टे देने का एक साहसिक कदम उठाया है। मैं समझता हूं कि पचास साल के इतिहास के अन्दर यह महत्वपूर्ण कदम रहा। एक लोकतांत्रिक सरकार के अन्दर एक क्रांतिकारी कदम रहा।

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

पट्टे देने के साथ में उसको उसका स्वामित्व, प्रमाण-पत्र दिया। इतना ही नहीं उस पट्टे के अन्दर उनकी धर्मपत्नी की फोटो भी साथ लगा करके उसको स्वामित्व प्रमाण-पत्र इस बात के लिए दिया कि कहीं वह किसी भू-माफिया के चक्कर में आकर, कहीं पर शराब के नशे में या कहीं बदहाली की हालत के अन्दर अपने घर परिवार से बिना पूछे अपने मकान को नहीं बेच दे। इसलिए उनकी धर्मपत्नी की इजाजत के बिना वह मकान नहीं बिक सकता है। इतना महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस की गहलोत सरकार ने उस गरीब व्यक्ति के लिए, उनको स्वामित्व प्रमाण पत्र देने के लिए किया है। मैं समझता हूं गहलोत सरकार के इस कदम को पूरे राजस्थान की जनता उनके प्रति धन्यवाद अर्पित करती है।

राजस्थान की गहलोत सरकार ने जितने भी नगर निगम हैं, नगर परिषद् हैं, नगरपालिका क्षेत्र हैं, जिनके अन्दर जो दुकानें व्यवसायियों के लिए दी हुई हैं उन लोगों को स्वामित्व प्रमाण पत्र देने का महत्वपूर्ण फैसला किया। जो किराये पर दुकाने थीं, उनकी बाजार दर के हिसाब से 30 प्रतिशत की राशि के ऊपर रियायती दर के ऊपर वह दुकानें उनके नाम हस्तान्तरित कर दी गयीं। मैं समझता हूं कि व्यवसायियों के हित में उनको स्वामित्व प्रमाण पत्र देकर कांग्रेस की गहलोत सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मैं समझता हूं गहलोत सरकार का यह भी एक क्रांतिकारी कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नगरीय क्षेत्र के अन्दर जहां शहर के अन्तिम नुक्कड़ पर बैठे हुए बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गुमटियों का निर्माण करवाया गया और लाटरी सिस्टम के माध्यम से रोजगार के लिए गुमटियों का आबंटन किया गया। यह भी गहलोत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम रहा।

शहर के अन्तिम नुक्कड़ पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति के बच्चे को साक्षर करने के लिए जिस कच्ची बस्ती के अन्दर प्राइमरी स्कूल नहीं हैं, उस जगह नगरीय क्षेत्र के अन्दर राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला खोलने का महत्वपूर्ण कदम गहलोत सरकार ने उठाया है जिससे शिक्षा के अन्दर वैसे भी हमारा प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है। शिक्षा की साक्षरता की दर भी बढ़ती जा रही है। मैं उस वार्ड में कच्ची बस्ती में यदि वह अनुसूचित जाति का वार्ड है, चाहे वह ओ.बी.सी. का वार्ड है, चाहे वह महिला वार्ड है, चाहे वह सामान्य वार्ड है, यदि उस कच्ची बस्ती के अन्दर राजीव गांधी पाठशाला खोली जाती है, तो उसी वर्ग का अध्यापक उसी स्कूल

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

के अन्दर अध्ययन करवाएंगे। इतना महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस की गहलोत सरकार ने किया। मैं समझता हूं शिक्षा के क्षेत्र में यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय, ''प्रशासन शहरों के संग'' 26 जनवरी, 2002 से चालू किया गया और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी जो आधुनिक राजस्थान के निर्माता हैं, उन्होंने ''प्रशासन शहरों के संग'' की शुरूआत जयपुर जैसे शहर के अन्दर अनुसूचित जाति की बस्ती झोटवाड़ा के अन्दर से की। मैं समझता हूं पूरे ही राजस्थान के अन्दर इसका एक बहुत बड़ा संदेश गया कि कच्ची बस्तियां, जहां गन्दगी के ढेर हमेशा अनुसूचित जाति की बस्ती में रहते हैं और उसी बस्ती से ''प्रशासन शहरों के संग'' अभियान की शुरूआत की। इसके लिए पूरा अनुसूचित जाति, जनजाति समाज उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता है।

अभी वर्तमान में 1 जून से कृषि भूमि के रूपान्तरण और नियमन का, आबंटन करने का विचार और अभियान चलने जा रहा है उसके सम्बन्ध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि लैण्ड कनवर्जन रूल, 1981 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को कनवर्जन शुल्क में 50 परसेंट रियायत थी। किन्तु अधिसूचना 17 जून, 1999 से संशोधित नियम में इस शुल्क की 50 परसेंट छूट को लागू नहीं किया गया। मैं यह चाहता हूं इस छूट को पुनः लागू

(17.00 बजे)

किया जाए। ताकि एक जून से जो अभियान चलने जा रहा है नियमन का, उसके अन्दर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को उसका पूरा-पूरा लाभ मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, एशियन विकास बैंक के सहयोग से राज्य के 6 सम्भागीय मुख्यालयों को आधारभूत सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है जिसके अन्दर अजमेर जिला भी है। इसके बारे में आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि अजमेर शहर का विकास हो, इसके साथ-साथ में हम यह चाह रहे हैं कि सम्भागीय मुख्यालय पूरा अजमेर जिला है, तो अजमेर जिले का सम्पूर्ण विकास हो। अजमेर जिले के अन्दर केकड़ी नगरपालिका क्षेत्र भी है, सरवाड़ नगरपालिका क्षेत्र भी आता है, किशनगढ़ नगरपालिका क्षेत्र भी आता है, विजयनगर नगरपालिका क्षेत्र भी आता है, ब्यावर नगर परिषद् है और पुष्कर नगरपालिका क्षेत्र भी है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय आपके माध्यम से चाहता हूं कि जब अजमेर जिले में एशियन विकास बैंक के सहयोग से आप आधारभूत ढांचे का विकास करना चाह रहे हैं तो इसके साथ-साथ में अजमेर

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

जिले की समस्त नगरपालिकाओं का इस योजना के माध्यम से आधारभूत ढांचा तैयार करें, उनका विकास करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले का सबसे बड़ा उपखण्ड केकड़ी है। मेरी निरंतर मांग भी रही है कि केकड़ी को जिला बनाया जाए। अबके बजट में और बात करेंगे। साथ ही सरवाड़ नगरपालिका में जो सरवाड़ दरगार शरीफ है वह सरवाड़ नगरपालिका क्षेत्र के लिए आय का स्रोत है, क्योंकि वहां लाखों जायरीन हर साल आते हैं। उनसे एक रुपए टिकट बस यात्रियों के माध्यम से लिया जाता है। लाखों रुपए उसकी आय होती है, उसके माध्यम से वहां के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को तनखाह दी जाती है, वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और मूलभूत सुविधाएं वहां पर दी जाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरवाड़ दरगाह शरीफ को एक पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाए और सरवाड़ नगरपालिका का आधारभूत विकास किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा देशी-विदेशी लोग आएं। क्योंकि वहां देश-विदेश के कौन-कौन से मुसलमान जायरीन भी आते हैं, देश विदेश से सैलानी भी आते हैं। मैं चाहता हूं कि इससे राजस्व आय और बढ़ेगी। जो आपका पैसा एशियन विकास बैंक के माध्यम से लगेगा लेकिन आपको राजस्व आय भी वहां से प्राप्त होगी।

श्री ललित भाटी : माननीय मंत्री महोदय, जैसे पुष्कर को आपने ए.डी.बी. से बाद में जोड़ा है, माननीय सदस्य सही बात कह रहे हैं कि सरवाड़ के अन्दर सब जाते हैं तो सरवाड़ को भी इसके साथ इंक्लूड करें।

श्री उपाध्यक्ष : वह सरवाड़ की ही तो कह रहे हैं।

श्री ललित भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, पुष्कर को तो ले लिया है, सरवाड़ की भी उसके साथ में घोषणा कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय क्या घोषणा करेंगे वह तो आप इंतजार करें।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, गहलोत सरकार धर्मनिरपेक्ष सरकार है, कांग्रेस की सरकार धर्मनिरपेक्ष सरकार है इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने पुष्कर को जोड़ा तो निश्चित रूप से सरवाड़ नगरपालिका क्षेत्र को भी जोड़ें। मंत्रीजी की तो मेरे ऊपर सदा कृपा रही है, रास्ता भी कोटा रूट का वही पड़ता है। सरवाड़ नगरपालिका क्षेत्र पर आपकी विशेष मेहरबानी रहे और इसको आप जोड़ें।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ में निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नगरपालिका क्षेत्रों में सीमेंट सड़कें, चाहे वह 11वें

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

वित्त आयोग के माध्यम से हों, चाहे किसी भी अनुदान के माध्यम से हम लोग बनाते हैं। लेकिन दूर संचार, पी.एच.ई.डी. और नगरपालिकाओं के बीच में सामंजस्य नहीं है। रोड कटिंग के माध्यम से पूरी सड़के बदहाल स्थिति में हो जाती हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस तरह का परिपत्र जारी करें कि किसी भी नगरपालिका क्षेत्र में सड़कों की तोड़-फोड़ करने से पहले या सड़क बनाने से पहले पी.एच.ई.डी. और दूरसंचार विभाग से एक बार वार्तालाप करके या पत्र व्यवहार करने के बाद ही सड़कों का निर्माण करें क्योंकि रोड कटिंग के पैसे से पूरी सड़क तो बन नहीं सकती है और उसका पूरा स्वरूप ही खराब हो जाता है। मैं चाहता हूं कि रोड कटिंग से पहले ही इस पर सामंजस्य बैठाए उसके बाद में रोड का निर्माण कराया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ में केकड़ी नगरपालिका और सरवाड़ नगरपालिका के अन्दर थोड़े संसाधन जुटाने की आवश्यकता है क्योंकि अनुसूचित जाति का वह आरक्षित क्षेत्र है। इसके वर्तमान में आय के स्रोत हैं नहीं इसलिए मैं चाहता हूं कि संसाधन जुटाने के लिए सरवाड़ नगरपालिका में एक तो अग्नि शमन वाहन उपलब्ध कराया जाए, एक डम्पर कचरा उठवाने के लिए और एक जे.सी.बी. अतिक्रमण हटाने के लिए उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ केकड़ी नगरपालिका और सरवाड़ नगरपालिका, जो डी श्रेणी की हैं, थोड़ा सा उसको वर्तमान जनसंख्या के आधार पर उच्च श्रेणी में क्रमोन्नत करें तो उसका भी लाभ हमें मिलेगा। समय-समय पर केकड़ी नगरपालिका और सरवाड़ नगरपालिका को आपके माध्यम से अनुदान भी देते रहा करो। अभी 237 नगरपालिकाओं में लाइटें कटी हुई हैं। जहां बड़े-बड़े शहरों में मास्क लाइटें लगी हुई हैं और जिसका लम्बा-चौड़ा बिल आता है। लेकिन छोटी-छोटी नगरपालिकाओं में थोड़ी-बहुत रोशनी रहे, आदरणीय मंत्रीजी कृपा करें। अनुसूचित जाति विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दोनों नगरपालिकाएं आती हैं, आपके माध्यम से उनको थोड़ा अनुदान देते रहा करो।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां दोनों नगरपालिकाओं में सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं और आज वह पद रिक्त हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि सफाई कर्मियों की विशेष भर्ती चलाकर उनकी भर्ती की जाए। नगरपालिकाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलती हैं। नगरपालिकाएं, नगर परिषद् या नगर निगम पी.डब्ल्यू.डी. का काम नहीं करें, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं आती हैं, जैसे बेरोजगारों को ऋण देने की, शहरों के अन्दर पोप योजना होती है तो मैं चाहता हूं कि समस्त नौकरशाही को पाबन्द करें

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

कि इन योजनाओं का समयबद्ध तरीके से इनका लाभ मिले। इसका बेरोजगारों को लाभ मिलेगा, मूलभूत सुविधाएं नगरपालिकाओं के माध्यम से आम जतना को मिलेगी और जिससे एक अच्छा संदेश जाएगा।

मेरा निवेदन है कि सफाई में ठेका पद्धति बन्द की जाए क्योंकि अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा वर्ग हरिजन समाज है और उनका एक ही काम है सफाई। ठेका पद्धति चालू करने से अनुसूचित जाति, जनजाति के हरिजन समाज पर कुठाराघात हो रहा है। एक विशेष अभियान चला करके सफाई कर्मचारियों की, हरिजन समाज के लोगों की भर्ती की जाए और ठेका पद्धति को बन्द किया जाए। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ आप जनता को पहुंचाएं। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : मैं आगे बंशीवाल भी लिखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नन्दलाल तो यहां पर तीन-चार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर स्वायत्त शासन मंत्री जी को संवेदनशील मंत्री कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। यह सरकार तो संवेदनशील है नहीं मगर मंत्री जी संवेदनशील जरूर हैं ऐसा मेरा मानना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में कुछ तथ्य लाना चाहता हूं। कैसे इस राज्य में लोकतंत्र की हत्या हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके क्षेत्र की कुछ हो वह कह दो, हत्या-वत्या तो निपट लेंगे। आपके क्षेत्र की कुछ हो वह कह दो। क्षेत्र के विकास की बात कह दो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की ही बता रहा हूं, कैसे लोकतंत्र की हत्या हुई वही निवेदन करने जा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह बोलो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नगरपालिका दौसा का मामला मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। हमारे दौसा नगरपालिका चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास आया। अविश्वास दौसा जिला कलक्टर को रख दिया। चेयरमैन नगरपालिका दौसा कांग्रेस का है। उसको बचाने के लिए आप लोगों ने चार मेम्बरान के खिलाफ जिला कलक्टर दौसा से एक अन्तरिम रिपोर्ट मंगाई। उनके ऊपर आरोप था कि यह चार मेम्बर हैं, इनके चुनने के बाद इनके बच्चे हो गये इसलिए इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। जैसे ही यह जानकारी मेरे पास आई, मैंने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया कि

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

अविश्वास रख दिया गया है, चेयरमैन के खिलाफ और दौसा कलक्टर से कोई अंतरिम रिपोर्ट मंगाई है। आप उसकी जांच करवाकर ही कोई निर्णय उस पर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सी.एम. साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि बिना जांच करे हम कोई भी कार्यवाही सरकार की तरफ से नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास पारित हो गया, कांग्रेस का चेयरमैन हट गया और उपाध्यक्ष जो था उस समय, उसको चेयरमैन का कार्यभार सम्भला दिया। आप देखिए सरकार ने कैसे लोकतंत्र की हत्या की इनको बरदाश्त नहीं हुआ, अविश्वास पारित हो गया इनकी बात खराब हो गई। हमारे जिले के दो-दो मंत्री जो जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको यह बात खटी नहीं कि हमारी बात पीट गई। और आज कैसे इसको हटाएं। इन्होंने सरकार से और माननीय मंत्री महोदय, आपसे एक आदेश पारित करवाया। क्या पारित करवाया कि आपने उस नगरपालिका के वाइस चेयरमैन को यह कहते हुए निलम्बित कर दिया कि उसकी मैम्बरशिप, उसके चुनाव लड़ने के बाद, आपका जो नियम है, नियम विरुद्ध उसके बच्चे हो गये इसलिये उसको निलम्बन आदेश दे दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी में लाना चाहता हूं कि नगरपालिका दौसा के चेयरमैन की सीट एस.सी., महिला की है और इन्होंने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि किसी शिड्यूल्ड कास्ट की महिला को कार्यभार सौंपा जाए, आपने एक अल्पसंख्यक महिला को उसका कार्यभार सौंप दिया। ऐसे-ऐसे ये काम कर रहे हैं। तीन दिन भी इनको वह बरदाश्त नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने उस वाइस चेयरमैन को निलम्बित कर दिया, बाकी अन्य तीन मैम्बरों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की? क्यों नहीं की, इसलिए नहीं की कि वह अपने निलम्बन से खौफ खा गए। यहां पर आप लोगों से मिल लिए, यह कह दिया कि हम कांग्रेस का साथ दे देंगे हमारा निलम्बन मत करना और आपने आज तक उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की है। अगर वे तीन मैम्बर भी दोषी हैं, तो उनको भी निलम्बित करें और जिसको आपने सस्पैण्ड किया है अगर वह दोषी नहीं है, तो उसका निलम्बन रद्द करें।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, ऐसे-ऐसे बढ़िया काम कर रहे हैं, आपकी डेढ़ साल बाद पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इसका जवाब आपको जनता देगी। आप 153 की संख्या में यहां आये बैठे हुए हैं, 153 की संख्या में आप यह भूलते जा रहे हैं कि आप अच्छे कार्य या बुरे कार्य कर रहे हैं। कम से कम इस बात को तो

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

आप ध्यान रखें कि कैसे आप अच्छे कार्य कर रहे हो, कैसे बुरे कार्य कर रहे हो, भगवान से डरकर काम करना चाहिए। आप लोग ऐसे-ऐसे कार्य कर रहे हो, अगर आप दौसा में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने लोकतंत्र का क्या मजाक उड़ाया है सड़कों पर। आपने हमारे वाइस चेयरमैन को जो चार्ज दिया वह निर्दलीय था, उसको वाइस चेयरमैन का चार्ज चेयरमैन को मिला और आप लोगों ने उसको हटा दिया। आपको पता चलेगा जब आप जाओगे डेढ़ साल बाद।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कांग्रेस संस्कृति का और कांग्रेस का ही रहा हूं लेकिन मुझे बड़ा दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश की जनता ने आपको क्या समझ कर सत्ता सौंपी थी? वह बी.जे.पी. के शासन से खुश नहीं थी, मगर वह आठ साल के शासन में बदनाम हुई, आप तो तीन साल में बदनाम हो गए। आठ साल लगे उनको बदनाम होने में, आठ साल में हुई उनकी स्थिति तैंतीस की, आप तो तीन साल के अन्दर अपने को तैंतीस से भी नीचे की स्थिति में करके बैठे हो। (व्यवधान) हम तो फिर वापस आएंगे। आप आवोगे कि नहीं आवोगे, हम तो फिर आएंगे। ऐसे ही आएंगे, जिस तरह आएं हैं, जैसे पहले आए हैं, वैसे ही आएंगे, आपको बता रहे हैं।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : आप अपनी चिन्ता करें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कियोस्क निर्माण की जो योजना बनायी है, वह मात्र औपचारिकता बनकर रह गयी है। क्योंकि आपने कियोस्क निर्माण की जो कमेटी गठित की है, उसमें आपने अपने जो मैम्बर चयनित किए हैं, आपने गलत लोगों को चयनित कर दिया। कियोस्क के जो असल हकदार थे उनका नाम तो सूची में आने ही नहीं दिया और वे इस बात से वंचित हो रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कियोस्क की जो कमेटी बनायी है दौसा में उसको दुबारा गठित करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग विभाग है उसने हमारे दौसा का नक्शा बनाया। अभी हमारा दौसा नया जिला बना है। दस साल पहले आपने नक्शा बना दिया और आपने उसको चस्पा करवाया है नगरपालिका के अन्दर और कलक्टर के यहां पर। हमारा जो दौसा शहर और कस्बा है, वह बहुत ही पुरानी बसावट का शहर है, बसावट भी सैकड़ों साल पुरानी है। उसमें निर्माण जो हो चुके हैं, इतनी संकड़ी गलियां हैं। मुख्य मार्ग भी बहुत संकड़ा है और आपने अपनी डी.टी.पी. वालों से नक्शा बनवा कर चस्पा करवाया है उससे लोगों में भ्रम की स्थिति

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

पैदा हो गयी। शहरी क्षेत्र के अन्दर, हमारे दौसा कस्बे के अन्दर, पुराने शहर में आप घुसेंगे, गलियां संकड़ी हैं। आपने कह दिया कि 60 फीट चौड़ी करेंगे, अगर आप 60 फीट चौड़ी करेंगे तो पता है वहां पर क्या स्थिति होगी? आज जो भानगढ़ की स्थिति हो गयी है, ऐसी हो जाएगी दौसा की स्थिति, उजड़ जाएगा दौसा। लोग-बाग यह कह रहे हैं कि डी.टी.पी. का नक्शा लग गया है, उनमें भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है। अब नक्शे के मुताबिक उन्होंने जो प्लानिंग की है, हमारे मकान टूटेंगे, हमारी दूकानें टूटेंगी, इस तरह से आपने उन लोगों को भ्रमित कर दिया। इसको दुबारा से बनाने के लिए आप डी.टी.पी. वालों को कहें। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि जैसी हमारी पुरानी बसावट है, उसके हिसाब से पुनः नक्शा तैयार करें।

एक और निवेदन है आपके नगरपालिका, दौसा के चेयरमैन क्या बढ़िया-बढ़िया काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति है बालकिशन आकड़, जिसने 10 साल पूर्व नगरपालिका के अन्दर नजराने के तौर पर अपनी जमीन के 54 हजार रुपए जमा करवा दिए। अभी आपने दुबारा एक नया चेयरमैन बना दिया। उसने क्या किया, उपाध्यक्ष महोदय, ई.ओ. के साथ मिलकर, घर पर बैठकर उसकी नजराना राशि 54 हजार रुपए जो 10 साल पूर्व से जमा है उसको नजरअन्दाज करते हुये एक प्रेमचन्द जैन, कोई वकील है, उसको पट्टा जारी कर दिया। उसकी रजिस्ट्री भी करवा दी। जिसकी शिकायत आपके पास पहुंची है मंत्री महोदय, आपने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन है कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें और जो उसके साथ ज्यादती हुई है उसको भी आप राहत दिलाएं, उसको न्याय दिलाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं। किसानों को तो आप बिजली नहीं देते, पानी नहीं देते पर नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर आप दिन में जाकर देखें, दिन के अन्दर लाइट जल रही है, बड़ी-बड़ी मर्करीज जल रही हैं। किसान आता है गांव से और शहर में आकर देखता है कि हमारे को तो बिजली नहीं दे रहे हैं, 6-6, 8-8 घंटे बिजली देने का वायदा करते हैं और शहरों के अन्दर उनको छह घंटे भी बिजली नहीं मिलती है और आपकी नगरपालिका सीमा के अन्दर, नगर परिषद् है, उसके अन्दर आप दिन में लाइटें जलती हुई देख लो। आपको कितना घाटा हो रहा है इस बात में, आपको अन्दाजा ही नहीं है। दिन के अन्दर आपका कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी देखने वाला ही नहीं है कि हमारे नगरपालिका क्षेत्र में दिन में लाइटें जल रही हैं, बड़ी-बड़ी

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

मर्करीज जल रही हैं। आपके पास शहरी क्षेत्रों के लिए लाइट खूब आ रही है, किसानों के लिए लाइट आपके पास नहीं है। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी को सुझाव है कि आप जो कोई दोषी कर्मचारी हैं, दिन में अगर कोई इस तरह से जलाए रखता है, उनको देखता नहीं है, तो उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं माननीय मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मालवीय नगर सैक्टर-3 में रेलवे अण्डर ब्रिज से सटी हुई 27579 गज जगह है, आबंट शुदा जगह है, जिसकी लगभग 7 करोड़ की कीमत है, जिसका मुआवजा 24 वर्ष पूर्व दिया जा चुका है। इस जमीन को जयपुर विकास प्राधिकरण एवं स्वायत्त शासन विभाग के कुछ ऊंचे अधिकारी मिलकर सिन्धु नगर गृह निर्माण सहकारी समिति से मिलीभगत करके उसको नियमित कराने का एक बहुत बड़ा घोटाला करने जा रहे हैं। कोई भी अधिकारी, कितने ही बड़े स्तर का अधिकारी हो, उसके खिलाफ आप जांच करें और अगर वह ऐसा करने जा रहा है तो उसके खिलाफ आप कार्यवाही करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक निवेदन और कर लूं, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां, मैं तो आगाह कर रहा हूं, बोलो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपकी मेहरबानी कम है मेरे पर।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं वैसे उम्मीद तो कुछ नहीं करता इस सरकार से कि यह कुछ देगी फिर भी कुछ निवेदन कर देता हूं कि हमारा जिला मुख्यालय दौसा है, वहां जो नगरपालिका है उसको नगर परिषद् बना दें। बना देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपकी आज्ञा हो तो एक मिनट कुछ कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दो, पूछ लेना न फिर।

श्री राजेन्द्र पारीक : सूक्ष्म में कहूंगा, दो ही मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : अब बुला लिया इनको, खड़े हो गये, बिराजो आप। अच्छा नहीं लगता, आप बिराजो।

श्री राजेन्द्र पारीक : दो ही मिनट में कहूंगा, कोई काम की बात कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो-बोलो।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पुश्तैनी काबिज लोग हैं, जिनको स्टेट के टाइम पर पट्टे जारी किये गये थे या स्टेट के टाइम पर जो लोग कदीमी कब्जे के रूप में रह रहे थे, जिनको टैक्नीकल लैंग्वेज से कूंचा उपाड़ के रूप में लिया जाता है। उन लोगों को हम किसी भी तरह पट्टे नहीं दे रहे हैं और पट्टे जो दे रहे हैं स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत, वास्तव में न तो उनको मोरगेज कर सकते हैं न उनको आप सेल कर सकते हैं ऐसे पट्टों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यदि हम पूरे राजस्थान में इस तरह के जितने भी पट्टे हैं उनकी हम कीमत तय कर दें दस रुपए गज, पन्द्रह रुपए गज का तो एक ओर उससे लाभ होगा कि स्टेट को पैसा मिलेगा और साथ ही जो आदमी उसमें रह रहे हैं उनको भी लाभ होगा। इसके अलावा...

श्री उपाध्यक्ष : स्टेट ग्रांट के पट्टे दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : पट्टे दे रहे हैं लेकिन उन पट्टों की उपयोगिता इसलिए नहीं है कि न तो हम उसको बैंक में रहन रख सकते हैं। एक आदमी कब पट्टा लेता है? पट्टा वह इसलिए लेता है कि उसको कोई कभी परेशानी हो या मकान बनाना है और बैंक से यदि वह लोन लेना चाहता है तो बैंक से लोन नहीं ले सकता, किसी को रहन रखना हो तो रहन नहीं रख सकता है, किसी को बेच नहीं सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात कह दी, पहले आ गयी यह बात।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक तो यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा यह निवेदन महत्वपूर्ण है कि शहरों में काफी पुराने समय से चला आ रहा है, सीवरेज सिस्टम तो है नहीं, सॉकपिट्स बने हुए हैं, जिनसे हालत यह हो गयी है कि 50-50 फीट गहरे गढढ़े बन गए हैं। उससे धीरे-धीरे जो अण्डर ग्राउण्ड वाटर पोल्युट होता जा रहा है। एक दिन स्थिति यह हो जाएगी कि पीने का पानी हमारे पास वैसे भी कम है, वह धीरे-धीरे पोल्युट होकर बिलकुल ही अनुपयुक्त हो जाएगा और जो कुछ भी हमारे पास में है वह पीने योग्य नहीं रहेगा। आप एक और जहां 1500-1500 करोड़ रुपए लेकर बड़े-बड़े शहरों का विकास कर रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो एक-एक होता जाएगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि नगरपालिका, नगर परिषद् को आप यदि इतना भी अधिकार दो कि वे अपने सैल्फ फण्ड्स जनरेट करके और किसी भी फाइनेंशिल इंस्टीटयूशंस से लोन

(श्री राजेन्द्र पारीक)

लेकर यदि सीवरेज की कोई भी योजना अपने क्षेत्र में लगाए तो उसके लिए गवर्नमेंट, को चाहिए कि उनको गारंटी दे। क्योंकि कोई भी फाइनेंशिल इंस्टीट्यूशन बिना गवर्नमेंट की गारंटी के पैसा नहीं देती जबकि पैसा चुकाना है नगरपालिका, नगरपरिषद् को। वे अपने फण्ड्स जनरेट करें, अपने फण्ड्स के बारे में दें कि मेरे पास ये फण्ड्स हैं और गवर्नमेंट यदि आश्वस्त होती है कि इनके पास जो फण्ड्स हैं इससे इनके हुडको से या किसी फाईनेंशिल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ लोन रि-पे हो जाएगा तो गवर्नमेंट को गारंटी लेकर ऐसे कामों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि हमारा एक ओर शहरों का विकास होगा और साथ ही साथ अण्डर ग्राउंड वाटर, जो पोल्युट हो रहा है उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी बोल लो, क्या कहना चाहते हो।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र है उसमें 5 पंचायतें सम्मिलित की हैं। वहां की जनता, भीखाभाई साहब और हम खुद नहीं चाहते हैं कि वो पांच पंचायतें नगरपालिका क्षेत्र में रहें। आप कृपा करके आज ही घोषणा करें कि पांच पंचायतें नगरपालिका क्षेत्र से बाहर निकालेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री शांति कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-29 पर जिन माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने विचार रखे मैं उनका आभारी हूं। कई सुझाव आए और ऐसे भी सुझाव आए जिनसे कि निश्चित तौर पर विभाग की कार्यप्रणाली में अगर उन सुझावों को मान लिया जाए तो सुधार होगा। ज्यादातर सदस्यों ने अपने यहां की कुछ समस्याओं पर विचार रखे हैं, कुछ ऐसी बातें भी आयी हैं जिनका विस्तार से मुझे जवाब देना पड़ेगा।

अजमेर से आने वाले ललित भाटी साहब ने दो-तीन बातें मुख्य रूप से कहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : है ही नहीं वो। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : कोई बात नहीं आप सुन लेना। नगर परिषद् में भ्रष्टाचार की बात है। इस सम्बन्ध में वैसे भी जांच चल रही है। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को कच्ची बस्तियों में उनके कब्जे को नियमन करने वाली बात है, तो उसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रिमण्डल का फैसला है, विभाग की

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

कोशिश होगी कि मंत्रिमण्डल के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत करे। एन.एस.डी.पी. के और ...(व्यवधान) दूसरे जो कार्य चल रहे हैं वह भारत सरकार की गाइड लाइन्स की स्वीकृति की वजह से अटके पड़े हुए हैं, उनको भी देखा जाएगा। कल्ला साहब, वह भी नहीं हैं यहां पर।

श्री उपाध्यक्ष : जो नहीं है उनका जवाब रहने दो, अब जो हैं उनको जवाब दे दो। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं आप ही का दे रहा हूं पहले।

श्री रामस्वरूप : टोडाभीम का भी कह देना, साहब।

श्री शांति कुमार धारीवाल : माननीय, मालपुरा से आने वाले सदस्य...

श्री ललित भाटी : मंत्री महोदय, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। मैं एक मिनट लाइब्रेरी में गया था, मैं भाग कर आया हूं। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : अब तो जवाब बाद में ही ले लेना।

श्री ललित भाटी : आप तो नम्बर लेने में माहिर हैं, मेरा भी ले ही लो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : ले लूंगा, पहले आपका दे दूं। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने ए.डी.बी. के प्रोजेक्ट के बारे में कहा। उस रोज भी यह चर्चा चली थी तब भी मैंने आपसे मना किया था पानी के लिए कोई रेगुलेटरी कमीशन नहीं बनाया जाएगा और मेरा आज भी यह कहना है, अब सवाल यह है कि मेरे मना करने के बाद आपने आज यह दुबारा इश्यू उठाया है तो डाकुमेंटरी प्रूफ तो आप दें, आप यहां पर यह पेश करें कि यह रेगुलेटरी कमीशन इसमें फोर्म किया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री माननीय श्री रामसिंहजी विश्नोई का स्टेटमेंट कल के अखबार में आपने पढ़ा होगा वाटर रिफोर्म्स के बारे में। आपने नहीं पढ़ा क्या?

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं ए.डी.बी. के प्रोजेक्ट का पी.एच.ई.डी. से कोई लेना-देना नहीं है। कोई लेना-देना नहीं है। खैर, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपके दूसरे पाइंट और भी हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अरबन लोन है वाटर रिफोर्म्स से आएंगे। अरबन लोन, उपाध्यक्ष महोदय, वाटर रिफोर्म्स ही आएंगे उसमें।

मोहम्मद माहिर आजाद : वो आएंगे तब आएंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं पार्ट है उसका।

श्री शांति कुमार धारीवाल : दूसरी बात आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं मेरा खयाल है कि मेरी और आपकी जानपहचान (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : जनार्दनजी, यह एकेडेमिक मैटर है, कोई मैच फिक्सिंग नहीं है आप शायद समझोगे नहीं इसको।

श्री शांति कुमार धारीवाल : दूसरी बात आपने कही हाउसिंग बोर्ड के बाबत। आपने कहा कि रूल्स बनाकर गवर्नमेंट ने हाउसिंग बोर्ड को विचारार्थ भेज दिये। मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं-there is a difference between Rules and Regulations. हमने जो कुछ भेजे वो रेगुलेशंस भेजे थे। उस प्रक्रिया में बनाकर मण्डल के विचारार्थ भेजे थे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लेकिन मण्डल ने नहीं माना आज तक। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : मेरा अर्ज सुनें। रेगुलेशंस बने थे, करीब-करीब जिनकी संख्या थी 42 के आसपास। बोर्ड की कल चार घंटे की बैठक में कुल मिलाकर दो या तीन परिवर्तन उन्होंने मांगे हैं सरकार से, जो हक है मांगने का। सरकार माने या न माने, सरकार सक्षम है।

तीसरी बात आपने कही कि ए.आई. सी.सी. का खर्चा 2.5 करोड़ रुपए...

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह तो रेलेवेंट नहीं है, वह तो छोड़ो आप।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह कौनसी पोलिटिकल पार्टी है जो खर्चा नहीं करती है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह आपके मंत्रिमण्डल ने प्रवोकेशन किया था, वह अलग चीज है, आप छोड़िए उस बात को।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मेरा खयाल है मैं आपके व्यक्तिगत हिसाब-किताब को भी जानता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, बिलकुल जानते हो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपने हजारों रुपया इसी कांग्रेस को चंदे में दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह आप संयम लोढ़ा को बताओ, जो पी.सी.सी. मैम्बर बनने के लिए अपन लोग कितना खर्चा करते थे, मैं भी करता था, आप भी करते थे, जो वे कहते हैं कि सब गांव-गांव में देते हैं। कोई नहीं देता है पी.सी.सी. मैम्बर बनाने के लिए। वह सही कह रहे हो आप।

श्री शांति कुमार धारीवाल : लालकोठी के बारे में आपने कहा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, अब दूसरे माननीय सदस्य का जवाब शुरू कर दो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : जवाब पूरा दूंगा मैं। (व्यवधान) पूरा जवाब दूंगा, आपका भी दूंगा। (व्यवधान) लालकोठी के बाबत आपने कुछ शंकाएं...

श्री सुरेन्द्र व्यास : फण्डामैंटली थीं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : फण्डामैंटल इश्यू, फण्डामैंटल ही बोलूंगा मैं। आपने यह कहा कि खाली बने हुए मकान और खाली जमीनों को, दोनों को आपने एक तराजू में तौल दिया। माननीय सदस्य यह बताएं कि जमीन तो पूरी अवाप्त थी, एक्वायर्ड थी, एक्वायर्ड लैण्ड पर अवैधानिक तरीके से यदि कोई निर्माण कार्य करता है तो गलती करता है। बने हुए मकानों को तो नियमित करें और जिसने कानून की पालना करके अपनी जमीन पर कुछ भी निर्माण नहीं किया उसके साथ नाइंसाफी करें?

श्री सुरेन्द्र व्यास : रीजनेबल...

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैंने आपको बहुत तसल्ली से सुना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री शांति कुमार धारीवाल : अब यह जो डी.बी. का फैसला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप इधर देखें ताकि वे बड़े नहीं होंगे।

श्री शांति कुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे 43 साल हो गये इनकी तरफ देखते-देखते, मैं आज कैसे बन्द कर दूं देखना।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे तो तीन साल ही हुए हैं, अब आप इधर देखो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह डी.बी. का फैसला है। उपाध्यक्ष महोदय,

"To bring an end to a 40 years, prolonged agony of litigation without any avail to the state, realising the ground reality that demolition of hundreds of constructed houses of the members of the public belonging to middle/ lower middle classes is a tough task coupled with other considerations which are..."

श्री सुरेन्द्र व्यास : डिमोलिशन आ गया क्या?

श्री शांति कुमार धारीवाल : आ गया, बात सुनिए पहले। आगे चार लाइन हैं, मैं पढ़ देता हूं आपको।

"If the popularly elected government has taken a policy decision in tune with the pulse of

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

masses, it is difficult for the court to say that it is contrary to public interest. Public Interest Litigation, of course,..."

श्री सुरेन्द्र व्यास : डिमोलिशन वाली बात आई है इसमें और उन्होंने, मिक्स किया है, मेरे मित्रों ने, जो स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन की बात नहीं उठाई इन्होंने। असली बात तो ओपन लैण्ड की और कंस्ट्रक्टेड की है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : ओपन लैण्ड?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह रीजनल क्लासिफिकेशन है। मंत्रीजी, यही हमको भ्रमित करता है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं आपसे फिर अर्ज करना चाहता हूं कि अगर ओपन लैण्ड वहां पर कोई लालकोठी में है, तो उसकी भी चारदीवारी बनी हुई है। उसमें एक या दो कमरे बने हुए हैं। क्या उसको जप्त करने के लिए डिमोलिशन करना जरूरी नहीं है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, वो कोई डिमोलिशन नहीं है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कोई बात नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं कि:-

" In view of the reply, public interest is transparent in the action. We are satisfied and convinced that had there been a correct and complete disclosure of full facts, perhaps the cognisance may not have been taken by the court suo motu."

यहां इस बैंच पर दो-दो अट्रेक्शन हैं।

"In the larger public interest, even if the government has to pay a little price, it is a small price indeed which has to be paid if at all we want the object of welfare state to prevail."

उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार कोई भी नीति बनाए, किसी को तो फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। सबको एक साथ न तो नुकसान हो सकता है और न ही सबको एक साथ फायदा हो सकता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कुछ का जायज हुआ और कुछ का नाजायज हुआ फायदा तो उसको हुआ, नुकसान किसी को नहीं हुआ उसका। (व्यवधान) हां, स्वागत है। लालकोठी योजना का इस पर क्या काम? मैंने कभी नहीं कहा कि यह इसकी गलती है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपने एक बात यह उठाई कि जयपुर विकास प्राधिकरण में बिल्डिंग प्लान कमेटी बनी हुई है और बिल्डिंग प्लान कमेटी का अध्यक्ष वहां का कमीश्नर होता है और नीचे के जितने भी अधिकारी हैं वह उसके मेम्बर होते हैं। आपको ध्यान नहीं, मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि पिछले दो सालों से उसमें जनप्रतिनिधि डाले गए हैं और जनप्रतिनिधि भी विधायक जयपुर के विधायक, जयपुर के विधायक उसके सदस्य हैं। यह हो सकता है कि उसके बावजूद भी कोई सदस्य वहां पर न पहुंचा हो या उनकी जानकारी में कोई मैटर न आया हो। आपने जो कुछ मामले मुझे दिए हैं मैं निश्चित रूप से उनकी जांच करवाउंगा, यह चाहे कितने ही बड़े अधिकारी हों। एक बात और आज आपने कही कि साहब, प्रशासन संग के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार सरकार ने छीन लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, जनरल के लिए कहा था।

श्री शांति कुमार धारीवाल : नहीं, जनरल तो कोई छीने ही नहीं हैं, जनरल तो और दिए है बल्कि जो संशोधन प्रस्तुत करने जा रहे हैं, 1959 का जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट बना हुआ है उसमें जो संशोधन अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं, लगभग 300 के करीब हैं उतना और उनको...

श्री सुरेन्द्र व्यास : जयपुर नगर निगम की जो दिवंगत मेयर थीं उनके झगड़े और मनजीत सिंहजी के झगड़े पूरी दुनिया जानती है। मंत्रीजी, गवर्नमेंट ने कितना जलील किया एक इलेक्टेड मेयर को, कितना आपने अतिक्रमण किया अधिकारों पर। यह बी.जे.पी. कांग्रेस का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि इलेक्टेड एक मेयर को और इलेक्टेड बाडी को...(व्यवधान) एक सुझाव था आप न माने।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप यह बात कह रहे हैं कि साहब उनके और चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर का किसी बात पर विवाद पर होता था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, हर बात पर।

श्री शांति कुमार धारीवाल : हर बात पर होता रहता था लेकिन मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि मेरे उनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आपके लिए मना नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। आपके तो हर आदमी से मधुर ताल्लुकात हैं। आप तो माहिर हैं। नाम तो माहिर इनका है महारत आपको है। ईजी होगा, तो कोई निश्चित बात है लेकिन जो जनरल...

श्री शांति कुमार धारीवाल : एक गवर्नमेंट होस्टल फ्लाई ओवर के बाबत आपने कहा है। आपने जयपुर के विकास को तो सराहा, मैं उसके लिए तो आपको धन्यवाद देता हूं कि गवर्नमेंट होस्टल के फ्लाई ओवर के लिए कहा कि यह गैर जरूरी है। मैं इसका आपको पहले भी एक बार जवाब दे चुका हूं कि मैं भी इस बात की जांच करवा रहा हूं। मुझे भी ऐसा लगता है कि...(व्यवधान) कुल मिलाकर आपकी तो बात यही थी।

श्री उपाध्यक्ष : अब दूसरे माननीय सदस्यों का जवाब दे दो, वह तो हो गया।

श्री शांति कुमार धारीवाल : डा. करण सिंह साहब ने यह फरमाया कि शहरों पर तो पैसा खर्च हो रहा है और ग्रामीण जनता के साथ दो भांत की जा रही है। यह तो मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करें, ग्रामीण विकास विभाग मुझे दिलवा दें।

डा. करण सिंह यादव : नहीं, छोटे शहरों पर, छोटी नगरपालिकाओं पर। अलवर जैसे बड़े शहर पर...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : शहर ही शहर थोड़े ही है और भी तो हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : छोटी नगरपालिकाओं के लिए आपने खुद ने जैसे...

श्री जनार्दन गहलोत : आप ग्रामीण मंत्रालय क्यों मांग रहे हैं, वह तो आपके ही पास है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, यह बात ठीक है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, देखिए, जब से यह चुंगी समाप्त हुई है और पुनर्भरण का पैसा राज्य सरकार को देना पड़ा है, इन तीन सालों में हमने नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब यह नगरपालिकाओं के प्रशासन पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकार के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उनका किस प्रकार से उपयोग करके अपना अर्थ अर्जन कर सकते है और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। समझौता समितियां बनाकर नियमन का पैसा उनको देना तय किया, जो किराये की दुकानें दे रखी थीं, जमीनें दे रखी थी जिनका 5 रुपए महीना किराया आता था और वह भी आता था या नहीं आता था, उनको बेचने का उनको अधिकार दिया और कई प्रकार के अधिकार दिये गये। जहां पर भी, जिन-जिन नगरपालिकाओं में सक्षम प्रशासन है, उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत की और मजबूत करके अपने शहर का डवलपमेंट भी करवाया। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। डाक्टर साहब की बात से मैं इत्तेफाक ही नहीं रखता। मैं मंजूर करता हूं इस बात को कि छोटी नगरपालिकाओं को सरकार को कुछ और ज्यादा अपनी तरफ से मदद देने के लिए

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

प्रयत्न करना चाहिए लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति की, जिस तरीके से शरीर की बाबत आपकी जानकारी है, राजकीय स्थिति के बाबत भी आपकी जानकारी होगी। आपने यहां बहरोड़ में तुलारामनगर के बाबत बात कही है, मैं, इसको दिखवा लेता हूं और शाहजहांपुर के मास्टर प्लान के बाबत जो आपने बात कही है, मैं इसको भी दिखवाता हूं।

जुगल काबरा साहब ने चुंगी भरण की राशि पर्याप्त नहीं होने की शिकायत की है। यह बात सही है, उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर के लिए उस वक्त, मतलब तत्कालीन सरकार ने जानकर या अनजान कर, पता नहीं क्या किया लेकिन वाकई इनके साथ नाइन्साफी की है और मैं माननीय सदस्य को यही अपनी तरफ से आश्वासन दे सकता हूं कि इस मामले में हम आपके साथ हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : राजस्थान पूरे में दुबारा करा लें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : पूरे में ही?

श्री जनार्दन गहलोत : पूरे में ही करा लें। यह तो सब जगह के ही मामले हैं, जोधपुर स्पेशल नहीं है। हम चाहते हैं जोधपुर के साथ राजस्थान का और भी भला हो जाए। पूरे राजस्थान भर का, हर म्युनिसिपैलिटी का दुबारा आप सर्वे करवाएं जो स्थिति है।

श्री राजेन्द्र पारीक : चुंगी भरण के मामले में देओ, लेओ और भागो वाले ज्यादा सक्रिय थे इसलिए नगर परिषद् के फण्ड में तो चुंगी जमा होती नहीं थी। चुंगी के जो कुछ भी अकाउंट्स सामने हैं उसके आधार पर आपने चुंगी पुनर्भरण का मामला कर दिया।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं आपको आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि उस वक्त यह बात आपने भी उठाई थी, मनोरंजन कर की राशि जो वित्त मंत्रालय अभी तक नगरपालिकाओं को नहीं देता था, इस वर्ष उसने मंजूर किया है कि वह नगरपालिकाओं को मनोरंजन कर की एकत्रित राशि को वितरित करेगा।

कच्ची बस्ती के बाबत जो आपने बात कही थी कि कच्ची बस्ती वन भूमि पर जो बसी हुई हैं, उनके बाबत भी सरकार को कुछ करना चाहिए। मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस प्रकार के प्रस्ताव तैयार करेंगे जिससे कि वन भूमि हम ले लें और कुछ भूमि जिला कलक्टर के माध्यम से वन विभाग को दे दें ताकि यह कच्ची बस्तियां यथास्थान पर ही बसी रहे और उन पर विकास के कार्य भी चालू रहे। जहां जहां यह सम्भव हो सकेगा हम करने की कोशिश करेंगे।

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

चौथी बात आपने यह कही थी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तो कब्जे नियमित करने के लिए कच्ची बस्ती में, सरकार ने अधिकार दे दिया है नगरपालिकाओं को लेकिन इसमें तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए तो जैसा मैंने उस वक्त निवेदन किया, मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा।

माहिर आजाद साहब ने कहा कि आपने इस तरीके का मास्टर प्लान बना दिया कि सड़क चौड़ी कर दी जाएगी और दुकानें तोड़ दी जाएगी, यह कर दिया जाएगा, वह कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता नहीं कि किस अखबार का तो आप फोटो उठा लाए और कौनसे साल का छपा हुआ है और ये दुकानें कब की बनी हुई है, आज की बनी हुई हैं या 100 साल पुरानी बनी हुई हैं। अगर यह प्रकरण मुझे भेजेंगे तो मैं निश्चित तौर पर इसकी जांच करवाउंगा। सरकार का आदेश बिलकुल साफ है। सरकार का जो आदेश है वह मैं बता देना चाहता हूं, मास्टर प्लान में अगर कोई सड़क 100 फीट की चौड़ी भी दिखा रखी है लेकिन अगर सड़क के दोनों तरफ निर्माण इतना हो चुका है कि सड़क की चौड़ाई 100 फीट रखना सम्भव नहीं है तो यथासम्भव यह प्रयत्न किए जाएंगे कि जितनी चौड़ी वह सड़क रह सकती है उसको उतनी ही चौड़ी रख दी जाए। मेरा खयाल है, आप समझ गये होंगे।

सार्वजनिक चौक को बेचने की एक बात आपने बतायी है। मैं आपकी जानकारी में है कि इस मामले को दिखवा रहा हूं। शायद कोई कोर्ट का भी केस है।

मोहम्मद माहिर आजाद : उन अधिकारियों ने जिन्होंने बेचा है...

श्री शांति कुमार धारीवाल : उन अधिकारियों ने जिन्होंने कि सार्वजनिक चौक को बेचा है, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्यवाही करवाई जाएगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : कब करवाएंगे?

श्री शांति कुमार धारीवाल : जब हमें फुर्सत मिलेगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : फुर्सत तो जब मिलेगी जब आप इस सदन में नहीं रहोगे तब कार्यवाही करने की हैसियत में नहीं रहोगे।

श्री शांति कुमार धारीवाल : हां, नहीं रहूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो आपको कार्यवाही तो अभी फुर्सत नहीं है, बिजी हो मंत्री की हैसियत से तभी तो करोगे, घर बैठकर थोड़े ही करवाओगे।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं फुर्सत निकालूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : सचिवालय में बैठकर, यहां बैठ करके करोगे?

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं फुर्सत निकालूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : कब? जल्दी।

श्री शांति कुमार धारीवाल : भरतपुर के ट्रांसपोर्ट नगर की योजना के बाबत भी आपने बात कही, आप ही के कहने से यह जांच बिठाई गई थी। जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, उसका अब परीक्षण चल रहा है और निश्चित तौर से उस पर कार्यवाही होगी। श्रीगंगानगर से आने वाले आदरणीय...

मोहम्मद माहिर आजाद : हाउसिंग बोर्ड की प्रगति रिपोर्ट किसकी है?

श्री शांति कुमार धारीवाल : वह तो हाउसिंग बोर्ड की है और किसकी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, यह हाउसिंग बोर्ड की थोड़ी है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह जो किताब पूछी थी आपसे कि यह प्रगति रिपोर्ट किसकी है?

श्री शांति कुमार धारीवाल : मानसिंहजी का फोटो आप छापोगे या हाउसिंग बोर्ड छापेगा?

मोहम्मद माहिर आजाद : हाउसिंग बोर्ड नहीं छाप रहा है, यह तो कोई गोविन्द श्रीमालीजी सम्पादक हैं इसके।

श्री शांति कुमार धारीवाल : बाद में देख लेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : और वह पत्रकारों के मकान?

श्री शांति कुमार धारीवाल : वह भी देखेंगे।

श्रीगंगानगर से आने वाले राधेश्यामजी की 4-5 बातें थी। एक तो सफाई व्यवस्था के बाबत थी। सफाई मजदूरों की संख्या उतनी की उतनी है जितनी पहले हुआ करती थी। इसमें अब कुछ तब्दीली की जा रही है। आपने बताया कि नई कच्ची बस्ती बन गई। जोधपुर से आने वाले काबरा साहब ने भी यह बताया कि नई कच्ची बस्ती बसी जा रही है। राजस्थान के 183 शहरों में अगर कहीं से कोई कम्पलेंट आई है तो सिर्फ श्रीगंगानगर और जोधपुर से आयी है कि वहां पर कोई नयी कच्ची बस्ती है। बाकी आज तक यह कहीं खबर नहीं आयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के बाबत यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने इतने कड़े निर्देश जिला कलक्टरों को दिए हैं कि अगर एक भी नई कच्ची बस्ती आपके टेन्योर के दौरान किसी भी नगर में बसती है तो उसके लिए पर्सनली

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

रेस्पोंसिबल जिला कलक्टर होंगे। आगे जा करके यह निवेदन करना चाहता हूं कि कच्ची बस्तियों को रोकने के लिए क्या क्या प्रयत्न सरकार करने जा रही है। सीवरेज के लिए काम करने चाहिए। सीवरेज की प्राब्लम आपकी जैन्युअन प्राब्लम है और मुझे वो दिन भी याद है कि जब आपने अपना कुर्ता उतारकर के लास्ट असेम्बली में सबके सामने दिखाया था और आपके साथ क्या-क्या हुआ, क्या-क्या नहीं हुआ। उसका दुःख हमें भी है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो अरबन रिन्यूवल फण्ड हमने कायम किया है उससे जितना पैसा, मदद हम सीवरेज के काम के लिए दे सकेंगे, देने की कोशिश करेंगे। एक प्रकरण यह अभी बताया 90 बी वाला, कोई यू.आई.टी. की जमीन है तो उसके बाबत मैं जांच करवाउंगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : उसके बाबत तो इंक्वायरी की बात है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : जांच और इंक्वायरी में फर्क है क्या? इतना तो जानते होंगे कि इंक्वायरी को ही हिन्दी में जांच कहते हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैंने इंक्वायरी का सुन लिया, इंक्वायरी किससे करवाएंगे? सी.बी.आई. से करवाएंगे, जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे या एंटी करप्शन से करवाएंगे?

श्री शांति कुमार धारीवाल : सी.बी.आई. से इंक्वायरी करवाना तो मेरे बश का नहीं है। मैं तो विभाग से ही करवा पाउंगा और का बश का काम नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : विभाग तो आलरेडी कर ही रहा है अभी।

श्री शांति कुमार धारीवाल : दूसरे किसी और उच्च अधिकारी से करवा लेंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : एंटी करप्शन से करवा दीजिए।

श्री शांति कुमार धारीवाल : वह देख लेंगे। आपने और निवेदन किया कि नगर निगम और यू.आई.डी. के बीच में कोई विवाद हो जाता है कालोनीज के ट्रांसफर के बाबत या दूसरे के बाबत। आप तो खुद यू.आई.टी. के चेयरमैन रह चुके हैं, आप वहां के नगर परिषद् के चेयरमैन रह चुके हैं तो यह आपको अच्छी तरह से जानकारी है कि इस तरीके के विवादों के लिए जिला कलक्टर सक्षम है। उसको अधिकार है कि वे इस बात को सुलझाए। नगर विकास न्यास है।

संयम लोढ़ा साहब ने 2-3 बातें बतायी हैं यहां पर। मैं संयम लोढ़ा साहब के पहले एक अमीन साहब का कागज मेरे पास आ गया क्योंकि अमीन साहब बोले नहीं थे लेकिन मेरे पास आकर उन्होंने यह कहा

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

था कि मेरी बात का जवाब जरूर देना। एक कटमोशन उन्होंने लगाया था। उनका कटमोशन यह था कि बाड़मेर नगर परिषद् में नई जैन कालोनी को शामिल करने की आवश्यकता है। जो उसके बाबत मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मण्डल की तरफ से प्रस्ताव आता है कि इसको हम हमारे क्षेत्र में शामिल करने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार उसकी इजाजत देगी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करता लेकिन जो ओवर ब्रिज वाली बात आपने वहां भी कही थी स्टेज पर और जिस वक्त मुख्य मंत्रीजी भी बिराजमान थे वहां पर।

श्री शांति कुमार धारीवाल : वह आप देख लें जयपुर में जितने ओवर ब्रिज बन रहे हैं उनमें से कौनसा पसंद है आपको वह कर लेंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मतलब हो गया काम। यह धारीवालजी का भाषण है क्या? इधर तो देखो जनाब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि जवाब तो दिलवाएं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : संयम लोढ़ा साहब, आपने ए.सी.डी. के बाबत और इसके बाबत बात की तो मैं मेरे विभाग की जो असलियत है वह आपको बता देना चाहता हूं। कुल मिला करके 183 नगरपालिकाएं राजस्थान में विद्यमान हैं। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की जांच का सामना 13 अधिकारी कर रहे हैं जो आज भी फील्ड में लगे हुए हैं। हालांकि डी.ओ.पी. के यह आदेश हैं कि उन लोगों को जिनके खिलाफ ए.सी.डी. में केसेज चल रहे हों या जिनके खिलाफ 16 की कार्यवाहियां चल रही हों उनको फील्ड में नहीं रखें। लेकिन मेरा दुर्भाग्य यह है या सौभाग्य कहें, कुछ भी कहें, मेरा सारा काम ही फील्ड ही फील्ड में है। अब 183 में से 13 तो जांच चल रही हैं ए.सी.डी. में और 16 सी.सी.ए. की चल रही है 107 की जांच, कुल मिलाकर 123 अफसर हैं। डिपार्टमेंट तो बन्द कर नहीं सकते। क्या करें बताओ आप? तो अगर इन सबको जो 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही चल रही हों, जिनके ए.सी.डी. की इंक्वायरी चल रही हैं, अगर इनको फील्ड से हटा दिया जाता है तो निकायों के लिए अधिकारी कहां से लाएंगे। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सम्भव हो सकता है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : चेयरमैन को सस्पैंड करो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : जो भी अपराध किया गया है या जो भी गैर कानूनी कार्य किया गया है उसकी

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

बेलोसिटी को देखते हुए उस पर कार्यवाही की जाती है और मेरा खयाल है जहां-जहां आपने शिकायतें की हैं उन पर कार्यवाही जरूरी हुई होगी। 1-2 पैंडिंग पड़ी होगी तो चैम्बर में कल मिल लेना।

मोहम्मद माहिर आजाद : सुलभ इंटरनेशनल का क्या हुआ?

श्री शांति कुमार धारीवाल : सुलभ इंटरनेशनल के बाबत में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जबसे हमारी सरकार आयी है, हमने कोई अग्रिम पेमेंट उसको नहीं किया है। यह जो पुराना बकाया आपने बताया है, मेरी जानकारी में, वसूल करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : कब करेंगे?

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह कब करेंगे वह तो अगर आप वह जिम्मेदारी लें कि वसूली अधिकारी आपको नियुक्त कर दिया जाए तो आप क्या वसूल कर लेंगे?

एक जो महत्वपूर्ण बात आपने हाउसिंग बोर्ड के बाबत में उठायी है कि राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना की जाती है, राज्य सरकार को राज्य सरकार समझा नहीं जाता है। मेरे खयाल से शायद यह ही कहा या ऐसे ही वर्ड्स थे। मैं आपकी जानकारी में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया, चाहे वह वहां के कर्मचारियों के संगठन के द्वारा लाया गया हो या किसी माननीय सदस्य के द्वारा लाया गया हो या किसी समाचार पत्र के माध्यम से लाया गया हो, सरकार ने ईमानदारी से उन कामों को सुधारने की कोशिश की है। 203 दुकानों का प्रकरण था, वह मेरे खयाल से पिछले सैशन में आपका ही सवाल था, हमने उनको कैंसिल किया, वे अदालत में गये वहां से स्टे ले आए। उसको आज भी हमने सिर्फ हाउसिंग बोर्ड पर नहीं छोड़ा, हमने राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए एक एडवोकेट भी नियुक्त किया। इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते थे।

दूसरा प्रकरण यह था कि कर्मचारी संघों की शिकायतों के सम्बन्ध में जांच के लिए वित्त विभाग के आदेश दिनांक 14.6....

श्री सुरेन्द्र व्यास : इतने विवादास्पद प्रकरण हैं, जिनमें आपके आदेशों की पालना नहीं की है, 50 से ज्यादा क्लस्टर बनाकर आक्शन को आपने स्टे किया है। उसके बावजूद भी उन्होंने आक्शन किया है। मंत्रीजी, आप सब बात से अवगत हैं, क्यों इस बात को छिपाते हो। मेरी यह शिकायत नहीं है कि आपने कार्यवाही नहीं की, मैं सिर्फ यह तथ्य

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

रखना चाहता हूं सदन में कि आपके आदेशों की उसको कोई परवाह नहीं है और अभी जुगलजी, नाराज मत होना, सब मुख्य मंत्रीजी कहते हैं। मैं इनकी कितनी ही आलोचना करूं, मुख्य मंत्री तो मुख्य मंत्री होता है। आपका यह मानसिंह देवड़ा, यह कहते हैं कि मेरी अशोक से बात हो गई, मंत्री क्या होता है। यह बात तथ्य है, इससे क्यों इन्कार करते हो आप?

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह जो आप बता रहे हैं 50-50 दुकानों वाली बात, इसमें पांच आफिसर्स इंवाल्व थे, यह जो प्राथमिक सूचना हमें प्राप्त हुई हैं, उन पांचों को राज्य सरकार के आदेश से ही आवासन आयुक्त ने सस्पैंड किया है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : किया है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : और क्या कर लेते इससे ज्यादा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : राज्य सरकार से कहां शिकायत है, आपके आदेशों के बावजूद उन्होंने किया है न।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आवासन मण्डल के आयुक्त ने सस्पैंड किया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आयुक्त कितने बदल गये?

श्री शांति कुमार धारीवाल : आयुक्त ने सस्पैंड किया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप करते हो, आयुक्त को रख लेना आप, कितने आयुक्त बदल गये। तीन साल में छह आयुक्त बदल चुके हैं। देखो मंत्रीजी, अभी मुख्य मंत्रीजी को समझना बहुत मुश्किल है आपके लिए, वह आपको मना करते नहीं है और आयुक्त बदल देते हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मेरी दुविधा यह है कि आप मुख्य मंत्री को नहीं समझे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं तो समझ गया।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं तो समझ गया, तब आज इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, वह तो ठीक है, एक्शन से जज होता है आदमी। तीन साल में छह आयुक्त बदल दिए, आप सोचिए इस बात को...(व्यवधान) वह सही है, वह सही है।

श्री जनार्दन गहलोत : सुरेन्द्र जी मेरे से कम हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह देखिए, सरकारी अफसर कोई चुनकर तो आते नहीं हैं आपके जैसे पांच साल के लिए, ये तो बदलते रहते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, साल भर तो रखो एक आदमी को।

श्री शांति कुमार धारीवाल : इस बार देखेंगे, आपकी बात को रखने की कोशिश करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह नहीं रहेंगे, आप जितना आयुक्त को दबाओगे, उतना ही वे ट्रांसफर करा देंगे।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मेरा निवेदन यह है, उपाध्यक्ष महोदय, करीब-करीब सब बातों का जवाब दे चुका हूं मैं।

श्री ललित भाटी : हमने क्या गुनाह किया मंत्री महोदय? (व्यवधान) हम पर निगाहें नहीं हैं आपकी, नजरे इनायत नहीं है आपकी। (व्यवधान) ऐसा क्या गुनाह किया है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपकी सागवाड़ा वाली बात, जो आपने कही है, इसकी बाबत मुझे पंचायती राज मंत्रीजी से बात करनी पड़ेगी और निश्चित रूप से इसमें आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मंत्री महोदय, इधर भी देख लो।

श्री रतन लाल ताम्बी : और कटौती प्रस्ताव जिनके हैं, जो बोले नहीं हैं, कटौती प्रस्ताव भी हैं काफी, उनके भी जवाब दें। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : हां, आपके बारे में बोल रहा हूं। जितने कटौती प्रस्ताव मेरे पास आए हैं, उनके जवाब आपके पास एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर पहुंच जाएंगे। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : मंत्री महोदय। उपाध्यक्ष महोदय...

श्री शांति कुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, मास्टर प्लान का जहां तक सवाल है, 183 शहरों में मास्टर प्लान लागू होना चाहिए। अभी तक सिर्फ हम 47 शहरों के लिए मास्टर प्लान बना पाए हैं और बाकी का काम चालू है। स्टेट ग्रांट एक्ट, बड़ी पापुलर डिमांड थी। मेरा खयाल है, संयम लोढ़ा साहब ने चाहा था, आपने भी बोला था, काबरा साहब ने भी, कइयों ने बोला था, इस बात पर कि 15 सितम्बर, 1983 से 40 साल गिने जाएंगे तो वह होते थे 43 के आसपास लेकिन अब सरकार ने यह फैसला किया है कि 1.1.1960 के पूर्व के सामान्य लोग, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, अगर उनके कब्जे 1.1.1960 से पहले के हैं और एस.सी. व एस.टी. के लोगों के अगर 1.1.1980 से पूर्व के कब्जे हैं तो उनको स्टेट ग्रांट एक्ट का फायदा दिया जाएगा...

श्री उपाध्यक्ष : वह दे रहे हैं, इसमें नई बात क्या हुई।

श्री शांति कुमार धारीवाल : नहीं, नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दे रहे हैं। अभी ''प्रशासन शहरों के संग'' में दे रहे हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट ग्रांट एक्ट में तो 1983 से काउंट होता है। नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) क्राउन एक्ट खतम करके ही स्टेट ग्रांट एक्ट में हुआ है।

बी.पी.एल. की बाबत निवेदन करना चाहता हूं, यह सदन में कई बार माननीय सदस्यों ने इस बात पर चर्चा की है कि बहुत से लोग...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्री महोदय, इसमें समस्या आपके पट्टे देने की नहीं है। इसमें समस्या यह है कि आपको, न तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं, न आप उसको बिक्री कर सकते हैं, मैन वह समस्या है। आप पट्टा दे रहे हैं और पांच रुपए ले रहे हैं उसके बदले में। हमने आपको यह आफर दिया कि आप उसके बदले में चाहे हमसे 10 रुपए प्रति वर्गगज का ले लें, लेकिन उसका फायदा तो कम से कम होना चाहिए। उस पट्टे के मालिक को यह लगे कि उसका पट्टा है वास्तव में, आपने उसको कागज का चिंदा थमा दिया। उसमें वह मकान बनाकर रहे, न बैंक से लोन ले सकता है, न उसको मोरगेज कर सकता है, वह किसी काम का नहीं है वह कागज तो उससे, स्टेट को यह फायदा होगा कि 10 रुपए, पांच रुपए गज का आप उस जमीन का लेंगे तो एक तो फण्ड्स से जनरेट होंगे और मकान मालिक को यह सुविधा होगी...

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह सुझाव अच्छा है, उसको देख लेंगे। बहुत अच्छा है।

श्री संयम लोढ़ा : 83 के पहले ऐसा दे चुके हैं। 83 में जो स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे थे, उनको तो रहन रखा जा सकता है, बेचान भी किया जा सकता है, वह भी स्टेट ग्रांट एक्ट में है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : सुझाव बहुत अच्छा है आपका। इसको कर लेंगे।

बी.पी.एल. की बाबत कई माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की, बहुत से पात्र परिवार हैं, वे बी.पी.एल. के सर्वे से रह गये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि निर्धारित मापदण्डों और केन्द्र के निर्देशानुसार इसी वित्तीय वर्ष में नया सर्वे करवाया जा रहा है।

जो कोष की स्थापना हुई है अरबन रिन्यूवल फण्ड, इस कोष से जिस प्रकार से माननीय सदस्य सारे जानते हैं कि इस कोष से उन नगरपालिकाओं को पैसा उपलब्ध करवाया जाएगा आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए, जिनको कि वाकई आवश्यकता है।

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

तीसरी घोषणा, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से यह निवेदन करना चाहता हूं सदन को कि रोजगार उपलब्ध करवाना तथा इंवेस्टमेंट को देखते हुए व्यासजी, आप जरा गौर से सुनना इसको। रोजगार कितना वह उपलब्ध करवाता है और कितना इंवेस्टमेंट लाता है, जमीन की कीमत उसको देख करके तय किए जाएंगे। इस प्रकार से मेरा विभाग नियम बनाएगा।

कच्ची बस्तियों की बाबत जो बात आई कि नई कच्ची बस्ती नहीं बसे। उसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी एक साल पहले कि अपना घर योजना लागू की जाएगी और मैं जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य को यह जानकारी दे रहा हूं कि इसी साल जोधपुर में 2000 अपना घर निर्मित किये जाएंगे और वह दो अक्टूबर से पहले पहले निर्मित होकर उन लोगों को, जो कच्ची बस्ती में बसते हैं, कच्ची बस्ती में वे लोग बसते हैं, जो गांव से आकर शहरों में मजदूरी चाहते हैं, या व्यापार, कोई छोटा मोटा धंधा करना चाहते हैं या नौकरी के लिए आए हैं और जमीन उपलब्ध नहीं है, मकान किराया दे नहीं सकते, उन लोगों के लिए अपना घर की योजना बनाई गई है और उसमें 10,000 रुपये की सब्सिडी, 40,000 का टोटल मकान है, 10,000 रुपये की सब्सिडी है। दूसरी योजना है, जो कि केन्द्र सरकार द्वारा जिसमें 20,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी वाल्मीकि अम्बेडकर योजना...(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : मंत्री महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि जो कालोनी फोरेस्ट लैण्ड में या फोरेस्ट में बस गई है, उनकी बाबत...

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं जवाब दे चुका हूं। मेरा खयाल है, आपका ध्यान कहीं ओर होगा। दे चुका जवाब मैं।

श्री दिग्विजय सिंह : एक जानकारी और कर लूं। आपने यह भी कहा कि समझौता समिति बनेगी और उससे पैसा आया है नगरपालिका को, अब किस अनुपात में आप देंगे, इसके आदेश नहीं हुए हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : किस अनुपात में देना है?

श्री दिग्विजय सिंह : यह समझौता समिति के अन्दर जो पैसा आया है नगरपालिकाओं के पास...

श्री शांति कुमार धारीवाल : वह सारा नगरपालिकाओं का है, अनुपात मांग कौन रहा है आपसे?

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं-नहीं, अभी तक आदेश ही नहीं किये हैं विभाग से, वह सिर्फ उसके खाते में जमा है, उसके आदेश नहीं किये हैं कि किस अनुपात में उनके पास आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज आप कितना लेंगे, वह कितना लेंगे?

श्री शांति कुमार धारीवाल : वह सारा नगरपालिकाओं का है।

श्री दिग्विजय सिंह : यह स्पष्ट नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : 60-40 है। नगरपालिका कंफ्यूज है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं आपको समझा दूंगा, यह योजना समझा दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): 60-40 है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : 60-40 नहीं है उसमें, वह कृषि भूमि में है।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): नगरपालिका कंफ्यूज है। मेरी चेयरमैन से परसों ही बात हुई थी माननीय मंत्रीजी, इसको थोड़ा स्पष्ट कराओ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपको बता दूंगा...(व्यवधान) मैं आपको बता दूंगा। मुख्य मंत्री रोजगार योजना की बाबत करीब करीब 25-26 हजार आदमियों को कियोस्क का आबंटन हुआ है। निश्चित इस बाबत में शिकायत भी आती है कियोस्क, जैसा इन्होंने कहा कि आपको पान खिलाता है इसलिए कियोस्क दे दी। पान क्या डिपार्टमेंटल स्टोर में बनता है? (व्यवधान) यह कियोस्क में ही तो बनता है पान।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमने तो सिफारिश की आपकी।

श्री जनार्दन गहलोत : दुकान वाले तो आपके भी हैं। (व्यवधान) अच्छा, यह बात है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी भी सिफारिश होगी उसकी। तो हमारे आदमियों की भी अब आपसे सिफारिश करवाएंगे...

श्री शांति कुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि कियोस्क के बाबत, एक तो उसकी साइज को लेकर कुछ कंफ्यूजन है। शुरू-शुरू में जो यह आदेश निकले थे, वह यह निकले थे...

श्री राधेश्याम गंगानगर : जगह ऐसी है, सैकड़ों खाली पड़ी है, अलाट कर दिये लेकिन कोई बसा नहीं आज तक, आप सर्वे करवा लें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : वह गलत जगह बना दिए। जयपुर में भी ऐसा हुआ है, आज भी कई जगह आपको 200-300 की तादाद में ऐसे कियोस्क मिल जाएंगे जो गलत जगह बना दिए गये हैं, जहां धंधा नहीं कर सकते...

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपकी जानकारी में है?

श्री शांति कुमार धारीवाल : जानकारी में है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बेरोजगार इस प्रकार का प्रस्ताव पेश करता है पालिका के सम्मुख, न्यास के सम्मुख या प्राधिकरण के सम्मुख कि यह अमुक भूमि मुझे रोजगार के लिए दे दी जाए तो इस प्रकार के नियम बनाए जाएंगे कि वह "मुख्य मंत्री रोजगार योजना" के तहत उसको जमीन आबंटित कर दी जाएगी।

श्री जुगल काबरा : मंत्रीजी, वह कियोस्क की क्वालिटी के बारे में भी बता दो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : क्वालिटी तो अब आप जानते हैं, व्यासजी कह रहे थे कि 20 प्रतिशत तो कटता ही कटता है।

श्री जनार्दन गहलोत : वह ऐसा है कि क्वालिटी का, क्वालिटी बताने में सुरेन्द्रजी ही बताते हैं, वह ही यह करते हैं। सारा जो हुआ है वह गड़बड़ यहीं से होती है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : और क्वालिटी में आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जहां पर भी जाने की कोशिश करता हूं, मेरा खयाल है जोधपुर में भी आपके साथ सड़कों पर खूब घूमा हूं और जयपुर की सड़कों पर भी मैं खूब घूमा हूं, क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए मेरी तरफ से काफी प्रयत्न भी होता है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे अधिकारियों के द्वारा जो प्रयत्न किये जा रहे हैं उनसे क्वालिटी पहले से इम्प्रूव हुई है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि यह जो सफाई मजदूर ठेके पर लिए जाते हैं उसमें राज्य सरकार का यह अब सोच बना है, क्योंकि होता यह है कि वह ठेकेदार उसको 20 रुपए, 30 रुपए या 35 रुपए दे करके उसको दिन भर काम करवा कर रवाना कर देता है। हम इस प्रकार की कोई प्रक्रिया निश्चित करेंगे जिससे कि नगरपालिका के द्वारा उसको पेमेंट हो और 65 रुपए की मिनिमम मजदूरी उसको प्राप्त हो सके।

जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जैसा मैंने बताया कि इस वर्ष 200 करोड़ रुपए डवलपमेंट पर खर्चा होगा और 200 करोड़ में आपको ध्यान ही है कि कितने आर.ओ.बीज., कितने आर.यू.बीज हैं वगैरह-वगैरह, एक एलिवेटेड रोड है, जो एलिवेटेड रोड 2.8 किलोमीटर की अजमेर-सोडाला रोड पर है, सोडाला थाने के सामने से निकलेगी, जोशीजी के फार्म तक पहुंचेगी वहां पर, उस पर 65 या 70 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। एक सैंट्रल

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

स्पाइन योजना जयपुर विकास प्राधिकरण ने बनाई है, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस तरीके की योजना है जैसे कि आज के तीन सौ साल पहले जब जयपुर बसा था तो जयपुर बसाने वाले ने जो अपने दिमाग में योजना बना करके कल्पना की थी ठीक उसी तरीके से कुछ इंजीनियर्स की टीम ने, मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कालेज की एक टीम ने यह योजना तैयार की है जिसमें झूलती चौपड़ भी है, और भी कई-कई चीजें हैं। मैं समझता हूं कि यह योजना जब पूरी बन जाएगी तो निश्चित तौर पर लोग यह देखेंगे कि...

डा. महेश जोशी : इस पर कितना इंवेस्टमेंट है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : इसका हिसाब-किताब अभी नहीं है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मेरा रिप्लाई भूल गये आप, भेदभाव कर रहे हो आप।

श्री शांति कुमार धारीवाल : दौसा का नम्बर बहुत बाद में आएगा, अभी दूसरे जिले चल रहे हैं। नहीं-नहीं भेदभाव नहीं, पूरा न्याय होगा आपके साथ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ठीक है, नहीं देते तो हम चल दिए।

श्री शांति कुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक और योजना जयपुर विकास प्राधिकरण ने पहली बार अपने हाथ में ली है। रामगढ़ से जयपुर शहर के लिए पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने यह तय किया है कि रामगढ़ झील की खुदाई एक मई से चालू कर दी जाएगी। खुदाई मशीनों से भी होगी, ठेकेदारों के द्वारा भी होगी और मुख्य मंत्रीजी उसका श्रमदान के तौर पर सभी माननीय विधायकों को, सभी माननीय सांसदों को...

श्री उपाध्यक्ष : जयपुर के विधायकों को।

श्री शांति कुमार धारीवाल : हां, सबको इंवाइट करेंगे। एक मई से।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कांग्रेस विधायकों को...

श्री शांति कुमार धारीवाल : कांग्रेस नहीं, मेरा खयाल है आप भी उसमें शामिल होना पंसद करेंगे। (व्यवधान) नहीं-नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे मुझे पक्का है। रामगढ़ के पिकनिक स्पाट को आपने बहुत देखा है, अगर...

श्री जनार्दन गहलोत : इन्होंने अमरूदों का बाग भी बहुत देखा है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी यह कोशिश होगी कि हम रामगढ़ में जो जमा मिट्टी है वह 15-15 फीट खोद करके उसकी पानी की भराव क्षमता को हम बढ़ा लें। एक नया काम है जो कि लीक से हट करके जयपुर विकास प्राधिकरण अपने हाथ में लेना चाहता है। जैसा ए.डी.बी. के प्रोजेक्ट के बाबत बताया, उससे विकास की मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, छह मुख्यालयों पर उसके आधारभूत ढांचे के बाबत काम होंगे, बड़े शहरों में भी काम होंगे। आवासन मण्डल के बाबत मैं आपसे दो-तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं कि 1970...

श्री सुरेन्द्र व्यास : कर दिया न आपने।

श्री शांति कुमार धारीवाल : नहीं-नहीं, और कुछ नई बात है। यह एक्ट 1970 का बना हुआ है और आज की आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें परिवर्तन आवश्यक है इसलिए इसके संशोधन के सरकार प्रस्ताव बना रही है और मैं समझता हूं कि अगर यह सदन लम्बा चला, सारी, यह सत्र अगर लम्बा चला तो हो सकता है यह हो, कोशिश यह है, दो-तीन बातें और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कि आवासन मण्डल ने अभी तक बड़े-बड़े शहरों में मकान उपलब्ध करवाने का काम किया है लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने यह आदेश दिए हैं कि 15 हजार की जनसंख्या वाले वो टाउन्स या वो तहसील मुख्यालय पर जहां पर कि दो सौ से ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं वहां पर भी हाउसिंग बोर्ड जा करके मकान बनाने का काम शुरू करे और इसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर और अल्प आय के लोगों को प्राथमिकता दी जाए।

इसी के साथ-साथ हाउसिंग बोर्ड को जोइंट वेन्चर में जाने के भी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जोइंट वेन्चर में इस प्रकार की परियोजनाएं तैयार करें आवास निर्माण करने की, बड़ी-बड़ी टाउनशिप डवलप करे अपनी जमीन पर, जमीन उनकी हो, टाउनशिप डवलप करने वाला कोई डवलपर हो। दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना, जो बात है जिससे कि सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, अगर आवासन मण्डल के ग्राहक, ग्राहक कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे या लाभान्वित व्यक्ति कहेंगे, जो कुछ भी कहेंगे, वह सिर्फ एक बात से पीड़ित हैं कि उनको बताया क्या जाता है और लिया क्या जाता है, वक्त क्या दिया जाता है और किस वक्त उनको मकान सौंपे जाते हैं। उसके लिए सरकार ने यह पाबंदी लगाई है कि आवासन मण्डल ऐसी व्यावहारिक योजनाओं को इस वर्ष अंतिम रूप देगा, समय दिया है उनको, जिसमें निश्चित अवधि और पंजीयन के समय निर्धारित की गई अनुमानित लागत में

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

आबंटन के समय दस प्रतिशत से अधिक वृद्धि न हो। दस प्रतिशत का एस्केलेशन हो सकता है प्राइस में, मटीरियल कास्ट वगैरह-वगैरह, लेकिन दस प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो। इसी प्रकार से नगर विकास न्यास के एक्ट में भी सरकार कुछ संशोधन प्रस्ताव करवाना चाहती है।

हैरिटेज के बाबत मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पचास करोड़ रुपए जयपुर के हैरिटेज पर खर्च होंगे और इसी 18 तारीख को ढाई किलोमीटर का लम्बा आपका जो एशियन बैंक ने ढाई करोड़ हमें दिए हैं वह ढाई करोड़ रुपए पूरे इस ढाई किलोमीटर हेरीटेज वाक पर खर्च करने जा रहे हैं। उससे निश्चित तौर पर जयपुर के हैरिटेज का स्वरूप बढ़ेगा। यही निवेदन करते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन मांगों को पास किया जाए।

मांग संख्या-29 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 6,97,91,70,000/-(छह अरब, सतानवे करोड़, इक्यानवे लाख, सत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 15 अप्रैल, 2002 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.18 बजे सोमवार, दिनांक 15 अप्रैल, 2002 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

परिशिष्ट "1"

(तारांकित प्रश्न संख्या–408 का विवरण)

हनुमानगढ़ जिले में खरीफ 2002 के उर्वरक वितरण में लक्ष्य

क्र.सं.	खाद का नाम	लक्ष्य (मै.टन में)
1.	यूरिया	40,000
2.	डीएपी	10,000
3.	एमओपी	400
4.	एसएसपी	3000
5.	एपपीके 12:32:16	1000
6.	एनपीके 20:20:0	500
7.	एनपीके 15:15:15	500
	योग	55400

हनुमानगढ़ जिले में खरीफ 2002 में उन्नत/प्रमाणित बीज वितरण

क्र.सं.	फसल का नाम	बीज की मात्रा (क्वि.)
1.	देशी कपास	5600
2.	अमेरिकन कपास	11200
3.	धान	400
4.	बाजरा	800
5.	मूंग	250
6.	मोठ	250
7.	तिल	20
8.	ग्वार	300
	योग	18820

परिशिष्ट "1"

हनुमानगढ़ जिले में खरीफ 2002 हेतु कीटनाशी रसायनों की उपलब्धता जिसकी व्यवस्था की जाएगी

क्र.सं.		कि.ग्रा./ली.	*टीजीएम टन में
1	2	3	4
1.	मि. पैराथियन 2 प्रतिशत डस्ट	50,000 किग्रा.	1.0
2.	फोरेट 10 जी	40,000 किग्रा.	4.0
3.	मोनोकोटाफास 36 प्रतिशत	1,20,000 ली.	42.2
4.	केनवलरेट 20 प्रतिशत	1,15,000 ली.	23.0
5.	क्लोरपाइरीफास 20 प्रतिशत	70,000 ली.	14.0
6.	डाइमिथिपेट 30 प्रतिशत	40,000 ली.	12.0
7.	एण्डोसल्फान 35 प्रतिशत	70,000 ली.	24.5
8.	गेलाथियन 50 प्रतिशत	70,000 ली.	35.0
9.	फास्फोमिण्डोन 85 प्रतिशत	10,000 ली.	8.5
10.	क्लूनालफास 25 प्रतिशत	65,000 ली.	16.25
11.	ईथियान 50 प्रतिशत	1,00,000 ली.	50.00
12.	मि. पैराथियन 25 प्रतिशत	10,000 ली.	2.50
13.	फेनवलरेट डस्ट 0.4 प्रतिशत	10,000 किग्रा.	0.04
14.	साइपमेथीन 10 प्रतिशत	50,000 ली.	5.00
15.	साइपरोथीन 25 प्रतिशत	2,500 ली.	0.62
16.	अल्फोमेथ्रीन 10 प्रतिशत	1,20,000 किग्रा.	12.00
17.	ट्राइजोफास 40 प्रतिशत	65,000 ली.	26.00
18.	एसीफेट 75 प्रतिशत	40,000 किग्रा.	30.00

1	2	3	4
19.	डेकामेथ्रीन 2.8 प्रतिशत	6,000 ली.	0.17
20.	सल्फर 80 प्रतिशत डब्लूपी	200 किग्रा.	0.16
21.	ईयूक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत	4000 ली.	0.71
22.	थायोमेक्योजम 25 प्रतिशत डब्लूजी	1000 किग्रा.	0.25
23.	ऐसीटामीप्रिड 20 प्रतिशत एसपी	1000 किग्रा.	0.20
24.	प्रोपेनाफास 50 प्रतिशत	25,000 ली.	12.50
25.	मि. डिमेटोन 50 प्रतिशत	3,000 ली.	1.50
26.	थापोडीकार्ब 75 प्रतिशत एसपी	5,000 किग्रा.	3.75
27.	ट्राइजोफास 35% + डेकामिथ्रिन 1%	6,000 ली.	2.10
28.	कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 4 प्रतिशत जी	5,000 किग्रा.	0.20
29.	एण्डोक्साकार्ब 14.5 प्रतिशत एससी	2,000 ली.	0.29
30.	कार्बेडा जिम 50 डब्लूपी	2,000 किग्रा.	1.00
31.	मेकोजेन 70 प्रतिशत डब्लूपी	5,00 किग्रा.	0.35
32.	जिंक फास्फाइड 80 प्रतिशत डब्लूपी	1,00 किग्रा.	0.08
33.	स्ट्रेप्टो साइक्लीन 90 प्रतिशत डब्ल डब्ल	2,00 किग्रा.	0.18
34.	डाइक्लोरोबोस 76 प्रतिशत ईसी	10,000 ली.	7.60
	योग		338.65

* टी.जी.एम. टैक्नीकल ग्रेड मटीरियल

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट ''अ''

(तारांकित प्रश्न संख्या-411 की सूची)

उप पंजीयक कार्यालय/कोषाधिकारी अजमेर क्षेत्र में कार्यरत स्टाम्प वैण्डर्स की सूची

क्र.सं. 1	अनुज्ञा पत्र संख्या 2	स्टाम्प वैण्डर का नाम 3
1.	1/87	श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा
2.	84/96	श्री चन्द्रशेखर
3.	6/2001	श्री निर्मल सिंह
4.	8/93	श्रीमती मधु भार्गव
5.	21/2000	श्री ओमप्रकाश
6.	3/77	श्री सांवरलाल
7.	10/95	श्री राकेश कुमार
8.	37/94	श्री मोहन
9.	11/97	श्री अशोक मनवानी
10.	6/97	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा
11.	3/95	श्री कैलाश चन्द्र
12.	48/94	श्री मनोज कुमार
13.	9/95	श्री विनोद गोयल
14.	34/94	श्री मनीष गोयल
15.	16/93	श्री ब्रह्मदत्त शर्मा
16.	21/93	श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा
17.	41/96	श्री प्रेमकुमार गोयल
18.	38/97	श्री कमलेश कुमार

1	2	3
19.	59/99	श्री गोपाल कृष्ण
20.	6/94	श्रीमती द्रोपदी
21.	11/93	श्री शांतिलाल
22.	12/93	श्री सुभाष चन्द्र
23.	79/96	श्री जितेन्द्र कुमार
24.	29/78	श्री शंकरबाल चन्दानी
25.	1/91	श्री मनोहर लाल
26.	11/94	श्री हरजीत सिंह
27.	22/94	श्री किशनदास
28.	35/94	श्रीमती शशी गोयल
29.	14/2000	श्री संजय बीजावत
30.	1/88	श्री छोटेलाल गोयल
31.	स्पेशल नं. 1/2000	श्री नरेन्द्र गुप्ता
32.	41/99	श्री राजेश पारीक
33.	60/99	श्री मु. अहमद
34.	47/94	तेजकौर
35.	16/96	श्रीमती कान्ता

परिशिष्ट ''ब''

राजस्थान में स्टाम्प वैन्डरों द्वारा कमीशन बेसिस पर स्टाम्प बेचने का प्रावधान सन् 1961 से सरकार द्वारा प्रभावी किया गया उस समय स्टाम्प वैन्डरों को रुपए 400/- तक के स्टाम्प बेचने के अधिकार दिये गये थे तथा कमीशन की दर प्रत्येक 100/- पर निम्नानुसार थी :-

1. समस्त जिला मुख्यालय पर रुपए	3.10 प्रति 100/ रु. पर
2. समस्त उपखण्ड मुख्यालय पर रुपए	4.70
3. अन्य स्थानों पर रुपए	6.25

इसके पश्चात् राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.2.1983 से कमीशन की दरें निम्न प्रकार से निश्चित की गई :-

1. 400/- रुपए तक नान ज्युडिशल स्टाम्पों के लिए समस्त जिला मुख्यालयों पर	2.75 प्रतिशत
2. समस्त उपखण्ड मुख्यालयों पर	4.75 प्रतिशत
3. अन्य स्थानों पर	5.50 प्रतिशत

401/- रुपए से 1000/- रुपए तक के नान ज्युडिशल स्टाम्पों के लिए

1. समस्त जिला मुख्यालयों पर	1.20 प्रतिशत
2. समस्त उपखण्ड मुख्यालयों पर	1.90 प्रतिशत
3. अन्य स्थानों पर	2.50 प्रतिशत

इसके बाद राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 5.5.1993 द्वारा ज्युडिशल स्टाम्पों के लिए समस्त स्थानों के लिए कमीशन की दर निम्न प्रकार निर्धारित की गई :-

1 रुपए से 400 रुपए तक	2.00 प्रतिशत
401 रुपए से 5000 रुपए तक	0.50 प्रतिशत

इसके पश्चात् राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 9.7.1998 द्वारा ज्युडिशल व नान ज्युडिशल दोनों ही प्रकार के स्टाम्पों के लिए समस्त स्थानों के लिए स्टाम्प विक्रय की सीमा रुपए 5000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए करते हुए स्टाम्प विक्रय पर कमीशन की दर निम्नानुसार निर्धारित की गई :-

1.	रुपए से 400 रुपए तक	2.00 रुपए
2.	401 रुपए से 5000 रुपए तक	0.50 रुपए
3.	5001 रुपए से 10,000 रुपए तक	0.30 रुपए
4.	10001 रुपए से 20,000 रुपए तक	0.20 रुपए

इसके पश्चात् राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 6.12.2001 के द्वारा स्टाम्प विक्रय की सीमा में फिर बढ़ोतरी करते हुए सीमा रुपए 20,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए तक करते हुए कमीशन की दरें निम्नानुसार तय की गई :-

1.	1 रुपए से 400 रुपए तक	2.00 रुपए
2.	401 रुपए से 5000 रुपए तक	0.50 रुपए
3.	5001 रुपए से 10,000 रुपए तक	0.30 रुपए
4.	10001 रुपए से 1,00,000 रुपए तक	0.20 रुपए

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलाग की पूर्ति

415. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षों में कार्मिक विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलाग (रिक्त पदों) को भरने के लिए आदेश जारी किये है? यदि हां, तो कब? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी विभागों में अनुसूचित जाति/जनजाति के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने?

(3) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग द्वारा विभागों को उक्त बैकलाग को भरने के जारी आदेशों के बाद भी विभागाध्यक्षों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलाग (रिक्त पदों) को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। परिपत्र आदेश दिनांक 9.10.2000 की प्रति संलग्न है।

(2) विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना परिशिष्ट ''क'' में संलग्न है।

(3) सूचना प्राप्त की जा रही है।

(4) जी हां। समय सीमा निश्चित करना सम्भव नहीं है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पिछड़े जिलों के उत्थान हेतु व्यय राशि

416. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के पिछड़े जिलों में शिक्षा, परिवार कल्याण और आर्थिक विकास को गति देने की दृष्टि से तीन साल पूर्व संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष से राज्य सरकार को 42.82 करोड़ की राशि दी गई थी? यदि हां, तो उक्त पर अनुदान कितना प्रतिशत दिया गया तथा कब राशि दी गई?

(2) उक्त योजना के क्रियान्वयन की समय सीमा क्या थी?

(3) उक्त योजना में अब कितनी-कितनी राशि किस-किस जिले में किस-

(डा. किरोड़ी लाल)

किस कार्य के लिए व्यय हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार को उक्त योजना के लिए 10 प्रतिशत राशि उपलब्ध करानी थी? यदि हां, तो कब उपलब्ध कराई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। इसमें 42.82 करोड़ की राशि नहीं दी गई। 42.82 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत हुई है। उक्त राशि पर 90% अनुदान केन्द्रीय प्रवर्तित योजना एवं 10% अंश राज्य आयोजना है तथा दिसम्बर, 2001 तक भारत सरकार से राज्य सरकार को 18.00 करोड़ रुपए प्राप्त हो गये हैं विवरण निम्नानुसार है:-

5 करोड़ 14.1.1999

5 करोड़ 29.3.2000

5 करोड़ 8.3.2001

3 करोड़ 27.11.2001

(2) यह परियोजना चार वर्ष के लिए है (जनवरी, 1999 से दिसम्बर, 2002 तक)।

(3) स्वीकृत जनसंख्या एवं विकास परियोजना में वर्ष जिलेवाइज कार्य के लिए व्यय राशि का विवरण संलग्न है। दिसम्बरं, 2002 तक 1346.19 लाख व्यय किया जा चुका है।

(4) हां, यह सही है कि 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को उपलब्ध करानी थी अब तक 103.88 लाख रुपए उपलब्ध करवाए है। जिसका विवरण निम्नप्रकार से है :-

क्र.सं.	आदेश दिनांक	राशि
1.	प.0274(वित्त)(1) (1) आ.व्यय/1997 31.3.1999	53.88 लाख
2.	प.4(355)वित्त-1(1) आय-व्यय/1999 3.8.2000	50.00 लाख
	योग	103.88

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना द्वारा संचालित श्रमिक विद्यालय

417. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के सहयोग से कितने विशेष श्रमिक विद्यालय किन-किन स्थानों पर चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) शैक्षणिक सत्र 2001-2002 में उक्त विशेष श्रमिक विद्यालयों का किस किस अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया? निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियां पाई गई?

(श्री नन्दलाल मीणा)

(3) जिन विद्यालयों का निरीक्षण किसी एक भी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया, की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राज्य के उदयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर, टोंक में विशेष बाल श्रमिक विद्यालय चल रहे हैं? यदि हां, तो वर्तमान शैक्षणिक सत्र में किस-किस जिले में कितने-कितने बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे है?

उत्तर

(1) राज्य में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के अन्तर्गत टोंक, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर एवं अलवर जिले में क्रमशः 20, 20, 20, 20, 60 तथा 36 विशेष बाल श्रमिक विद्यालय चल रहे हैं। स्थानों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) शैक्षणिक सत्र 2001-2002 में उक्त विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों के निरीक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) जिन विद्यालयों का निरीक्षण किसी एक भी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, उनकी सूची परिशिष्ट ''स'' पर है।

(4) जी हां। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में शिक्षा प्राप्त कर रहे बाल श्रमिकों का विवरण जिलेवार निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	जिले का नाम	शिक्षा प्राप्त कर रहे बाल श्रमिकों की संख्या
1.	उदयपुर	3000
2.	अलवर	1795
3.	अजमेर	1000
4.	जोधपुर	1000
5.	टोंक	1000
6.	जयपुर	1000

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मिड वे बहरोड़ में आय-व्यय

418. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मिड वे बहरोड़ में किस-किस श्रेणी का किस-किस वेतनमान का कितना स्टाफ वर्तमान में नियुक्त है? उक्त पर प्रतिमाह कितनी राशि वेतन, भत्ते, मेडिकल आदि पर व्यय की जाती है?

(2) वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 में इसमें कितना घाटा अथवा लाभ रहा है? उक्त में घाटा रहा तो किन-किन कारणों से रहा है?

(3) उपभोक्ताओं को यहां दी जाने वाली खाने-पीने की चीजें जैसे खाने की थाली-चाय-काफी-डोसा-बड़ा-आमलेट अन्य चीजों की कीमतें क्या हैं तथा

(श्री शिवनाथ सिंह)

राजस्थान हाउस, दिल्ली सर्कट हाउस जयपुर के मुकाबले कितनी सस्ती अथवा महंगी हैं? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मिड वे बहरोड़ में श्रेणीवाइज स्टाफ तथा उनका वेतनमान एवं वर्तमान पदस्थापन परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है। उक्त पर प्रति माह वेतन, भत्ते, मेडिकल आदि का खर्चा परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

(2) मिड वे बहरोड़ में वर्षवार लाभ का विवरण निम्नप्रकार है :-

वर्ष	लाभ
1999-2000	28.59 लाख
2000-2001	38.22 लाख
2001-2002 (फरवरी 2002 तक)	28.20 लाख

(3) विवरण परिशिष्ट ''स'' पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला बाड़मेर/जैसलमेर भू-जल सर्वे

419. श्री अमीन खान (शिव) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर की तहसील शिव के ग्राम चौथीपारी-रोहिडाला खडीन धामडली में कितनी गहराई पर पानी निकल सकता है और किस प्रकार का पानी है? क्या सरकार ने उक्त का सर्वे करवाया है?

(2) जिला जैसलमेर की तहसील फतेहगढ़ के ग्राम मेहरों की ढाणी, भाडली, छीपासरीया में सर्वे के आधार पर किस प्रकार का पानी है?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर के तहसील शिव में विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर इन ग्रामों में पानी मिलने की सम्भावित गहराई व प्रकार निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	ग्राम	भूजल की सम्भावित गहराई (मीटर)	भूजल का प्रकार
1.	चोथियाली ढाणी (ग्राम बनियाली)	70 से 75	खारा
2.	रोहिडाला	70 से 75	खारा
3.	खडीन	90 से 100	खारा
4.	धामडली	90 से 100	पीने योग्य

जी हां, भूजल सर्वेक्षण करवाया गया है।

(2) जिला जैसलमेर की तहसील फतेहगढ़ के निम्न ग्रामों में सर्वे के अनुसार पानी का प्रकार निम्नानुसार है :-

(भू-जल मंत्री)

क्र.सं.	ग्राम	भू-जल का प्रकार
1.	मेहरों की ढाणी	पीने योग्य
2.	भाड़ली	थोड़ा खारा
3.	छीपासरिया	खारा

चांधन सांड संवर्धन पशु फार्म का अनुबन्ध पर स्थानान्तरण

420. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर नस्ल सुधार हेतु जिला जैसलमेर के चांधन में सांड संवर्धन हेतु पशु फार्म प्रारम्भ किया था?

(2) क्या यह भी सही है कि अव्यवस्था एवं पर्याप्त अनुदान न मिलने से उक्त फार्म को वर्ष 1984 में कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर को 30 वर्ष के अनुबन्ध पर स्थानान्तरित किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय को सौंपने के बाद व्यवस्था बिगड़ी है और पशु संख्या घटी है तथा सांड वितरण का कार्यक्रम बन्द हो गया है?

(4) क्या यह भी सही है कि अनुबन्ध में यह शर्त है कि यदि फार्म के उद्देश्य में व सांड वितरण में कमी आयी तो विभाग फार्म को वापस ले सकता है?

(5) क्या सरकार चांधन बुल, मादर फार्म को वापस विभाग को संचालन हेतु देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) थारपारकर नस्ल सुधार, हेतु अनुसंधान तथा सांड, बछड़ियां एवं बैल उत्पादन के लिये उक्त फार्म को वर्ष 1984 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जैसलमेर ने कृषि विश्वविद्यालय को 30 वर्ष के अनुबन्ध पर स्थानान्तरित किया, न कि अव्यवस्था एवं पर्याप्त अनुदान न मिलने के कारण।

(3) जी नहीं। संसाधनों में लगातार कमी एवं मूल्य वृद्धि के कारण पशुओं की संख्या में कमी हुई है, किन्तु मांग के अनुसार थारपारकर नस्ल के सांड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाये गये हैं।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मांग अनुसार सांडों की आपूर्ति की जा रही है।

आबकारी निरीक्षक श्री गंगानगर द्वारा सादुलशहर में बरामद पोस्त

421. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(1) क्या यह सही है कि आबकारी कार्यालय श्री गंगानगर द्वारा वर्ष 2001 में सादुलशहर में पोस्त पकड़ा गया था तथा आबकारी निरीक्षक ने पोस्त किस जगह से बरामद किया तथा कौनसी तारीख को बरामद किया गया और मुकदमा कौनसी तारीख को बनाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पोस्त पकड़ा कहीं और जगह से था तथा मौका दूसरे प्लाट का बनाया गया है? क्या उक्त सम्बन्ध में कोई गवाहों के बयान भी हुए थे? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विषय में छापे की कार्यवाही किस आधार पर की गई तथा छापे की कार्यवाही से पूर्व क्या सूचना मिली तथा किस अधिकारी को मिली थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि छापे की कार्यवाही की सूचना शराब की मिली थी तथा दूसरे किसी के प्लाट से पोस्त बरामद हुआ? यदि हां, तो अभियुक्त पर मुकदमा क्यों बनाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त सम्बन्ध में जब पोस्त बरामद हुआ उस दिन मुकदमा दर्ज नहीं किया इसके बाद जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी निरीक्षक को नोटिस दिया? यदि हां, तो नोटिस कौनसी तारीख को दिया गया? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(6) क्या यह सही है कि पोस्त बरामद हुआ रंजिशवश अभियुक्त पर शराब व पोस्त का केस बनाया गया तथा अभियुक्त को कितने दिन हिरासत में रखा? यदि हां, तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। आबकारी कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा सादुलशहर के एक आवास से दिनांक 21.9.2001 को श्री काकासिंह पुत्र श्री हरबंससिंह से 40 किलोग्राम डोडापोस्त एक बोरी में बरामद किया तथा मुकदमा नं. 33/2001-2002 दर्ज कर माल पकड़ा गया। माल कब्जे में लिया गया तथा मुल्जिम काकासिंह को दूसरे दिन गिरफ्तार किया गया।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि डोडापोस्त जिस जगह से बरामद हुआ उसका नक्शा मौका किसी अन्य प्लाट का बनाया गया है।

जी हां। गवाहों के बयान भी हुए थे।

(आबकारी मंत्री)

(3) इस सम्बन्ध में आबकारी निरीक्षक, आबकारी वृत श्रीगंगानगर ग्रामीण को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि सादुलशहर निवासी श्री काकासिंह जटसिख के मकान में अवैध शराब रखी हुई है। उक्त सूचना के आधार पर ही छापे की कार्यवाही की गई थी।

(4) जी हां। सूचना अवैध शराब की प्राप्त हुई थी परन्तु छापे के समय बरामदगी में डोडापोस्त पकड़ा गया था।

(5) जी नहीं। आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी निरीक्षक को कोई नोटिस नहीं दिया गया। प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं होने के कारण जांच अपेक्षित नहीं है।

(6) जी नहीं। अभियुक्त श्री काकासिंह के विरुद्ध दिनांक 21.9.2001 को शराब का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। विभाग द्वारा अवैध रूप से प्राप्त डोडापोस्त का मुकदमा एन.डी.पी.एस.एक्ट नियम 1985 की धारा 8/15 के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर मौके की कार्यवाही पूरी कर श्री काकासिंह को दिनांक 22.1.2002 को गिरफ्तार किया जाकर दिनांक 23.1.2002 को न्यायालय में पेश किया गया था। प्रकरण में विभागीय अधिकारी का कोई दायित्व नहीं बनता है।

जिला जालौर के प्राथमिक विद्यालयों को प्रदत्त सामग्री का भौतिक सत्यापन

422. श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विगत कुछ वर्षों पूर्व जिलों की पंचायत समितियों के अधीनस्थ प्राथमिक विद्यालयों को टी.वी., वी.सी.आर., टेप रिकार्डर, रेडियो तथा अन्य सामग्री समय समय पर सप्लाई की गई थी? क्या उक्त सामग्री का विद्यालय के स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? जिला जालौर में उक्त सप्लाई सामग्री की सूची विद्यालयवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सप्लाई की गई सामग्री का भौतिक सत्यापन किया जाकर विद्यालय स्टाक रजिस्टर कभी सक्षम अधिकरी द्वारा चैक किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो गत पांच वर्षों में सक्षम अधिकारी द्वारा जिला जालौर में कितनी बार निरीक्षण किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग के माध्यम से जिलों की पंचायत समितियों को सप्लाई सामग्री के आधार पर प्राथमिक पाठशालाओं में सरकार इनका भौतिक सत्यापन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला जालौर में सप्लाई सामग्री की विद्यालयवार सूची परिशिष्ट ''क'' सदन की मेज पर रख दी गई।

(2) समस्त सक्षम अधिकारी निरीक्षण के दौरान स्टाक रजिस्टर चैक करते हैं। जिला जालौर में सक्षम अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों का विवरण परिशिष्ट ''ख'' सदन की मेज पर रख दिया है।

(3) सप्लाई सामग्री के भौतिक सत्यापन करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए जा चुके हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान हक सफा अधिनियम में संशोधन

423. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान हक सफा अधिनियम के प्रावधान कृषि जोतों के विक्रय पर लागू नहीं होते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि जोतों पर हक सफा का कानून लागू नहीं होने से कृषि जोतों के सह-खातेदारों द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विक्रय तृतीय पक्ष को करने की प्रवृत्ति बढ़ी है जिसके फलस्वरूप दिनों-दिन कृषि जोतों के लघु खण्ड होते जा रहे हैं और सह खातेदारों के मध्य मुकदमेबाजी में भी वृद्धि हो रही है?

(3) क्या कृषि जोतों के लघु खण्ड को रोकने तथा सह-खातेदारों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान हक सफा अधिनियम, 1966 में आवश्यक संशोधन करके कृषि जोतों के विक्रय पर हक सफा के प्रावधान लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्थान शुल्क अधिनियम के प्रावधान कृषि जोतों के विक्रय पर लागू नहीं होते हैं।

(2) कृषि जोतों पर हक शुफा का कानून लागू नहीं होने से कृषि जोतों के सह-खातेदारों द्वारा अपने हिस्से की भूमि का तृतीय पक्ष को विक्रय करने की प्रवृत्ति बढ़ी हो, जिसके फलस्वरूप दिनों दिन कृषि जोतों के लघु खण्ड होते जा रहे हो, और मुकदमेबाजी में भी वृद्धि हो रही हो, इस प्रकार की सूचना संकलित नहीं की जाती है।

(3) जी नहीं।

आयुर्वेदिक औषधालय कवाई (बारां) के चिकित्सक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

424. **श्री जगन्नाथ** (मनोहर थाना), **श्री मदन दिलावर** (अटरू) एवं **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां की तहसील अटरू के कवाई कस्बे में आयुर्वेदिक औषधालय में कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी कब से कार्यरत हैं? उक्त के नाम व पते की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त औषधालय के आयुर्वेदिक चिकित्सक के विरुद्ध जिला आयुर्वेद अधिकारी, बारां, जिला कलक्टर बारां, सम्भागीय आयुक्त, निदेशक, आयुर्वेद विभाग तथा शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब तथा उक्त शिकायतों की जांच किस किस के आदेश से कब-कब प्रारम्भ की गई? उक्त शिकायतों की जांच को कब तक पूरा करना था? उक्त शिकायतों व उक्त जांच के प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर सरकार ने अब तक उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त जांच अधिकारियों की मिलीभगत के कारण नहीं करवाई गई?

(5) उक्त जांच नहीं करवाने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) राजकीय आयुर्वेद औषधालय, कवाई तहसील अटरू, जिला बारां में एक एक आयुर्वेद चिकित्सक, कम्पाउण्डर एवं परिचालक कार्यरत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट ''क'' में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त औषधालय में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सक के विरुद्ध जिला कलक्टर, बारां एवं माननीय आयुर्वेद मंत्री को प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. माननीय विधायक श्री मदन दिलावर द्वारा दिनांक 21.9.1990 को माननीय आयुर्वेद मंत्री को की गई शिकायत। उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, कोटा द्वारा इस शिकायत की जांच की गई। निदेशालय दिनांक 27.8.1992 द्वारा उक्त चिकित्सक को भविष्य के लिये अभिलिखित चेतावनी दी गई। प्राप्त शिकायतों व जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट ''ख'' में सदन की मेज पर रख दी गई है।
2. नगर अध्यक्ष, कांग्रेस (आई) कमेटी, कवाई (बारां) द्वारा दिनांक 8.4.2000 को माननीय आयुर्वेद मंत्री को की गई शिकायत इस शिकायत पर जिला

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

आयुर्वेद अधिकारी, बारां से टिप्पणी चाही गई। जिला आयुर्वेद अधिकारी, बारां ने दिनांक 26.12.2000 के पत्र द्वारा शिकायत को गलत व निराधार बताया। प्राप्त शिकायत व जिला आयुर्वेद अधिकारी, बारां का पत्र परिशिष्ट "ग" पर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

3. ग्रामवासी–कवाई (बारां) द्वारा दिनांक 7.2.2001 को जिला कलक्टर, बारां को प्रस्तुत की गई शिकायत। जिला कलक्टर ने इस शिकायत की जांच उप जिला कलक्टर, छबड़ा से कराई। प्राप्त शिकायत व जांच रिपोर्ट परिशिष्ट "घ" पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त शिकायत संख्या 1 में चिकित्सक को अभिलिखित चेतावनी दी गई है। शिकायत संख्या 2 गलत व निराधार पाई गई है शिकायत संख्या 3 में चिकित्सक के विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के नियम 17 में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(4) चूंकि यह सम्भावित है अत: जांच निदेशक आयुर्वेद से करवाई जाना प्रस्तावित है।

(5) उपरोक्तानुसार।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की दोहरी आवास सुविधा की जांच

425. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के कई भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिनका पदस्थापन जयपुर के बाहर है जयपुर में राजकीय आवास की सुविधा का उपयोग कर रहे हैं?

(2) उक्त सेवा के कौन–कौन अधिकारी कब–कब से जयपुर से बाहर पदस्थापित हैं और उक्त में से किस–किसने जयपुर में भी राजकीय आवास की सुविधा ले रखी है तथा अपने पदस्थापन स्थान पर भी राजकीय आवास की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकार जयपुर से बाहर पदस्थापित होने के बावजूद जयपुर में राजकीय आवास की सुविधा का उपयोग अनधिकृत है? यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त व्यक्तियों से राजकीय आवास खाली कराने के लिये क्या कार्यवाही कर चुकी/कर रही है?

(4) क्या सरकार दोहरा लाभ जुटाने वाले उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

(5) अब उक्त अधिकारियों से जयपुर में राजकीय आवास कब तक खाली करवा लिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूचना परिशिष्ट एक पर है।

(3) जी नहीं। राजकीय आवास आबंटन नियम, 1958 के तहत विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण के बाद भी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर निवास किया जा सकता है।

(4) जी नहीं। नियमों में अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान है।

(5) अनधिकृत निवास करने वाले अधिकारियों के आवास खाली करने हेतु कलक्टर जयपुर को निर्देश दिये जा चुके हैं।

परिशिष्ट–1

भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों जिनका जयपुर से बाहर पदस्थापन होने पर जयपुर स्थित राजकीय आवास उपयोग करने का विवरण

क्र. सं.	नाम अधिकारी	जयपुर में आबंटित आवास संख्या	कार्यमुक्ति दिनांक	दी गयी निवास की अनुमति दिनांक	पदस्थापन स्थान पर आवास सुविधा का लाभ
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुधीर कुमार वर्मा अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर।	I/8, गांधीनगर, जयपुर।	7.7.2001	30.6.2002	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर हेतु ए-5, टोडरमल लेन को चिन्हित, आवास सुविधा देय है। कब्जे की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
2.	श्री बी.बी. मोहन्ती सदस्य, राजस्व मण्डल, अजमेर।	I/13, गांधीनगर, जयपुर।	7.7.2001	20.8.2002	आवास आबंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

1	2	3	4	5	6
3.	श्री अजीत कुमार सिंह सदस्य, राजस्व मण्डल, अजमेर।	डी–723, गांधीनगर, जयपुर।	14.9.2000	30.6.2002	आवासन आबंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।
4.	श्री गिरीराज सिंह जिला कलक्टर, सिरोही।	II/30, गांधीनगर, जयपुर।	23.8.2001	–	सिरोही में आरक्षित आवास संख्या 76/1/1 में दिनांक 31.8.2001 से निवास किया जा रहा है।
5.	श्री ताराचन्द जिला कलक्टर, सीकर	डी–640, गांधीनगर, जयपुर।	23.8.2001	30.4.2002	सीकर में सितम्बर, 2001 से राजकीय आवास सुविधा का लाभ प्राप्त किया जा रहा है।

प्रदेश में संचालित कार्यक्रमों की सामग्री का वितरण

426. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे कार्यक्रमों, अभियानों व योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए निदेशक, आई.ई.सी. या विभाग की किसी अन्य शाखा से बुकलेट, सामग्री, पोस्टर, पैम्फलेट, किताबें प्रकाशित की जाती है? यदि हां, तो उक्त सामग्रियों को ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचने की क्या व्यवस्था है? ग्राम पंचायत स्तर पर भेजी गई सामग्री प्राप्त होने की सुनिश्चितता को आंकने का क्या आधार है?

(2) गत तीन वर्षों में कितनी राशि की सामग्री छपवाई गई है और वर्तमान में कितनी राशि की सामग्री स्टोर में उपलब्ध है? क्या उक्त को वितरित किया जाना है?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा सामग्री को डाक एवं ई.पी.पी. द्वारा ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाई जाती है, जिसकी ई.पी.पी. की पहुंच प्राप्त की जाती है। राजस्थान स्टेट एडस के प्रति जागरुकता पंचायतों की सहयोगिता के लिए 10,000

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

फोल्डर प्रिंट करवाए गए जिन्हें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की मार्फत पंचायतों तक पहुंचाई गई।

आई.ई.सी. निदेशालय की मास मेलिंग यूनिट द्वारा ग्राम पंचायतों को सामग्री भारतीय डाक तार विभाग के माध्यम से भिजवाई जाती है। इस हेतु निदेशालय ने फ्रेकिंग मशीन के उपयोग की भारतीय डाक तार विभाग द्वारा अनुमति ली हुई है।

(2) गत तीन वर्षों में छपवाई गई सामग्री पर हुए व्यय का विवरण :-

वर्ष	व्यय की गई राशि
1999-2000	3206236.00 रुपये
2000-2001	15706104.00 रुपये
2001-2002	5753213.00 रुपये

वर्तमान में लगभग 15.00 लाख रुपए की सामग्री स्टोर में उपलब्ध है जिसे भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा ई.पी.पी. से ग्राम स्तर तक तथा केरियर ट्रांसपोर्ट से जिलों को भिजवाया जा रहा है।

राजस्थान स्टेट एडस कंट्रोल सोसायटी द्वारा गत तीन वर्षों में 6000.00 रुपए की राशि के कुल 10,000 फोल्डर छपवाये गये है, इस समय एडस स्टोर में ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है।

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी अलवर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

427. श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर में सहायक वाणिज्य कर अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेकर ट्रक छोड़ने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या शिकायत की जांच करवाई गई?

(2) उक्त जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया एवं जांच के आधार पर दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की जा रही है।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

जिला कलक्टर करौली के कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र

428. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री भरोसी लाल)

(1) क्या सूचना के अधिकार नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी सूचना की प्रति प्राप्त कर सकता है? यदि हां, तो सूचना की प्रति कितने समय में उपलब्ध कराने का नियमों में प्रावधान है?

(2) वर्ष 2001 से फरवरी, 2002 तक जिला कलक्टर करौली के कार्यालय में उक्त नियमों के तहत कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए? उक्त में से किस-किस प्रार्थना पत्र पर कब-कब सूचना उपलब्ध कराई गई?

(3) उक्त नियमों के तहत जिला करौली के किस-किस विधायक ने कब-कब पत्र देकर जनवरी, 2001 से फरवरी, 2002 तक किस-किस सूचना के लिए नागरिक अधिकार के तहत सूचना चाही थी? क्या उक्त सभी विधायकों को सूचना उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2000 के तहत कोई भी व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन सूचना प्राप्त कर सकता है। यदि प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में हो तथा निर्धारित फीस जमा हो तथा आवेदक द्वारा चाही गई सूचना-''राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2000'' की धारा 5 के अधीन निर्बन्धित कोटियों में नहीं आती हो तो सूचना की प्रति 30 दिन के भीतर प्राप्त कर सकता है।

(2) जिला कलक्टर, करौली के कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं होने व निर्धारित फीस जमा नहीं कराने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

(3) जिला करौली के हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र के विधायक ने दिनांक 9.10.2001 को निम्न प्रकरणों के सम्बन्ध में सूचना चाही थी :-

1. जिला जाटव समाज सुधार समिति हिण्डौन द्वारा किये जा रहे निर्माण के क्रम में तहसीलदार हिण्डौन की रिपोर्ट दिनांक 6.1.2001.
2. प्रार्थना पत्र कमल जाटव सनेट की अवैध गिरफ्तारी के क्रम में एन.टी. हिण्डौन के विरुद्ध की गई विभागीय जांच में जांच अधिकारी की रिपोर्ट व निर्णय की छाया प्रति।
3. उक्त प्रकरण कमल जाटव में लोकायुक्त महोदय के आदेश पत्रांक 4112 दिनांक 19.9.2001 की कापी।
4. तहसील करणपुर में मरम्मत अग्रिम की दस हजार रुपये की राशि में पेश

(पंचायती राज मंत्री)

किये गये वाउचर व जांच अधिकारी की रिपोर्ट व राजस्व मण्डल के निर्णय की छाया प्रति।

5. भू–अभिलेख शाखा का बिल नम्बर 36/2612/2000 व बिल नम्बर 51 दिनांक 22.3.2001 की प्रमाण पत्रों सहित नकल।

6. अधिशासी अभियन्ता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र के नाम पर उठाए गये रुपये की जांच रिपोर्ट।

प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं होने तथा निर्धारित फीस जमा नहीं कराने के कारण उक्त सूचनाएं हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र के विधायक को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

(4) जी नहीं।

नगर परिषद्/नगरपालिका अजमेर के पैराफेरी प्रकरण

429. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के भू–प्रबंधन 70–72 प्रकरणों का नियमन करने हेतु माननीय राजस्व मंत्री महोदया की अध्यक्षा में दिनांक 24.2.1999 को सचिवालय जयपुर में एक बैठक आयोजित की गई? यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या निर्णय हुआ? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बैठक में अजमेर जिले की नगर परिषद्/पालिका के पैराफेरी के मामलों के नियमन के बारे में भी निर्णय लिया गया? यदि हां, तो क्या निर्णय हुआ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या दिनांक 2.10.2001 से 31.12.2001 तक अजमेर जिले में प्रशासन गांवों के संग कार्यकम के अन्तर्गत अजमेर जिले की भू–संशोधन की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में राजस्व ग्रुप–6 ने दिनांक 28.9.2001 को परिपत्र जारी किया? यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त परिपत्र के भाग संख्या 4 में नगर परिषद/पालिका के पैराफेरी प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था कि प्रशासन गांव के संग कैम्पों में उक्त प्रकरणों को परिपत्र के अनुरूप निपटाकर राज्य सरकार को वास्ते स्वीकृति हेतु भेजे जाये? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में जिला प्रशासन ने पैराफेरी में आने वाले किन–किन गांवों का किस–किस व्यक्ति का प्रकरण शिविर में बनाकर सरकार को भेजा है?

(5) क्या भेजे गये प्रकरणों का निपटारा सरकार ने कर दिया? यदि हां, तो कितने प्रकरण स्वीकृत हुए और नहीं, तो कब तक उक्त प्रकरणों को निपटा दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 24.2.1999 को सम्पन्न हुई बैठक में बाद विचार-विमर्श यह निर्णय लिया गया था कि जिला कलक्टर, अजमेर और राजस्व मण्डल, अजमेर जिले का भू-संशोधन के सम्बन्ध में एक विस्तृत नोट प्रस्तुत करेंगे, यह सुझाव भी देंगे कि नियमों के क्या संशोधन से काश्तकारों को राहत मिल सकती है। उक्त बैठक का कार्यवाही का विवरण औपचारिक रूप से जारी नहीं किया गया।

(2) उक्त बैठक में अजमेर जिले की नगर परिषद्/पालिका के पैराफेरी के मामलों के नियमन के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया।

(3) जी हां। परिपत्र दिनांक 28.9.2001 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई।

(4) जी हां। अजमेर जिला कलक्टर द्वारा पैराफेरी में आने वाले गांवों के गांववार एवं व्यक्तिवार प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाएं हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(5) प्रकरण अभी परीक्षणाधीन है। नियमानुसार कार्यवाही का निर्णय लिया जाएगा।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-430

(स्थगित)

(झुंझुनूं) में महिला चिकित्सक की नियुक्ति

431. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला झुंझुनूं के बगड़ शहर की आबादी 13 हजार से अधिक है? क्या उक्त शहर में एक राजकीय मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र है जिसमें एक महिला चिकित्सक नियुक्त है?

(2) क्या उक्त महिला चिकित्सक की ड्यूटी 10 से 15 दिन तक महीने में नसबन्दी शिविरों में लगा दी जाती है?

(3) क्या उक्त महिला चिकित्सक के अस्पताल में नहीं रहने से प्रसव हेतु आने वाली महिलाओं को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि बगड़ से झुंझुनूं भी 16 किलोमीटर तथा चिड़ावा भी 16 किलोमीटर की दूरी होने के कारण कठिन प्रसव के कारण कई बार मृत्यु भी हो जाती है?

(4) क्या सरकार उक्त केन्द्र में महिला चिकित्सक स्थाई रूप से रखने का विचार रखती है? क्या सरकार नसबन्दी शिविरों हेतु किसी अन्य चिकित्सक की ड्यूटी लगाने पर विचार करेगी?

उत्तर

(1) जी हां। जिला झुंझुनूं के बगड़ शहर में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र स्वीकृत हैं। महिला चिकित्सक प्रसवोत्तर केन्द्र बगड़ में कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) के पद पर पदस्थापित है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। अन्य चिकित्सा अधिकारियों के उपस्थित रहने के कारण महिला चिकित्सक के नहीं रहने पर भी प्रसव करवाये जाते हैं। अप्रैल, 2001 से फरवरी, 2002 तक 226 प्रसव करवाये गये हैं जिसमें से एक भी महिला की प्रसव के दौरान मृत्यु नहीं हुई है।

(4) 1 अप्रैल से बगड़ में स्टेटिक यूनिट की जा चुकी है। इससे महिला चिकित्सक ड्यूटी परिवार कल्याण नसबन्दी शिविर में सामान्यतः नहीं लगाई जावेगी। जिले में अन्य सर्जनों को प्रशिक्षण दिया गया है अब प्रशिक्षित लैप्रोस्कोपिक सर्जन उपलब्ध है, उन्हीं की नसबन्दी कैम्पों में सेवाएं ली जावेगी।

जिला बारां में कृषि विभाग के गोदाम पर अवैध कब्जा

432. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला बारां में कृषि विभाग के गोदाम व आवासीय भवन स्थित है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मकानों व गोदामों पर विभाग का ही कब्जा है? क्या उक्त पर प्रभावशाली व्यक्तियों का कब्जा है? यदि हां, तो किसका? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अवैध कब्जों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट संख्या–1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। उक्त सभी मकानों एवं गोदामों पर विभाग का ही कब्जा है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट-11

बारां जिले में कृषि विभाग के अन्तर्गत गोदाम व आवासीय भवनों की सूची

1. **गोदाम**

1. किशनगंज 2. छबड़ा 3. अटरू 4. छीपाबड़ौद

2. **आवासीय भवन (जिला मुख्यालय पर)**

1. कृषि अधिकारी आवास (2) 2. सहायक कृषि अधिकारी आवास (2)

2. कृषि पर्यवेक्षक आवास (3)

3. **जिले में स्थित सहायक कृषि अधिकारी आवास**

1. केलवाड़ा 2. अटरू

4. **जिले में स्थित कृषि पर्यवेक्षक आवास**

1. कोयला 2. फतेहपुर 3. बटावदा 4. चौकी बोरदा

5. रटावद 6. किशनगंज (कृ.से. केन्द्र) 7. बासपूनी

8. भंवरगढ़ 9. गरडा 10. केलवाड़ा 11. बाल्दा (केलवाड़ा)

12. केलवाड़ा (कृ.से. केन्द्र) 13. समरानिया 14. शाहबाद

15. कस्बा थाना 16. भूलोन 17. अटरू 18. कवाई

19. फूलबड़ौदा 20. पटना 21. टाचा 22. अन्ताना

23. गोर्धनपुरा

गंगानगर शुगर मिल का निजीकरण

433. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माह जनवरी, 2002 के दौरान राजस्थान अन्वेषण ब्यूरो ने गंगानगर शुगर मिल कि डिस्टलरी व गोदामों पर शिकायत के आधार पर छापे एक साथ मारे थे? यदि हां, तो छापे में क्या-क्या अनियमितता पाई गई व कितने कर्मचारी/अधिकारियों को दोषी पाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गंगानगर शुगर मिल को वर्ष 1997-98 से 2001-2002 में कुल कितना लाभ या हानि हुई तथा लाभ व हानि के क्या कारण रहे?

(3) क्या सरकार शुगर मिल को निजी हाथों में सौंपने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों व कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। शोधित प्रासव के कुल स्टाक 3.14 लाख बल्क लीटर में जांच दल द्वारा 2041.536 बल्क लीटर की कमी पाई गई। प्रश्नगत अन्वेषण वर्तमान में जारी है एवं तदुपरान्त ही किसी के दोषी पाये जाने पर ही तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(2) राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल द्वारा वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक अर्जित लाभ/हानि का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	शुद्ध लाभ/हानि (राशि लाख रु. में)
1997-1998	6.95
1998-1999	3.08
1999-2000	13.78
2000-2001	16.20

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट–4

(तारांकित प्रश्न संख्या–402 की प्रति)

Off. : 451200
© Fax. : 450165
Res. : 451100

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
कोटा–324001

COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE
KOTA-324 001

क्रमांक : PA/2000/1616 दिनांक : 25.11.2000

निदेशक,
डी.पी.ई.पी.,
जयपुर

विषय : कोटा जिले में चयनित मदरा पैराटीचर्स के चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कोटा जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 मदरसों में हिन्दी पैरा टीचर का चयन किया गया है। दिनांक 19.10.2000 को जिला परिषद् की साधारण सभा में प्रधानों तथा अन्य जन प्रतिनिधियों के द्वारा शिकायत की गई थी कि चयन प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं तथा पंचायत समिति के प्रधानों को चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है जो कि आपके द्वारा जारी की गई दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल है।

यह शिकायत प्राप्त होने पर उक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि चयन प्रक्रिया की जांच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् एवं उप–जिला प्रमुख द्वारा संयुक्त रूप से की जावेगी। साथ ही आपके निर्देशानुसार चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु दिनांक 17.11.2000 को इस शर्त पर आदेशित किया गया था कि यदि जांच के पश्चात् कोई अनियमितता पाई जावेगी जो अनियमित रूप से चयनित व्यक्तियों का चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

उपरोक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 24.11.2000 को प्राप्त हो गई है जिसमें पाया गया

कि किसी भी पैराटीचर्स के चयन में प्रधान को शामिल नहीं किया गया है जबकि चयन प्रक्रिया सम्बन्धी कागजातों पर आपके मुख्यालय से भेजे गये प्रतिनिधि श्री उस्मान गनी, जिला समन्वयक श्री मंजूला गौतम, श्री कल्लू अंसारी, सहायक परियोजना समन्वयक एवं अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं। चयन प्रक्रिया में भी कई प्रकार की अनियमितायें हैं जैसे कि उच्च अंक प्राप्त व्यक्ति का चयन नहीं किया जाकर अन्य का चयन किया गया है। इस प्रकार जबकि दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण प्राप्तांक 50 अंक से अंक देने का था तो कई बार आंशिक पूर्णाक से परीक्षा ले ली गई या साक्षात्कार का कोई रेकार्ड नहीं रखा गया है। इन सब तथ्यों पर विचार कर निम्न निर्णय लिये गये :-

1. जिन 10 व्यक्तियों के चयन में प्रक्रियात्मक तथा तथ्यात्मक अनियमितताएं पाई गई है का चयन दिनांक 24.11.2000 को आदेश पारित कर निरस्त कर दिया गया है।

2. शेष 5 व्यक्तियों का चयन तथ्यात्मक रूप से उचित प्रतीत होता है एवं इन पर प्रधानों की संस्तृति प्राप्त होने के पश्चात् रखे जाने पर विचार किया जावेगा।

3. जांच में पाया जाता है कि मुख्यालय के प्रतिनिधि श्री उस्मान गनी इन अनियमितताओं के लिये दोषी हैं क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते इन्हें मुख्यालय के निर्देशानुसार स्वयं कार्य करना चाहिए था तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा-निर्देश देने चाहिये थे जो उन्होंने नहीं किया।

मेरा सुझाव है कि श्री उस्मान गनी को तत्काल निलम्बित कर इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे। श्रीमती मंजूला गौतम ने अपने बयान में कथन किया है कि चयन में निर्णायक भूमिका श्री उस्मान गनी की रही है एवं चयन के समय श्रीमती मंजूला गौतम द्वारा अनियमितता के बारे में बार-बार आगाह कर दिया गया था जिस पर श्री उस्मान गनी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। श्री कल्लू अंसारी के द्वारा भी श्रीमती गौतम के साथ चयन प्रक्रिया के दौरान अनियमितता के बारे में श्री गनी को आगाह कर दिया गया था। अतः इन्हें नर्मी का रुख अपनाते हुये भविष्य में सतर्क रहने हेतु पाबन्द कर दिया गया है।

चयन प्रक्रिया के दुबारा करने हेतु दिशा-निर्देश तय करने के लिये कृपया अनुमति प्रदान करें।

ह०/-

जिला कलक्टर,

कोटा

परिशिष्ट-5

परिशिष्ट "क"

(तारांकित प्रश्न संख्या-412 का विवरण)

विधान सभा जैतारण स्कूलवार स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं. 1	विद्यालय का नाम 2	संवर्ग का नाम 3	स्वीकृत पद 4	रिक्त पद 5
1.	राउमावि., जैतारण	प्रचार्य	01	–
		व्याख्याता	21	04
		व.अ.	11	–
		स.अ.	11	02
2.	राउमावि., निमाज	प्रचार्य	01	–
		व्याख्याता	07	–
		व.अ.	07	–
		स.अ.	11	02
3.	राउमावि., एपीकालू	प्रचार्य	01	–
		व्याख्याता	16	07
		व.अ.	04	–
		स.अ.	06	03
4.	राउमावि., रास	प्रचार्य	01	–
		व्याख्याता	05	02
		व.अ.	07	–
		स.अ.	04	–
5.	राबाउमावि., जैतारण	प्रचार्य	01	01
		व्याख्याता	04	01
		व.अ.	04	01

1	2	3	4	5
6.	राबाउमावि., निमाज	प्रचार्य	01	–
		व्याख्याता	05	04
		व.अ.	05	–
7.	रामावि., बलुन्दा	प्र.अ.	01	–
		व.अ.	06	–
		स.अ.	04	01
8.	रामावि., लाम्बिया	प्र.अ.	01	–
		व.अ.	06	01
		स.अ.	02	–
9.	रामावि., भागेवा	प्र.अ.	01	–
		व.अ.	06	–
		स.अ.	01	–
10.	रामावि., डिगरवा	प्र.अ.	01	–
		व.अ.	06	–
		स.अ.	01	–
11.	रामावि., गरनिया	प्र.अ.	01	–
		व.अ.	06	–
		स.अ.	02	–
12.	रामावि., कुड़ायी	प्र.अ.	01	–
		व.अ.	06	–
		स.अ.	02	–
13.	रामावि., बलाड़ा	प्र.अ.	01	–
		व.अ.	06	–
		स.अ.	02	02

1	2	3	4	5
14.	रामावि., निम्बोल	प्र.अ.	01	–
		व.अ.	05	–
		स.अ.	02	02
15.	रामावि., पारवा	प्र.अ.	01	–
		व.अ.	05	–
		स.अ.	01	–
16.	रामावि., फालका	प्र.अ.	01	–
		व.अ.	05	01
		स.अ.	05	01
17.	रामावि., देवरिया	प्र.अ.	01	–
		व.अ.	01	–
		स.अ.	04	01
18.	रामावि., रामावासकली	प्र.अ.	01	–
		व.अ.	04	–
		स.अ.	03	01
19.	रामावि., आसरीबाई	प्र.अ.	01	–
		व.अ.	03	01
20.	रामावि., बाबरा	प्र.अ.	01	–
		व.अ.	06	–
		स.अ.	02	–
21.	रामावि., सूमैल	प्र.अ.	01	–
		व.अ.	05	–
		स.अ.	01	–
22.	राबामावि., एपीकालू	प्र.अ.	01	–
		व.अ.	06	–

परिशिष्ट–6

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–729 की प्रति)

दिनांक 14 अगस्त, 2000 को अपराह्न 3.30 बजे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हाल में हुई बैठक का वृतान्त सम्बन्धित उद्धरण

1. वित्त सचिव ने अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि राज्य कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों को विलम्ब से भुगतान नहीं किया जाए। कई मामलों में कारण बताओ नोटिस के उपरान्त भी समय पर भुगतान नहीं हो पाता है, जबकि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों का यह वैधानिक दायित्व है कि सेवानिवृत्ति लाभ बिना किसी विलम्ब के भुगतान किए जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिए हैं। अनावश्यक वादकरण को रोकने और न्यायालयों द्वारा ब्याज और वादी को दिये जाने वाले लाभ से बेचने के लिए सेवानिवृत्ति के प्रकरणों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

2. मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिए कि सेवानिवृत्ति होने वाले राज्य सेवकों के पेंशन से सम्बन्धि मामलों को निपटाने की कागजी कारवाई 2 वर्ष पूर्व ही प्रारम्भ कर दी जाए और सेवानिवृत्ति के छह माह पूर्व पूरी हो जाए ताकि सेवानिवृत्ति की तिथि पर सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों को उनके पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान मिल सके। प्राप्त सूचना के अनुसार 650 पेंशन के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं एवं 244 मामले पेंशन कारवाई पूर्ण नहीं होने के कारण लम्बित हैं।

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट-7

(तारांकित प्रश्न संख्या-732 की सूची)

क्र. सं.	आरोपित अधिकारी का नाम व पद	आरोप पत्र जारी	सी.सी.ए. नियम 16/17	जांच अधिकारी नियुक्ति तिथि	जांच अधिकारी का पद	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री के.एल. सोमपुरा, जिला आबकारी अधिकारी 1(349)94 (सेवा निवृत्त)	28.12.1995	16	4.7.2001	आयुक्त (तृतीय) विभागीय जांच विभाग	जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
2.	श्री इन्द्रसिंह, जिला आबकारी अधिकारी श्री ए.के. भटनागर, सहायक आबकारी अधिकारी 1(109)96	13.6.1996	16	9.8.2000	अति. आयुक्त (द्वितीय) विभागीय जांच विभाग	जांच अधिकारी से रिजांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
3.	श्री इन्द्र सिंह, जिला आबकारी अधिकारी प.1(131)97	30.3.1999	16	30.8.2000	अति. आयुक्त (द्वितीय) विभागीय जांच विभाग	जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
4.	श्री पी.के. जोशी, जिला आबकारी अधिकारी प.1(238)97	10.9.1997	16	30.11.1999	सम्भागीय आयुक्त अजमेर।	जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
5.	श्री मोहम्मद उमर, जिला आबकारी अधिकारी 1(23)99	10.4.1999	16	4.4.2001	अति. आयुक्त (द्वितीय) विभागीय जांच विभाग	जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7
6.	श्री इन्द्र सिंह चूण्डावत, जिला आबकारी अधिकारी 1(86)99	30.3.1999	16	3.11.2000	आयुक्त (द्वितीय) विभागीय जांच विभाग	जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
7.	श्री इन्द्र सिंह चूण्डावत, जिला आबकारी अधिकारी से. नि. 1(87)99	30.3.1999	16	9.8.2000	आयुक्त (द्वितीय) विभागीय जांच विभाग	जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
8.	श्री प्रेम शंकर त्रिपाठी, जिला आबाकरी अधिकारी प.1(131)99	16.8.1999	16	6.12.1999	अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) विभागीय जांच विभाग	जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
9.	श्री दांताराम यादव, जिला आबकारी अधिकारी प.1(322)2000	14.12.2000	16	23.3.2001	आयुक्त (तृतीय) विभागीय जांच विभाग	जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
10.	श्री विशम्भर दयाल जिला आबकारी अधिकारी 1(342)99	29.4.1999	16	–	–	प्रशासनिक विभाग से टिप्पणी अपेक्षित है।
11.	श्री श्याम लाल शर्मा जिला आबकारी अधिकारी 1(344)99 श्री हरिसिंह मण्डावत, जिला आबकारी अधिकारी	6.12.1999	16	–	–	प्रशासनिक विभाग से टिप्पणी अपेक्षित है।
12.	श्री ओम प्रकाश सनाढ्य, जिला आबकारी अधिकारी 1(171)2000	19.12.2000	16	–	–	प्रशासनिक विभाग से टिप्पणी अपेक्षित है।

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट ''अ''

(अतारांकित प्रश्न संख्या-739 की प्रति)

ओर से : तहसीलदार (भू.अ.), तिजारा (अलवर)

निमित्त : श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय,
(कोर्ट शाखा) अलवर

विषय : रेफरेंस बाबत नामान्तकरण संख्या-718 दिनांक 23.8.1997.

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या-718 दिनांक 23.8.1997 के रैफरेंस बाबत बिन्दुवार निम्न प्रकार निवेदन है :-

1. यह है कि नामान्तकरण संख्या 718 दिनांक 23.8.1997 ग्राम महेशरा पटवार मण्डल महेशरा तहसील तिजारा (अलवर) में स्थित है, जिसे रेफ़रेंस किया जाना न्यायोचित है।

2. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 446 मिन रकबा 13.00 बीघा भूमि वाके ग्राम महेशरा तहसील तिजारा (अलवर) जो कि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अलवर द्वारा जरिए आदेश क्रमांक 1202-06 दिनांक 6.4.1995 के अनारो देवी पत्नी मातूसिंह व माता मृतक सरदारसिंह राजपूत साकिन खौहर तहसील बहरोड़ के नाम आबंटन की गई थी।

3. यह है कि तत्कालीन तहसीलदार तिजारा द्वारा आदेश क्रमांक 2078-79 दिनांक 23.7.1997 के अनारो देवी पत्नी मातूसिंह राजपूत साकिन खौहर तहसीन बहरोड़ खातेदारी अधिकार प्रदान किए गये जो नामान्तकरण संख्या 718 दिनांक 23.8.1997 से प्राप्त हुई।

4. यह है कि तत्कालीन तहसीलदार तिजारा द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी तत्समय प्रचलित कानून के विपरीत प्रदान की गई, जबकि तत्समय नियमानुसार खातेदारी दस वर्ष की अवधि समाप्त होने पर दी जा सकती है, जबकि नामान्तकरण संख्या 718 दिनांक 23.8.1997 2 वर्ष 4 माह की अवधि में आबंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये जो कानून गठित है रेफरेंस योग्य है।

5. यह है कि रेफरेंस आदेश दिनांक 23.7.1997 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 718 दर्ज कर स्वीकृति किया गया है, तथा आज दिनांक को रेफरेंस प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्यहित में है, इसलिए इस बीच की अवधि को कंडोम किया जाना न्यायोचित है।

6. यह है कि रेफरेंस राज्यहित में है, इसलिए बिना कोर्ट फीस के रेफरेंस प्रस्तुत है।

7. रेफरेंस श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है। श्रवण योग्य है। अतः प्रार्थना है, कि:-

नामान्तकरण संख्या 718 दिनांक 23.8.1997 ग्राम महेशरा पटवार मण्डल महेशरा तहसील तिजारा राज्यहित में रेफरेंस करने की कृपा करें, तथा नामान्तकरण संख्या 718 निरस्त फरमायें।

ह०/-
तहसीलदार (भू.अ.), तिजारा
(अलवर) राज.

शपथ-पत्र

मैं जगदीश वर्मा तहसील, तिजारा सत्यापित करता हूं कि रेफरेंस का जिमन नम्बर लागायत 7 मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

ह०/-
(तहसीलदार तिजारा)
(अलवर) राज.

परिशिष्ट "1"

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या–743 का विवरण)

कार्यालय जिला कलक्टर, दौसा

सूचना खतौनी बन्दोबस्त सं. 2009 से 2022 तहसील लालसोट

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम भोक्ता पिता जाति व निवास	नाम उपभोक्ता पिता जाति व निवास	नाम कृषक पिता जाति निवास	खसरा नम्बर	रकबा बी.	रकबा बिस्वा	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्योसिंहपुरा	श्री नारायण वल्द कोम ब्राह्मण सा. जयपुर		झूंथा वल्द मोना कोम मीना सा. देह मु.क.	18/2 19/2	1	6	चा. दोयम 1 बीघा 8 बिस्वा
					18/3 19/1	3	7	बा.अ. 3 बिस्वा बा.हो. 2 बीघा
				मिजात खाता	2	4	13	बा.अ. 1 बीघा 7 बिस्वा
2.	श्योसिंहपुरा	बशरह सदर		बदना वल्द गोविन्दा कोम मीना सा. देह मु.क.	18/1 19/4	1	3	चा. दोयम 19 बिस्वा बा. अव्वल 4 बिस्वा
					19/3	–	1	बं. डो.
					22	2	15	चा. दोयम
				मिजात खाता	3	3	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	श्योसिंहपुरा	बशरह सदर		बदना वल्द गोविन्दा व झूंथा वल्द मोहिना कोम मीना सा. देह व हिस्सा बराबर मु.क.	20		3	गै. मु. चाह
4.	श्योसिंहपुरा	बशरह सदर		छीतर वल्द चन्दरा	39	6	7	बा. अव्वल
				कोम ब्राह्मण सा.	40	2		बा. अलीफ
				सा. देह मु.क.	41/2	3	1	चा. सोयम
					42/1			
					42/2	1	4	चा. सोयम
					46			
					42/3	–	1	चा. सोयम
					44	2	4	बा. अलीफ
					45	1	12	चा. सोयम
					41/1	–	6	गै.मु. झेरा
					43	–	2	गै.मु. झेरा
				मिजात खाता	9	16	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	श्योसिंहपुरा	बशरह सदर		हीरालाल वल्द	23	9	12	बा. अव्वल
				छीतर कोम ब्रा.	38/1	8	–	बा. अव्वल
				सा. देह मु.क.	38/2	7	8	बा. अव्वल
					424	2	8	चा.बो. 2 बी. 7 बिस्वा
								ब.डोल 1 बिस्वा
					426	1	10	बा. बोयम
					427	2	10	बा. अलीफ
					428	2	8	चा. बोयम
					429	2	5	चा. बोयम
					430	–	8	गै.मु. चाह
					431/1	1	11	चा. दोयम
					432/2			
					431/2	2	9	चा. दोयम
					432	1	2	बा. अव्वल
					433/1	–	2	गै.मु. बाड़ा
					433/3	3	3	चो. दोयम 2 बी. 8 बिस्वा
								बा. अव्वल 15 बिस्वा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					434	–	8	गै.मु. बाड़ा
					435	–	8	गै.मु. बाड़ा
					437	–	3	गै.मु. चाह
					438	1	3	चा. दोयम
					439	–	14	चा. दोयम
					440/1	2	14	चा. दोयम
					440/2	–	4	ब. डोल
					425	–	4	गै.मु. झेरा
					436	–	3	गै.मु. रास्ता
				मिजात खाता	**23**	**50**	**17**	
6.	श्योसिंहपुरा	श्री नारायणी मजकूर		मिश्रीलाल वल्द	26/1	–	1	चा. सोयम
				रामदेव कोम	26/2	–	2	गै. मु. चाह
				ब्राह्मण सा.	31/1			
				देह मु.क.	30	3	7	चा. सोयम
					31/2	4	1	चा. सोयम
					31/3	3	18	चो. सोयम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					32	6	7	बा. अव्वल
					33	1	5	चो. सोयम
					35/2	6	11	चो. सोयम
					36/3			
					36/2	–	2	चो. सोयम
					37	6	–	बा. अव्वल
					34	–	5	गै.मु. झेरा
					35/1			
					36/1	–	1	गै.मु. आबादी
				मिजात खाता	12	32	–	
				कुल जोड़	50	108	9	

परिशिष्ट-10

परिशिष्ट-1

(अतारांकित प्रश्न संख्या-747 की सूची)

राज्य में सीलिंग कानून के अन्तर्गत कुल अधिगृहीत भूमि का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	कुल अधिगृहित भूमि (रकबा एकड़ में)
1	2	3
1.	अजमेर	9838.91
2.	अलवर	1707.00
3.	बारां	18918.58
4.	बांसवाड़ा	1442.06
5.	बाड़मेर	47588.00
6.	भरतपुर	873.00
7.	भीलवाड़ा	34572.00
8.	बीकानेर	95859.00
9.	बूंदी	20432.40
10.	चित्तौड़गढ़	8416.98
11.	चूरू	2161.00
12.	दौसा	3017.00
13.	डूंगरपुर	2073.00
14.	धौलपुर	1388.00
15.	हनुमानगढ़	9105.00
16.	श्रीगंगानगर	8410.00
17.	जयपुर	14500.00
18.	जैसलमेर	90453.00

1	2	3
19.	जालौर	34976.87
20.	झालावाड़	3550.17
21.	झुंझुनूं	993.00
22.	जोधपुर	29622.00
23.	कोटा	24296.00
24.	करौली	4054.50
25.	नागौर	5763.00
26.	पाली	30950.00
27.	राजसमन्द	5830.50
28.	सवाईमाधोपुर	4893.00
29.	सीकर	1380.00
30.	सिरोही	8788.00
31.	टोंक	14313.00
32.	उदयपुर	11910.00
	योग	552076.76

परिशिष्ट "1"

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या–756 का विवरण)

वर्ष 1996-97 से 2001-2002 तक कृषि क्षेत्र में मूल प्रावधान, संशोधित अनुमान, एवं राज्य के कुल बजट से कृषि क्षेत्र को आबंटित बजट का प्रतिशत (आयोजना)

वर्ष	कृषि क्षेत्र हेतु बजट आबंटन		व्यय	मूल बजट से संशोधित बजट	राज्य का वार्षिक बजट आबंटन		राज्य के बजट से कृषि क्षेत्र का प्रतिशत	
	मूल बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान		कमी (-) व वृद्धि (+)	मूल बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान	मूल बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान
1996-1997	314.58	292.00	288.28	-22.58	3200.00	3310.49	9.83	8.82
1997-1998	316.98	298.89	253.32	-18.09	3504.13	4275.77	9.04	6.99
1998-1999	364.35	331.52	290.36	-32.83	4300.00	4064.00	8.47	8.16
1999-2000	355.92	255.18	238.55	-100.74	5022.18	3855.14	7.08	6.62
2000-2001	258.88	169.65	150.27	-89.23	4146.15	4237.94	6.24	4.00
2001-2002	112.66	122.81	75.55	-10.15	5131.44	4642.35	2.19	2.64

माह जनवरी, 2002 तक

परिशिष्ट-12

परिशिष्ट ''अ''

(अतारांकित प्रश्न संख्या-760 की प्रति)

कार्यालय जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर

क्रमांक प.25(5)/विकास/शिक्षा/2001/435 दिनांक : 20.2.2001

निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान-जयपुर।

विषय : उप स्वास्थ्य केन्द्र बागडौली पंचायत समिति बौंली के (पुराने) भवन को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बागडौली के हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सरपंच ग्राम पंचायत बागडौली पंचायत समिति बौंली जिला सवाईमाधोपुर ने उनके पत्र क्रमांक निल दिनांक 9.11.2000 द्वारा ग्राम पंचायत बागडौली में शाला भवन की बाउण्डरी में स्थित पुराना उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन जो खण्डहर हालत में स्थित है इसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु हस्तान्तरित किये जाने हेतु निवेदन किया है। इन्होंने यह भी अवगत कराया है कि वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन नवीन भवन में संचालित है। ऐसी स्थिति में उन्होंने पुराने उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उप स्वास्थ्य केन्द्र के उपयोग में न आने व उच्च प्राथमिकविद्यालय के लिए ई.ए.एस. योजना के अन्तर्गत स्वीकृत एक हाल मय बरामदा निर्माण हेतु स्वीकृति राशि के उपयोग हेतु विद्यालय के पास जगह नहीं होने के कारण पुराने उप स्वास्थ्य केन्द्र जीर्णशीर्ण हालत को हस्तान्तरित किये जाने हेतु स्वीकृति चाही है। जिस पर स्थानीय तहसीलदार बौंली एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सवाईमाधोपुर से इस प्रकरण में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गयी उन्होंने पुराने उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए हस्तान्तरण किये जाने की राय प्रस्तावित की है। अत: सरपंच ग्राम पंचायत बागडौली के पत्र दिनांक 9.11.2000 एवं 24.11.2000 तथा रिपोर्ट तहसीलदार बौंली क्रमांक प.(रीडर)विविध 2000 (79) दिनांक 19.1.2001 रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर क्रमांक (भवन)(2001)92 दिनांक 27.1.2001 की फोटो स्टेट प्रतियां इस पत्र के संलग्न भिजवा कर निवेदन है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र बागडौली के पुराने भवन को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बागडौली को हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कराने का श्रम करें।

संलग्न :- फोटो प्रतियां उपरोक्तानुसार चार

भवदीय
ह०/-
जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर

परिशिष्ट "ब"

डा. किरोड़ी लाल
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भा.ज.पा.अनु.ज.जा. मोर्चा,
प्रदेश उपाध्यक्ष, भा.ज.पा. राजस्थान
पूर्व सांसद (लोकसभा)
विधायक–बामनवास (स.मा.)

3/80, एस.एफ.एस. अग्रवाल फार्म,
सुभाष चन्द्र बोस मार्ग, मानसरोवर,
जयपुर, राजस्थान
फोन : 0141-395373, 396616
दिनांक : 7.4.2001

प्रमुख शासन सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय : उप स्वास्थ्य केन्द्र, बागडौली पंचायत समिति, बौंली के पुराने भवन को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बागडौली हेतु हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर के पत्रांक 435 दिनांक 20.2.2001.

मान्यवर,

जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर का संदर्भित पत्र संलग्न कर निवेदन है कि पंचायत समिति बौंली (जिला सवाईमाधोपुर) की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बागडौली के प्रांगण में उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्मित है जो काफी पुराना है। काफी पुराना होने के कारण आपके विभाग ने अलग से उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण करा लिया है तथा वहीं पर विभागीय कर्मचारी मरीजों की देखभाल करते हैं।

तहसीलदार बौंली एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सवाईमाधोपुर ने भी पुराने उप स्वास्थ्य केन्द्र को स्कूल हेतु हस्तान्तरित किए जाने की राय दी है। इससे पुराने जर्जन भवन को जीर्णोद्धार शिक्षा विभाग या ग्राम पंचायत द्वारा कर लिया जाएगा जिसमें छात्रों के अध्ययन हेतु यह भवन उपयोगी हो सकेगा।

जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर ने अपने पत्रांक 435 दिनांक 20.2.2001 को निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर को भेजा है जिसके साथ तहसीलदार, बौंली एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट भी संलग्न कर भिजवाई है।

अत: निवेदन है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र, बागडौली के पुराने भवन को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बागडौली हेतु हस्तान्तरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करने का श्रम करें।

सादर

संलग्न :- फोटो प्रति जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर का पत्रांक 435 दिनांक 20.2.2001

भवदीय
ह०/-
(डा. किरोड़ीलाल)

परिशिष्ट-13

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-761 का विवरण)

डी.बी. चिकित्सालय, चूरू में चिकित्सा संवर्ग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों का रिक्ति दिनांक सहित विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	पदनाम		रिक्ति का दिनांक
1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	-3	1.10.2000 बालरोग
			1.4.2001 स्त्री रोग
			1.4.2001 मेडिसन
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	-5	1.1.2001 टी.बी.
			7.5.1999 ई.एन.टी.
			1.4.1997 पैथोलोजी
			8.6.2001 रेडियोलोजी
			1.3.2002 ऐनेस्थेसिया
3.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1.9.2000
4.	चिकित्सा अधिकारी	1	28.9.2001
5.	वरिष्ठ टेक्नीशियन	1	1.8.2000
6.	सहायक रेडियोग्राफर	1	10/1999
7.	टी.बी.एच.वी.	1	1.1.2001

परिशिष्ट ''ब''

डी.बी. चिकित्सालय, चूरू में सांसद विकास कार्य में कितनी-कितनी राशि किस कार्य में व्यय हुई एवं कितना विलम्ब हुआ का वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 हेतु विवरण

सांसद क्षेत्रीय विकास **वर्ष 2000-2001**

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	स्वीकृति राशि	वर्ष में खर्चा 2000-2001	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	वास्तविक कार्यपूर्ण करने की तिथि	देरी	विशेष विवरण
1.	डी.बी. अस्पताल चूरू में शिशु वार्ड का निर्माण कार्य	श्रीमान् अतिरिक्त कलक्टर (विकास) चूरू के पत्र क्रमांक 1219-28 दिनांक 13.4.2000	8.70 लाख	8.47 लाख	18.9.2000	17.2.2001	12.6.2001	3 माह 23 दिन	इस कार्य पर कुल खर्चा रु. 8.47 लाख का किया गया।
				वर्ष 2001-2002					
2.	यथा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	–	–

परिशिष्ट–14

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–762 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों के रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है

	चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	रिक्ति की अवधि
1.	राजकीय चिकित्सालय, सहाड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ, मेडिसन–1	1.12.1997
		नर्स श्रेणी–द्वितीय–1	7/2000
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोशीथल	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी–1	10.5.1999
		चिकित्सा अधिकारी–1	2.8.1999
	उच्चीकृत उपकेन्द्र, अरनिया (कोशथिल)	नर्स श्रेणी–द्वितीय–1	13.11.1999
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखोला	चिकित्सा अधिकारी–1	3.8.2001
		नर्स श्रेणी–द्वितीय–1	7/2000
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमली	चिकित्सा अधिकारी–1	31.12.2000
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनिक)–1	1.1.2001
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)–1	1.12.2001
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकरी–1	27.6.2001
		चिकित्सा अधिकरी–1	1.12.2001
		दन्त चिकित्सक–1	1.4.1998
		नर्स श्रेणी– प्रथम–3	1.4.1999/ 1.1.2000
		नर्स श्रेणी– द्वितीय–1	1.4.1999
6.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी–2	1.8.1996/ 12.1.2001
		नर्स श्रेणी– द्वितीय–1	30.11.2001
	उच्चीकृत उप केन्द्र, बागोलिया (रायपुर)	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता–1	5.9.2001
	उप केन्द्र, बांगड (रायपुर)	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता–1	8.6.2001
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महेन्द्रगढ़	नर्स श्रेणी–द्वितीय–1	7/2000

परिशिष्ट–15

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–766 की प्रति)

राजस्थान सरकार

कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन–कोटा

क्रमांक : सीबी./जांच/122   दिनांक : 1.4.2002

विशिष्ट शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान–जयपुर।

विषय : डा. आलोक शर्मा के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक: प.17(20)चि.स्वा./2/2002/9 दिनांक 16.3.2002.

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय को प्रधान सम्पादक "देश की धरती" का एक पत्र मय समाचार पत्र "भास्कर एवं देश की धरती" की कतरन के प्राप्त हुआ। जिसका विषय डा. आलोक शर्मा के आचरण की जांच बाबत था। यह पत्र इस कार्यालय को दिनांक 26.2.2002 को प्राप्त हुआ। निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा इसकी जांच दिनांक 27.2.2002 से प्रारम्भ कर दी गई। इस जांच में निम्न के बयान लिए गए :-

1. डा. आलोक शर्मा, चि.अ., सामु.स्वा. केन्द्र, सुल्तानपुर।
2. डा. ओ.पी. खण्डेलवाल, प्रभारी चि.अ. सामु.स्वा. केन्द्र, सुल्तानपुर।
3. श्री रामनिवास मेघवाल, म.नं. 2   " "
4. श्री मनफूल डांगा, स्वीपर   " "

जांच करने के दौरान यह पाया गया कि इस केस में कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

डा. आलोक शर्मा ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने दिनांक 11.6.2001 को रात्रि के 9.10 बजे ममता को अपने निवास पर देखा और प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी दिनांक 12.6.2001 को प्रात: 9 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानपुर के चिकित्सालय में ममता को पुन: उसके परिजन लेकर आए और डा.

आलोक शर्मा ने इसकी जांच करके इसे भर्ती कर दिया। डा. ओ. पी. खण्डेलवाल, क.वि. (मेडी.) के द्वारा राउण्ड पर दिनांक 12.6.2001 को दोपहर 12.15 बजे मरीज को देखा गया तो उन्होंने डा. आलोक शर्मा के द्वारा जो इलाज किया जा रहा था उससे सहमति प्रकट की। उसके बाद दिनांक 13.6.2001 को प्रात: 6.30 बजे पुन: डा. आलोक शर्मा द्वारा मरीज को देखा गया तथा उस समय मरीज ने यह बताया कि लाल दंत मंजन के स्थान पर उसने चूहे मारने की दवा से दांत रगड़े हों। इसके बाद डा. ओ.पी. खण्डेलवाल को भी मरीज को दिखाया गया तथा मरीज को डा. आलोक शर्मा के द्वारा प्रात: 6.30 बजे कोटा रेफर कर दिया गया तथा पुलिस को तहरीर बनाकर सूचित किया गया जिस पर दिनांक 13.6.2001 एवं 7.00 ए.एम. अंकित है।

डा. ओ.पी. खण्डेलवाल, क.वि. (मेडी), सामु. स्वा. केन्द्र, सुल्तानपुर ने अपने बयान में अवगत कराया कि ममता को उन्होंने डा. आलोक शर्मा के कहने पर दिनांक 12.6.2001 को देखा और 13.6.2001 को प्रात: 6.30 बजे भी देखा चूंकि उस समय यह पता चल गया था कि हो सकता है कि मरीज ने कोई जहरीला पदार्थ लिया है तो डा. खण्डेलवाल ने डा. शर्मा को आवश्यक उपचार कर कोटा रेफर करने के निर्देश दिए तथा पुलिस को तुरन्त सूचना देने के भी निर्देश दिए। डा. खण्डेलवाल ने उस समय टिकट पर लिखित निर्देश नहीं दिए क्योंकि इंडोर टिकट उस समय उपलब्ध नहीं था बाद में डा. शर्मा ने टिकट को पूर्णकर 2-3 दिन के बाद डा. खण्डेलवाल को बताया जिस पर डा. खण्डेलवाल ने अपने निर्देश दिए।

श्री राम निवास मेघवाल, मे.नं. 2 ने बताया कि जिस समय उन्होंने इंडोर टिकट पर एंट्री की उस समय रजिस्टर पर कटिंग नहीं थी और अन्तिम नम्बर 327 था इस प्रकार ममता की एंट्री 327 क्रम पर की गई। क्रमांक 320 को दो बार एवं 324 एवं 327 तक की एंट्री जिन एंट्रीज पर ओवर राइटिंग की है, के बारे में क्या कारण रहे श्री रामनिवास मेघवाल को मालूम नहीं।

श्री मनफूल, स्वीपर ने अपने बयान में बताया कि वह दिनांक 13.6.2001 को प्रात: 7 बजे अपनी निर्धारित ड्यूटी पर सामु. स्वा. केन्द्र, सुल्तानपुर पर आया तो उसने तहरीर देकर पुलिस स्टेशन सुल्तानपुर भेजा गया, तहरीर पर समय अंकित नहीं था इसलिए वह वापस सामु. स्वा. केन्द्र में आया और समय अंकित कराकर पुन: थाने में गया और वहां तहरीर दे दी। जिसे पुलिस के द्वारा 8.30 बजे प्राप्त करना बताया। श्री मनफूल ने बताया कि उसे आने जाने में लगभग एक घंटा लगा।

उपरोक्त बयानों एवं समाचार पत्रों की कतरन व शिकायत के आधार पर सम्पन्न की गई। जांच में निम्न तथ्य सामने आए हैं :–

1. मरीज को दिनांक 13.6.2001 को उपचार के बाद प्रात: 6.30 बजे कोटा के लिए रेफर किया गया परन्तु पुलिस को सूचना के लिए तहरीर प्रात: 7 बजे रवाना की गई। इस प्रकार इस विलम्ब के कारण से पुलिस जब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुल्तानपुर में पहुंची मरीज ममता को उसके परिजन कोटा लेकर जा चुके थे। डा. आलोक शर्मा का यह दायित्व बनता था कि वह मरीज को रेफर करने से पहले पुलिस को सूचित करते क्योंकि उन्हें यह जानकारी मिल चुकी थी कि मरीज ने हो सकता है कोई जहरीला पदार्थ लिया। समय से पहले सूचित करने पुलिस अपनी कार्यवाई कर सकती थी जो कि नहीं की।
2. जहां तक इंडोर रजिस्टर में कटिंग का सवाल है उसमें श्री रामनिवास मेघवाल, मे.नं. 2 ने बताया कि 328 क्रमांक: पर स्वयं उनके द्वारा ममता की एंट्री की गई थी तथा उस समय इससे पहले का क्रमांक: 327 था, ओवर राइटिंग के क्या कारण रहे उन्हें मालूम नहीं। चूंकि इंडोर रजिस्टर का ड्यूटी पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ के द्वारा रख-रखाव किया जाता है इसलिए चिकित्सा अधिकारी इस कटिंग के लिए दोषी नहीं हैं।
3. एम.बी.एस. चिकित्सालय कोटा में ममता को भर्ती किया गया जहां उसका इलाज चला तथा 11.45 ए.एम. पर मृत्यु हो गई जिसका बाद में पोस्टमार्टम भी कराया।

उपरोक्त सभी तथ्य जो जांच के बाद सामने आए उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस केस में डा. आलोक शर्मा एवं अन्य के द्वारा लापरवाही एवं अनियमितता बरती गई है। इसलिए इस केस में विभागीय जांच स्थापित किया जाना अनिवार्य है। कृपया इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करने का श्रम करें। जांच रिपोर्ट वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह०/–

संयुक्त निदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन–कोटा

दिनांक :

परिशिष्ट-16

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-767 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा कर्मियों के स्वीकृत, कार्यरत, एवं रिक्त पदों का पदवार रिक्ति अवधि सहित विवरण निम्न प्रकार है

विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के राजकीय चिकित्सालयों के नाम	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6
उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूरजगढ़	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	1	–	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	1	–	
	चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
	नर्स श्रेणी प्रथम	1	1	–	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	7	3	4	9/2000
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	–	1	(डाइगकैडर)
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जाखोद	चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	–	
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	–	
	लैब टैक्निशियन	1	1	–	
	प्रसाविका	1	1	–	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हीरवा	चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	–	
	प्रसाविका	1	1	–	
	लैब टैक्नीशियन	1	1	–	
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	1	(डाइगकैडर)

1	2	3	4	5	6
प्राथमिक स्वास्थ्य	चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
केन्द्र, चूडिना	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	–	
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	–	
	प्रसाविका	1	1	–	
	लैब टैक्नीशियन	1	1	–	
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	–	
प्राथमिक स्वास्थ्य	चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
केन्द्र, सोहली	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	–	
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	–	
	प्रसाविका	1	1	–	
	लैब टैक्नीशियन	1	1	–	
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	–	1	(डाइगकैडर)
प्राथमिक स्वास्थ्य	चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
केन्द्र, उदामण्डी	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	–	
	प्रसाविका	1	1	–	
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	–	–	(डाइगकैडर)
प्राथमिक स्वास्थ्य	चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
केन्द्र, पचेरीबड़ी	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	–	
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	–	
	प्रसाविका	1	1	–	
	लैब टैक्नीशियन	1	1	–	
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	–	1	(डाइगकैडर)

1	2	3	4	5	6
प्राथमिक स्वास्थ्य	चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
केन्द्र, सांवलोद	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	1	1	9/2000 से
	प्रसाविका	1	1	–	
	लैब टैक्नीशियन	1	1	–	
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	–	–	
प्राथमिक स्वास्थ्य	चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	10/2001 से
केन्द्र, कुहाड़वास	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	1	1	10/2001 से
	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	–	
	प्रसाविका	1	1	–	
	लैब टैक्नीशियन	1	1	–	
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	–	1	(डाइगकैडर)
प्राथमिक स्वास्थ्य	चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
केन्द्र, सिधाना	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	–	
	लैब टैक्नीशियन	1	1	–	
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	–	1	(डाइगकैडर)
मातृ–शिशु कल्याण	चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	
केन्द्र, सिधाना	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	–	
उच्चीकृत प्राथमिक	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	–	1	2/2002 से
स्वास्थ्य केन्द्र, बुहाना	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	1	–	
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	–	1	3/2000 से
	चिकित्सा अधिकारी	2	2	–	
	नर्स श्रेणी प्रथम	1	1	1	9/2000 से
	नर्स श्रेणी द्वितीय	4	3	1	9/2000
	सहायक रेडियोग्राफर	1	1	–	
	लैब टैक्नीशियन	1	1	–	
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	–	
	प्रसाविका	1	1	–	

परिशिष्ट–17

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–775 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में अध्यापकों की कमी वाले विद्यालयों की स्थिति

"माध्यमिक शिक्षा"

क्र.सं.	नाम विद्यालय
1	2
1.	मुण्डावर
2.	बीजवाड़ चौहान
3.	चांदपुर
4.	भानोत
5.	मानका
6.	करनीकोट
7.	ततारपुर
8.	जाटबहरोड़
9.	खानपुर अहीर
10.	छापर
11.	पेहल
12.	मुण्डनवालकला
13.	बा.सोनोली
14.	एडवा
15.	कल्लूवास
16.	जालावासमनेठी
17.	सियाखो

"प्रारम्भिक शिक्षा"

क्र.सं.	नाम विद्यालय
1	2
1.	बेरोज
2.	बासमेनपुर
3.	बावद रक्तपुरा
4.	मऊ
5.	मढा
6.	नांगल उदिया
7.	नांगल बावला
8.	नाहर खेड़ा
9.	रानोठ
10.	पदमाड़ा खुर्द
11.	हाडा डेडी
12.	तिनकी रूड़ी
13.	जसाई
14.	गढी
15.	सोडावास
16.	न्योपुर
17.	अलीपुर

1	2
18.	मौलावास
19.	पलावा
20.	बासनी
21.	राजवाड़ा
22.	सरायकलां
23.	दरबारपुर
24.	जीटोली
25.	सिरोड़खुर्द
26.	मौहम्मदपुर
27.	भुनगढ़ा अहीर
28.	हटुण्डी
29.	रसगण
30.	बधीन
31.	बा. मुण्डावर
32.	बा.पदमाडाकला

1	2
18.	मूंडिया खेड़ा
19.	पीपली
20.	गोपीपुरा
21.	शीलगांव
22.	सवलगढ़
23.	रेणगिरी
24.	बा. चांदपुर
25.	पेहल
26.	भानोत
27.	रायपुर

परिशिष्ट-18

परिशिष्ट ''क''

(अतारांकित प्रश्न संख्या-781 का विवरण)

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा डेयरी बूथ आबंटन के समय यह ध्यान रखा जाता है कि :-

1. बूथ के लिये प्रस्तावित स्थान यथासम्भव उपभोक्ताओं के नजदीक हो।
2. प्राप्त आवेदकों की सामाजिक/शारीरिक/आर्थिक/शैक्षणिक स्थिति का ध्यान भी बूथ आबंटन के समय रखा जाता है।

जयपुर डेयरी द्वारा वर्तमान में निम्न प्रकार के खुदरा विक्रय केन्द्रों (बूथ) के माध्यम से दूध एवं दूग्ध पदार्थ विक्रय किये जा रहे हैं, जिनके आबंटन की प्रक्रिया वर्तमान में निम्न प्रकार है :-

1. **शाप एर्जेसी** : इस तरह के खुदरा केन्द्रों का आबंटन संघ द्वारा पूर्व निर्मित दुकानों/जनरल स्टोर/परचूनी की दुकानों को आबंटन के समय प्राथमिकता प्रदान की जाती है। ऐसे दुकानदारों को भी वरीयता दी जाती है जिनके पास अवशीतन सुविधा अर्थात फ्रीज/डी-फ्रीज उपलब्ध हो। इस तरह के आबंटन में मिल्क क्रेट व दूध की एवज में रुपये 5000/- सुरक्षा राशि संघ द्वारा ली जाती है। वर्तमान में कार्यरत शाप एर्जेसियों की संख्या 917 है।
2. **संघ के स्वयं के बूथ** : जयपुर संघ के कुल 213 स्वनिर्मित बूथ जिसमें टोन के बने हुये तथा पुराने बल्क वैंडिंग बूथ शामिल है, काफी समय पूर्व तत्कालीन जयपुर मिल्क सप्लाई स्कीम तथा जयपुर डेयरी द्वारा नियुक्त बूथ एर्जेटों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। साधारणतया इन बूथ एर्जेटों को हटाया नहीं जाता है। नये बूथ एर्जेटों को आबंटन मात्र उसी स्थिति में किया जाता है जब किसी कारणवश वर्तमान एर्जेट द्वारा बूथ संचालन में असमर्थता दर्शायी जाती है या किसी गम्भीर अनियमितता करने पर उक्त एर्जेट को हटाने की कार्यवाही आवश्यक हो जाती है। इस तरह के आबंटन में भी सुरक्षा राशि रुपये 5000/- ली जाती है।
3. **विशिष्ट मिल्कबार** : संघ द्वारा संचालित उक्त 213 बूथों में से 20 बूथों का संचालन विशिष्ट मिल्कबारों के रूप में किया जा रहा है। इन मिल्कबारों

पर संघ के सभी प्रकार के दूध एवं दुग्ध उत्पादों की बिक्री की जाती है। इन मिल्कबारों पर अवशीतन सुविधा भी संघ द्वारा मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार के मिल्कबारों में से तीन मिल्कबार संघ के कर्मचारियों द्वारा संचालित की जा रही है। शेष मिल्कबारों में शेष बची 17 मिल्कबारों में से 6 मिल्कबारों का आबंटन निविदा के माध्यम से योग्य आवेदक का चयन कर आबंटन एक वर्ष के लिये किया गया था। एक वर्ष के उपरान्त इनके कार्य की गठित कमेटी द्वारा समीक्षा की गई थी एवं खुदरा केन्द्रों का कार्य संतोषजनक था, उन मिल्कबारों का संचालकों का आबंटन नियमित कर दिया गया एवं जिस मिल्कबार पर कार्य संतोषजनक नहीं था उन केन्द्रों को नये एर्जेटों को आबंटन किया गया जिसके लिये बिन्दु संख्या 2 में दर्शित आबंटन प्रक्रिया का पालन किया गया। शेष मिल्कबारों की आबंटन प्रक्रिया संघ के अन्य बूथों के समान (बिन्दु संख्या 2 में वर्णित) है। इन बूथों हेतु सुरक्षा राशि रुपये 25,000/- है।

4. **नये स्थानों पर बूथ आबंटन** : इस तरह के आबंटन संघ द्वारा उन स्थानों पर किये जाते हैं कि जहां उपरोक्त दो प्रकार के खुदरा बिक्री केन्द्र पूर्व में स्थापित नहीं हैं– इस तरह के आबंटन के लिये आवेदकों को नये स्थान की स्वीकृति पहले नगर निगम जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त करनी होती है, तत्पश्चात् उस स्वीकृति के आधार पर जगह का सर्वेक्षण करने के उपरान्त संघ द्वारा एर्जेसी आबंटन की जाती है। आवश्यकतानुसार संस्था हित में सम्बन्धित विभाग को खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना हेतु अनुशंसा पत्र भी भेजा जाता है। इस तरह के बूथों के केबिन का निर्माण स्वयं के खर्चे पर करना होता है एवं संघ द्वारा 25,000/- रुपये धरोहर राशि के रूप में जमा कराये जाते हैं।

परिशिष्ट-19

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-783 का विवरण)

अजमेर दुग्ध संघ के वर्तमान अध्यक्ष श्री रामचन्द्र चौधरी के विभिन्न दुग्ध समितियों के अध्यक्ष पद के कार्यकाल का विवरण

क्र. सं.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति	अध्यक्ष पद पर कार्यावधि	विशेष विवरण
1.	देवांस दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि. पंचायत समिति मसूदा	27.12.1988 से 27.7.1990	दिनांक 28.7.1990 को उक्त समिति से त्यागपत्र दिया।
2.	भगवानपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि. पंचायत समिति, मसूदा	30.12.1988 से 16.12.1994	
3.	देवांस दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	7.11.1994 से 16.6.1998 तक	
4.	देवांस दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	16.6.1998 से वर्तमान तक	

परिशिष्ट-20

परिशिष्ट ''क''

(अतारांकित प्रश्न संख्या-787 की प्रति)

कार्यालय ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
पंचायत समिति, धौलपुर

क्रमांक : ब्लाक/प्रा.शि./धौ/सामान्य/2002/40-42 दिनांक : 13.2.2002

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा) धौलपुर।

विषय : जांच रिपोर्ट रागापा, रामनगर, ग्राम पंचायत कोटरा, धौलपुर।

प्रसंग : ग्रामवासी, रामनगर व उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक : 129 दिनांक 8/2/2002 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला रामनगर में अध्यापक न आने की शिकायत के सम्बन्ध में वहां जाकर जांच की गई, जांच दिनांक 13.2.2002 को की गई। जांच वक्त पाठशाला में कार्यरत शिक्षा सहयोगी श्री लक्ष्मण सिंह पाठशाला के नोटिस बोर्ड पर मानदेय लेने पंचायत समिति धौलपुर जा रहा हूं, अंकित कर विद्यालय में उपस्थित नहीं था तथा वहां उपस्थित ग्रामीणों ने एक राय होकर बतलाया कि पाठशाला में कार्यरत शिक्षा सहयोगी श्री लक्ष्मण सिंह बहुत कम आता है तथा शिक्षण कार्य नहीं कराता है तथा चार माह से नहीं आया है। ग्रामीणों ने बतलाया कि गत वर्ष इसकी शिकायत विकास अधिकारी पंचायत समिति धौलपुर से कराई गई थी तथा इसकी शिकायत 10.2.2002 को

क्षेत्रीय विधायक से की गई तथा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, धौलपुर से भी उक्त शिकायत की गई है। जांच वक्त कुछ छात्रों से जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने बतलाया कि कल हमारे अध्यापक विद्यालय में आये थे तथा छात्रों के शैक्षिक स्तर को देखा गया तो संतोषप्रद था। पूर्ण जांच में ऐसा प्रतीत हुआ कि उक्त शिक्षा सहयोगी विद्यालय में अनियमित आता है अथवा विद्यालय से समय से पूर्व पलायन कर जाता है। जांच वक्त उपस्थित वार्ड पर श्री केवल सिंह व अन्य ग्रामीणों की राय पर जांच उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत के सरपंच व ग्राम के वार्ड पंच द्वारा माह की उपस्थिति प्रमाणित कर प्रस्तुत करने पर ही सम्बन्धित शिक्षा सहयोगी को मानदेय दिया जावे तथा सम्बन्धित शिक्षा सहयोगी इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

ह०/-

ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,

पंचायत समिति, धौलपुर

परिशिष्ट-21

परिशिष्ट ''क''

(अतारांकित प्रश्न संख्या-801 का विवरण)

वर्ष 1998-99 से फरवरी, 2002 तक जयपुर जिले के विभागीय औषधालयों को सप्लाई की गई 6 औषधियों का विवरण

क्र.सं.	नाम औषधि	मात्रा
1.	गोदन्ती	398.250 किलोग्राम
2.	तालीसादि चूर्ण	1929.000 किलोग्राम
3.	लवंगादि वटी	148.700 किलोग्राम
4.	च्यवनप्राश	2046.000 किलोग्राम
5.	चन्द्रामृत रस (एक पैकेट में 100 ग्राम)	1124.00 पैकेट
6.	विषाण भस्म (एक पैकेट में 100 ग्राम)	118.00 पैकेट

परिशिष्ट–22

परिशिष्ट "ख"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–802 का विवरण)

आयुर्वेद विभागान्तर्गत कार्यरत औषधि निरीक्षक (आयुर्वेद) के कार्यक्षेत्र का विवरण

क्र.सं.	औषधि निरीक्षक का मुख्यालय	कार्यक्षेत्र जिले	
1.	उदयपुर	1. उदयपुर	2. राजसमन्द
		3. भीलवाड़ा	4. चित्तौड़गढ़
		5. डूंगरपुर	6. बांसवाड़ा
		7. कोटा	8. बून्दी
		9. बारां	10. झालावाड़
2.	जयपुर	1. जयपुर	2. टौंक
		3. दौसा	4. सवाईमाधोपुर
		5. अलवर	6. भरतपुर
		7. सीकर	8. करौली
		9. धौलपुर	10. झुंझुनूं
3.	जोधपुर	1. जोधपुर	2. बीकानेर
		3. बाड़मेर	4. श्रीगंगानगर
		5. जैसलमेर	6. हनुमानगढ़
		7. जालौर	8. चूरू
		9. सिरोही	10. नागौर
		11. पाली	12. अजमेर